# शासनादेश संग्रह

## (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली– NPS)

### (दिनांक 29 सितम्बर, 2020 तक)


वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0

Institute of Financial Management Training & Research, U.P

24/3-4, इन्दिरानगर, लखनऊ, उ0प्र0 226016

दूरभाष: 0522–2345210, 2345176, 2353623, 2346314

फैक्स: 0522–2349446

वेबसाइट: htpp://ifmtr.up.nic.in

ई–मेल: ifmtr@nic.in

# शासनादेश संग्रह

## (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली– NPS)

### (दिनांक 29 सितम्बर, 2020 तक)

*प्रकाशक*
*निदेशक*

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0

Institute of Financial Management Training & Research, U.P

24/3-4, इन्दिरानगर, लखनऊ, उ0प्र0 226016
दूरभाषः 0522–2345210, 2345176, 2353623, 2346314
फैक्सः 0522–2349446
वेबसाइटः htpp://ifmtr.up.nic.in
ई–मेलः ifmtr@nic.in

## प्राक्कथन

सरकारी कर्मचारियों हेतु पेंशन की व्यवस्था ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है, जिसमें कई महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तन समय समय पर होते रहे हैं । इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आये सभी नये कर्मचारियों (सशस्त्र बल को छोडकर) के लिए नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी। राज्य सरकार द्वारा भी भारत सरकार की उक्त योजना के आधार पर अपने दीर्घकालिक राजकोषीय हितों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अप्रैल 2005 से नव प्रवेशकों पर पारिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू की गयी। इस योजना में अब तक कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन/संशोधन विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से किये जा चुके हैं जैसे– पारिवारिक पेंशन /असाधारण पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान किया जाना, सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान का लाभ उ0प्र0 रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स 1961 से आच्छादित कर्मचारियों की भांति अनुमन्य किया जाना, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति, पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के विकल्प के चयन की अनुमति, नियोक्ता अंशदान की सीमा 10 प्रतिशत से बढाकर दिनांक 01.04.2019 से 14 प्रतिशत किया जाना इत्यादि।

राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित प्रकरणों के सरलतापूर्वक निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित किये गये विभिन्न संशोधनों एवं दिशा–निर्देशों को एक ही स्थान पर संकलित कर एक संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

एन0पी0एस0 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन गठित पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा समय–समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं एवं सर्कुलर्स के माध्यम से कई व्यवस्थायें की गयी है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भी अंगीकृत किया गया है। अतः पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा निर्गत महत्त्वपूर्ण अधिसूचनाओं एवं सर्कुलर्स का भी यथास्थान समावेश किया गया है।

इस संस्थान द्वारा पूर्व में पेंशन, परिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि से संबंधित शासनादेश संग्रह प्रकाशित किया जा चुका है। इसी क्रम में **शासनादेश संग्रह ( राष्ट्रीय पेंशन योजना)** तैयार कराया गया है। किसी भी संकलन में परिष्कार एवं अद्यतनीकरण की संभावना सदैव बनी रहती है अतः इस हेतु प्रबुद्ध पाठकों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। यह कार्य संस्थान के सहायक निदेशक **श्री संदीप कुमार गुप्ता** द्वारा किये गये अथक परिश्रम के कारण फलीभूत हो सका है। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

**प्रकाशक**

# अनुक्रमणिका

## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) से संबंधित शासनादेश


| क्रमांक | शासनादेश सं0 | दिनांक | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सा–3–379/दस–2005–301 (9)/03 | 28 मार्च 2005 | दि. 01.04.2005 से नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एन0पी0एस0) लागू किया जाना | 1–3 |
| 2 | सा–3–469/दस–2005–301 (9)/03 | 07 अप्रैल 2005 | उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स 2005 | 3–4 |
| 3 | सा–3–470/दस–2005–301 (9)/2003 | 07 अप्रैल 2005 | 01 अप्रैल 2005 या उसके पश्चात सेवा में प्रवेश करने वाले सरकारी सेवक का सामान्य भविष्य निधि में अभिदान न किया जाना (सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) (संशोधन) नियमावली 2005) | 4–5 |
| 4 | सा–3–1051/दस–2008–301 (9)/2003 | 14 अगस्त 2008 | पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति होने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में में एन0पी0एस0 के कार्यान्वयन हेतु निर्देश | 6–17 |
| 5 | सा–3–1454/दस–2008–301 (9)/2008 | 28 नवम्बर 2008 | एन0पी0एस0 के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–सा–3–1051/दस–2008–301(9)/2003 दि0 14.08.2008 के संबंध में संशोधन/ स्पष्टीकरण | 18–19 |
| 6 | सा–3–313/दस–2009–301 (9)/2003 | 15 मई 2009 | सी0आर0ए0, ट्रस्टी बैंक एवं पेंशन निधि प्रबंधक के कार्य | 19–21 |
| 7 | सा–3–1124/दस–2010–301 (9)/2003 टी0सी0 | 15 सितम्बर 2010 | शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दि.01.04.2005 को अथवा उसके उपरान्त आने वाले शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना का क्रियान्वयन | 21–40 |
| 8 | सा–3–1671/दस–2010–301 (09)/2003 टी0सी0 | 16 सितम्बर 2010 | अधिसूचना सं0– सा–3–379/दस–2005 –301(9)/2003 दि0 28.03.2005 द्वारा लागू एन.पी.एस. के संबंध में स्पष्टीकरण | 41 |
| 9 | सा–3–1558/दस–2010–301 (9)/2003 टी0सी0 | 13 अक्टूबर 2010 | सी0आर0ए0 एवं पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति होने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के संबंध में एन0पी0एस0 का कार्यान्वयन | 42–46 |
| 10 | सा–3–1913/दस–2010–301 (71)/2009 | 19 नवम्बर 2010 | शासन से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में दि.01.04.2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त कर्मियों पर लागू अंशदान पेंशन योजना का क्रियान्वयन | 46–47 |
| 11 | सा–3–1065/दस–301 (9)/2011 | 15 सितम्बर 2011 | एन0एस0डी0एल0 द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवायें | 48–49 |
| 12 | सा–3–1066/दस/2011–301 (9)/2011 | 15 सितम्बर 2011 | राज्य सरकार की सेवा में तैनात, नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के | 50–56 |

| क्रमांक | शासनादेश सं0 | दिनांक | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|---|
| | | | अधिकारियों के सी0आर0ए0 सिस्टम में पंजीकरण तथा पेशन अंशदान का संप्रेषण | |
| 13 | सा–3–1067/दस–2011–301 (9)/2011 | 15 सितम्बर 2011 | नयी पारिभाषित अंशदान पेंशन योजना का क्रियान्वयन | 57–76 |
| 14 | सा–3–1118/दस–2011–301 (9)/2003 टी0सी0 | 16 सितम्बर 2011 | अधिसूचना सं0– सा–3–379/दस–2005 –301(9)/2003 दि0 28.03.2005 द्वारा लागू एन.पी.एस. के संबंध में स्पष्टीकरण (केन्द्र सरकार/ अन्य राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारी को उ0प्र0 सरकार के अधीन 01. 04.05 को या उसके बाद नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जाना) | 77–78 |
| 15 | सा–3–1606/दस–2011–301 (9)/2003 टी0सी0 | 25 नवम्बर 2011 | नव पारिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण – राज्य सरकार की पेंशनयुक्त सेवा में दि0 01.04.05 से पूर्व नियुक्त तथा 01.04.05 को या उसके पश्चात राज्य सरकार की सेवा में आने पर कार्मिकों की जी0पी0एफ0 सदस्यता का यथावत रहना | 78 |
| 16 | सा–3–1613/दस–2011–301 (9)/2011 | 05 दिसम्बर 2011 | एन0पी0एस0 से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/ विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभों के संबंध में | 79 |
| 17 | सा–3–1718/दस–2011 | 20 दिसम्बर 2011 | नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संदर्भ में स्पष्टीकरण | 80–81 |
| 18 | सा–3–380/दस–2012–301 (9)/2011 | 22 फरवरी 2012 | राज्य सरकार की सेवा में तैनात, नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सी0आर0ए0 सिस्टम में पंजीकरण तथा पेशन अंशदान के संप्रेषण संबंधी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.09.2011 में संशोधन | 81–82 |
| 19 | सा–3–485/दस–2012–301 (9)/2011 | 16 मार्च 2012 | एन0पी0एस0 से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन बिल माह अप्रैल, 2012 से कोषागारों में तैयार किया जाना | 83 |
| 20 | अर्द्ध शा0 प0 सं0 | 16 मार्च 2012 | एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये पे–रोल पैकेज को लागू करवाने के संबंध में | 84 |
| 21 | सा–3–517/दस–2012–301 (9)/एस0ए0बी0 2011 | 21 मार्च 2012 | राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में एन0पी0 एस0 का क्रियान्वयन | 85–89 |
| 22 | सा–3–486/दस–2013–301 (9)–11 | 15 मई 2013 | नई पेंशन योजना 2005 के अन्तर्गत आंवटित डी0सी0आई0 नम्बर के सापेक्ष अभिदाता का अंशदान तथा शासकीय | 90–91 |

| क्रमांक | शासनादेश सं0 | दिनांक | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|---|
| | | | अंशदान की समेकित धनराशि का एन.एस.डी.एल. द्वारा आवंटित प्रान नम्बर में अन्तरण के संबंध में। | |
| 23 | सा–3–1006/दस–2013–301(9)/2012 | 19 सितम्बर 2013 | राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों, जो नयी पेंशन योजना से आच्छादित है, के अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की प्रक्रिया | 91–92 |
| 24 | सा–3–465/दस–2014–301(09)/2011 | 19 मई 2014 | नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के सेवा से त्यागपत्र देने पर डी0सी0आई0 खातें में जमा धनराशि का भुगतान | 93 |
| 25 | 13/सा–3–393/दस–2014–301(23)/2014 | 31 अक्टूबर 2014 | नई पेंशन योजना से निकासी | 93–94 |
| 26 | 3/2015/सा–3–187/दस–2015–301(13)/2012 | 12 मार्च 2015 | एन0पी0एस0 (नेशनल पेंशन सिस्टम) से आच्छादित वाह्य सेवा पर तैनात अधिकारियो/ कर्मचारियों का पेंशनरी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान | 94–97 |
| 27 | 21/2015/सा–3–1038/दस–2015–301(9)/ 2011 | 06 नवम्बर 2015 | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015'' को अंगीकृत किया जाना | 98 |
| 28 | सा–3–1192/दस–2015 | 14 जनवरी 2016 | नई पेंशन योजना से आच्छादित पदच्युत कार्मिक के डी0सी0आई0 खातें में जमा धनराशि को कार्मिक के पक्ष में भुगतान किये जाने के संबंध में | 98–99 |
| 29 | 13/सा–3–180/दस–2016–301(9)/2011 | 19 मई 2016 | नई पेंशन योजना से निकासी – पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के क्रम में | 99–102 |
| 30 | 19/2016/सा–3–490/दस–2016–301(9)/एस0ए0बी0 2011 | 24 जून 2016 | राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन | 103 |
| 31 | 23/2016/सा–3–474/दस–2016–301(9)/एस0ए0बी0 2011 | 05 जुलाई 2016 | राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यृ/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभ | 104 |
| 32 | 27/2016/सा–3–634/दस–2016–301(9)/2011 | 12 अगस्त 2016 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना) के संबंध में स्पष्टीकरण | 105 |
| 33 | 31/2016/सा–3–जी0आई0–17/दस–2016–301(9)/2011 | 06 अक्टूबर 2016 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अनुमन्यता | 106 |
| 34 | 34/2016/सा–3–767/दस–2016–301(9)/2003टी0सी0 | 28 अक्टूबर 2016 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के डी0सी0आई खातें में जमा धनराशि प्रान में स्थानान्तरित होने के पूर्व | 107 |

| क्रमांक | शासनादेश सं0 | दिनांक | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ही कार्मिक के सेवानिवृत्त होने की दशा में कार्मिकों की डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि का भुगतान | |
| 35 | 1/2017/158/79–6–2017–28(10)/1996 | 05 फरवरी 2017 | अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु उसी विद्यालय के असहायिक सेवाअवधि को अर्हकारी सेवा में जोड़ा जाना। | 107–109 |
| 36 | 04/2017–सा–3–93/दस–2017 | 08 मार्च 2017 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रयोजनार्थ निदेशक पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाता खोला जाना | 109–110 |
| 37 | 05/2017/सा–3–109/दस–2017–301(9)/2011 | 10 मार्च 2017 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के लिये पासबुक | 111–116 |
| 38 | 06/2017/सा–3–118/दस–2017–301(9)/2011 | 15 मार्च 2017 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के लिये पासबुक प्रारूप में संशोधन | 116–117 |
| 39 | 07/2017/सा–3–108/दस–2017–301(9)/2011 | 20 मार्च 2017 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी तथा प्रत्याहरण | 117–158 |
| 40 | 15/2017/सा–3–328/दस–2017–301(9)/2003टी0सी0 | 28 जून 2017 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में स्पष्टीकरण | 159–161 |
| 41 | 26/2017/सा–3–437/दस–2017–301(1)/एस0ए0बी0 2011 | 08 अगस्त 2017 | राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के एन0पी0एस0 से आच्छादित कार्मिकों के डी0सी0आई खातें में जमा धनराशि का प्रान में हस्तान्तरण | 162 |
| 42 | 22/2018/सा–3–845/दस–2018–301(9)/2011 | 22 अक्टूबर 2018 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन–सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एन0पी0एस0 हेतु ओ0पी0जी0एम0 व्यवस्था | 162–163 |
| 43 | 23/2018/सा–3–828/दस–2018–301(9)/एस0ए0बी0 2011 | 22 अक्टूबर 2018 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु ओ0पी0जी0एम0 व्यवस्था | 163 |
| 44 | 30–2018/सा–3–1126/दस–2018–301(9)/2011–2 | 18 दिसम्बर 2018 | सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिगं एजेन्सी के कार्य हेतु कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा0 लि0 को अनुबन्धित किया जाना | 164 |
| 45 | 05/2019/सा–3–91/दस–2019–301(9)/2019 | 13 फरवरी 2019 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत नियोक्ता अंशदान में संशोधन | 165 |
| 46 | 06/2019/सा–3–91ए/दस–2019–301(9)/2019 | 13 फरवरी 2019 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जाना (पेंशन निधि एवं निवेश पैटर्न का विकल्प) | 166–167 |

| क्रमांक | शासनादेश सं0 | दिनांक | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 15 / 2019 / सा–3–309 / दस–3 01(9) / 2019 | 10 अप्रैल 2019 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समस्त कर्मचारियों के लिये विस्तारित करना। | 168 |
| 48 | 16 / 2019 / सा–3–322 / दस–2 019–301(8) / 2015 | 16 अप्रैल 2019 | उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली 2019 | 169 |
| 49 | 01 / 2020 / 212 / 33–2–2020–58 जी / 17 टीसी | 21 जनवरी 2020 | उ0प्र0 के जिला पंचायतों के केन्द्रीय एवं अकेन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग सेवा में नवपरिभाषित पेंशन योजना का लागू किया जाना। | 170–171 |
| **पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा जारी सर्कुलर्स एवं अधिसूचनाएं** | | | | |
| 50 | 5 / 7 / 2003–ईसीबी एण्ड पी आर | 22 दिसम्बर 2003 | 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले समस्त नए कर्मचारियों के लिए नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली की शुरूआत | 172–173 |
| 51 | Notification no 406 1(6)/2007 PR | 14 नवम्बर 2008 | पी0एफ0आर0डी0ए0 का अंतरिम रूप से गठन | 174–177 |
| 52 | No-38/41/06/P&PW(A) | 05 मई 2009 | Additional Relief on death/disability of Government servants covered by the Defined contribution Pension System (NPS) | 177–178 |
| 53 | No-I(7)DCPS(NPS)/2009/TA/221 | 02 जुलाई 2009 | Additional Relief on death/disability of Government servants covered by the new Defined contribution Pension System (NPS) | 179–182 |
| 54 | No-25014/14/2001-AIS(III) | 08 सितम्बर 2009 | Introduction of New Pension Scheme for Members of the All India Service joining the All India Service on or after 1/1/2004 | 182–185 |
| 55 | No-28/30/2004/P&PW(B) | 28 अक्टूबर 2009 | Mobility of personnel amongst Central/State & Autonomous Bodies while working under Pensionable establishments regarding. | 185 |
| 56 | No-11/25/2011-PR | 25 जनवरी 2012 | Release of the accumulation in Defined contribution Pension Scheme in Tier-I under new Pension Scheme. | 186 |
| 57 | PFRDA/2013/10/CRTB/1 | 30 अप्रैल 2013 | Appointment of new Trustee bank (TB) under National Pension System (NPS) | 186 |
| 58 | PFRDA/24/12 | 30 जुलाई 2014 | Issue of family pension/ invalidation pension and adjustment of accumulated pension death of government sector NPS subscribers to government. | 187–189 |
| 59 | PFRDA/2015/07/EXIT/02 | 25 फरवरी 2015 | Simplification of Withdrawal process – Documentary requirements. | 190–191 |

| क्रमांक | शासनादेश सं0 | दिनांक | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 / 8 | 11 मई 2015 | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 | 191–209 |
| 61 | PFRDA/2015/24/EXIT/1 | 29 अक्टूबर 2015 | Clarification of deferred withdrawal of lump sum. | 210 |
| 62 | PFRDA/2015/27/EXIT/02 | 12 नवम्बर 2015 | Mandatory processing of Online withdrawal request. | 210–218 |
| 63 | PFRDA/24/EXIT/1 | 26 मई 2016 | Guidelines for processing of Family Pension Cases. | 219–221 |
| 64 | PFRDA/2016/13/EXIT/06 | 27 जुलाई 2016 | Clarification on Continuing Contribution Beyond 60 Years Or The Age Of Superannuation – Till 70 Years . | 220–221 |
| 65 | 7/5/2012-P&PW(F)/B | 26 अगस्त 2016 | Extension of benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity to the Central Government employees covered by new Defined Contribution Pension System (National Pension System) | 222 |
| 66 | PFRDA/2016/21/EXIT/7 | 24 अक्टूबर 2016 | Documents to be submitted for availing partial withdrawal. | 223–224 |
| 67 | PFRDA/2017/1/CRA/1 | 03 जनवरी 2017 | Operationalisation of Karvy Computershare private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS Regular /NPS Lite/APY | 225 |
| 68 | PFRDA/2017/5/CRA/2 | 09 फरवरी 2017 | Operationalisation of M/S Karvy Computershare private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS. | 226–227 |
| 69 | पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 / 8 | 10 अगस्त 2017 | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2017 | 227–236 |
| 70 | पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 / 8 | 06 अक्टूबर 2017 | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम 2017 | 236–238 |
| 71 | पीएफआरडीए / 2017 / 32 / निकासी / 2 | 09 अक्टूबर 2017 | एकमुश्त राशि एवं वार्षिकी के आस्थगन तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत टीयर–II खातों के निरंतरण हेतु दिशानिर्देश। | 239–241 |
| 72 | PFRDA/2018/40/EXIT | 10 जनवरी 2018 | Guidelines on process to be followed by subscribers and Nodal office/ OPOP/Aggregator for processing of partial withdrawal request | 242–243 |

| क्रमांक | शासनादेश सं0 | दिनांक | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 | 02 फरवरी 2018 | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तृतीय संशोधन) विनियम 2018 | 243–245 |
| 74 | पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 | 18 मई 2018 | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चर्तुथ संशोधन) विनियम 2018 | 246–248 |
| 75 | NO-1/3/2016-P&PW(F) | 24 जनवरी 2019 | Clarificatory OM for payment of two family pensions on death attributable to Govt. service of a re-employed pensioner. | 248–249 |
| 76 | PFRDA/2019/8/SUP-PF/12 | 25 मार्च 2019 | Amendent to the investment guidelines (applicable to scheme CG, scheme SG, corporate CG AND NPS lite scheme of NPS and Atal Pension Yojana. | 249 |
| 77 | PFRDA/16/3/12/0001/2017-REG-PF | 07 मई 2019 | Re-allocation of subscription of Government employees to Pension Fund for FY 2019-20 | 250 |
| 78 | PFRDA/2019/12/REG-PF/1 | 08 मई 2019 | Introduction of choice of Pension Funds and Investment pattern in Tier-I of NPS for Central Government subscriber. | 250–251 |
| 79 | PFRDA/2019/17/SUP-SG/5 | 04 अक्टूबर 2019 | Acceptance of CSRF forms or registration under NPS in case of subscriber who has lost both hands. | 252 |
| 80 | NO-7/5/2012-P&PW(F/B) | 12 फरवरी 2020 | Counting of service on joining new service in State. Government / Central Government / autonomous body for the benefit of gratuity in respect of Central Govt. Employees covered under National Pension system (NPS). | 252–253 |
| 81 | NO-57/04/2019-P&PW(B) | 17 फरवरी 2020 | Coverage under Central civil Services (Pension) Rules, 1972, in place of National Pension System, of those Central Government employees whose selection for appointment was finalized before 01-01-2004 but who joined government service on or after 01-01-2004 | 254–256 |
| 82 | PFRDA/2020/7/REG-EXIT/1 | 09 अप्रैल 2020 | Permission of partial withdrawls towards treatment of specified illnesses | 256–257 |
| 83 | PFRDA/10/01/9/003/2018-PDES | 17 अगस्त 2020 | Oprational guidelines for NPS Tier-2 Tax saver scheme,2020 | 257 |
| 84 | पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 | 29 सितम्बर 2020 | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम 2020 | 258–259 |

# उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)–2003

लखनऊः 28 मार्च, 2005

## अधिसूचना

राज्य सरकार ने अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :–

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/ राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 1 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवायें 1 अप्रैल, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। तथापि सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थायें ऐसे अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हो जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा। जो पेंशन टियर–I खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगे।

(iii) चूँकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे अतः वे पेंशन एक–टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो–टियर खाता भी रख सकते हैं। तथापि, सेवायोजक टियर–दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। दो–टियर खाते में आस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा जो पेंशन एक–टियर खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने धन के ''द्वितीय टियर'' के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर–I को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यताप्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता–पिता तथा उसके विवाहिती को लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एकमुश्त रूप में प्राप्त की जायगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर–एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत

कार्य–कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सकें।

2–नवीन पेंशन प्रणाली के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 होगी।

आज्ञा से,

रीता शर्मा,

वित्त आयुक्त एवंप्रमुख सचिव।

——————

No. G-3-379/X-2005-301(9)-2003

*Dated Lucknow, March* 28, 2005

The State Government, in consideration of its long-term fiscal interest and following broadly the pattern adopted by the Central Government, has approved the following proposal of introducing a new defined contribution pension system in place of the existing defined benefit pension scheme, for new entrants to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous institutions and State-aided private educational institutions where the existing pension scheme is patterned on the scheme for Government employees and is funded by the consolidated fund of the State Government :–

(i) From 1st of April, 2005, the new defined contribution pension system would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous/State aided private educational instututions referred to above. However, employees covered by the existing pension scheme whose service would be of less than ten years on 1st April, 2005, may also voluntarily opt for the new pension system in place of existing pension scheme.

(ii) Under the new defined contribution pension system, the employee would make a monthly contribution equal to 10 per cent of the salary and dearness allowance. A matching employer's contribution would be made by the State Government or by the concerned autonomous institution/private educational institution. However, the State Government would provide grant to the concerned autonomous institution/private educational institution for making employer's contribution until the institution is in a position to make the contribution itself. The contribution and investment returns would be deposited in an account to be known as pension tier-I account. No withdrawal would be allowed from this account during the service period. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits covered by the new defined contribution pension system.

(iii) Since new recruits would not be able to subscribe to GPF, they may also have a voluntary tier-II account, in addition to the pension tier-I account. However, employer would make no contribution to tier-II account. The assets in tier-II account would be invested/managed through exactly the same procedure as for pension tier-I account. However, the employee would be free to withdraw part or all of the "second tier" of his money anytime.

(iv) Employee can normally exit tier-I of the pension system at the time of retirement. At exit the employee would be mandatorily required to invest 40 per cent of pension wealth to purchase an annuity from a recognised insurance company so as to provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The remaining pension wealth would, however, be received by the employee as a lump-sum which he would be free to utilise in any manner.

In case of employee exiting the pension tier-I before retirement, the mandatory annuitisation would be 80 per cent of the pension wealth.

(v) There would be several pension fund managers who would offer mainly three categories of investment options. the pension fund managers and the record-keeper would jointly give out easily understood information about past performance so that the empolyee is able to make informed choices of the investment options.

2. The effective date for operationalisation of the new pension system shall be 1st of April, 2005.

By order,
RITA SHARMA,
*Vitt Ayukt Evam Pramukh Sachiv*.

———

**उत्तर प्रदेश सरकार**

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–3–469 / दस–2005–301(9)–03

लखनऊ : दिनांक 7 अप्रैल, 2005

**अधिसूचना / प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) रूल्स, 2005 कही जायेगी।

(2) यह 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 में, नियम 2 में, वर्तमान उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(3) यह नियमावली राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में पेंशनी स्थापन सेवाओं और पदों पर, चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी हों, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।''

आज्ञा से,
रीता शर्मा,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-3–469/X-2005-301(9)-03, dated April 7, 2005 :

No. G-3-469/X-2005-301(9)-03

*Dated Lucknow, April* 7, 2005

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961.

THE UTTAR PRADESH RETIREMENT BENEFITS (AMENDMENT) RULES, 2005

Short title and commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Retirement benefits (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall and be deemed to have come into force with effect from April 1, 2005.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961 in rule 2, *after* existing sub-rule (2) the following new sub-rule shall be *inserted*, namely :–

''(3) These rules shall not apply to employees entering services and posts on or after April 1, 2005 in connection with the affairs of the state borne on pensionable establishment, whether temporary or permanent.''

By order,
RITA SHARMA,
*Vitta Ayukta Evam Pramukh Sachiv.*

————

**उत्तर प्रदेश सरकार**

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–3–470/दस–2005–301(9)–03

लखनऊ : दिनांक 7 अप्रैल, 2005

————

**अधिसूचना/प्रकीर्ण**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

नियम 4 का प्रतिस्थापन

2–सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1<br>**वर्तमान नियम** | स्तम्भ–2<br>**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|
| 4–संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी | 4–संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी |

| स्तम्भ–1<br>**वर्तमान नियम** | स्तम्भ–2<br>**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
| --- | --- |
| सरकारी सेवक जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे। | सरकारी सेवक जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे :<br>परन्तु कोई सरकारी सेवक जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश करता है, निधि में अभिदान नहीं करेगा। |
| **टिप्पणी**–1 : शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा। | **टिप्पणी**–1 : शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा। |
| **टिप्पणी**–2 : ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परीवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे। | **टिप्पणी**–2 : ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परीवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे। |
| **टिप्पणी**–3 : जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाये, वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिये कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें। | **टिप्पणी**–3 : जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाये, वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिये कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें। |

आज्ञा से,
रीता शर्मा,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

# उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा–3–1051 / दस–2008–301(9)–2003
लखनऊ, 14 अगस्त, 2008

——————

## कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 की अथवा उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अधिसूचना संख्या सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु उत्तर प्रदेश रिटायमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 तथा सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में आवश्यक संशोधन भी क्रमशः अधिसूचना संख्या सा–3–469 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2005 तथा संख्या सा–3–470 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2005 द्वारा किये जा चुके हैं।

2–उपर्युक्त संदर्भ में केन्द्रीय लेखा–अनुरक्षक ऐजेन्सी की समुचित व्यवस्था होने और पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति होने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में ऐसे सभी राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यपाल महोदय निम्नवत् आदेश देते हैं :–

(1) यह व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई वेतन तथा महंगाई भत्ते का मात्र 10 प्रतिशत मासिक अंशदान (निकटतम रुपये में पूर्णांकित) योजनान्तर्गत पेंशन टियर–1 के लिए करेगा। इस अंशदान की कटौती सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन से की जायेगी। इन कर्मचारियों पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू न होने के कारण इनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के रूप में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(2) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा योजना हेतु आवेदन–पत्र (अनुलग्नक–1) तीन प्रतियों में तथा संलग्न प्रारूप में नामांकन किया जायेगा, जिसे योजना की सीमान्तर्गत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा। नामांकन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेख में भी की जायेगी।

(3) कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आये प्रत्येक कर्मचारी के लिए निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ से इन आदेशों के जारी होने के एक माह के अन्दर ''इन्डेक्स नम्बर'' प्राप्त कर लें। तत्पश्चात् नये कर्मचारी जैसे ही सेवा में कार्यभार ग्रहण करें, उनके लिये भी तत्परता से कार्यवाही करके ऐसे नये कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर ''इन्डेक्स नम्बर'' प्राप्त कर लिया जाए।

(4) उपरोक्त योजना से सम्बन्धित लेखों का रख–रखाव निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उसी प्रकार से किया जायेगा, जैसा कि सामान्य भविष्य निधि लेखों के मामले में महालेखाकर, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से निर्धारित फार्म (अनुलग्नक–1) पर आवेदन–पत्र दो प्रतियों में प्राप्त होने पर निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पेंशन योजना में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी को ''इन्डेक्स नम्बर'' आवंटित किया जायेगा। निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आवेदन–पत्र की एक प्रति आवंटित इन्डेक्स नम्बर सहित सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को वापस की जायेगी। पेंशन योजना हेतु आवंटित ''इन्डेक्स नम्बर'' को कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापन के साथ अंकित कर दिया जायेगा।

(5) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए वेतन से कटौती कर्मचारी द्वारा जिस माह में कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी अर्थात् जिस माह में कर्मचारी

द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जायेगा, उस माह के लिए कटौती नहीं की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कर्मचारी माह अप्रैल, 2005 में सेवा में आया है, उसके वेतन से अंशदन की कटौती माह मई, 2005 के वेतन से प्रारम्भ होगी। दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों से वर्तमान मासिक अंशदान के साथ–साथ अवशेष एक माह के अंशदान, यदि कोई हो, की कटौती भी वेतन से कर ली जायेगी। इसके समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार/सेवायोजक द्वारा जमा किया जायेगा।

(6) (क) उपर्युक्त कर्मचारियों के वेतन बिल, अन्य कर्मचारियों के वेतन बिल से अलग तैयार किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल के साथ, पेंशन योजना के लिए अंशदान की कटौती का निर्धारित प्रारूप पर शेड्यूल (अनुलग्नक–2-क) जो यथासम्भव अलग रंग में होगा, दो प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। शेड्यूल में अधिष्ठान के योजना से आच्छादित सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ की जायेंगी, भले ही किसी का वेतन किसी कारण आहरित न किया जा रहा हो। इस संदर्भ में कोषागार स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की अपेक्षा होगी –

(i) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन बिल के साथ संलग्न, मुख्य लेखाशीर्ष–8342–अन्य जमा के अन्तर्गत कटौतियों से सम्बन्धित शेड्यूल निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–2-क) में स्पष्ट एवं कम्प्यूटराइज्ड बनाए गए हों।

(ii) बिल पास करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि बिल में दर्शायी गयी लेखाशीर्ष–8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01 राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01– राजकीय कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1 के अन्तर्गत की गयी कुल कटौती की धनराशि के अनुसार शेड्यूल संलग्न हैं। कटौती की धनराशि एवं संलग्न शेड्यूल की धनराशि में भिन्नता होने की स्थिति में, त्रुटियों के निराकरण के पश्चात् ही बिल पास किये जायेंगे।

(ख) बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रदेश के अन्दर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में बाह्य सेवायोजक, जिनके द्वारा शासनादेश संख्या जी–1–885/दस–06–534(11)–93, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 के अनुसार पेंशनरी अंशदान देय नहीं है, द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि, चालान (अनुलग्नक–2-क) तीन प्रतियों में भरकर राजकोष में जमा की जायेगी, जिनमें से एक प्रति जमाकर्ता को वापस कर दी जायेगी तथा शेष दो में से कोषागार द्वारा एक प्रति निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी जायेगी तथा एक प्रति कोषागार में अभिलेखार्थ रखी जायेगी। इस प्रयोजनार्थ अनुलग्नक–2-क को ही ट्रेजरी चालान फार्म माना जायेगा। यदि ऐसे बाह्य सेवायोजक का कार्यालय प्रदेश के बाहर स्थित है, तो पेंशन अंशदान की कटौती की धनराशि निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा, कटौती के शेड्यूल (अनुलग्नक–2-क) के साथ निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जायेगी। उपरोक्त शासनादेश द्वारा आच्छादित ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ग) प्रदेश के बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे बाह्य सेवायोजक जो शासनादेश संख्या जी–1–885/दस–2006–534(11)–93, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 की व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, द्वारा ऐसे कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की धनराशि (अनुलग्नक–2-क सहित) और बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि (अनुलग्नक–2-ख सहित) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जाएगी। यदि ऐसे बाह्य सेवायोजक का कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित है, तो कर्मचारी के पेंशन अंशदान की कटौती की धनराशि एवं बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि उपर्युक्त (ख) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चालान के माध्यम से जमा की जायेगी, जिस हेतु क्रमशः अनुलग्नक–2-क एवं अनुलग्नक–2-ख को ही ट्रेजरी चालान फार्म माना जायेगा।

(7) यदि किसी कर्मचारी से किसी माह में पेंशन के लिए अंशदान की कटौती नहीं की जाती है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेड्यूल में अंशदान की कटौती 'शून्य' दर्शाते हुए उसके स्पष्ट कारणों का निश्चित रूप से उल्लेख कर दिया जायेगा।

(8) वेतन बिल से पेंशन के लिए अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि लोक–लेखा पक्ष में निम्नांकित लेखाशीर्ष में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी :–

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 8342–अन्य जमा– |
| लघु शीर्ष | 117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन–स्कीम– |
| उप शीर्ष | 01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना– |
| विस्तृत शीर्ष | 01–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1 |

(9) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल के साथ संलग्न किए गए शेड्यूल की एक प्रति को, यथास्थिति, कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा अलग करके एक अलग कवर में प्रत्येक माह के लेखों के साथ कार्यालय निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजा जायेगा। बाह्य सेवायोजक द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य कर्मचारियों के शेड्यूल (यथास्थिति अनुलग्नक–2-क तथा/अथवा अनुलग्नक–2-ख) की एक–एक प्रति अगले माह की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जाएगी।

उपरोक्त संदर्भ में कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा कि मुख्य लेखाशीर्षवार बनाई गयी कवरिंग लिस्ट के साथ संलग्न शेड्यूल की कुल संख्या एवं धनराशि, कवरिंग लिस्ट में प्रदर्शित मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत अंशदान की कटौती की कुल धनराशि से मेल खाती हो तथा प्रत्येक माह में प्राप्त समस्त शेड्यूल, मुख्य लेखाशीर्ष–8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1, की समरी रिपोर्ट से आच्छादित एवं कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, जिसमें मुख्य लेखाशीर्षवार अंशदान की मद में कुल कटौतियों का उल्लेख हो।

(10) उप–प्रस्तर–6(ग) से आच्छादित मामलों के अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान के समतुल्य (मैचिंग) अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(11) (क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार का अंशदान (ऐसी बाह्य सेवा की अवधि के लिए भी जिसके सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार बाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्ष को 'डेबिट' कर 'बुक ट्रांसफर' द्वारा लेखाशीर्ष–8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–02–राज्य सरकार/सेवायोजक का अंशदान–टियर–1 में जमा किया जायेगा –

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ– |
| उप मुख्य शीर्ष | 01–सिविल– |
| लघु शीर्ष | 117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान– |
| उप शीर्ष | 03–राज्य सरकार का अंशदान– |
| विस्तृत शीर्ष | 01–राजकीय कर्मचारी–टियर–1 |
| मानक मद | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता |

कर्मचारी का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान सामान्यतः जिस माह के लिए कर्मचारी का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ मान लिया जायेगा, भले ही वास्तव में किसी अन्य दिनांक को जमा किया गया हो, परन्तु इस प्रयोजनार्थ मात्र इन्डेक्स नम्बर

आवंटित होने के पूर्व की अवधि के अवशेष अंशदान का माह वही माना जायेगा, जिसमें अवशेष अंशदान वास्तव में जमा किया गया हो अथवा जिस माह के अंशदान के साथ कर्मचारी का अवशेष अंशदान वेतन से काटकर जमा किया गया हो उदाहरण के रूप में यदि ऐसा अवशेष अंशदान सीधे चालान के माध्यम से माह जून में जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान दिनांक 1 जुलाई को जमा माना जायेगा तथा यदि अवशेष अंशदान माह सितम्बर के मासिक अंशदान के साथ वेतन के काटकर जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का अंशदान 01 अक्टूबर को जमा माना जायेगा। स्थानान्तरण की दशा में अन्तिम वेतन पर्ची (एल0पी0सी0) में इस स्थिति का उल्लेख किया जाए कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी माह/अवधि के अंशदान की कटौती अवशेष हो, तो उसे अन्तिम वेतन पर्ची पर अलग टिप्पणी के रूप में दर्शाया जायेगा।

(ख)ऐसी बाह्य सेवा के लिए जिस हेतु शासनादेश संख्या जी–1–885/दस–2006–534(11)–93, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 के अनुसार पेंशन अंशदान देय नहीं है, बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मचारी का चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा अंशदान भी, जिस माह के वेतन से काटा हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जाएगा।

(12) पेंशन निधि में जमा कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान पर राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में निर्धारित दर पर वार्षिक ब्याज अनुमन्य होगा। ब्याज की गणना उसी आधार पर की जायेगी जैसे सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाते में जमा धनराशि पर की जाती है।

(13) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष के अन्त में ब्याज का भुगतान निम्नांकित लेखाशीर्ष को डेबिट कर 'बुक ट्रांसफर' द्वारा सम्बन्धित खातों में जमा किया जायेगा –

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 2049–ब्याज अदायगियाँ– |
| उप मुख्य शीर्ष | 03–अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज– |
| लघु शीर्ष | 117–निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम पर ब्याज– |
| उप शीर्ष | 03–निर्धारत अंशदान पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर ब्याज– |
| विस्तृत शीर्ष | 01–राजकीय कर्मचारी–टियर–1 |
| मानक मद | 32–ब्याज/लाभांश |

(14) वर्ष के अन्त में, निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट (दो प्रतियों में) सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजा जायेगा जिसमें प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी/राज्य सरकार का अलग–अलग मासिक अंशदान, ब्याज की धनराशि तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। स्टेटमेन्ट की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

(15) सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त 'इन्डेक्स नम्बर' के अनुसार अनुलग्नक–3 में निर्धारित प्रारूप में एक लेजर, रखा जायेगा जिसमें कर्मचारी का वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान की धनराशि, ब्याज तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में जी0पी0एफ0 पास–बुक की भाँति कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अनुलग्नक–4 में निर्धारित प्रारूप पर 'अंशदायी पेंशन पास–बुक' भी रखी जायेगी। निदेशक, पेंशन से प्राप्त स्टेटमेन्ट तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर रखे जाने वाले लेखों में यदि कोई अन्तर हो तो उसका निदेशक, पेंशन के कार्यालय से वर्ष प्रतिवर्ष समाधान किया जायेगा।

(16) उपर्युक्त अन्तरिम व्यवस्था के दौरान योजना में प्रावधानित स्वैच्छिक टियर–II खाते का संचालन नहीं किया जायेगा।

3–कृपया शासन के उक्त आदेशों का समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त।

———————

## अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु आवेदन–पत्र

(संदर्भ : शासनादेश संख्या सा–3–1051/दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008)

परिभाषित अंशदान योजना इन्डेक्स नम्बर ..........................................................................................

(पेंशन निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आवंटित किया जायेगा)

1–आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ..........................................................................................

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) : ..........................................................................................

2–आवेदक के पिता/पति का नाम : ..........................................................................................

3–लिंग : पुरुष ☐ स्त्री ☐

4–वैवाहिक स्थिति : विवाहित ☐ अविवाहित ☐

5–पदनाम : ..........................................................................................

6–कार्यालय का नाम : ..........................................................................................

7–आवेदक का सेवा संवर्ग : ..........................................................................................

8–सेवा में आने की तिथि : ..........................................................................................

9–वेतनमान : ..........................................................................................

10–मूल वेतन : ..........................................................................................

11–जन्म तिथि : ..........................................................................................

12–क्या नियमित नियुक्ति है : हाँ ☐ नहीं ☐

13–श्रेणी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य :

(सांख्यिकीय उपयोग के लिए) ..........................................................................................

14–क्या नामांकन संलग्न है : हाँ ☐ नहीं ☐

15–टिप्पणी, यदि कोई हो : ..........................................................................................

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

### प्रमाण–पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) श्री/श्रीमती/कुमारी .......................................................................... नियमित कर्मचारी हैं एवं आवेदन–पत्र में दिये गये विवरण सही हैं।

(2) श्री/श्रीमती/कुमारी .......................................................................... उत्तर प्रदेश सरकार की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूर्ण पता/कार्यालय की मुहर सहित

स्थान :

दिनांक :

**टिप्पणी**–

(1) उपर्युक्त आवेदन–पत्र पेंशन निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को दो प्रतियों में भेजा जायेगा।

(2) आवेदक कर्मचारी बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में बाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशन निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को दो प्रतियों में आवेदन–पत्र संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से ही भेजा जायेगा।

(अनुलग्नक–1 के साथ)

## नामांकन प्रपत्र

(उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु नामांकन)

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जायें

पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर ......................

मैं, .................................................................................. एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं अथवा आश्रित माता–पिता, बहन–भाई हैं, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ, जब उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाये या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाये।

| नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता | अभिदाता से सम्बन्ध | नामित व्यक्ति की आयु | प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश (शेयर) | आकस्मिकताएं, जिनके होने पर नाम अवैध हो जायेगा | यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बन्ध, यदि कोई हो, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

दिनांक : ...................................... मास .................................... 20........

स्थान : ......................................................................................................

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

| नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1– | | |
| 2– | | |

नाम : (हिन्दी में) ...............................................

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).................................

पदनाम .................................................................

## कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के कार्यालय के प्रयोग के लिए

स्थान .....................................................................................

श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................................ का नाम हस्ताक्षर (दिनांक सहित)..................................

(कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी)

मुहर

पदनाम ................................................................................

द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक .........................................................

---

अभिदाता के हस्ताक्षर

(क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाये।

(ख) 'परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा।

(ग) पुरूष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियां तथा बच्चे एवं अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चेः

किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण–पोषण की अधिकारिणी नही रह गई है, तो वह एतद्पश्चात अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को लिखित रूप से स्पष्ट अभिसूचना (Express Notification) द्वारा यह सूचित न करें कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे, किन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है, तो पति को एतद्पश्चात अभिदाता के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये जाने हेतु अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिखकर रद्द न कर दें।

**टिप्पणी**–

(1) ''बच्चा'' का तात्पर्य वैध बच्चों से है।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायेगा जब दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किन्तु, यदि कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जब सरकार के विधि परामर्शी को इस बात का समाधान हो जाये कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जारज बच्चा' (NaturalChild) को प्रास्थिति (Status) प्रदान करने के लिए विधिक मान्यता प्राप्त है।

यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाये। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश जिसमें पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाये।

(घ) स्तम्भ–5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाये।

(ङ) स्तम्भ–6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाये।

(च) अन्तिम प्रविष्ट के नीचे के खाली स्थान के आर–पार लकीर खींच दी जाए, जिससे कि अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके।

# अनुलग्नक–2(क)

बाउचर / चालान संख्या..................................................

दिनांक..................................................

(कोषागार / बैंक द्वारा भरा जायेगा)

## परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राजकीय सेवा)

वेतन से अंशदान कटौती का शेड्यूल / चालान माह..............................20

जिला कोषागार / भुगतान एवं लेखाधिकारीकार्यालय का नाम..................................................................

कोषागार कोड ☐ ☐ ☐ आहरण / वितरण अधिकारी पद नाम................................

आहरण / वितरण अधिकारी कोड ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

मुख्य लेखाशीर्ष : ☐ ☐ ☐ ☐ अनुदान संख्या ☐ ☐ ☐

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष | 8342–अन्य जमा | | | | | | | | | | | | |
| लघु शीर्ष | 117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम– | | | | | | | | | | | | |
| उपशीर्ष | 01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना– | | | | | | | | | | | | |
| विस्तृत शीर्ष | 01–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| क्रम संख्या | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर | नाम / पदनाम | मूल वेतन | मंहगाई वेतन | मंहगाई भत्ता | योग | कर्मचारी का अंशदान | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | वर्तमान | एरियर | | |
| | | | | | | | | माह / वर्ष | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

कालम–4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

### निर्देश–

1–वेतन एवं भतों के आहरण न होने की स्थिति में कालम–4 से 10 तक 'निल' प्रविष्टि दर्शायी जाये, किन्तु कालम–1 से 3 तक की प्रविष्टि अवश्य की जाये।

2–कालम (2)–परिभाषित अंशदान वेतन पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर सही दर्शाया जाना चाहिए।

3–कालम (3)–नाम एवं पदनाम सेवा पुस्तिका के अनुसार होना चाहिए।

4–कालम (4), (5) तथा (6)–सम्बन्धित माह में आहरित वेतन, मंहगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता ही दर्शाया जाना चाहिए।

5–कालम (8) तथा (9)–कर्मचारी का अंशदान, एरियर वेतन बिल तथा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता एरियर बिल से भी काटा जाये।

6–किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित होने की दशा में कर्मचारी के नाम के सामने अभ्युक्ति कालम में लगातार दो माह तक यह तथ्य दर्शाया जाये।

## अनुलग्नक–2(ख)

बाउचर / चालान संख्या................................................

दिनांक................................................

(कोषागार / बैंक द्वारा भरा जायेगा)

### परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राजकीय सेवा)

पेंशनरी अंशदान के संबंध में शासनादेश संख्या–सा–1–885 / दस–534(11) / 93, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 से अनाच्छादित कर्मचारियों के लिए सेवायोजक अंशदान का

शेड्यूल / चालान माह..............................20

जिला कोषागार / भुगतान एवं लेखाधिकारी | कार्यालय का नाम..................................................................

कोषागार कोड ☐ ☐ ☐ | आहरण वितरण अधिकारी पदनाम................................

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष | 8342–अन्य जमा | | | | | | | | | | | | |
| लघु शीर्ष | 117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम– | | | | | | | | | | | | |
| उपशीर्ष | 01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना– | | | | | | | | | | | | |
| विस्तृत शीर्ष | 02–राज्य सरकार / सेवायोजक का अंशदान–टियर–1 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| क्रम संख्या | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर | नाम / पदनाम | मूल वेतन | मंहगाई वेतन | मंहगाई भत्ता | योग | कर्मचारी का अंशदान | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | वर्तमान | एरियर | | |
| | | | | | | | | माह / वर्ष | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

कालम–4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

निर्देश–

1–वेतन एवं भतों के आहरण न होने की स्थिति में कालम–4 से 10 तक 'निल' प्रविष्टि दर्शायी जाये, किन्तु कालम–1 से 3 तक की प्रविष्टि अवश्य की जाये।

2–कालम (2)–परिभाषित अंशदान वेतन पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर सही दर्शाया जाना चाहिए।

3–कालम (3)–नाम एवं पदनाम सेवा पुस्तिका के अनुसार होना चाहिए।

4–कालम (4), (5) तथा (6)–सम्बन्धित माह में आहरित वेतन, मंहगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता ही दर्शाया जाना चाहिए।

5–कालम (8) तथा (9)–कर्मचारी का अंशदान, वेतन बिल, एरियर वेतन बिल तथा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता एरियर बिल से भी काटा जाये।

6–किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरण अथवा किसी अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित होने की दशा में कर्मचारी के नाम के सामने अभ्युक्ति कालम में लगातार दो माह तक यह तथ्य दर्शाया जाये।

## अनुलग्नक–3

# उत्तर प्रदेश सरकार

## अंशदायी पेंशन पास–बुक

नाम.......................................................................................................................................

परिभाषित अंशदान पेंशन इन्डेक्स नम्बर.......................................................................................

..

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1051/दस–2008–301(9) 2003, दिनांक 14–08–2008 द्वारा निर्धारित।

## महत्वपूर्ण ब्यौरे

अभिदाता का नाम..........................................................................................................................

पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आवंटित इन्डेक्स नम्बर.......................................................

पास–बुक जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.............................................................................

नाम...............................................

पदनाम...........................................

मुहर..............................................

पास–बुक जारी किये जाने का दिनांक.........................................

## अभिदाता का निजी विवरण

1. नाम.......................................................................................................................................
2. पिता का नाम.............................................................................................................................
3. जन्मतिथि.................................................................................................................................
4. (क) स्थाई पता..........................................................................................................................

   (ख) अस्थाई पता..........................................................................................................................
5. उत्तर प्रदेश शासन के अधीन सेवा में प्रवेश करने का दिनांक...............................................................
6. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अभिदान प्रारंभ होने का दिनांक........................................................
7. अभिदाता के हस्ताक्षर का नमूना (जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष लिये जायेंगे)............................
8. पास–बुक जारी करने वाले उस अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर जो अभिदाता के हस्ताक्षर को प्रमाणित करें।.......................................................................................................................

हस्ताक्षर...............................................

दिनांक...............................................

मुहर...................................................

9. सरकारी सेवा छोड़ने का दिनांक..........................................................................................................................

10. सेवा छोड़ने का कारण (त्याग–पत्र / सेवा से हटाया जाना / अधिवर्षता (Superannuation) / मृत्यु आदि)..........................................................................................................................

## परिवार का विस्तृत विवरण

| क्रम–संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तिथि | अभिदाता के हस्ताक्षर | कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

## तैनाती एवं स्थानान्तरण के ब्यौरे

| क्रम–संख्या | अवधि | | पद जिस पर कार्य किया | कार्यालय का नाम | प्रमाणित करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर |
|---|---|---|---|---|---|
| | कब से | कब तक | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

पारिभाषित अंशदान पेंशन योजना

कर्मचारी का नाम ............................................. वित्तीय वर्ष .......................

| भुगतान का मास | वेतन / बकाया वेतन / महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि | कोषागार बाउचर / चालान संख्या और दिनांक | बाउचर / चालान की धनराशि | लेखा शीर्ष | कर्मचारी का अंशदान | शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गई हो | राज्य सरकार / नियोक्ता का अंशदान | योग (6+8) | मासिक क्रमागत योग | आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अप्रैल | | | | | | | | | | |
| मई | | | | | | | | | | |
| जून | | | | | | | | | | |
| जुलाई | | | | | | | | | | |
| अगस्त | | | | | | | | | | |
| सितम्बर | | | | | | | | | | |
| अक्टूबर | | | | | | | | | | |
| नवम्बर | | | | | | | | | | |
| दिसम्बर | | | | | | | | | | |
| जनवरी | | | | | | | | | | |
| फरवरी | | | | | | | | | | |
| मार्च | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | |

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे

| | | रुपया | पैसा |
|---|---|---|---|
| क–प्रारंम्भिक शेष जोड़िए | ........................................................ | | |
| ख–(1) वर्ष में नियमित जमा | ........................................................ | | |
| (2) प्रारम्भिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज | ........................................................ | | |
| (3) वर्ष में अवशेष जमा | ........................................................ | | |
| (4) अवशेष जमा पर ब्याज | ........................................................ | | |
| (5) योग (1 से 4) | ........................................................ | | |
| महायोग (क+ख) 5 | ........................................................ | | |

## सत्यापन

.................................................... द्वारा सत्यापन किया गया।

............................................................ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी की मुहर।

नियमित वेतन बिलों के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बन्धित विवरण अंकित किये जायेंगे। ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।

संख्या–सा–3–1454/दस–2008–301(9)–2008

प्रेषक,

बी0 एन0 दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 28 नवम्बर, 2008

**विषय** :– नयी पेंशन योजना 2005 के सम्बन्ध में जारी कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1051/दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 के सम्बन्ध में संशोधन/स्पष्टीकरण।

महोदय,

दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों (जो नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है) के बारे में कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1051/दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। कोषागारों में इसके अनुपालन किये जाने में एन0आई0सी0 के कोषागार पैकेज को उपयोग में लाने हेतु कुछ कठिनाइयाँ शासन के संज्ञान में लाते हुए उक्त कार्यालय–ज्ञाप में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त उक्त कार्यालय–ज्ञाप को निम्नवत् संशोधित समझे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् आदेश देते हैं :–

(1) उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(2) में उल्लिखित अनुलग्नक–1 में आवेदन–पत्र पर कार्मिक की नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित एवं चस्पा होने के साथ–साथ अग्रसारण–पत्र में आहरण वितरण अधिकारी का कोड, पदनाम तथा कोषागार का नाम भी अंकित किया जायेगा।

(2) शासनादेश के प्रस्तर–6(क) में उल्लिखित अनुलग्नक–2(क) को कर्मचारी का अंशदान शेड्यूल के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा इस पर जिस लेखाशीर्ष से वेतन का आहरण हो रहा है, उसे भी पूर्ण 16 डिजिट में अंकित किया जायेगा। शासनादेश में उल्लिखित अनुलग्नक–2(ख) को बाउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा इस पर अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2071–01–117– 03–01–20 अंकित किया जायेगा। यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि के लिए बाउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा। दोनों अनुलग्नक–2(क) और 2(ख) की दो–दो प्रतियाँ वेतन बिल के

साथ संलग्न किया जायेगा तथा शेड्यूल और बाउचर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा।

(3) दिनांक 01–04–2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन से काटे गये अंशदान शेड्यूल–2(क) की कार्मिकवार इन्ट्री कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षक 8342–00–117–01–01 के टियर–1 में कटौती के रूप में की जायेगी, जिसके लिए NIC द्वारा कोषागार पैकेज में समुचित संशोधन किया जा चुका है। कोषागार द्वारा निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 14–08–2008 के अनुलग्नक शेड्यूल–2(क) और बाउचर 2(ख) की हार्डकापी के साथ साफ्टकापी भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) शासनादेश के प्रस्तर–6(ख) में उल्लिखित बाह्य सेवायोजकों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के पेंशनरी अंशदान की धनराशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा नहीं की जायेगी। ऐसे बाह्य सेवायोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशनरी अंशदान की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा सम्बन्धित शेड्यूल–2(क) पर कार्मिकवार कटौती का पूर्ण विवरण प्रविष्टि करते हुए निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा। पेंशन निदेशक द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के पेंशनरी अंशदान से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट शेड्यूल–2(क) के साथ कोषागार में जमा किया जायेगा। नियोक्ता अंशदान जमा करने के लिए निदेशक, पेंशन द्वारा देयक अनुदान संख्या 62 के लेखाशीर्षक–2071–01–117–03–01–20 पर बनाकर जवाहर भवन कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

(5) ऐसे बाह्य सेवायोजक जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक 9–11–2006 के अनुसार बाह्य सेवायोजक का अंशदान जमा किया जाना है, उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी के अंशदान की धनराशि अनुलग्नक–2(क) तथा बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि अनुलग्नक–2(ख) सहित (चाहे बाह्य सेवायोजक कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित हो या बाहर) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक भेजा जायेगा। ड्राफ्ट की धनराशि को लेखाशीर्षक–8342 में जमा करने की कार्यवाही निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तर–4 के अनुसार ही की जायेगी।

(6) शासनादेश के प्रस्तर–11(क) में कार्मिक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र की एक प्रति आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निदेशक, पेंशन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जानी होगी। निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कार्मिक की नयी तैनाती के जनपद के कोषागार से उक्त कार्मिक के अंशदान की कटौती करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जायेंगे।

2–उक्त आदेशों का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

बी0 एन0 दीक्षित,

सचिव।

## उत्तर प्रदेश शासन

वित (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–3–313/दस–2009–301(9)–2003

लखनऊः 15 मई, 2009

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आये सभी नये कर्मचारियों के लिए नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान किये जाने तथा समतुल्य धनराशि भारत सरकार द्वारा अदा किये जाने का प्राविधान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा भी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से भारत सरकार की उक्त योजना के आधार पर ''नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या सा–3–379/दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू की गयी है तथा इसी सम्बन्ध में निर्धारित अंशदान की कटौती तथा कर्मचारियों के इन्डेक्स नम्बर आदि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या-3–1051/दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2–उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2008 के अनुपालन में निदेशक, पेंशन द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचरियों के इण्डेक्स नम्बर आवंटित किये जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। किन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि के लेखे के रख–रखाव तथा धनराशि के विनियोजन के बारे में सी0आ0ए0 ट्रस्टी बैंक एवं फण्ड मैनेजर की नियुक्तियाँ किया जाना विचाराधीन था।

3–भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 अथवा उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अध्यादेश संख्या–8, दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) का अन्तरिम रूप से गठन किया गया था। जिसे भारत सरकार वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन असाधारण गजट संख्या–406, दिनांक 14 नवम्बर, 2008 द्वारा पुनः जारी करते हुए पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) अन्तरिम रूप से गठित किया गया है। पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को सी0आर0ए0, बैंक ऑफ इण्डिया को ट्रस्टी बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को निधि प्रबन्धक (फण्ड मैनेजर) नियुक्त किया गया है। इन समस्त इकाइयों के पर्यवेक्षण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा एन0पी0एस0 ट्रस्ट का भी गठन किया गया है। सी0आर0ए0 ट्रस्टी बैंक एवं फण्ड मैनेजर के मुख्य कार्य निम्नवत् होंगे :–

CRAका कार्य

(i) अभिदाता (Subscriber) एवं कार्यदायी संस्थाओं का CRA सिस्टम में पंजीकरण करना।

(ii) अभिदाता को एकल खाता संख्या आवंटित करना।

(iii) अंशदाता का लेखाजोखा रखना।

(iv) अभिदाता को खाते के सम्बन्ध में लेखा पर्ची जारी करना।

(v) अभिदाता एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करना।

(vi) अभिदाता की समस्याओं का समाधान करना।

(vii)PFRDA को सामयिक रिपोर्ट देना।

ट्रस्टी बैंक(Trustee Bank)का कार्य

(i) नोडल आफिस से पेंशन निधि प्राप्त करना।

(ii) CRA के निर्देश पर फण्ड मैनेजर्स को/से पेंशन निधि की धनराशि जमा/प्राप्त करना।

(iii) आहरित पेंशन निधि की धनराशि CRA के निर्देश पर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स को उपलब्ध कराना।

(iv) अभिदाता को भुगतान किए जाने हेतु आहरण खाते (Withdrawl Account) में पेंशन निधि

की धनराशि को स्थानान्तरित करना।

(v) पेंशन निधि लेखे के मिलान का विवरण दर्ज करना।

पेंशन निधि प्रबन्धक का कार्य

(i) PFRDA से विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करना तथा इसका पंजीकरण CRA से कराना।

(ii) अभिदाता को पेंशन निधि योजना (PFS) के सम्बन्ध में प्रस्ताव देना।

(iii) ट्रस्टी बैंक को/से पेंशन निधि की धनराशि जमा/प्राप्त करना।

(iv) अभिदाता की पेंशन निधि को अभिदाता को प्रस्तावित योजना में जमा कर निधि का प्रबन्धन करना।

(iii) दैनिक आधार पर नेट एसेट वेल्यू (NAV) सूचना उपलब्ध कराना।

(vi) PFRDA को प्रगति आख्या प्रेषित करना।

4—उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा (पी0एफ0आर0डी0ए0) के माध्यम से की गयी उपर्युक्त व्यवस्था के आधार पर राज्य सरकार में नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु (पी0एफ0आर0डी0ए0) के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 को सी0आर0ए0 बैंक ऑफ इण्डिया को ट्रस्टी बैंक तथा एस0बी0आई0, यू0टी0आई0 एवं एल0आई0सी0 को निधि नियुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव।

————

**उत्तर प्रदेश शासन**

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

संख्या—सा—3—1124/दस—2010—301(9)—2003 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2010

अधिसूचना

**कार्यालय—ज्ञाप**

अधिसूचना संख्या सा—3—379/दस—2005—301(9)—2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 की अथवा उसके बाद आने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2—उपर्युक्त संदर्भ में केन्द्रीय लेखा—अनुरक्षक एजेन्सी की समुचित व्यवस्था होने और पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति होने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में उपर्युक्त संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यपाल महोदय निम्नवत आदेश देते हैं :—

(1) यह व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन, महँगाई वेतन तथा महँगाई भत्ते/दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन एवं ग्रेड पे तथा दोनों के योग पर महँगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान (निकटतम रुपये में पूर्णांकित) योजनान्तर्गत पेंशन टियर—1 के लिए करेगा। इस अंशदान की कटौती सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन से की जायेगी। इन कर्मचारियों

पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू न होने के कारण इनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के रूप में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(2) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा योजना हेतु आवेदन–पत्र (प्रपत्र–1क) तीन प्रतियों में तथा संलग्न प्रारूप में नामांकन किया जायेगा, जिसे योजना की सीमान्तर्गत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा। नामांकन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेख में भी की जायेगी।

(3) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आये प्रत्येक कर्मचारी के लिए निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ से इन आदेशों के जारी होने के एक माह के अन्दर ''इन्डेक्स नम्बर'' प्राप्त कर लें। तत्पश्चात् नये कर्मचारी जैसे ही सेवा में कार्यभार ग्रहण करें, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर ''इन्डेक्स नम्बर'' प्राप्त कर लिया जाए।

(4) उपरोक्त योजना से सम्बन्धित लेखों का रख–रखाव निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उसी प्रकार से किया जायेगा, जैसा कि सामान्य भविष्य निधि लेखों के मामले में महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से निर्धारित फार्म (प्रपत्र–1 क) पर आवेदन–पत्र तीन प्रतियों में प्राप्त होने पर निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पेंशन योजना में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी को ''इन्डेक्स नम्बर'' आवंटित किया जायेगा। निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आवेदन–पत्र की एक प्रति आवंटित इन्डेक्स नम्बर सहित सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को वापस की जायेगी। पेंशनयोजना हेतु आवंटित ''इन्डेक्स नम्बर'' कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के साथ अंकित कर दिया जायेगा।

(5) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए वेतन से कटौती, कर्मचारी द्वारा जिस माह में कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी अर्थात् जिस माह में कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जायेगा, उस माह के लिए कटौती नहीं की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कर्मचारी माह अप्रैल, 2005 में सेवा में आया है, उसके वेतन से अंशदान की कटौती माह मई, 2005 के वेतन से प्रारम्भ होगी। दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों से वर्तमान मासिक अंशदान के साथ–साथ अवशेष एक माह के अंशदान, यदि कोई हो, की कटौती भी वेतन से कर ली जायेगी। इसके समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार/सेवायोजक द्वारा जमा किया जयेगा।

(6) (क)–उपर्युक्त कर्मचारियों के वेतन बिल, अन्य कर्मचारियों के वेतन बिल से अलग तैयार किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल के साथ, पेंशन योजना के लिए अंशदान की कटौती का शेड्यूल निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र 2–ग) पर तीन प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। योजना से आच्छादित अधिष्ठान के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ शेड्यूल में की जायेंगी, भले ही किसी का वेतन किसी कारण आहरित न किया जा रहा हो और उसके अंशदान की राशि शून्य हो।

वेतन बिल में समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती की कुल राशि प्रपत्र 2–ग (दो प्रतियों में), जो इस प्रयोजनार्थ चालान का प्रपत्र भी होगा पर इस हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष, जिसका विवरण आगे दिया गया में जमा किया जायेगा। चालान की एक प्रति कोषागार द्वारा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को वापस की जायेगी तथा एक प्रति पेंशन निदेशालय, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। इस सन्दर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

(i) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वेतन बिल के साथ संलग्न, मुख्य लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा'' के अन्तर्गत कटौतियों से सम्बन्धित शेड्यूल निर्धारित प्रारूप [प्रपत्र 2–ग (1)] में स्पष्ट एवं कम्प्यूटराइज़्ड बनाए गए हों।

(ii) आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वेतन बिल से की गयी कटौती के अनुसार लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा–120–विविध जमा–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन

स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के अधीन यथास्थिति विस्तृत शीर्ष–01–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1'' को संक्रमित की जाने वाली राशि शुद्ध है तथा शेड्यूल तद्नुसार बनाये गये हैं।

(ख) प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रदेश के अन्दर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में बाह्य सेवायोजक, जिनके द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है, द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशन अंशदान के कटौती करते हुए कटौती की धनराशि, चालान (प्रपत्र 2–ग) चार प्रतियों में भरकर राजकोष में जमा की जायेगी, जिनमें से एक प्रति जमाकर्ता को वापस कर दी जायेगी, एक प्रति सम्बन्धित पैतृक संस्था को तथा शेष दो प्रतियाँ सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित की जायेंगी। कोषागार द्वारा एक प्रति निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी जायेगी तथा एक प्रति कोषागार में अभिलेखार्थ रखी जायेगी। यदि ऐसे बाह्य सेवायोजक का कार्यालय प्रदेश के बाहर स्थित है, तो पेंशन अंशदान की कटौती की धनराशि निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा, कटौती के शेड्यूल (प्रपत्र 2–घ) के साथ निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जायेगी। उपरोक्त शासनादेश द्वारा आच्छादित ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ग) प्रदेश के बाहर बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की धनराशि (प्रपत्र 2–ग) और बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि (प्रपत्र 2–घ) सहित प्रतिमाह निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जाएगी। यदि ऐसे बाह्य सेवायोजक का कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित है, तो कर्मचारी के पेंशन अंशदान की कटौती की धनराशि एवं बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि उप प्रस्तर–(ख) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चालान के माध्यम से जमा की जायेगी, जिस हेतु क्रमशः प्रपत्र 2–ग एवं प्रपत्र 2–घ को ही ट्रेजरी चालान फार्म माना जायेगा।

(7) यदि किसी कर्मचारी से किसी माह में पेंशन के लिए अंशदान की कटौती नहीं की जाती है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेड्यूल में अंशदान की कटौती ''शून्य'' दर्शाते हुए उसके स्पष्ट कारणों का निश्चित रूप से उल्लेख कर दिया जायेगा।

(8) वेतन बिल से पेंशन के लिए अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि लोक–लेखा पक्ष में निम्नांकित लेखाशीर्ष में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी :–

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 8342–अन्य जमा – |
| लघु शीर्ष | 120–विविध जमा |
| उप शीर्ष | 02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना |
| विस्तृत शीर्ष | 01–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1 |

(9) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रेषित किए गए शेड्यूल की एक प्रति को, यथा स्थिति, कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा अलग करके एक अलग कवर में प्रत्येक माह एक कवरिंग शीट जिसमें संस्थावार अंशदान की कुल राशि का उल्लेख हो, के साथ कार्यालय निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजा जायेगा। बाह्य सेवायोजक द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के शेड्यूल (प्रपत्र 2–ग अथवा प्रपत्र 2–घ) की एक–एक प्रति अगले माह की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को भेजी जाएगी।

(10) उप–प्रस्तर–6(ग) से आच्छादित मामलों के अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान के समतुल्य (मैचिंग) अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(11) (क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार के अंशदान हेतु (ऐसी बाह्य सेवा की अवधि के लिए भी जिसके सम्बन्ध में बाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है) प्रति माह निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्ष को ''डेबिट'' किया जायेगा–

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ – |
| उप मुख्य शीर्ष | 01–सिविल – |
| लघु शीर्ष | 117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान |
| उप शीर्ष | 03–राज्य सरकार का अंशदान |
| विस्तृत शीर्ष | 02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान |
| मानक मद | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता |

उपर्युक्त लेखाशीर्ष से डेबिट की गयी राशि ''बुक ट्रांसफर'' द्वारा लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा– 120–विविध जमा–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–03–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार का अंशदान–टियर–1'' में जमा की जायेगी।

कर्मचारी का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान सामान्यतः जिस माह के लिए कर्मचारी का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ मान लिया जायेगा, भले ही वास्तव में किसी अन्य दिनांक को जमा किया गया हो, परन्तु इस प्रयोजनार्थ मात्र इन्डेक्स नम्बर आवंटित होने के पूर्व की अवधि के अवशेष अंशदान का माह वही माना जायेगा, जिसमें अवशेष अंशदान वास्तव में जमा किया गया हो अथवा जिस माह के अंशदान के साथ कर्मचारी का अवशेष अंशदान वेतन से काटकर जमा किया गया हो। उदाहरण के रूप में यदि ऐसा अवशेष अंशदान सीधे चालान के माध्यम से माह जून में जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान दिनांक 1 जुलाई, को जमा माना जायेगा तथा यदि अवशेष अंशदान माह सितम्बर के मासिक अंशदान के साथ वेतन से काटकर जमा किया जाता है राज्य सरकार का अंशदान 1 अक्टूबर, को जमा माना जायेगा। स्थानान्तरण की दशा में अन्तिम वेतन पर्ची (एल0पी0सी0) में इस स्थिति का उल्लेख किया जाए कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी माह/अवधि के अंशदान की कटौती अवशेष हो, तो उसे अन्तिम वेतन पर्ची पर अलग टिप्पणी के रूप में दर्शाया जायेगा।

(ख) ऐसी बाह्य सेवा जिसके लिये पेंशन अंशदान देय नहीं है, बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मचारी का चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा अंशदान भी, जिस माह के वेतन से कटा हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जाएगा।

(12) पेंशन निधि में जमा कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में निर्धारित दर पर वार्षिक ब्याज अनुमन्य होगा। ब्याज की गणना उसी आधार पर की जायेगी जैसे सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाते में जमा धनराशि पर की जाती है।

(13) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष के अन्त में ब्याज का भुगतान निम्नांकित लेखाशीर्ष को डेबिट कर ''बुक ट्रांसफर'' द्वारा सम्बन्धित खातों में जमा किया जायेगा :–

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 2049–ब्याज अदायगियाँ – |

| | |
|---|---|
| उप मुख्य शीर्ष | 03—अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज — |
| लघु शीर्ष | 117—निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर ब्याज |
| उप शीर्ष | 03—निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर ब्याज |
| विस्तृत शीर्ष | 02—सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर ब्याज |
| मानक मद | 32—ब्याज / लाभांश |

(14) वर्ष के अन्त में, निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट (दो प्रतियों में) सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजा जायेगा जिसमें प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी / राज्य सरकार का अलग—अलग मासिक अंशदान, ब्याज की धनराशि तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। स्टेटमेन्ट की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

(15) सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त ''इन्डेक्स नम्बर'' के अनुसार प्रपत्र—3 में निर्धारित प्रारूप में एक लेजर रखा जायेगा जिसमें कर्मचारी का वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान की धनराशि, ब्याज तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में जी0पी0एफ0 पास—बुक की भाँति कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा प्रपत्र—4 में निर्धारित प्रारूप पर ''अंशदायी पेंशन पास—बुक'' भी रखी जायेगी। निदेशक, पेंशन से प्राप्त स्टेटमेन्ट तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर रखे जाने वाले लेखों में यदि कोई अन्तर हो तो उसका निदेशक, पेंशन के कार्यालय से वर्ष प्रतिवर्ष समाधान किया जायेगा।

(16) उपर्युक्त अन्तरिम व्यवस्था के दौरान योजना में प्रावधानित स्वैच्छिक टियर—II खाते का संचालन नहीं किया जायेगा।

3—सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों हेतु लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, महाविद्यालयों हेतु क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी / जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अनुदानित प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं हेतु जो शासकीय अधिकारी अनुदान बिल प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत हों, इस शासनादेश के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रपत्रों को पूर्ण कराने तथा अभिलेखों के रख—रखाव सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

4—कृपया शासन के इन आदेशों का अनुपालन समस्त सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

आज्ञा से,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव ।

# प्रपत्र–1 क

## उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु आवेदन–पत्र

(संदर्भ–शासनादेश संख्या सा–3–1124/दस–2010–301(9)–2003 टी0सी0, दिनांक 15 सितम्बर, 2010)

परिभाषित अंशदान योजना इन्डेक्स नम्बर : ..........................................................

(पेंशन निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आवंटित किया जायेगा)

1–आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ..........................................................

अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) : ..........................................................

2–आवेदक के पिता/पति का नाम : ..........................................................

3–लिंग : पुरुष ☐ स्त्री ☐

4–वैवाहिक स्थिति : विवाहित ☐ अविवाहित ☐

5–पदनाम : ..........................................................

6–कार्यालय का नाम : ..........................................................

7–आवेदक का सेवा संवर्ग : ..........................................................

8–सेवा में आने की तिथि : ..........................................................

9–वेतनमान : ..........................................................

10–मूल वेतन : ..........................................................

11–जन्म तिथि : ..........................................................

12–क्या नियमित नियुक्ति है : हाँ ☐ नहीं ☐

13–श्रेणी : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य

(सांख्यिकीय उपयोग के लिए) ☐

14–क्या नामांकन संलग्न है : हाँ ☐ नहीं ☐

15–टिप्पणी, यदि कोई हो :

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

## प्रमाण–पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा

प्रमाणित किया जाता है कि –

(1) श्री / श्रीमती / कुमारी ........................................................................................................ नियमित कर्मचारी हैं एवं आवेदन–पत्र में दिये गये विवरण सही हैं।

(2) श्री / श्रीमती / कुमारी ........................................................................................................ उत्तर प्रदेश सरकार की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पूर्ण पता / कार्यालय की मुहर सहित

स्थान :

दिनांक :

**टिप्पणी :–**

1–उपर्युक्त आवेदन–पत्र पेंशन निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को दो प्रतियों में भेजा जायेगा।

2–आवेदक कर्मचारी बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में बाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशन निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को दो प्रतियों में आवेदन–पत्र, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से ही भेजा जायेगा।

**संलग्नक**

(प्रपत्र–1 क के साथ)

# नामांकन प्रपत्र

## (उत्तर प्रदेश परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु नामांकन)

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जाएं पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर ..............................

मैं ........................................................................................ एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं अथवा आश्रित माता–पिता, बहन–भाई हैं, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ जब उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय :–

| नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता | अभिदाता से सम्बन्ध | नामित व्यक्ति की आयु | प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश (शेयर) | आकस्मिकताएं, जिनके होने पर नाम अवैध हो जायेगा | यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बन्ध यदि कोई हो, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति के अधिकारी प्राप्त हो जायेंगे। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1– | | | | | |
| 2– | | | | | |
| 3– | | | | | |
| 4– | | | | | |

दिनांक .................................... मास .............................. 20..............

स्थान ..........................................................................................................

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

| नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1– | | |
| 2– | | |

अभिदाता के हस्ताक्षर ....................................................................

नाम : (हिन्दी में) ..............................................................................

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरो में) ..........................................................

पदनाम ..................................................................................................

स्थान ...............................................................................................

श्री / श्रीमती / कुमारी ..................................................... का नाम हस्ताक्षर (दिनांक सहित) ............................................................... (कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी)

पदनाम ............................................................................................... मुहर

द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक ...............................

---

**अभिदाता के हस्ताक्षर**

(क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाय।

(ख) परिवार का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा।

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियाँ तथा बच्चे एवं अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण–पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतद्पश्चात् अभिदाता का परिवार की सदस्य नहीं मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप से स्पष्ट अभिसूचना (Express Notification) द्वारा यह सूचित न करें कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है, तो पति को एतद्पश्चात् अभिदाता के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये जाने हेतु अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप सेलिखकर रद्द न कर दें।

**टिप्पणी** :– (1) ''बच्चों'' का तात्पर्य वैध बच्चों से है।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायेगा जब दत्तक ग्रहण अभिदात पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किन्तु, यदि कार्यालयाध्यक्ष / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जब सरकार के विधि परामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जारय बच्चे' (Natural Child) की प्रास्थिति (Status) प्रदान करने के लिए विधिक मान्यता प्राप्त है।

(ग) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाय। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश जिसमें पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय।

(घ) स्तम्भ–5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय।

(ङ) स्तम्भ–6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाय।

(च) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आर–पार लकीर खींच दी जाय, जिससे कि अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके।

# प्रपत्र–2 (ग)

वाउचर/चालान संख्या ..................................................

दिनांक ................................................

(कोषागार/बैंक द्वारा भरा जाएगा)

## परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था)

वेतन से अंशदान कटौती का शेड्यूल/चालान माह ............................ 20......

जिला कोषागार/भुगतान एवं लेखाधिकारी

कोषागार कोड : ☐☐☐

मुख्य लेखाशीर्ष : ☐☐☐☐

संस्था/कार्यालय का नाम : ...........................................................................

आहरण/वितरण अधिकारी पदनाम : .............................................................

आहरण/वितरण अधिकारी कोड : ☐☐☐☐

अनुदान संख्या : ☐☐☐

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष | ''8342–अन्य जमा,– | | | | | | | | | | | | |
| लघु शीर्ष | 120–विविध जमा | | | | | | | | | | | | |
| उप शीर्ष | 02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना | | | | | | | | | | | | |
| विस्तृत शीर्ष | 02–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1'' | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

| क्रम संख्या | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर | नाम/पदनाम | मूल वेतन | महंगाई वेतन | महंगाई भत्ता | योग | कर्मचारी का अंशदान | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | वर्तमान | एरियर | | |
| | | | | | | | | माह/वर्ष | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

कालम–4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

**निर्देश** :

1–वेतन एवं भत्तों के आहरण न होने की स्थिति में कालम–4 से 10 तक 'निल' प्रविष्टि दर्शायी जाय, किन्तु कालम–1 से 3 तक की प्रविष्टि अवश्य की जाये।

2–कालम (2) : परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर सही दर्शाया जाना चाहिए।

3–कालम (3) : नाम एवं पदनाम सेवा पुस्तिका के अनुसार होना चाहिए।

4–कालम (4), (5) तथा (6) : सम्बन्धित माह में आहरित वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता ही दर्शाया जाना चाहिए।

5–कालम (8) तथा (9) : कर्मचारी का अंशदान, एरियर वेतन बिल तथा पुनरीक्षित महंगाई भत्ता एरियर बिल से भी काटा जाय।

6–किसी अन्य कार्यालय में स्थानानन्तरण अथवा किसी अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित होने की दशा में कर्मचारी के नाम के सामने अभ्युक्ति कालम में लगातार दो माह तक यह तथ्य दर्शाया जाये।

# प्रपत्र–2 (घ)

चालान संख्या ..................................................

दिनांक ................................................

(बैंक द्वारा भरा जाएगा)

## परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था)

राज्य सरकार/सेवायोजक के अंशदान का शेड्यूल/चालान माह ............................. 20......

जिला कोषागार/भुगतान एवं लेखाधिकारी

कोषागार कोड : [ | | ]

कार्यालय/संस्था का नाम : ..........................................................................................

आहरण/वितरण अधिकारी (पदनाम) : ....................................................................

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष | "8342–अन्य जमा,– | | | | | | | | | | | | |
| लघु शीर्ष | 120–विविध जमा | | | | | | | | | | | | |
| उप शीर्ष | 02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना। | | | | | | | | | | | | |
| विस्तृत शीर्ष | 04–शासन के नियंख्णाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए राज्य सराकर का अंशदान" | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |

| क्रम संख्या | परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर | नाम/पदनाम | मूल वेतन | महंगाई वेतन | महंगाई भत्ता | योग | कर्मचारी का अंशदान | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | वर्तमान | एरियर | | |
| | | | | | | | | माह/वर्ष | धनराशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

कालम–4 में की गयी मूल वेतन की प्रविष्टि सेवापुस्तिका तथा वेतन बिल से सत्यापित है।

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

**निर्देश** :

1–वेतन एवं भत्तों के आहरण न होने की स्थिति में कालम–4 से 10 तक 'निल' प्रविष्टि दर्शायी जाय, किन्तु कालम–1 से 3 तक की प्रविष्टि अवश्य की जाये।

2–कालम (2) : परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर सही दर्शाया जाना चाहिए।

3–कालम (3) : नाम एवं पदनाम सेवा पुस्तिका के अनुसार होना चाहिए।

4–कालम (4), (5) तथा (6) : सम्बन्धित माह में आहरित वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ता ही दर्शाया जाना चाहिए।

5–कालम (8) तथा (9) : कर्मचारी का अंशदान, एरियद वेतन बिल, पुनरीक्षित महंगाई भत्ता एरियर बिल से भी काटा जाय।

6–किसी अन्य कार्यालय में स्थानानन्तरण अथवा किसी अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित होने की दशा में कर्मचारी के नाम के सामने अभ्युक्ति कालम में लगातार दो माह तक यह तथ्य दर्शाया जाये।

प्रपत्र–3

# परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लेखा का खाता (लेजर)

कर्मचारी का नाम ........................................................ वित्तीय वर्ष ................................ परिभाषित अंशदान पेंशन योजना इन्डेक्स नम्बर .............................. ब्याज दर ...................... (धनराशि रुपये में)

| भुगतान का मास | वेतन / बकाया वेतन / महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि | कोषागार वाउचर / चालान संख्या और दिनांक | वाउचर / चालान की धनराशि | लेखाशीर्ष | कर्मचारी का अंशदान | शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गयी हो | नियोक्ता का अंशदान | योग (कालम 6+8) | मासिक क्रमागत योग | आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अप्रैल | | | | | | | | | | |
| मई | | | | | | | | | | |
| जून | | | | | | | | | | |
| जुलाई | | | | | | | | | | |
| अगस्त | | | | | | | | | | |
| सितम्बर | | | | | | | | | | |
| अक्टूबर | | | | | | | | | | |
| नवम्बर | | | | | | | | | | |
| दिसम्बर | | | | | | | | | | |
| जनवरी | | | | | | | | | | |
| फरवरी | | | | | | | | | | |
| मार्च | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ** योग | | | | | | | | | | |

**वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे**

क–प्रारम्भिक शेष जोड़िए .......................................................................................

ख–(1) वर्ष में नियमित जमा ...............................................................................

(2) प्रारम्भिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज .........................................

(3) वर्ष में अवशेष जमा ...................................................................................

(4) अवशेष जमा पर ब्याज ............................................................................

(5) योग (1 से 4 तक) ...................................................................................

महायोग [क+ख (5)] ....................................................................

**सत्यापन**

.................................................................................. द्वारा सत्यापन किया गया।

............................................................................. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

नियमित वेतन बिलों के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बन्धित विवरण अंकित किये जायेंगे।
ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष ..................................................

**(धनराशि रुपये में)**

ब्याज दर ..........................

| भुगतान का मास | वेतन/बकाया वेतन/महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि | कोषागार वाउचर/चालान संख्या और दिनांक | वाउचर/चालान की धनराशि | लेखाशीर्ष | कर्मचारी का अंशदान | शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गयी हो | राज्य सरकार नियोक्ता का अंशदान | योग (कालम 6+8) | मासिक क्रमागतयोग | आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अप्रैल | | | | | | | | | | |
| मई | | | | | | | | | | |
| जून | | | | | | | | | | |
| जुलाई | | | | | | | | | | |
| अगस्त | | | | | | | | | | |
| सितम्बर | | | | | | | | | | |
| अक्टूबर | | | | | | | | | | |
| नवम्बर | | | | | | | | | | |
| दिसम्बर | | | | | | | | | | |
| जनवरी | | | | | | | | | | |
| फरवरी | | | | | | | | | | |
| मार्च | | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ** योग | | | | | | | | | | |

**वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे**

क–प्रारम्भिक शेष जोड़िए ..........................................................................................

ख–(1) वर्ष में नियमित जमा ..................................................................................

(2) प्रारम्भिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज ..........................................

(3) वर्ष में अवशेष जमा .............................................................................................

(4) अवशेष जमा पर ब्याज ..........................................................................................

(5) योग (1 से 4 तक) ..........................................................................

महायोग [क+ख (5)] .......................................................................

** नियमित वेतन बिलों के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बन्धित विवरण अंकित किये जायेंगे। ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।

**सत्यापन**

............................................................................... द्वारा सत्यापन किया गया।

......................................................................... द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।

**आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।**

(1) मेरे द्वारा पासबुक का प्रथम निरीक्षण दिनांक ...................... को किया गया।

**अभिदाता के हस्ताक्षर**

(2) मेरे द्वारा पासबुक का द्वितीय निरीक्षण दिनांक ......................... को किया गया।

| **महत्वपूर्ण ब्यौरे** | **अभिदाता का निजी विवरण** |
|---|---|
| अभिदाता का नाम ........................................ | 1–नाम ........................................ |
| | 2–पिता का नाम ........................................ |
| | 3–जन्म तिथि ........................................ |
| | 4–(क) स्थाई पता ........................................ |
| | (ख) अस्थाई पता ........................................ |
| पेंशन निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित | 5–संस्था के अधीन सेवा में प्रवेश करने का दिनांक ........................................ |
| इन्डेक्स नम्बर ........................................ | |
| | 6–परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में अभिदान प्रारम्भ होने का दिनांक ........................................ |
| पास–बुक जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ........................................ | |
| नाम ........................................ | 7–अभिदाता के हस्ताक्षर का नमूना (जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष लिये जायेंगे) |
| पदनाम ........................................ | 8–पास–बुक जारी करने वाले उस अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर जो अभिदाता के हस्ताक्षर को प्रमाणित करें। |
| मुहर ........................................ | हस्ताक्षर –<br>दिनांक –<br>मुहर – |
| | 9–सेवा छोड़ने का दिनांक ........................................ |
| पास–बुक जारी किये जाने का दिनांक ........................................ | 10–सेवा छोड़ने का कारण (त्याग–पत्र / सेवा से हटाया जाना / अधिवर्षता (Superannuation) / मृत्यु आदि) |

प्रपत्र–4

# (संस्था का नाम)

## अंशदायी पेंशन पास–बुक

नाम————————————————————————————————————————

परिभाषित अंशदान पेंशन इन्डेक्स नम्बर——————————————————————

————————————————————————————————————————————

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1124/दस–2010–301(9)–2003 टी0सी0, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा निर्धारित।

## परिवार का विस्तृत विवरण

| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्मतिथि | अभिदाता के हस्ताक्षर | कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |

# तैनाती एवं स्थानान्तरण के ब्यौरे

| क्रम संख्या | अवधि | | पद जिस पर कार्य किया | कार्यालय का नाम | प्रमाणित करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर |
|---|---|---|---|---|---|
| | कब से | कब तक | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

| क्रम संख्या | अवधि | | पद जिस पर कार्य किया | कार्यालय का नाम | प्रमाणित करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के दिनांकित हस्ताक्षर और मुहर |
|---|---|---|---|---|---|
| | कब से | कब तक | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

संख्या-सा–3–1671 / दस–2010–301(9)–2003 टी0सी0

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2010

**विषय** :– अधिसूचना संख्या सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है।

2–वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने सम्बन्धी संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुके थे तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा / संवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हे पुरानी पेंशन योजना, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग–पत्र देकर नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

——————

# उत्तर प्रदेश शासन

वित (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा–3–1558 / दस–2010–301(9)–2003टी0सी0

लखनऊः 13 अक्टूबर, 2010

## कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या सा–3–379 / दस– 2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व तत्समय राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी, और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद आने वाले स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2– उपर्युक्त संदर्भ में केन्द्रीय लेखा–अनुरक्षण एजेन्सी की समुचित व्यवस्था होने और पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि प्रबन्धकों की नियुक्ति होने तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में उपर्युक्त संस्थाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपरोक्त परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यपाल महोदय निम्नवत् आदेश देते हैं :–

(1) यह व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई वेतन तथा महंगाई भत्ते / दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन एवं ग्रेड पे तथा दोनों के योग पर महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत मासिक अंशदान (निकटतम रुपये में पूर्णांकित) योजनान्तर्गत पेंशन टियर–1 के लिए करेगा। इस अंशदान की कटौती सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह कर्मचारी के वेतन से की जायेगी। इन कर्मचारियों पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू न होने के कारण इनके वेतन से सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के रूप में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(2) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा योजना हेतु आवेदन–पत्र (प्रपत्र–1 ख) तीन प्रतियों में तथा संलग्न प्रारूप में नामांकन किया जायेगा, जिसे योजना की सीमान्तर्गत आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा। नामांकन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका / सेवा अभिलेख में भी की जायेगी।

(3) संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, (जिन्हें आगे सक्षम अधिकारी कहा गया है) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आये प्रत्येक कर्मचारी के लिए निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ से इन आदेशों के जारी होने के एक माह के अन्दर ''इन्डेक्स नम्बर'' प्राप्त कर लें। तत्पश्चात् नये कर्मचारी जैसे ही सेवा में कार्यभार ग्रहण करें, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर ''इन्डेक्स नम्बर'' प्राप्त कर लिए जाएं।

(4) उपरोक्त योजना से सम्बन्धित लेखों का रख–रखाव निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उसी प्रकार से किया जायेगा, जैसा कि नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी से निर्धारित फार्म (प्रपत्र–1 ख) पर आवेदन–पत्र तीन प्रतियों में प्राप्त होने पर निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पेंशन योजना में सम्मिलित प्रत्येक कर्मचारी को ''इन्डेक्स नम्बर'' आवंटित किया जायेगा। निदेशक, पेशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आवेदन–पत्र की एक प्रति आवंटित इन्डेक्स नम्बर सहित सम्बन्धित संस्था को वापस की जायेगी। पेंशन योजना हेतु आवंटित ''इन्डेक्स नम्बर'' कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के साथ अंकित कर दिया जायेगा।

(5) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए वेतन से कटौती, कर्मचारी द्वारा जिस माह में कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी अर्थात् जिस माह में कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जायेगा, उस माह के लिए कटौती नहीं की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कर्मचारी माह अप्रैल, 2005 में सेवा में आया है, उसके वेतन से अंशदान की कटौती माह मई, 2005 के वेतन से प्रारम्भ होगी। दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों से वर्तमान मासिक अंशदान के साथ–साथ अवशेष एक माह के अंशदान, यदि कोई हो, की कटौती भी वेतन

से कर ली जायेगी। इसके समतुल्य धनराशि का अंशदान राज्य सरकार/सेवायोजक द्वारा जमा किया जायेगा।

(6) (क) उपर्युक्त कर्मचारियों के वेतन अनुदान बिल, अन्य कर्मचारियों के वेतन अनुदान बिल से अलग तैयार कर पारण हेतु प्रतिमाह कोषागार में प्रस्तुत किये जायेंगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन अनुदान बिल के साथ, पेंशन योजना के लिए अंशदान की कटौती का शेड्यूल निर्धारित प्रारूप [प्रपत्र–2-ग(1)] पर तीन प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। योजना से आच्छादित अधिष्ठान के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ शेड्यूल में की जायेंगी, भले ही किसी का वेतन किसी कारण आहरित न किया जा रहा होऔर उसके अंशदान की राशि शून्य हो।

वेतन अनुदान बिल में समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती की कुल राशि [प्रपत्र–2-ग(1)] (दो प्रतियों में), जो इस प्रयोजनार्थ चालान का प्रपत्र भी होगा पर इस हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष, जिसका विवरण आगे दिया गया, में जमा किया जायेगा। शेड्यूल की एक प्रति कोषागार द्वारा अलग कर रख ली जायेगी। कोषागार स्तर पर नयी पेंशन योजना को सम्बन्धित मॉड्यूल में, शेड्यूल के अनुसार कर्मचारीवार प्रविष्टि की जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या सा–3–1454/दस–2008–301(9)-2003, दिनांक 28 नवम्बर, 2008 में दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। इस संदर्भ में निम्नानुसार कार्यावाही की जायेगी :–

(i) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वेतन बिल के साथ संलग्न, मुख्य लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा'' के अन्तर्गत कटौतियों से सम्बन्धित शेड्यूल निर्धारित प्रारूप [प्रपत्र–2-घ(1)] में स्पष्ट एवं कम्प्यूटराइज्ड बनाए गए हों।

(ii) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वेतन बिल से की गयी कटौती के अनुसार लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा–120–विविध जमा–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना 02–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1'' को संक्रमित की जाने वाली राशि शुद्ध है तथा शेड्यूल तद्नुसार बनाये गये हैं।

(ख) प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रदेश के अन्दर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में बाह्य सेवायोजकों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के पेंशनरी अंशदान की धनराशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा नहीं की जायेगी। ऐसे बाह्य सेवायोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशनरी अंशदान की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तथा सम्बन्धित शेड्यूल–2(ग–1) पर कार्मिकवार कटौती का पूर्ण विवरण प्रविष्ट करते हुए निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा। पेंशन, निदेशक द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के पेंशनरी अंशदान से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट शेड्यूल–2(ग–1) के साथ कोषागार में जमा किया जायेगा। नियोक्ता अंशदान जमा करने के लिए निदेशक, पेंशन द्वारा देयक अनुदान संख्या–62 के लेखाशीर्षक–2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी अंशदान–03–राज्य सरकार का अंशदान–03–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता पर बनाकर जवाहर भवन कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

(ग) ऐसे बाह्य सेवायोजक जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक 9–11–2006 के अनुसार बाह्य सेवायोजक का अंशदान जमा किया जाना है, उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी के अंशदान की धनराशि अनुलग्नक–2(ग–1) तथा बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि अनुलग्नक–2(घ–1)सहित (चाहे बाह्य सेवायोजक कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित हो या बाहर) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक भेजा जायेगा। ड्राफ्ट की धनराशि को लेखाशीर्षक–8342 में जमा करने की कार्यवाही निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

(7) यदि किसी कर्मचारी से किसी माह में पेंशन के लिए अंशदान की कटौती नहीं की जाती है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कटौती के शेड्यूल में अंशदान की कटौती ''शून्य'' दर्शाते हुए उसके स्पष्ट कारणों का निश्चित रूप से उल्लेख कर दिया जायेगा।

(8) वेतन अनुदान बिल से पेंशन के लिए अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि लोक–लेखा पक्ष में निम्नांकित लेखाशीर्ष में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी :–

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 8342–अन्य जमा– |
| लघु शीर्ष | 120–विविध जमा– |
| उप शीर्ष | 02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना– |
| विस्तृत शीर्ष | 02–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1 |

(9) संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रेषित किए गए शेड्यूल की एक प्रति को, यथास्थिति, कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखाधिकारी द्वारा अलग करके एक अलग कवर में प्रत्येक माह एक कवरिंग शीट जिसमें संस्थावार अंशदान की कुल राशि का उल्लेख हो, के साथ कार्यालय निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ को साफ्ट कापी के साथ भेजा जायेगा।

(10) उप–प्रस्तर–6(ग) से आच्छादित मामलों के अतिरिक्त, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान के समतुल्य (मैचिंग) अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस हेतु दिनांक 28 नवम्बर, 2008 के शासनादेश के प्रस्तर–(2) एवं (3) में दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

(11) (क) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी के अंशदान के समतुल्य राज्य सरकार के अंशदान हेतु (ऐसी बाह्य सेवा की अवधि के लिए भी जिसके सम्बन्ध में बाह्य सेवायोजक द्वारा पेंशनरी अंशदान देय नहीं है) प्रति माह निम्नांकित लेखाशीर्ष को ''डेबिट'' किया जायेगा :–

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ– |
| उप मुख्य शीर्ष | 01–सिविल– |
| लघु शीर्ष | 117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान– |
| उप शीर्ष | 03–राज्य सरकार का अंशदान– |
| विस्तृत शीर्ष | 03–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान |
| मानक मद | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता |

उपर्युक्त लेखाशीर्ष से डेबिट की गयी राशि ''बुक ट्रांसफर'' द्वारा लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा–120–विविध जमा–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–04–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार का अंशदान–टियर–1'' में जमा की जायेगी।

कर्मचारी का अंशदान जिस माह के वेतन से काटा गया हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार का मासिक अंशदान सामान्यतः जिस माह के लिए कर्मचारी का अंशदान काटा गया हो, के अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ मान लिया जायेगा, भले ही वास्तव में किसी अन्य दिनांक को जमा किया गया हो, परन्तु इस प्रयोजनार्थ मात्र इन्डेक्स नम्बर आवंटित होने के पूर्व की अवधि के अवशेष अंशदान का माह वही माना जायेगा, जिसमें अवशेष अंशदान वास्तव में जमा किया गया हो अथवा जिस माह के अंशदान के साथ कर्मचारी का अवशेष अंशदान वेतन

से काटकर जमा किया गया हो। उदाहरण के रूप में यदि ऐसा अवशेष अंशदान सीधे चालान के माध्यम से माह जून में जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान दिनांक 1 जुलाई को जमा माना जायेगा तथा यदि अवशेष अंशदान माह सितम्बर के मासिक अंशदान के साथ वेतन के काटकर जमा किया जाता है तो राज्य सरकार का अंशदान 1 अक्टूबर को जमा माना जायेगा। स्थानान्तरण की दशा में अन्तिम वेतन पर्ची (एल0पी0सी0) में इस स्थिति का उल्लेख किया जए कि किस माह तक अंशदान काटा गया है। यदि किसी माह/अवधि के अंशदान की कटौती अवशेष हो, तो उसे अन्तिम वेतन पर्ची पर अलग टिप्पणी के रूप में दर्शाया जायेगा।

(ख) ऐसी बाह्य सेवा जिसके लिए पेंशन अंशदान देय नहीं है, बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कर्मचारी का चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा अंशदान भी, जिस माह के वेतन से कटा हो, उसके अगले माह की पहली तारीख को जमा हुआ माना जाएगा।

(12) पेंशन निधि में जमा कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में निर्धारित दर पर वार्षिक ब्याज अनुमन्य होगा। ब्याज की गणना उसी आधार पर की जायेगी जैसे सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाते में जमा धनराशि पर की जाती है।

(13) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वर्ष के अन्त में ब्याज का भुगतान निम्नांकित लेखाशीर्ष को डेबिट कर ''बुक ट्रांसफर'' द्वारा सम्बन्धित खातों में जमा किया जायेगा –

| | |
|---|---|
| मुख्य शीर्ष | 2049–ब्याज अदायगियाँ– |
| उप मुख्य शीर्ष | 03–अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज– |
| लघु शीर्ष | 117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर ब्याज– |
| उप शीर्ष | 03–निर्धारित अंशदान पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर ब्याज– |
| विस्तृत शीर्ष | 03–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना निधि में जमा राशि पर ब्याज |
| मानक मद | 32–ब्याज/लाभांश |

(14) वर्ष के अन्त में, निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट (दो प्रतियों में) सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को भेजा जायेगा जिसमें प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी/राज्य सरकार का अलग–अलग मासिक अंशदान, ब्याज की धनराशि तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। स्टेटमेन्ट की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

(15) सम्बन्धित संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त 'इन्डेक्स नम्बर' के अनुसार प्रपत्र–3 में निर्धारित प्रारूप में एक लेजर, रखा जायेगा जिसमें कर्मचारी का वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष, कर्मचारी के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान की धनराशि, ब्याज तथा अन्तिम अवशेष अंकित किया जायेगा। प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में जी0पी0एफ0 पास–बुक की भाँति प्रपत्र–4 में निर्धारित प्रारूप पर ''अंशदायी पेंशन पास–बुक'' भी रखी जायेगी। निदेशक, पेंशन से प्राप्त स्टेटमेन्ट तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर रखे जाने वाले लेखों में यदि कोई अन्तर हो तो उसका निदेशक, पेंशन के कार्यालय से वर्ष प्रतिवर्ष समाधान किया जायेगा।

(16) उपर्युक्त अन्तरिम व्यवस्था के दौरान योजना में प्रावधानित स्वैच्छिक टियर–II खाते का संचालन नहीं किया जायेगा।

3–शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु जो शासकीय अधिकारी अनुदान बिल प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत हों, वे नियमित रूप से यह समीक्षा करते रहेंगे कि सम्बन्धित संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि

नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन अनुदान बिल मासिक आधार पर कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायं।

4—कृपया शासन के इन आदेशों का अनुपालन समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

———

संख्या—सा—3—1913/दस—2010—301(71)—2009

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2010

**विषय** :— शासन से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त कर्मियों पर लागू अंशदान पेंशन योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की सेवा में आने वाले कर्मचारियों, जो नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के बारे में कार्यालय—ज्ञाप संख्या सा—3—1124/दस—2010—301(9)—2003 टी0सी0, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं। इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत आदेश देते हैं :—

(1) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर—2(2) में उल्लिखित प्रपत्र—1(क) में आवेदन—पत्र पर कार्मिक की नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित एवं चस्पा होने के साथ—साथ अग्रसारण पत्र में आहरण वितरण अधिकारी का कोड, पदनाम तथा कोषागार का नाम भी अंकित किया जायेगा।

(2) नयी पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन अनुदान बिल अलग से तैयार कर पारण हेतु संबंधित कोषागार में प्रत्येक माह प्रस्तुत किये जायेंगे। शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर—6(क) में उल्लिखित प्रपत्र 2(ग) कर्मचारी का अंशदान के शेड्यूल के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा जिस लेखाशीर्ष से वेतन का आहरण हो रहा है उसे भी पूर्ण 15 डिजिट में शेड्यूल पर अंकित किया जायेगा। प्रपत्र 2(घ) को वाउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा तथा इस अनुदान संख्या 62 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष ''2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ—01—सिविल—117 निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान—03 राज्य सरकार का अंशदान—02 सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान—20 सहायक

अनुदान/अंशदान/राज सहायता'' अंकित किया जायेगा। यह प्रत्येक कर्मचारी के लिए राज्य सरकार के अंशदान के रूप में स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि के लिए वाउचर के रूप में प्रयोग किया जायेगा। दोनों प्रपत्र–2(ग) एवं 2(घ) की दो–दो प्रतियां वेतन बिल के साथ संलग्न की जायेंगी जो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित होंगी।

(3) वेतन से काटे गये अंशदान की कार्मिकवार इन्ट्री राज्य कर्मचारियों की भाँति कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षक ''8342–अन्य जमा–120 विविध जमा 02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01 सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अंशदान–टियर–1'' में की जायेगी। कोषागारों द्वारा निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 15–09–2010 के प्रपत्र–2(ग) और 2(घ) की हार्ड कापी के साथ साफ्ट कापी भी उपलब्ध करायी जायेगी। इन कार्मिकों के लेखों का रख–रखाव निदेशक, पेंशन द्वारा उसी भाँति किया जायेगा, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के लिये किया जा रहा है। शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों के अंशदान एवं राज्य सरकार के अंशदान का डाटाबेस सृजित करने हेतु कोषागार द्वारा उसी पैकेज का प्रयोग किया जायेगा जिसका प्रयोग सरकारी कर्मचारियों के लिये किया जा रहा है।

(4) शासनादेश के प्रस्तर–6(ख) में उल्लिखित बाह्य सेवा योजकों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के पेंशनरी अंशदान की धनराशि चालान के माध्यम से कोषागार में जमा नहीं की जायेगी। ऐसे बाह्य सेवायोजक द्वारा कर्मचारी के वेतन से पेंशनरी अंशदान की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि बैंक ड्राफट के माध्यम से तथा संबंधित शेड्यूल–2(ग) पर कार्मिक वार कटौती का पूर्ण विवरण प्रविष्टि करते हुए निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अगले माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा। पेंशन निदेशक द्वारा संबंधित कर्मचारी के पेंशनरी अंशदान से संबंधित बैंक ड्राफ्ट शेड्यूल–2(ग) के साथ कोषागार में जमा किया जायेगा। नियोक्ता अंशदान जमा करने के लिए निदेशक, पेंशन द्वारा देयक अनुदान संख्या–62 के लेखाशीर्ष ''2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01 सिविल–117 निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान–03 राज्य सरकार का अंशदान 02 सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता'' पर बनाकर जवाहर भवन कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।

(5) ऐसे बाह्य सेवायोजक जिनके द्वारा बाह्य सेवायोजक का अंशदान जमा किया जाना है, उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी के अंशदान की धनराशि प्रपत्र–2(ग) तथा बाह्य सेवायोजक के अंशदान की धनराशि प्रपत्र–2(घ) सहित (चाहे बाह्य सेवायोजक कार्यालय प्रदेश के अन्दर स्थित हो या बाहर) प्रतिमाह निदेशक, पेंशन के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के साथ अगले माह की 10 तारीख तक भेजी जायेगी। ड्राफ्ट की धनराशि को लेखाशीर्षक–8342 में जमा करने की कार्यवाही निदेशक, पेंशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तर–(4) के अनुसार की जायेगी।

(6) कार्मिक का स्थानान्तरण होने पर जारी अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र की एक प्रति आहरण वितरण अधिकारी द्वारा निदेशक, पेंशन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कार्मिक की नयी तैनाती के जनपद के कोषागार से उक्त कार्मिक के अंशदान की कटौती करने के संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव, वित्त।

———

# उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–3–1065 / दस–301(9)–2011

लखनऊः 15 सितम्बर, 2011

## कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशलन सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) नियुक्त किया गया है तथा एन0एस0डी0एल0 के साथ सी0आर0ए0 अनुबन्ध दिनांक 12 अगस्त, 2011 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। इस अनुबन्ध के अन्तर्गत एन0एस0डी0एल0 द्वारा मुख्यतः अधोलिखित सेवायें राज्य सरकार को प्रदान की जायेगी :–

(1) अभिदाता डाटा बेस का सृजन

(2) प्रत्येक अभिदाता के लिए परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर (PRAN) का आवंटन

(3) पेंशन अंशदान से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन

(4) योजनाओं तथा पेंशन निधियों के आधार पर इन्वेस्टमेन्ट प्रीफरेन्स का वर्गीकरण एवं संकलन

(5) ट्रस्टी लेखे से प्राप्त पेंशन फण्ड रिपोर्ट का पेंशन फण्ड कन्ट्रीब्यूशन इन्फॉरमेशन रिपोर्ट के साथ मिलान एवं समाशोधन

(6) त्रुटियों एवं विसंगतियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करना

(7) अभिदाताओं की शिकायतों का संकलन

(8) सम्बन्धित सर्विस प्रोवाइडर से शिकायतों का समाधान कराना

(9) अभिदाता / निवेशक की शिकायतों से सम्बन्धित ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट तैयार करना

(10) प्रत्येक पेंशन फण्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं में निवेश की रिपोर्ट तैयार करना तथा आवश्यक धनराशि सम्प्रेषित किये जाने हेतु ट्रस्टी बैंक को निर्देश देना

(11) निष्कासान की राशि अभिदाता के खाते में सम्प्रेषित किये जाने तथा अवशेष धनराशि एन्यूटी योजना के सापेक्ष एन्यूटी प्रोवाइडर के खाते में सम्प्रेषित किये जाने हेतु ट्रस्टी बैंक को निर्देश देना

(12) उपरोक्त के अतिरिक्त पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों पर ऐसी अन्य सेवायें प्रदान करना जिन्हें राज्य सरकार एन0एस0डी0एल0 से प्राप्त करना चाहें।

2–एन0एस0डी0एल0 के साथ निष्पादित सी0आर0ए0 अनुबन्ध के अनुच्छेद 5 एवं 6 में, अनुबन्ध के तहत एन0एस0डी0एल0 द्वारा प्रदान की जावे वाली सेवाओं हेतु फीस के भुगतान की शर्तों का उल्लेख किया गया है। फीस की दरें निम्नानुसार होंगी :–

| सेवा जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया जाना है | सेवा शुल्क |
|---|---|
| (1) परमानेन्ट रिटायरमेन्ट खातों की संख्या 10 लाख तक रहने पर– | |
| परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउन्ट (PRA) खोलने हेतु शुल्क | रु0 50 / – |
| PRA के रख रखाव हेतु प्रति खाता वार्षिक शुल्क | रु0 350 / – |
| प्रति ट्रान्जेक्शन शुल्क | रु0 10 / – |
| (2) परमानेन्ट रिटायरमेन्ट खातों की संख्या 10 लाख से अधिक परन्तु 30 लाख से कम रहने पर– | |
| परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउन्ट (PRA) खोलने हेतु शुल्क | रु0 50 / – |
| PRA के रख रखाव हेतु प्रति खाता वार्षिक शुल्क | रु0 280 / – |
| प्रति ट्रान्जेक्शन शुल्क | रु0 06 / – |

| (3) परमानेन्ट रिटायरमेन्ट खातों की संख्या 30 लाख से अधिक होने पर– | |
|---|---|
| परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउन्ट (PRA) खोलने हेतु शुल्क | रु0 50/– |
| PRA के रख रखाव हेतु प्रति खाता वार्षिक शुल्क | रु0 250/– |
| प्रति ट्रान्जेक्शन शुल्क | रु0 04/– |

सेवा कर एवं अन्य लागू कर अतिरिक्त देय होंगे।

3–राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार यदि सी0आर0ए0 अनुबन्ध के अन्तर्गत एन0एस0डी0एल0 द्वारा अतिरिक्त सेवायें प्रदान की जाती हैं तथा इसके लिये यदि एन0एस0डी0एल0 द्वारा अतिरिक्त फीस चार्ज की जाती है तो ऐसी अतिरिक्त सेवायें राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से प्रदान की जायेंगी।

4–उपर्युक्त तालिका में वर्णित ट्रान्जेक्शन का तात्पर्य अधोलिखित सम्व्यवहारों से होगा–

(1) स्कीम स्विचिंग रिक्वेस्ट तथा स्कीम प्रीफरेन्स चेन्ज भिन्न–भिन्न ट्रान्जेक्शन माने जायेंगे।

(2) प्रत्येक माह के अंशदान का वितरण अधिकतम चार स्कीमों के मध्य किये जाने को एक ट्रान्जेक्शन माना जायेगा तथा चार से अधिक एवं आठ स्कीमों तक वितरण को दो ट्रान्जेक्शन माना जायेगा। स्कीमों की संख्या के अनुसार ट्रान्जेक्शन की गणना इसी क्रमानुसार की जायेगी।

5–अभिदाताओं द्वारा सी0आर0ए0 सिस्टम में I-PIN री–सेट किये जाने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा। सी0आर0ए0 सिस्टम की IVRS प्रणाली के माध्यम से अभिदाताओं द्वारा T-PIN री–सेट किये जाने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा परन्तु यदि I-PIN/T-PIN को उसी भांति सृजित एवं डिस्पैच किये जाने की आवश्यकता होती है जिस भांति अभिदाता का खाता खोले जाने के समय हुई थी तो PFRDA तथा एन0एस0डी0एल0 के मध्य आपसी सहमति से निर्धारित प्रशासनिक व्यय एवं पोस्टल व्यय राज्य सरकार द्वारा देय होंगे। इसी प्रकार नये PRAN कार्ड के सृजन एवं डिस्पैच हेतु भी PFRDA द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर एन0एस0डी0एल0 को भुगतान देय होगा।

6–सी0आर0ए0 अनुबन्ध के तहत एन0एस0डी0एल0 द्वारा सेवा शुल्क के भुगतान हेतु त्रैमासिक आधार पर बिल निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में प्रस्तुत किये जायेंगे। बिल का भुगतान बिल प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की अवधि में निदेशक पेंशन द्वारा कर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो सी0आर0ए0 अनुबन्ध के अनुच्छेद 6.5 के अनुसार विलम्ब की अवधि के लिए एन0एस0डी0एल0 राज्य सरकार से, भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लैन्डिंग रेट से 2.5% अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान पाने हेतु हकदार होगा।

7–निदेशक, पेंशन, एन0एस0डी0एल0 से बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर बिल में दर्शित विभिन्न मदों में दिखाये गये ट्रांजेक्शन्स का मिलान कोषागारों से प्राप्त रिपोर्ट से करेंगे। यदि दोनों में भिन्नता होती है, तो इस सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन द्वारा एन0एस0डी0एल0 को तत्काल ई–मेल/फैक्स द्वारा भिन्नता का विवरण प्रेषित किया जायेगा। भिन्नता के समाधान हेतु एन0एस0डी0एल0 को एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि भिन्नता का समाधान हो जाता है, तो अगले दो सप्ताहों के अन्दर निदेशक पेंशन द्वारा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यदि निर्धारित अवधि में भिन्नता का समाधान नहीं हो पाता है, और भुगतान में विलम्ब संभावित हो तो, एन0एस0डी0एल0 के बिल का भुगतान इस शर्त के साथ कर दिया जायेगा कि अगले बिल से यथावश्यक समायोजन कर लिया जायेगा। अगला बिल प्राप्त होने के पूर्व तीन माह की अवधि में भिन्नता का समाधान अवश्य करा लिया जायेगा।

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त।

———

# उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा–3–1066 / दस–2011-301(9)–2011
लखनऊः 15 सितम्बर, 2011

——————

## कार्यालय–ज्ञाप

**विषय** :– राज्य सरकार की सेवा में तैनात, नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सी0आर0ए0 सिस्टम में पंजीकरण तथा पेंशन अंशदान के सम्प्रेषण के सम्बन्ध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 25014 / 14 / 2001-AIS (II) दिनांक 08–09–09 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप निम्नवत आदेश प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं :–

(1) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए नयी पेंशन योजना में दो टियर, टियर–I तथा टियर–II होंगे। दिनांक 01–01–2004 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा टियर–I में अनिवार्यता' अंशदान किया जायेगा जबकि टियर–II में अंशदान वैकल्पिक होगा।

(2) टियर–I में प्रतिमाह मूल वेतन, ग्रेड–पे एवं महंगाई भत्ते के योग के 10% के बराबर अंशदान किया जायेगा। इस अंशदान की कटौती अधिकारी के वेतन से कोषाधिकारी / इरला चेक अनुभाग द्वारा की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान किया जायेगा।

(3) टियर–I में किये जाने वाले अंशदान (निवेश से प्राप्त आय सहित) अनिष्कासनीय पेंशन खाते में जमा होगी। टियर–II में किये जाने वाले अंशदान एक अलग खाते में रखे जायेंगे जिसमें से धनराशि का निष्कासन सम्बन्धित अधिकारी के विकल्प पर अनुमन्य होगा। टियर–II में सरकार द्वारा अंशदान नहीं किया जायेगा।

(4)60 वर्ष की आयु पर अथवा उसके उपरान्त अभिदाता द्वारा टियर–I से निकासी (Exit) की जा सकेगी। निकासी के समय यह आवश्यक होगा कि अभिदाता द्वारा टियर–I में संचित निधियों के 40 प्रतिशत का निवेश, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा नियंत्रित किसी जीवन बीमा कम्पनी से वार्षिकी (Annuity) का क्रय करने में किया जाये जिससे अभिदाता तथा उस पर आश्रित माता–पिता / पत्नी या पति के जीवन काल के लिए पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसी अधिकारी द्वारा 60 वर्ष की आयु के पूर्व नयी पेंशन योजना से निकासी की जाती है तो उसके पेंशन लेखे में संचित राशि के 80 प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकीकरण (Annuitization) किया जायेगा। शेष राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

(5) जिस माह में किसी अधिकारी द्वारा सेवा में प्रवेश किया जाता है, उससे अगले माह के वेतन से टियर–I में अंशदान के लिए कटौती प्रारम्भ की जायेगी। सेवा में प्रवेश के माह हेतु कटौती नहीं की जायेगी।

(6) नयी पेंशन योजना से आच्छादित अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यदि किसी अधिकारी के वेतन से सामान्य भविष्य निधि के लिए कटौतियाँ की गयी हों तो कटौतियों की राशि सम्बन्धित अधिकारी को वापस कर दी जायेगी।

(7) सामूहिक बीमा योजना के लिए कटौती की जायेगी।

(8) पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित प्रादेशिक सेवाओं के अधिकारियों की प्रोन्नति / चयन अखिल भारतीय सेवाओं में हो जाने पर वे पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित होंगे।

(9) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की पेंशन निधियों का प्रबन्धन पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियुक्त पेंशन निधि प्रबन्धकों द्वारा किया जायेगा तथा उनसे

सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA)- नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा किया जायेगा।

(10) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से सम्बन्धित नयी पेंशन योजना सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों हेतु निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, नोडल अधिकारी होंगे। वेतन से मासिक अंशदान की कटौती कोषाधिकारियों/सम्बन्धित भुगतान कार्यालयों द्वारा की जायेगी। कटौतियों का विवरण कोषाधिकारियों/ भुगतान कार्यालयों द्वारा निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा।

(11) समस्त अभिदाताओं के अंशदान का कोषागारों/भुगतान कार्यालयों से प्राप्त विवरण निदेशक, पेंशन द्वारा संकलित किया जायेगा। नियोक्ता अंशदान से सम्बन्धित विवरण भी निदेशक, पेंशन द्वारा तैयार किया जायेगा।

(12) निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश द्वारा अभिदाता अंशदान फाइल (Subscriber Contribution File-SCF) तैयार कर सी0आर0ए0 सिस्टम पर अपलोड की जायेगी। ट्रस्टी बैंक को निधियों का सम्प्रेषण तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को सूचनाओं का प्रेषण भी निदेशक, पेंशन द्वारा किया जायेगा।

(13) दिनांक 01–01–2004 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त समस्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा अनुलग्नक–1 पर पंजीकरण प्रपत्र भरे जायेंगे।

(14) जिला कोषागार/भुगतान कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि वे समस्त सम्बन्धित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का पंजीकरण प्रपत्र भरवाकर निदेशक, पेंशन को प्रेषित करें। न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीब्यूशन्स अकाउन्टिंग नेटवर्क (NPSCAN) में निदेशक, पेंशन भुगतान एवं लेखाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(15) निदेशक, पेंशन पंजीकरण प्रपत्रों की जांच कर एन0एस0डी0एल0 को इन आदेशों के एक माह के अन्दर प्रेषित करेंगे। एन0एस0डी0एल0 द्वारा इन प्रपत्रों पर कार्यवाही कर समस्त किट्स माह अक्टूबर, 2011 तक निदेशक, पेंशन को प्रेषित किये जायेंगे।

(16) परमानेन्ट रजिस्ट्रेशन अलाटमेन्ट नम्बर (PRAN) प्राप्त हो जाने के उपरान्त निदेशक, पेंशन नियमित अपलोड तथा निधियों का हस्तान्तरण प्रारम्भ कर देंगे। इसके उपरान्त पूर्व में की गयी कटौतियों के विवरण तथा निधियों का हस्तान्तरण एक अथवा अधिकतम दो किश्तों में किया जायेगा।

(17) निदेशक, पेंशन को कोषागारों/भुगतान कार्यालयों से सूचना प्राप्त हो जाने के उपरान्त निदेशक, पेंशन द्वारा NPSCAN में अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान से सम्बन्धित आंकड़े अपलोड किये जायेंगे। अपलोडिंग पूर्ण हो जाने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन आई डी प्राप्त होगी। निदेशक, पेंशन अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान की संहत राशि सम्बन्धित लेखाशीर्ष से आहरित कर, धनराशि ट्रस्टी बैंक–बैंक ऑफ इण्डिया के पक्ष में ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा सम्प्रेषित करेंगे।

(18) निदेशक, पेंशन एवं कोषाधिकारियों द्वारा अनुलग्नक–5 में दिये गये प्रारूप पर अभिदाताओं की वर्णक्रमानुसार इन्डेक्स रजिस्टर रखा जायेगा। निदेशक, पेंशन द्वारा अनुलग्नक–6 पर दिये गये प्रारूप में ट्रस्टी बैंक को अंशदान की धनराशियों के सम्प्रेषण का विवरण तथा अनुलग्नक–7 में अधिकारीवार खातों का विवरण रखा जायेगा।

(19) यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जा रहा हो तो ड्राफ्ट के पृष्ठ भाग पर निदेशक, पेंशन की पंजीकरण संख्या, वेतन भुगतान का माह तथा ट्रान्जेक्शन आई0डी0 अंकित किये जायेंगे। यह विवरण अग्रसारण पत्र में भी दिये जायेंगे। यदि भुगतान आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किया जाता है तो इस हेतु बैंकर को दिये गये आवेदन–पत्र के रिमार्क कालम में उपरोक्त विवरण दिये जायेंगे।

(20) अभिदाताओं एवं नियोक्ता अंशदान के एरियर की वसूली एवं ट्रस्टी बैंक को धनराशियों का हस्तान्तरण एक निश्चित समयावधि के अन्दर किया जायेगा। यदि अंशदान की वसूली पूर्व में

कर पृथक रूप से किसी लेखाशीर्ष में जमा की गयी हो तो उसे तत्काल आहरित कर ट्रस्टी बैंक को सम्प्रेषित किया जायेगा।

(21) यदि राज्य सरकार द्वारा अंशदान की वसूली किश्तों में किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियोक्ता अंशदान की किश्तें अभिदाता के अंशदान से अधिक न हों।

(22) दिनांक 01–01–2004 के उपरान्त नये प्रवेशकों, जिनके अंशदान की कटौती अभी प्रारम्भ न हुई हो, के मामलों में दिनांक 01–01–2004 अथवा सेवा में प्रवेश की तिथि से अंशदान की वसूली माहवार वर्तमान माह के अंशदान के साथ की जाय। इस प्रकार, इन प्रकरणों में प्रत्येक माह अभिदाता के वेतन से एक किश्त वर्तमान ......................

(23) किसी अभिदाता का स्थानान्तरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने अथवा उसके केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने की दशा में कोषाधिकारियों/भुगतान कार्यालयों द्वारा अभिदाता के अंतिम वेतन प्रमाणक में उसके (PRAN) तथा जिस माह तक अंशदान की वसूली की गयी हो, का विवरण अंकित किया जायेगा।

(24) अभिदाता के वेतन से की जाने वाली पेंशन अंशदान कटौती की धनराशि लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान टियर–I" में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जायेगी। टियर–II में अंशदान की राशि लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–04–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान टियर–II" में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जायेगी। नियोक्ता अंशदान की राशि लेखाशीर्ष ''2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान–03–राज्य सरकार का अंशदान–01–राजकीय कर्मचारी– टियर–I" से आहरित कर लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–02–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान टियर–II" में बुक ट्रांसफर द्वारा जमा की जायेगी। ट्रस्टी बैंक को भुगतान हेतु उपरोक्त लेखाशीर्ष–8342 के संगत विस्तृत शीर्ष से अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान की राशि का आरहण निदेशक, पेंशन द्वारा किया जायेगा।

(25) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 25014/14/2001-AIS (II), दिनांक 08–09–09 में दिये गये अन्य अनुलग्नक भी इस कार्यालय–ज्ञाप के साथ इस आशय से संलग्न किये जा रहे हैं कि उनमें दिये गये प्रारूपों पर विभिन्न सूचनाओं एवं पंजियों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

वृन्दा सरूप,

प्रमुख सचिव।

––––––

ANNEXURE-IVA

Six digit code-------------------------------------------------------

| Name of the Member of Service | Designation | Basic Pay | Date of Birth | Unique Pension a/c no. in 15 digits [to be allotted by CAO(P) ] | Date of Joining Service | Details of nominee(s) for accumulations under Pension Account | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Name of Nominee (s) | Age | Relation-ship with Member of Service | % age of share | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Signature of SNO with seal----------------------------

———

ANNEXURE-III

INDEX REGISTER

| Unique Pension Account No. | Name of the Member of Service | Designation | Name of the Office in which joined service | Date of Birth | Date of Joining Service | Signature of JAO/AAO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

ANNEXURE-IV

(*See* Para 9)

Format of schedule of Member of Service's contributions towards Tier-I and Tier-II of the new Pension Scheme (to be attached with the pay bill.)

*Name of To*

| Unique Pension a/c no. in 15 digits [(to be | Name of the Member of Service | Designation | Basic Pay | D P Rs. | D A Rs. | Contribution under Tier-I (Rs.) | Contribution under Tier-II *(Rs.) | Total Rs. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| allotted by CAO(P)] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(Rupees--------------------------------------------------------------)

*This column is not to be used during the interim period

Date and signature of TO.

―――――

ANNEXURE-V

(*See* Para 10)

Format of schedule of Member of Service's contributions towards Tier-I of the new Pension Scheme (to be attached with the bill for drawl of Government's contribution.)

*Name of SNO*

| Unique Pension a/c no. in 15 digits [(to be allotted by CAO(P)] | Name of the Member of Service | Designation | Basic Pay | D P Rs. | D A Rs. | Government's Contribution Rs. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(Rupees--------------------------------------------------------------)

Date and signature of SNO.

(ANNEXURE-VII)

(See Para 11)

NEW PENSION SCHEME LEDGER FOLIO

Name------------------------------------------------------------------------------------

Designation---------------------------Department-------------------------------------

Date of joining All India Service-----------------------------------------------------

Date of Superannuation--------------------------------------------------------------

Unique Pension Account no. allotted by SNO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Month | Basic Pay | DA. | Member's Contribution under Tier-I Rs. | Govt.'s Contribution under Tier-I Rs. | Total Tier-I (Rs.) | Member's Contribution under Tier-II Rs. | Remark | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | | | | | | | | | | |
| May | | | | | | | | | | |
| June | | | | | | | | | Tier-I | Tier-II |
| July | | | | | | | | OB as on | | |
| Aug. | | | | | <spans | | | | | |

——————

(ANNEXURE-VI)

| Pran No. | Name of the Member of Service | Designation | Date of Birth | Date of Joining the All India Services | Date of Joining Deptt./office under the payment control of TO/SNO | Signature of TO/SNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

ANNEXURE-I

(Datails to be furnished by Member of the Service)

1. Name of the Member of Service :
2. Designation :
3. Name of Min./Dept./Orgn. :
4. Scale of Pay :
5. Date of Birth :
6. Date of Joining Govt. Service :
7. Basic Pay :
8. Nominee for accumulations
   Under the Pension Account :

| Sr. No. | Name of Nominee (s) | Age | Percentage of share payable | Relationship with Member of Service |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Signature of the Member of the Service

TO/SNO

———

ANNEXURE-II

Name of SNO---------------------------------------------------

Name of Office and address-----------------------------------

| SL. | Name of the Member of Service | Designation | Basic Pay | Date of Birth | Unique Pension a/c no. in 15 digits [to be allotted by CAO(P)] | Date of joining service | Details of nominee (s) for accumulations under Person Account | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Name of Nominee(s) | Age | Relation-ship with MoS | % age of share |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Name of the SNO----------------------------------

OFFICE SEAL--------------------------------------

———

संख्या–सा–3–1067 / दस–2011–301(9)/2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव, राज्पाल सचिवालय / विधान सभा / विधान परिषद,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3–महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4–समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
5–निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6–निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7–समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8–समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर, 2011

**विषय** :–नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा सहायतित ऐसी शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना के समान पेंशन योजना पूर्व से लागू थी, में नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अधिसूचना संख्या सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू की गयी है।

2–नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा नई पेंशन योजना के लिए तैयार की गयी संरचना (आर्किटेक्चर) को राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–313 / दस–2009–301(9)–2003, दिनांक 15 मई, 2009 द्वारा अंगीकृत किया गया है। इस आर्किटेक्चर में नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) बैंक ऑफ इण्डिया को ट्रस्टी बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन निधि प्रबन्धक (फण्ड मैनेजर) नियुक्त किया गया है। पेंशन निधियों के समुचित प्रबन्धन तथा रखरखाव के लिए पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एन0पी0एस0ट्रस्ट) का गठन किया गया है।

3–नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एन0एस0डी0एल0 एवं एन0पी0एस0 ट्रस्ट के साथ दिनांक 12 अगस्त, 2011 को अनुबन्ध निष्पादित किये गये। इसके पूर्व राज्य में नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्तरिम व्यवस्था के तहत कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1051 / दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से मासिक कटौती, राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान तथा कर्मचारियों के पेंशन लेखे में संचित धनराशि पर सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर से ब्याज के भुगतान, प्रत्येक कर्मचारी का पेंशन खाता खोलने एवं उसे अद्यावधिक रखने हेतु निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया था।

4–एन0एस0डी0एल0 एवं एन0पी0एस0 ट्रस्ट के साथ अनुबन्ध निष्पादित हो जाने के अनन्तर ऊपर वर्णित अन्तरिम व्यवस्था को समाप्त करते हुए, एन0पी0एस0 आर्किटेक्चर के अनुसार अग्रलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जारी शासनादेश के अनुरूप निदेशक, पेंशन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नई पेंशन योजना को क्रियाशील किये जाने हेतु निदेशक, पेंशन यथावश्यकता एन0एस0डी0एल0 से सम्पर्क करेंगे। एन0एस0डी0एल0 द्वारा भी प्रदेश में नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सीधे निदेशक, पेंशन से सम्पर्क करेंगे।

## विभिन्न प्राधिकारियों एवं अभिदाताओं का नई पेंशन प्रणाली में पंजीकरण

(2)राज्य सरकार की तरफ से नई पेंशन प्रणाली के अनुश्रवण हेतु निदेशक, पेंशन का एन0एस0डी0एल0 में पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रपत्र एन–1 में अपेक्षित विवरण भरकर एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित किया जायेगा।

(3) नयी पेंशन योजना के अभिदाताओं की ओर से दैनन्दिन कार्यवाहियों के निष्पादन हेतु जनपद कोषागारों का एन0एस0डी0एल0 में पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रपत्र एन–2 में कोषागारों द्वारा अपेक्षित विवरण भरकर एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र की एक प्रति निदेशक, पेंशन को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति सम्बन्धित कोषागार कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

(4) नई पेंशन योजना के अभिदाताओं से सम्बन्धित विवरणों को संकलित करने तथा उन्हें एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारियों का पंजीकरण सम्बन्धित कोषाधिकारियों के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 में कराया जायेगा। किसी जनपद के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र एन–3 में अपेक्षित विवरण भरकर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जनपद कोषागार को तीन प्रतियों में प्रेषित करेंगे। जनपद कोषागार द्वारा आवेदन–पत्र की एक प्रति एन0एस0डी0एल0 को सीधे तथा एक प्रति निदेशक, पेंशन को प्रेषित की जायेगी एवं एक प्रति कोषागार में सुरक्षित रखी जायेगी।

(5) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों का पंजीकरण कराये जाने हेतु प्रपत्र एस–1 में आवेदन भरकर एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित किया जायेगा। किसी अधिष्ठान में कार्यरत सभी कर्मचारियों के आवेदन–पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा जनपद कोषागार को दो प्रतियों में प्रेषित किये जायेंगे तथा एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जनपद कोषागार द्वारा आवेदन पत्र की एक प्रति एन0एस0डी0एल0 को सीधे तथा एक प्रति कोषागार में आहरण एवं वितरण अधिकारीवार गार्ड फाइल में रखी जायेगी। एन0एस0डी0एल0 द्वारा कर्मचारियों को परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नम्बर (पी0आर0ए0एन0) आवंटित किया जायेगा जिसकी एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। किसी माह में खोले गये नये पी0आर0ए0एन0 की संख्या की आहरण वितरण अधिकारीवार सूची तैयार कर कोषागारों द्वारा अगले माह की दसवीं तारीख तक निदेशक, पेंशन को भेजे दी जायेगी।

## नयी पेंशन योजना का सामान्य स्वरूप

(6) नई पेंशन योजना में दो टियर : टियर–I तथा टियर–IIहोंगे टियर–Iमें समस्त आच्छादित कर्मचारियों द्वारा अनिवार्यतः अंशदान किया जायेगा जबकि टियर–II में अंशदान पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

(7) टियर–I में प्रतिमाह मूल वेतन, ग्रेड पे एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान किया जायेगा। इस अंशदान की कटौती कर्मचारी के वेतन से आहरण एवं वितरण अधिकारी/ कोषागारों/अन्य भुगतान कार्यालयों द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान किया जायेगा।

(8) टियर–I में किये जाने वाले अंशदान (निवेश से प्राप्त आय सहित) अनिष्कासनीय पेंशन खाते में जमा होगी। टियर–II में किये जाने वाले अंशदान एक अलग खाते में रखे जायेंगे जिसमें से धनराशि का निष्कासन सम्बन्धित कर्मचारी के विकल्प पर अनुमन्य होगा। टियर–II में सरकार द्वारा कोई भी अंशदान नहीं किया जायेगा।

(9) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी के वेतन से सामन्य भविष्य निधि के लिए कटौतियाँ की गयी हों तो कटौतियों की राशि सम्बन्धित कर्मचारी को ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

(10) सामूहिक बीमा योजना के लिए पूर्व व्यवस्था के अनुसार कटौती की जायेगी।

(11) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन आहरण के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो दिनांक 14 अगस्त, 2008 के कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–2(6), (7), (8) तथा (9) में दी गयी है, परन्तु इण्डेक्स नम्बर के स्थान पर एन0एस0डी0एल0 द्वारा आवंटित पी0आर0ए0एन0 का उल्लेख किया जायेगा। किसी कर्मचारी को आवंटित पी0आर0ए0एन0, उसकी सेवा पर्यन्त अपरिवर्तनीय होगा। स्थानान्तरण की दशा में कर्मचारी के अन्तिम वेतन प्रमाणक में उसके पी0आर0ए0एन0 तथा अन्तिम अंशदान की तिथि एवं धनराशि का उल्लेख किया जायेगा।

(12) वेतन बिल से पेंशन के अंशदान हेतु की गयी कटौती की धनराशि पूर्व की भांति राज्य सरकार के लोक लेखा के निम्नांकित लेखाशीर्ष में अन्तरण द्वारा जमा की जायेगी –

''8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान– टियर–I"

अभिदाताओं टियर–II में किये जाने वाले अंशदान की कटौती की राशि बुक ट्रांसफर द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी –

''8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–04–राजकीय कर्मचारियों का अंशदान– टियर–II"

(13) राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान निम्नांकित लेखाशीर्ष से आहरति किया जायेगा –

''2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान–03–राज्य सरकार का अंशदान–01–राजकीय कर्मचारी–टियर–I–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता''।

उपरोक्त लेखाशीर्ष से नियोक्ता अंशदान आहरित कर बुक ट्रांसफर द्वारा निम्नांकित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा –

''8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–02 राज्य सरकार/नियोक्ता का अंशदान–टियर–I"

## अंशदान सम्बन्धी विवरण एवं धनराशियों का सम्प्रेषण

(14) अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान का सी0आर0ए0 सिस्टम में अपलोड करने हेतु प्रथम चरण में अर्द्धकेन्द्रीकृत मॉडल अंगीकृत किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कोषागार द्वारा अभिदाताओं के वेतन से की जाने वाली मासिक अंशदान कटौतियों की अभिदाता अंशदान फाइल (एस0सी0एफ0) तैयार कर केन्द्रीय न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीब्यूशन्स अकाउण्टिंग नेटवर्क (एन0पी0एस0सी0ए0एन0) प्रणाली में अपलोड की जायेगी।

(15) अभिदाता अंशदान फाईल अपलोड हो जाने के उपरान्त, माह में पारित समस्त वेतन बिलों से की गयी अंशदान की कटौती का विवरण प्रत्येक कोषागार द्वारा आगामी माह की दसवीं तारीख तक निदेशक, पेंशन को ई–मेल द्वारा एवं हार्डकापी पर प्रेषित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक इनपुट का प्रारूप अलग से जारी किया जायेगा। निदेशक, पेंशन द्वारा अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि ट्रस्टी बैंक को एन0पी0एस0 ट्रस्ट अकाउण्ट के पक्ष में हस्तान्तरित की जायेगी।

(16)अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की समेकित धनराशि निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक–बैक ऑफ इण्डिया को एन0पी0एस0 ट्रस्ट अकाउण्ट के पक्ष में बैंक

ड्राफ्ट / आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 द्वारा अन्तरित की जायेगी। ट्रस्टी बैंक धनराशियों का अन्तरण करने के पूर्व निदेशक, पेंशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कोषागारों द्वारा एन0पी0एस0सी0ए0एन0 में अपलोड किया गया विवरण तथा कोषागारों द्वारा निदेशक, पेंशन को प्रेषित इनपुट / सूचना में अंशदान की राशियों में भिन्नता नहीं है। कोषागारों से प्राप्त सूचना की जाँच के लिए निदेशक, पेंशन, एन0एस0डी0एल0 से कोषागारवार अंशदान की कुल राशि, कर्मचारियों की संख्या तथा आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या का विवरण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार राशियों का शत–प्रतिशत मिलान हो जाने के उपरान्त ही अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशियों का अन्तरण निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक को किया जायेगा।

(17) कर्मचारियों का पंजीकरण पूर्ण हो जाने पर, उनके वेतन से की गयी पूर्व में कटौतियों की राशि का संकलित विवरण सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषागारों द्वारा तैयार कर निदेशक, पेंशन को कर्मचारियों के पी0आर0ए0एन0 के साथ प्रेषित किया जायेगा। एन0पी0एस0सी0ए0एन0 प्रणाली में नियमित अपलोड तथा निधियों का अन्तरण प्रारम्भ होने के उपरान्त निदेशक, पेंशन द्वारा पूर्व में की गयी कटौतियों तथा नियोक्ता अंशदान की संहत धनराशि ट्रस्टी बैंक को एकमुश्त अथवा किश्तों में अन्तरित की जायेगी।

## अंशदान की धनराशियों का पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य आवंटन

(18) पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा नियुक्त पेंशन निधि प्रबन्धकों में से राज्य सरकार किसी ऐसे एक अथवा अधिक निधि प्रबन्धकों की सेवायें ले सकेगी जो नई पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

(19) विभिन्न पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य पेंशन निधियों के आवंटन (Allocation) का अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा तद्नुसार एन0एस0डी0एल0, एन0पी0एस0 ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक को सूचित किया जायेगा।

(20) वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिये तीन पेंशन निधि प्रबन्धक, पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा नियुक्त हैं। भारतीय स्टेट बैंक, यू0टी0आई0 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम दिनांक 1 जुलाई, 2011 से पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये, पेंशन निधियों का आवंटन उपर्युक्त तीनों पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य क्रमशः 31 प्रतिशत, 35.5 प्रतिशत तथा 33.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(21) अतः उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नई पेंशन योजना के अभिदाताओं के लिये पेंशन निधियों का आवंटन उपर्युक्त अनुपात में ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा इस अनुपात में परिवर्तन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा भी उसी अनुपात को अंगीकृत किया जायेगा।

5–नयी पेंशन योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित समय–सारिणी का कड़ाई से पालन किया जाये –

(i) माह में खोले गये नये पी0आर0ए0एन0 की संख्या की आहरण एवं वितरण अधिकारीवार सूचना कोषागारों द्वारा अगले माह की दसवीं तारीख तक निदेशक, पेंशन को भेजी जायेगी।

(ii) माह में कोषागारों द्वारा की गयी अभिदाता अंशदान की कटौतियों का आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संहत विवरण कोषागारों द्वारा अगले माह की दसवीं तारीख तक निर्धारित इनपुट प्रारूप पर निदेशक, पेंशन को ई–मेल द्वारा तथा हार्ड कापी में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(iii) कोषागारों द्वारा माह में एन0पी0एस0सी0ए0एन0 पर अपलोड किये गये विवरण के सम्बन्ध में, निदेशक, पेंशन एन0एस0डी0एल0 से कोषागारवार आहरण एवं वितरण अधिकारीवार अभिदाता अंशदान की सूचना अगले माह की दसवीं तारीख के पूर्व ही प्राप्त करेंगे।

(iv) किसी माह के लिये कोषागारों एवं एन0एस0डी0एल0 द्वारा निदेशक, पेंशन को प्रेषित सूचनाओं का मिलान निदेशक, पेंशन द्वारा अगले माह की पन्द्रहवीं तारीख तक कर लिया जायेगा।

(v) मिलान के तीन दिन के अन्दर अर्थात् अगले माह की अट्ठारहवीं तारीख तक अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशियों का अन्तरण निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक को कर दिया जायेगा।

6–अभिदाता का पंजीकरण हो जाने तक वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार पेंशन अंशदान की कटौती की जाती रहेगी। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जायेंगे तथा पेंशन निदेशालय द्वारा अब इन संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु इन्डेक्स नम्बर जारी नहीं किये जायेंगे।

7–नई पेंशन योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु कोषागार, निदेशक, पेंशन के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(वृन्दा सरूप),
प्रमुख सचिव।

———

CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY

DIRECTORATE OF TREASURY AND ACCOUNTS REGISTRATION FORM

[To avoid mistake(s), please read the accompanying instructions carefully before filling up the form]

*Form is to be used for the purpose of registration of Directorate of Treasury and Accounts (DTA) and equivalent entities in State Governments and Union territories.*

DTA Registration Number :
(To be allotted by CRA)

We are pleased to inform you that our Directorate of Treasury and Accounts has decided to join the New Pension System. The details required for registration in the CRA system are provided below:

1. DTA AIN (Optional) : (Refer to instruction No. 6)

2. Name ofOffice* :

3. Office Address* :

Flat/Unit No./Block no.*

Name of Premise/Building/Village

Area/Locality/Taluka

District/Town/City*

State/Union territory*

Country*

Pin code

Phone No. *

(STD code) (Phone No.)

Alternate phone No. :

Fax No. :

4. Official email ID* : (Refer to instruction No. 7)

5. Authorised contact person's designation *:

6. No. of DTOs attached* :

7. Name of the State Govt./Union Territory * :

Directorate of Treasury and accounts Office stamp and singature of authorised signatory

BankDetails* [Designated Bank Account for NPS] [Refer instruction no. 4]

Bank Account Type* Savings A/c Current A/c

Bank A/c Number*

Bank Name*

Bank Branch*

Bank Branch Address*

Pin code*

Bank Branch MICR Code*

Bank Branch IFSC (Indian Financial Systems Code)

I/We hereby agree and declare that the information provided in the application is complete and true.

I/We understand that there would be PFRDA approved *Terms and Conditions* on the CRA website *governing Nodal Officer's use of I-Pin (to view and transact online) to access CRA/NPSCAN*. I/We agree to be bound by the said terms and conditions and understand that CRA may, as approved by PFRDA, amend any of the services completely or partially without any new Declaration/Undertaking being signed.

| | |
|---|---|
| | Singature of Authorised Signatory<br>Name : ____________________ Place : __________<br>Designation : _______________ Date : ___________ |
| Directorate of Treasury and Accounts Stamp | |
| | |
| (To be filled at CRA) | Received on ______________________________<br>Name of the Officer ________________________<br>Signature of the officer _____________________ |
| CRA Stamp | |

**Instructions for filling the form :**

1. The form is to be submitted to the address–Central Recordkeeping Agency. National Securities Depository Limited, 4$^{th}$ Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013.

2. Form to be filled legibly in BLOCK LETTERS and in BLACK INK only.

3. The form should be filled up completely. Details marked with (*) are mandatory fields.

4. Bank details are mandatory if the DTA will remit the NPS contributions to the trustee bank (Bank of India) on behalf of District Treasury offices (DTOs).

5. Each box, wherever provided, should contain only one caracter (alphabet/number/ punctuation mark) leaving a blank box after each word.

6. AIN is Account Office Identification Number alloted by Income Tax Department.

7. Email ID should be official Email ID of the Directorate of Treasury and Accounts office and not of any individual person.

8. The application form in the prescribed format can be freely downloaded from the CRA website (http://www.npscra.nsdl.co.in).

9. For more information contact CRA at 022-24994200 or write to CRA at Central Recordkeeping Agency. National Securities Depository Limited, 4$^{th}$ Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013.

# CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY

## DISTRICT TREASURY OFFICE REGISTRATION FORM

[To avoid mistake(s), please read the accompanying instructions carefully before filling up the form]

*This form is to be used for the purpose of registration of District Treasury Office (DTO) and equivalent entities in State Government and Union territories.*

DTO Registration Number :
(To be allotted by CRA)

We are pleased to inform you that our District Treasury Office has decided to join the New Pension System. The details required for registration in the CRA system are provided below:

1. DTO AIN (Optional) : (Refer instruction No. 5)

2. Name of the Office* :

3. Office Address* :

Pin code

Phone No. * (STD code) (Phone No.)

Alternate phone No. :

Fax No. :

4. Official Email ID* (Refer instruction No. 6)

5. Authorised contact penson's designation *:

6. Existing DTO code* : (Refer instruction no. 7)

7. DTA Registration Number* : (Refer instruction no. 8)

8. Name of the Stae Govt./Union Territory * :

DTO stamp and
Singature of authorised signatory

# CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY

## DISTRICT TREASURY OFFICE REGISTRATION FORM

[To avoid mistake(s), please read the accompanying instructions carefully before filling up the form]

*This form is to be used for the purpose of registration of District Treasury Office (DTO) and equivalent entities in State Government and Union territories.*

DTO Registration Number :
(To be allotted by CRA)

We are pleased to inform you that our District Treasury Office has decided to join the New Pension System. The details required for registration in the CRA system are provided below:

1. DTO AIN (Optional) : (Refer instruction No. 5)
2. Name of the Office* :
3. Office Address* :

Flat/Unit No./Block no.*

Name of Premise/Building/Village

Area/Locality/Taluka

District/Town/City*

State/Union territory*

Country*

Pin code

Phone No. *

(STD code) (Phone No.)

Alternate phone No. :

Fax No. :

4. Official Email ID* (Refer instruction No. 6)
5. Authorised contact person's designation *:
6. Existing DTO code* : (Refer instruction no. 7)
7. DTA Registration Number* : (Refer instruction no. 8)

8. Name of the State Govt./Union Territory * : ____________

DTO stamp and
Signature of authorised signatory

Bank Details* [Designated Bank Account for NPS] [Refer instruction no. 4]

Bank Account Type* Savings A/c ☐ Current A/c ☐

Bank A/c Number*

Bank Name*

Bank Branch*

Bank Branch Address*

Pin code*

Bank Branch MICR Code*

Bank Branch IFSC (Indian Financial Systems Code)

I/We hereby agree and declare that the information provided in the application is complete and true.

I/We understand that there would be PFRDA approved *Terms and Conditions* on the CRA website *governing Nodal Officer's use of I-Pin (to view and transact online) and T-Pin to access CRA/NPSCAN*. I/We agree to be bound by the said terms and conditions and understand that CRA may, as approved by PFRDA, amend any of the services completely or partially without any new Declaration/Undertaking being signed.

| | |
|---|---|
| DTO Stamp | Signature of Authorised Signatory of DTO<br>Name : ____________ Place : ________<br>Designation : ____________ Date : ________ |

| | |
|---|---|
| DTA Stamp | Signature of Authorised signatory of DTA<br>Name : ____________ Place : ________<br>Designation : ____________ Date : ________ |
| DTA Reg. No.<br>(Allotted by CRA)<br>(Refer instruction no. 8)<br>(To be filled at CRA)<br>CRA Stamp | Received on : ____________<br>Name of the officer : ____________<br>Signature of the officer : ____________ |

**Instructions for filling the form :**

1. The form is to be submitted to the address–Central Recordkeeping Agency. National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013.

2. Form to be filled legibly in BLOCK LETTERS and in BLACK INk only.

3. Each box, wherever provided, should contain only one Character (alphabet/number/ punctuation mark) leaving a blank box after each word. Details marked with (*) are mandatory fields.

4. Bank details are mandatory if the DTO will remit the NPS contributions to the trustee bank (Bank of India).

5. AIN is the Account Identification Number alloted by Income Tax Department.

6. E-mail ID should be the official E-mail ID of the DTO and not of any individual person.

7. Kindly mention the DTO code allotted by the respective State Government/Union Territory. If DTO code is less than sixdigits Prefix zeros to make a six digit number, For

e.g.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |

8. Kindly mention DTA Reg. No. allotted by CRA to the Directorate of Treasury and Accounts.

9. Form has to be duly authorised by DTA registered at CRA. Till it has been registered, it shall retain the forms.

10. The application form in the prescribed format can be freely downloaded from the CRA website (http://www.npscra.nsdl.co.in).

11. For more information contact CRA at 022-24994200 or write to CRA at Central Recordkeeping Agency. National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013.

---

## CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY

### DDO REGISTRATION FORM

[To avoid mistake(s), please read the accompanying instructions carefully before filling up the form]

*This form is to be used for the purpose of registration of Drawingand DisbursingOffice (DDO) and equivalent entities in State Governments and Union territories.*

DDO Registration Number :
(To be allotted by CRA)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

We are pleased to inform you that our *Drawing and Disbursing* Office has decided to join the New Pension System. The details required for registration in the CRA system are as provided below:

1. DDO ATN (Optional) :
(Refer to instruction No. 11)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

2. Name of the DDO Office* :

3. DDO Address* :

Flat/Unit No./Block no.*

Name of Premise/Building/Village

Area/Locality/Taluka

District/Town/City*

State/Union Territory*

Country*

Pin code

Phone No. *

(STD code) (Phone No.)

Alternate Phone No. :

4. Official Email ID* (Refer to instruction No. 5)

5. Authorised contact person's designation *:

6. Name of the Department :

7. (a) Name of the Ministry * : (Refer to instruction No. 6)

DDO Stamp and signature of Authorised Signature

(b) Existing DDO Code * : (Refer instruction no. 7)

8. DTO Registration Number * : (Refer instruction no. 7)
(To be filled by DTO)

9. Name of the State Govt./Union Territory * :

I/We hereby agree and declare that the information provided in the application is complete and true.

| | | |
|---|---|---|
| | Signature of Authorised Signatory of DDO | Date :<br>Place : |
| DDO Stamp | | |
| Name of Authorised Signatory : | | |

| | | |
|---|---|---|
| To be attested by DTO | Signature of Authorised Signatory | Date :<br>Place :<br>Name of Authorised Signatory : |
| DTO Stamp | | |
| DTO Reg. No. (Allotted by CRA) | | |
| (Refer instruction no. 9) | | |
| (To be filled at CRA)<br>CRA Stamp | Received on ____________<br>Name of the officer : ____________<br>Signature of the officer : ____________ | |

**Instructions for filling the form :**

1. The form is to be submitted to the address–Central Recordkeeping Agency. National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013.

2. Form to be filled legibly in BLOCK LETTERS and in BLACK INK only.

3. The form should be filled up completely. Details marked with (*) are mandatory fields.

4. Each box, wherever provided, should contain only one Character (alphabet/number/ punctuation mark) leaving a blank box after each word.

5. Email ID should be the official Email ID of the Drawing and Disbursing Officer and not of any individual person.

6. Kindly provide Name of the Ministry under which DDO office is functioning.

7. Kindly mention the DDO code allotted by the respective State Government/Union Territory.

8. Kindly mention DTO Registration No. allotted by CRA to the District Treasury Officer.

9. Form has to be duly authorised by DTO registered at CRA. Till it has been registered, it shall retain the forms.

10. The application form in the prescribed format can be freely downloaded from the CRA website (http://www.npscra.nsdl.co.in).

11. TAN is the Tax Deduction and Collection Account Number allotted by Income Tax Department. New TAN is a character alphanumeric number with the following structure :

First four digits (Alphabets), Next Five digits (Numeric) and last digit (alphabets).

It is advisable that DDO verifies from the Income Tax website whether TAN has been alloted as per the new format.

12. For more information contact CRA at 022-24994200 or write to CRA at Central Recordkeeping Agency. National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013.

---

**Application for allotment of permanent Retirement Account Number (PRAN)**

[To avoid mistake(s), please follow the accompanying instructions and examples carefully before filling up the form]

Acknowledgement Number : (To be be filled by FC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Permanent Retirement Acount Number: (To be filled by FC after PRAN generation) | | | | | | | | | | | | |

To affix recent Coloured photograph (3.5cmx2.5cm)

Signature/Left Thumb Impression of Subscriber in black ink

Sir/Madam,

I hereby request that a permanent retirement account number be allotted to me.

I give below necessary particulars :

Section A- Subscribers Personal Details (* Indicates Mandatory Field)

1. Full Name (Full expanded name : initials are not permitted)

Please Tick as applicable : Sri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐

First Name *

Middle Name

Last Name

2. Gender *: Please Tick as applicable : Male ☐ Female ☐

3. Date of Birth* D D M M Y Y Y Y    4. PAN

(Date of Birth to be Certified by DDO)

5. Father's Full Name :

First Name *

Middle Name

Last Name

6. Present Address* :

Flat/Unit No./Block no.*

Name of Premise/Building/Village

Area/Locality/Taluka

District/Town/City*

State/Union Territory*

Country*

Pin code*

7. Permanent Address* : If same as above, Please Tick ☐ else.

Flat/Unit No./Block no.*

Name of Premise/Building/Village

Area/Locality/Taluka

District/Town/City*

State/Union Territory*

Country*

Pin code*

8. Phone No. *

(STD code) (Phone No.)

9. Mobile No.

10.

email-ID

11. Subscribers Bank Details :Please refer instruction no. 4 Tick Savings A/c ☐ Current A/c ☐

Bank A/c Number

Bank Name and Branch

Bank Branch

Bank Address

Pin code*

Bank MICR Code (Wherever applicable)

12. Value Added Services : (i) SMS Alert Yes ☐ No ☐

(ii) Email Alert Yes ☐ No ☐

I ________________________________________, the applicant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Date : D D M M Y Y Y Y

Section B- Subscribers Employment Details to be filled and attested by DDO (All Details are Mandatory)

1. Date of Joining D D M M Y Y Y Y 2. Date of Retirement D D M M Y Y Y Y

3. PPAN (Please refer to instructions no. 5)

4.Group of the Employee (Please Tick) Group A ☐ Group B ☐ Group C ☐ Group D ☐

5. Office :

6. Department :

7. Ministry :

8. DDO Registraion number : 9. DTO Registration number :

(Please refer to instruchion no. 6)

10. Basic Salary :

11. Pay Scale :

Certified that the above declaration has been signed/thumb impressed before me by

| | | |
|---|---|---|
| ___________________________________________ after he/she has read the entries/ entries have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her. Also certified that the date of birth and details is as per employee records available with the Department. | | |
| | | |
| Signature of the Authorised Person | | Rubber Stamp of the DDO |
| Designation of the Authorised Person _______________________________________ | | |

Date : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Name of the DDO :___________________

D D M M Y Y Y Y

Department , Ministry : ___________________

Section C - Subscriber's Nomination Details (*Indicates Mandatory Field for nominee)

1. Details of the Nominiee * :

| 1st Nominee | 2nd Nominee | 3rd Nominee |
|---|---|---|
| First Name | First Name | First Name |
| | | |
| | | |
| Middle Name | Middle Name | Middle Name |
| | | |
| | | |
| Last Name | Last Name | Last Name |
| | | |
| | | |

2. Date of Birth (in case of minor)*

| 1st Nominee | | 2nd Nominee | | 3rd Nominee | |
|---|---|---|---|---|---|

3. Relationship with the nominee*

| 1st Nominee | 2nd Nominee | 3rd Nominee |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

4. Percentage Share*

| 1st Nominee | | 2nd Nominee | | 3rd Nominee | |
|---|---|---|---|---|---|

5. Nominee's Guardian Details (in case of a minor)*

| 1st Nominee Guardian details | 2nd Nominee Guardian details | 3rd Nominee Guardian details |
|---|---|---|
| First Name | First Name | First Name |
| | | |
| | | |
| Middle Name | Middle Name | Middle Name |
| | | |
| | | |
| Last Name | Last Name | Last Name |
| | | |
| | | |

6. Conditions rendering nomination invalid :

| 1st Nominee | 2nd Nominee | 3rd Nominee |
|---|---|---|
| | | |

Section -D - Subscriber Scheme Details

| 1st Scheme<br>Pension Fund Managers Name/Code | 2nd Scheme<br>Pension Fund Managers Name/Code | 3rd Scheme<br>Pension Fund Managers Name/Code |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Scheme ID No./Name | Scheme ID No./Name | Scheme ID No./Name |
| | | |
| | | |
| Percentage Share | Percentage Share | Percentage Share |
| % | % | % |

Section E- Declaration

I understand that there would be PFRDA approved *Terms and Conditions* for Subscribers on the CRA wesbsite governing Pin (to access CRA/NPSCAN and View details) and T-pin. I agree to be bound by he said terms and conditions and understand that CRA may, as approved by PFRDA, amend any of the services completely or partially without any Declaration/Undertaking being signed.

I ___________________________________ the applicant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

| Date : | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

Signature/Left Thumb Impression of Subscriber

INSTRUCTIONS FOR FILLING PRAN FORM

(a) This form is to be used by State Governments and Union Territories employees.

(b) Form to be filled legibly in BLOCK LETTERS and in BLACK INK only .

(c) Details Marked with (*) are the mandatory fields.

(d) Each box wherever provided, should contain only one character (alphabet/number/punctuation mark) leaving a blank box after each word.

(e) 'Individual' Subscriber should affix a recent colour photograph (size 3.5cm x 2.5cm) in the space provided on the form. The photograph should not be stapled or clipped to the form. (The clarity of image on PRAN card will depend on the quality and clarity of photograph affixed on the form).

(f) Signature/Left thumb impression should only be within the box provided in the form. The signature should not be on the photograph. If there is an mark on the photograph such that it hinders the clear visibility of the face of the Subscriber the application will not be accepted.

(g) Thumb impression, if used, should be attested by a magistrate or a Notary Public or a Gazetted Officer under official seal and Stamp.

| Sl. No. | Item No. | Item Details | Guidelines for Filling the form |
|---|---|---|---|
| Section A - Subscribers Personal Details | | | |
| 1 | 3 | Date of Birth | All Dates Should be in "DDMMYYYY" Format |
| 2 | 6 | Present Address | All future communications will be sent to present address |
| 3 | 8, 9, 10 | Phone No., Mobile No. and Email ID | It is advisable to mention either "Telephone number" or "Mobile number" or "Email ID" so that subscriber can be contacted in future for any discrepancy. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 11 | Subscriber's Bank Details | If subscribers mentions any of the bank details, except MICR Code all the bank details will be mandatory. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section B - Subscribers Employment Details | | | |
| It is mandatory to fill the Subscriber's Employment details in the application. The employment details should be filled by the respective DDO of the Subscriber and should be verified by the Authorised Signatory.<br>DDO should ratify Overwriting/Striking off of any of the employment details. | | | |
| 5 | 3 | PPAN | Kindly provide the PPAN (Permanent Pension Account Number) or equivalent number, if it has been allotted to the subscriber by the respective State Government/Union Territory. |
| 6 | 8 and 9 | DTO Reg. No. and DDO Reg. No. | DTO Reg. No. and DDO Reg. No. is the unique Registration number allotted by Central Recordkeeping Agency. |
| Section C - Subscriber's Nomination Details | | | |
| 7 | 4 | Percentage Share | Subscriber can nominate maximum of three nominees.<br>Subscriber can not fill the same nominee details more than once.<br>Percentage share value for all the nominees must be integer. Fractional value will not be accepted.<br>Sum of percentage share across all the nominees must be equal to 100. If sum of percentage is not equal to 100. entire nomination will be rejected. |
| 8 | 5 | Nominee's Guardian Details | If a nominee is a minor, then nominee's guardian details will be mandatory. |
| Section D - Subscriber Scheme details | | | |
| If the Subscriber is unable to mention the Scheme details *i.e.* PFM Name, Scheme Name and Percentage Allocation he can contact the near Facilitation Center (FC) for information or the Subscriber can also search for the scheme details on http.//www.npscra.nsdl.co.in. | | | |
| 9 | Scheme | Subscriber can select maximum three schemes. Details of the schemes are available on http://www.npscra.nsdl.co.in.<br>Subscriber can not fill the same scheme details more than once.<br>If a scheme name is filled in the form for scheme setup there must be a PFM name and percentage contribution filled for that scheme<br>If the Scheme details are not filled, default scheme as approved by PFRDA will be applicable. | |
| 10 | Percentage Share | Scheme Contribution value will be in terms of percentage. It cannot be in terms of amount.<br>Percentage contribution value for all be schemes must be integer. Fractional value will not be accepted.<br>If the sum of contributions (in percentage) across all the schemes is not equal to 100, the balance will be allotted to the default scheme approved by PFRDA. | |

GENERAL INFORMATION FOR PRAN SUBSCRIBERS

(a) Subscribers can obtain the application form for PRAN in the format prescribed by PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) from DDO or can freely download from the CRA website (http://www.npscra.nsdl.co.in).

(b) The request for a reprint of PRAN card with the same PRAN details or/and changes or correction in PRAN data can be made by filling 'Request for change/correction in subscriber master details and/or re-issue of I-Pin/T-Pin/PRAN crad' or/and 'Request For change signature and/or change in photograph'. The form is available from the sources mentioned in (a) above.

(c) The Subscriber can obtain the status of his/her application from the CRA website or through the respective DTO.

(d) For more information :

Visit us at http://www.npscra.nsdl.co.in

Call us at 022-24994200

e-mail us at info.cra@nsdl.co.in

Write to Central Recordkeeping Agency. National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013.

संख्या–सा–3–1118 / दस–2011–301(09)–2003टी.सी.

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2011

**विषय** :–अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9) / 2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित शिक्षण संस्थाओं / स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भाँति पेंशन योजना लागू थी, में नव नियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये है, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त–पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत थे। इन मामलों में यह जिज्ञासायें की जा रही है, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण अधोलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाए–

(1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं / स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे।

(2) यदि केन्द्र सरकार / उपरिसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) की नई पेंशन संरचना के अधीन कार्यरत था, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

(3) यदि केन्द्र सरकार / पूर्वसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित था तथा उत्तर प्रदेश के अधीन नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश में लागू पुरानी पेंशन

योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह नई पेंशन योजना से निकासी कर ले।

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे हों अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)

प्रमुख सचिव, वित्त।

———

सा–3–1606 / दस–2011–301(09)–2003–टी.सी.

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर, 2011

**विषय :– नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।**

शासनादेश संख्या सा–3–1671 / दस–2010–301(09) / 2003–टी.सी0, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में यह व्यवस्था की गयी है ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, कि पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व योगदान किया था तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात राज्य सरकार की अथवा शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग–पत्र देकर नियुक्त होते है, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छाादित माने जायेगे जिस पेंशन योजना से वे दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

2– उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में शासन से यह मार्गदर्शन मांगा जा रहा है कि जो कर्मचारी राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त हो चुकें थे तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन बाद में सेवा में आये हैं, वे कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता ग्रहण करेंगे अथवा नहीं।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16–9–2010 से आच्छादित कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता यथावत् रहेगी यदि किसी कर्मचारी को पूर्व में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित नहीं हो सका था तो उसे यथाविहित प्रक्रियानुसार सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या महालेखाकार द्वारा आवंटित किया जायेगा।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)

संयुक्त सचिव।

———

संख्या–सा–3–1613 / दस–2011–301(09)–2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2011

**विषय** :– दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से लागू नई परिभाषित अंशदान पेंशन पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु / विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में।

महोदय,

केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–38 / 41 / 061पी0 एण्ड पी0डब्लू (ए) दिनांक 05 मई, 2009 के द्वारा, केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नई पेंशन योजना से आच्छादित है, के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट / विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के अनुरूप, अग्रेतर आदेशों तक, राज्यसरकार के ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित है,, को / उनके आश्रितों को अधोलिखित लाभ राज्य सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए विकलांगता के कारण सेवानिवृत्ति–
(i) संगत नियमों के अधीन अपंगता पेंशन।
(ii) संगत नियमों के अधीन रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी।

(2) शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु–
(i) संगत नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन।
(बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन को सम्मिलित करते हुए)।
(ii) संगत नियमों के अधीन मृत्यु आनुतोषिक।

(3) शासकीय ड्यूटी पर न रहते हुए चोट / बीमारी के कारण सेवानिवृत्ति–
(i) असाधारण पेंशन नियमों के अन्तर्गत विकलांगता पेंशन।
(ii) असाधारण पेंशन नियमों के तहत रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी।

(4) शासकीय ड्यूटी पर मृत्यु–
(i) असाधारण पेंशन नियमावली के तहत असाधारण पारिवारिक पेंशन।
(ii) संगत नियमों के अधीन मृत्यु आनुतोषिक।

उपरोक्त लाभों पर, समय समय पर लागू महंगाई पेंशन / महंगाई राहत यथा अनुमन्यता देय होगी।

2–किसी कर्मचारी अथवा उसके परिवार को इन आदेशों के तहत स्वीकृत लाभों का भविष्य में, नयी पेंशन योजना से प्राप्त होने वाले लाभों में से उसी रीति से समायोजन किया जायेगा जैसी इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार / पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा निर्धारित की जाये।

यह आदेश दिनाँक 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी माने जायेंगे।

भवदीया,
वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव।

——————

संख्या-सा—3—1718 / दस—2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय / विधान सभा / विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।
2—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3—महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4—समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।
5—निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6—निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7—समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8—समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊ, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

**विषय :—नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—सा—3—379 / दस—2005—301(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा नयी पेंशन योजना लागू की गयी है तथा अधिसूचना संख्या—सा—3—470 / दस—2005—301(9) / 2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2005 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस योजना से आच्छादित कर्मचारीगण सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता नही ग्रहण करेंगे।

2—नयी पेंशन योजना के अधीन, सामान्य भविष्य निधि के समानान्तर व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार से जिज्ञासायें की जा रही हैं।

3—इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना में दो प्रकार के खाते होंगे—

(I) टियर—I खाता—जो पूर्णतया पेंशन हेतु होगा तथा अनिवार्य होगा। इस खाते में जमा धनराशि का निष्कासन सेवानिवृत्ति के पूर्व नहीं किया जा सकेगा। सेवानिवृत्ति होने पर, इस खाते में जमा धनराशि के 60 प्रतिशत अंश का एक मुश्त भुगतान कर्मचारी / उसके आश्रितों को किया जायेगा एवं शेष 40 प्रतिशत अंश का निवेश केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त जीवन बीमा कंपनी की वार्षिकी का क्रय करने में किया जायेगा जिससे कर्मचारी / उसके आश्रितों के लिये पेंशन की व्यवस्था होगी। सेवानिवृत्ति के पूर्व ही टियर—I खाता छोड़ने पर अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश जमा राशि का 80 प्रतिशत होगा।

(II) टियर—II खाता—जो वैकल्पिक होगा तथा जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से अंशदान कर सकेगा एवं आवश्यकतानुसार इस खाते से धन का निष्कासन भी कर सकेगा। इस खाते में सरकार / नियोक्ता द्वारा अंशदान नहीं किया जायेगा, तथा खाते में जमा राशि का निवेश पेंशन के प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा।

4—नयी पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) के रूप में अनुबन्धित किया गया है। निधियों के प्रबंधन हेतु बैंक ऑफ इण्डिया, ट्रस्टी बैंक, तथा भारतीय स्टेट बैंक, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन निधि प्रबन्धक (पी0एफ0एम0) के रूप में नियुक्त है।

5— टियर—II खाता एन0एस0डी0एल0 के स्थानीय अभिकर्ता, जिन्हे प्वॉइण्ट्स आफ प्रीजेन्स (पी0पी0ओ0) कहा गया है, में खाता खोला जाना होगा, तथा इस खाते में कर्मचारियों द्वारा स्वयं धनराशि जमा करायी जानी होगी। टियर—II खाते में धनराशि जमा किये जाने के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। कर्मचारी अपनी सुविधा एवं विवेकानुसार इस खाते में स्वेच्छा से धनराशि जमा करेगा।

टियर–II खाते का प्रबन्धन तथा संचालन एन0एस0डी0एल0 तथा पेंशन निधि प्रबन्धकों द्वारा, केन्द्र सरकार की संस्था पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार, किया जायेगा। टियर–II खाते से किये गये निवेश पर अर्जित आय भी टियर–II खाते में जमा की जायेगी।

भवदीया,
वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त।

——————

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा0–3–380 / दस–2012–301(09)–2011
लखनऊः दिनांक 22 फरवरी, 2012

—————

**कार्यालय–ज्ञाप**

राज्य सरकार के सेवा में तैनात, नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सी0आर0ए0 सिस्टम में पंजीकरण तथा पेंशन अंशदान के सम्प्रेषण संबंधी कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1066 / दस–2011–301(09)–2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 में कतिपय संशोधन करते हुये उक्त कार्यालय–ज्ञाप के प्रस्तर–(13) एवं (17) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

| **वर्तमान व्यवस्था** | **संशोधित व्यवस्था** |
|---|---|
| (13) दिनांक 1 जनवरी, 2004 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त समस्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा अनुलग्नक–1 पर पंजीकरण प्रपत्र भरे जायेंगे। | (13) दिनांक 1 जनवरी, 2004 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त समस्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा प्रपत्र एस–1 पर पंजीकरण प्रपत्र भरे जायेंगे। |
| (17) निदेशक पेंशन को कोषागारों / भुगतान कार्यालयों से सूचना प्राप्त हो जाने के उपरान्त निदेशक, पेंशन द्वारा NPSCAN में अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान से सम्बन्धित आंकड़े अपलोड किये जायेंगे। अपलोडिंग पूर्ण हो जाने के उपरान्त ट्रान्जेक्शन आई डी प्राप्त होगी। निदेशक, पेंशन अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान की संहत राशि सम्बन्धित लेखाशीर्ष से आहरित कर, धनराशि ट्रस्टी बैंक–बैंक ऑफ इण्डिया के पक्ष में ड्राफ्ट / आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 द्वारा सम्प्रेषित करेंगे। | (17) अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान का सी0आर0ए0 सिस्टम में अपलोड करने हेतु प्रथम चरण में अर्द्धकेन्द्रीकृत माडल अंगीकृत किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक कोषागार / वेतन भुगतान कार्यालय द्वारा अभिदाताओं के वेतन से की जाने वाली मासिक अंशदान कटौतियों की अभिदाता अंशदान फाइल (एस0सी0एफ0) तैयार कर केन्द्रीय न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीब्यूशन एकाउन्टिंग नेटवर्क (ए0पी0एस0सी0ए0एन0) प्रणाली में अपलोड की जायेगी। अभिदाता अंशदान फाइल अपलोड हो जाने के उपरान्त, माह में पारित समस्त वेतन बिलों से की गयी अंशदान की कटौती का विवरण प्रत्येक कोषागार / वेतन भुगतान कार्यालय द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक निदेशक, पेंशन को ई–मेल द्वारा एवं हार्ड कापी पर प्रेषित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक इनपुट का प्रारूप अलग से जारी किया जायेगा। निदेशक, पेंशन |

| वर्तमान व्यवस्था | संशोधित व्यवस्था |
|---|---|
| | द्वारा अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि ट्रस्टी बैंक को एन0पी0एस0 ट्रस्ट अकाउन्ट के पक्ष में हस्तान्तरित की जायेगी।<br>अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की समेकित धनराशि निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक–बैंक ऑफ इण्डिया को एन0पी0एस0 ट्रस्ट अकाउन्ट के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/ आर0टी0जी0एस0/एन0ई0 एफ0टी0 द्वारा अन्तरित की जायेगी। ट्रस्टी बैंक को धनराशियों का अन्तरण करने के पूर्व निदेशक, पेंशन यह सुनिश्चित करेंगे कि कोषागारों द्वारा एन0पी0एस0सी0ए0एन0 में अपलोड किया गया विवरण तथा कोषागारों/ वेतन भुगतान कार्यालयों द्वारा निदेशक, पेंशन को प्रेषित इनपुट/सूचना में अंशदान की राशियों में भिन्नता नहीं है। कोषागारों से प्राप्त सूचना की जांच के लिये निदेशक, पेंशन एन0एस0डी0एल0 से कोषागारवार अंशदान की कुल राशि, अभिदाताओं की संख्या तथा आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या का विवरण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार राशियों का शत प्रतिशत मिलान हो जाने के उपरान्त ही अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशियों का अन्तरण निदेशक, पेंशन द्वारा ट्रस्टी बैंक को किया जायेगा। |

कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1066/दस–2011–301(09)–2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त कार्यालय–ज्ञाप की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,
वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव।

\-\-\-\-\-

संख्या–सा–3–485 / दस–2012–301(9) / 2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 16 मार्च, 2012

**विषय** :–नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन बिल माह अप्रैल, 2012 से कोषागारों में तैयार किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना से आच्छादित राजकीय कर्मचारियों के वेतन बिल माह अप्रैल, 2012 से अनिवार्यतः कोषागारों में तैयार किये जायेंगे। इस हेतु यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आपके विभाग के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का पंजीकरण नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) में 15 मार्च तक प्रत्येक दशा में हो जाये। यदि किसी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रपत्र N-3 भर कर प्रेषित नहीं किया गया है तो संबंधित कोषागार द्वारा उस अधिकारी का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।

2–नई पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी जिन्हें एन0एस0डी0एल0 द्वारा Permanent Retirement Account Number (PRAN) आवंटित नहीं हो पाया है, के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं की जायेगी। (PRAN) आवंटित हो जाने पर ऐसे कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती के साथ–साथ एक किश्त पिछली ऐसी अवधि के लिये भी काटी जायेगी, जिसमें उसके वेतन से कटौती नहीं की गयी है। यह व्यवस्था उन कर्मचारियों के मामलों में भी लागू होगी जिन्हें पूर्व में निदेशक, पेंशन द्वारा डी0सी0आई0 नंबर आवंटित कर दिये गये थे, परन्तु (PRAN) का आवंटन नहीं हो सका है।

3–कृपया इन आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,
वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव।

———

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
लखनऊः दिनांक 16 मार्च, 2012

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में आये कार्मिक नई पेंशन योजना से अच्छादित हैं। नई पेंशन योजना का कार्यान्वयन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा निर्धारित आर्किटेक्चर पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) के माध्यम से किया जाना है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या सा–3–1067/दस–2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

2–माह अप्रैल, 2012 से कर्मचारियों के पेंशन अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान का विवरण एन0एस0डी0एल0 के New Pension System Contributions Accounting Network (NPSCAN) में अपलोड किया जाना है। यह आवश्यक है कि आपके कार्यालय में नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के वेतन बिल कोषागारों के लिये विकसित किये गये पे–रोल पैकेज पर तैयार किये जायें। इस पैकेज में एन0एस0डी0एल0 को अपलोड की जाने वाली Subscribers Contribution File (SCF) सृजित हाती है जिसे New Pension System Contributions Accounting Network (NPSCAN) में सुगमता पूर्वक अपलोड किया जा सकता है।

3–इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) द्वारा तैयार किया गया उक्त पे–रोल पैकेज अपने कार्यालय में लागू करवाने का कष्ट करें ताकि नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के माह मार्च, 2012 भुगतान माह अप्रैल, 2012 के वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती का विवरण तथा राज्य सरकार के अंशदान NPSCAN पर बिना त्रुटि के अपलोड किया जा सके। यह भी अनुरोध है कि उक्त पे–रोल पैकेज तथा NPSCAN पर कार्य करने हेतु अपने कार्यालय के मुख्य लेखाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा कम से कम एक लेखाकर्मी को प्रशिक्षित किये जाने हेतु निदेशक, पेंशन से सम्पर्क कर प्रशिक्षण दिलवाये जाने की व्यवस्था यथाशीघ्र कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन को निर्देश दे दिये गये हैं।

भवदीया,
वृन्दा सरूप।

1–जी0बी0 पटनायक,
प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–श्री प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

3–श्री वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा,
प्रमुख सचिव,
विधान परिषद सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

4–श्री अवनीश अवस्थी,
सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

———

संख्या–सा–3–517/दस–2012–301(9)–एस0ए0बी0–2011,

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3–महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

4–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

5–निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

6–निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

7–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

, 8–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 दिनांक 21 मार्च, 2012

**विषय** :– राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा सहायतित ऐसी शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशी संस्थाओं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना के समान पेंशन योजना पूर्व में लागू थी, में नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अधिसूचना संख्या सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू की गंयी है।

2–नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा गठित पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा नई पेंशन योजना के लिए तैयार की गयी संरचना (आर्किटेक्चर) को राज्य सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–313/दस–2009–301(9)/2003, दिनांक 15 मई, 2009 द्वारा अंगीकृत किया गया है। इस आर्किटेक्चर में नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सी0आर0ए0) बैंक आफॅ इंडिया को ट्रस्टी बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन निधि प्रबंधक (पेंशन फण्ड मैनेजर) नियुक्त किया गया है। पेंशन निधियाँ के समुचित प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एन0पी0एस0 ट्रस्ट) का गठन किया गया है।

3–नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एन0एस0डी0एल0 एवं एन0पी0एस0 ट्रस्ट के साथ दिनांक 12 अगस्त, 2011 को अनुबंध निष्पादित किये गये। इसके पूर्व नई पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1124/दस–301(9)/2003, टी0सी0, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या सा–3–1558/दस–2010–30(9)/2003, टी0सी0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 द्वारा क्रमशः राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन से मासिक कटौती राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला नियोक्ता अंशदान तथा कर्मचारियों के पेंशन लेखे में संचित धनराशि पर सामान्य भविष्य निधि पर लागू ब्याज दर से ब्याज के भुगतान, प्रत्येक कर्मचारी का पेंशन खाता खोलने एवं उसे अद्यावधिक रखते हुए निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया था।

4–एन0एस0डी0एल0 एवं एन0पी0एस0 ट्रस्ट के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुबंध निष्पादित कर लिये जाने के अनन्तर ऊपर वर्णित अंतरिम व्यवस्था का समाप्त करते हुए एन0पी0एस0 आर्किटेक्चर के अनुसार अग्रलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है–

(1) सहयता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अर्द्धविकेन्द्रित मॉडल तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए पूर्ण विकेन्द्रित मॉडल अंगीकृत किया जाए।

(2) सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा जो आहरण वितरण अधिकारी है, अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख–रखाव तथा अभिदाता अंशदान, फाईल न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीब्यूशन अकाउन्टिंग नेटवर्क (NPSCAN) में अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(3) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाइल NPSCAN में अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(4) डिग्री कालेजों के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जो आहरण वितरण अधिकारी का कार्य करते हैं, अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाइल NPSCAN में अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(5) राज्य विश्वविद्यालयों में वित्त अधिकारी, जो आहरण-वितरण अधिकारी का कार्य करते हैं, राज्य स्तरीय नोडल अधिकरी का कार्य भी करेंगे।

(6) अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में राज्य विश्वविद्यालयों के समान मॉडल लागू किया जाए।

(7) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थायें–उपर्युक्त व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग विभागाध्यक्षों को इस आशय के आदेश निर्गत करेंगे कि आहरण-वितरण अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों को आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं–कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण, जनशक्ति अनिवार्यतः उपलब्ध करायेंगे। इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी–वस्तुस्थिति का सतत् अनुश्रवण करेंगे तथा प्रगति से विभागाध्यक्ष के साथ–साथ वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

## विभिन्न प्राधिकारियों एवं अभिदाताओं का नई पेंशन प्रणाली में पंजीकरण

(8) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु नामित नोडल अधिकारियों का एन0एस0डी0एल0 में पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रपत्र एन–1 में अपेक्षित विवरण भरकर एन0एस0डी0एल0 को सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

(9) आहरण एवं वितरण अधिकारियों का एन0एस0डी0एल0 में पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रपत्र एन–2/एन–3 में अपेक्षित विवरण भरकर नोडल अधिकारी के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रपत्र की एक प्रति नोडल अधिकारी के कार्यालय में तथा एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। आहरण-वितरण अधिकारियों का पंजीकरण आहरण वितरण अधिकारी सह भुगतान अधिकारी (डी0डी0ओ0–कम–डी0टी0ओ0) के रूप में कराया जायेगा।

(10) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों का पंजीकरण कराये जाने हेतु प्रपत्र एन–1 में आवेदन भरकर एन0एस0डी0एल0 को प्रेषित किया जायेगा। किसी अधिष्ठान में कार्यरत सभी कर्मचारियों के पंजीकरण प्रपत्र आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा दो प्रतियों में प्राप्त किये जायेंगे जिसकी एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी तथा एक प्रति एन0एस0डी0एल0

को सीधे प्रेषित की जायेगीं एन0एस0डी0एल0 द्वारा कर्मचारियों को परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नम्बर (पी0आर0ए0एन0) आवंटित किया जायेगा। जिसकी एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। किसी माह में खोले गये नये पी0आर0ए0एन0 की संख्या की सूची आहरण वितरण अधिकारी द्वारा तैयार कर अगले माह की दसवी तारीख तक अपने नोडल अधिकारी को भेज दी जायेगी।

विभिन्न प्राधिकारियों तथा अभिदाताओं के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र एन–1, एन–2, एन–3 तथा एस–1 इस शासनादेश के साथ संलग्न हैं। अन्य संगत प्रपत्र तथा एन0एस0डी0एल0 द्वारा जारी दिशा–निर्देश भी संलग्न हैं।

## नई पेंशन योजना का सामान्य स्वरूप

(11) नई पेंशन योजना में दो टियर : टियर–1 तथा टियर–2 होंगे। टियर–1 में समस्त आच्छादित कर्मचारियों द्वारा अनिवार्यतः अंशदान किया जायेगा जबकि टियर–2 में अंशदान पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

(12) टियर–1 में प्रतिमाह मूल वेतन ग्रेड पे एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान किया जायेगा। इस अंशदान की कटौती कर्मचारी के वेतन से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सेवायोजक का अंशदान भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जमा किया जायेगा।

(13) टियर–1 में किये जाने वाले अंशदान की राशि (निवेश से प्राप्त आय सहित) अनिष्कासनीय पेंशन खाते में जमा होगी।

(14) नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी के वेतन से सामान्य भविष्य निधिके लिए कटौतियाँ की गयी हों तो कटौतियों की राशि सम्बन्धित कर्मचारी को ब्याज सहित वापस कर दी जायेंगी।

(15) टियर–2 खाता पूर्णतया वैकल्पिक होगा तथा वही कर्मचारी टियर–2 खाता खोल सकेगा जिसे टियर–1 के लिये पी0आर0ए0एन0 आवंटित किया जा चुका हो। कर्मचारी द्वारा टियर–2 खाता एन0एस0डी0एल0 के स्थानीय अभिकर्ता जिन्हें प्वाइंट्स ऑफ प्रीजेन्स (पी0ओ0पी0) कहा गया है, के कार्यालय में आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर खोला जा सकेगा। खाते में अंशदान की राशि कर्मचारी के द्वारा स्वतः जमा की जायेगी। टियर–2 के लिए राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा अंशदान नहीं किया जायेगा। इस खाते में जमा राशि का प्रबन्धन विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा उसी भाँति किया जायेगा जैसे टियर–1 में संचित निधि का। टियर–2 खाते में संचित निधि के निवेश से प्राप्त होने वाली आय इसी खाते में जमा की जायेगी। इस खाते से कर्मचारी अपनी आवश्यकतानुसार धनराशि का निष्कासन कर सकेगा।

(16) सामूहिक बीमा योजना की व्यवस्था पूर्ववत् बनी रहेगी।

(17) किसी कर्मचारी को आवंटित पी0आर0ए0एन0 उसकी सेवा पर्यन्त अपरिवर्तनीय होगा। स्थानान्तरण की दशा में कर्मचारी के अन्तिम वेतन प्रमाणक में उसके पी0आर0ए0एन0 तथा अन्तिम अंशदान की तिथि एवं धनराशि का उल्लेख किया जायेगा।

(18) नवीन पेंशन योजना से आच्छादित सहायता कार्मिकों का वेतन देयक अलग से बनाया जाएगा। वेतन देयक के साथ कर्मचारी अंशदान सम्बन्धी विवरण शेड्यूल–2क पर एवं राज्य सरकार/ नियोक्ता अंशदान का विवरण शेड्यूल–2ख पर प्रत्येक माह संलग्न किया जाएगा।

(19) (i) कर्मचारियों के वेतन बिल से काटी गयी अभिदाता अंशदान की राशि पुस्तक समायोजन द्वारा लोकलेखा के निम्नांकित लेखाशीर्ष में जमा की जाएगी।

(क) **सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए**–8342–अन्य जमा–120–विविध जमा अंशदायी–पेशन स्कीम–02 ''सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए

निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अंशदान टियर–1''।

(ख) **स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए**–''8342–अन्य जमा–120–विविध जमा अंशदायी–पेंशन स्कीम–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–02–राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं को कार्मिकों का अंशदान टियर–1''।

(ii) राज्य सरकार/नियोक्ता अंशदान विभागीय अनुदानों के अन्तर्गत इस हेतु खोले गये लेखाशीर्ष में करायी गयी बजट व्यवस्था से आहरित किया जाएगा। लेखाशीर्षों का विवरण निम्नानुसार है–

(क) **सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए**–''2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम केलिए सरकारी अंशदान–03–राज्य सरकार का अंशदान–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान कर्मचारी टियर–1–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।''

(ख) **स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए**–''2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–117–निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान–04–नियोक्ता अंशदान–02–स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता–अंशदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता।''

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के आय–व्ययक में उन्हीं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मियों के लिए नियोक्ता अंशदान हेतु व्यवस्था करायी जायेगी जिनके कार्मिकों की पेंशन का भुगतान कोषागारों के माध्यम से किया जा रहा है।

(iii) नियोक्ता अंशदान की राशि पुस्तक समायोजन द्वारा लोक रेखा के संगत लेखाशीर्षों, जिनका विवरण निम्नवत् है, में संक्रमित की जाएगी–

(क) **सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए**–''8342–अन्य जमा–120–विविध जमा अंशदायी–पेंशन स्कीम–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–03–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नियोक्ता–अंशदान टियर–1''

(ख) **स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए**–''8342–अन्य जमा–120–विविध जमा अंशदायी–पेंशन स्कीम–02–सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–04–राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों हेतु नियोक्ता–अंशदान टियर–1''।

## अंशदान सम्बन्धी विवरण एवं धनराशियों का सम्प्रेषण

(20)(i) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अभिदाताओं के वेतन से की जाने वाली मासिक अंशदान कटौतियों की अभिदाता अंशदान फाइल (एस0सी0एफ0) तैयार कर केन्द्रीय न्यू पेंशन सिस्टम कन्ट्रीब्यूशन्स अकाउन्टिंग नेटवर्क (एन0पी0एस0सी0ए0एन0) प्रणाली में अपलोड की जायेगी। अभिदाता अंशदान फाइल अपलोड हो जोन पर ट्रान्जेक्शन आई0डी0 प्राप्त होगा।

(ii) तत्पश्चात् अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की संहत धनराशि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा लोक लेखा के संगत लेखाशीर्षों, जिनमें अभिदाता अंशदान से आहरित कर ट्रस्टी बैंक–बैंक ऑफ इण्डिया को एन0पी0एस0 ट्रस्ट अकाउण्ट के पक्ष में बैक

ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा अन्तरित की जायेगी। ट्रस्टी बैंक को धनराशियों का अन्तरण करने के पूर्व आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एन0पी0एस0सी0ए0एन0 में अपलोड किया गया विवरण तथा ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित की जा रही धनराशि का पूर्ण मिलान हो गया है। इस प्रकार, राशियों का शत–प्रतिशत मिलान हो जाने के उपरान्त ही अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशियों का अन्तरण आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ट्रस्टी बैंक को किया जायेगा।

(iii) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह तैयार अभिदाता अंशदान फाइल का विवरण एवं ट्रस्टी बैंक को अन्तरित की गयी धनराशि के विवरण की सूचना अगले माह की 10वीं तारीख तक अपने नोडल अधिकारी को हार्डकॉपी/सॉफ्टकॉपी पर प्रेषित की जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित मासिक सूचना का संकलन किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 20 तारीख तक संकलित सूचना की एक प्रति प्रशासनिक विभाग के साथ–साथ निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी।

(21) ऐसे कर्मचारी जो इन आदेशों के जारी होने से पूर्व सेवा में प्रवेश कर चुके थे, वेतन से प्रतिमाह वर्तमान माह के लिए अंशदान की कटौती के साथ–साथ पूर्व की सेवा अवधि, जिसमें कटौती नहीं हुई है, के लिए एक–एक माह की कटौती की जायेगी तथा दोनों माहों के लिए नियोक्ता अंशदान भी दिया जायेगा।

**अंशदान की धनराशियों का पेंशन निधि प्रबंधकों के मध्य आवंटन**

(22) पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा नियुक्त पेंशन निधि प्रबन्धकों में से राज्य सरकार किसी ऐसे एक अथवा अधिक निधि प्रबन्धकों की सेवाएं ले सकेगी जो नई पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(23) विभिन्न पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य पेंशन निधियों के आवंटन (Allocation) का अनुपात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा तद्नुसार एन0एफ0डी0एल0 एन0पी0एस0 ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक को सूचित किया जायेगा।

(24) वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन पेंशन निधि प्रबंधक, पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा नियुक्त हैं–भारतीय स्टेट बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया तथा भारतीय जीवन बीमा निगम। दिनांक 1 जुलाई, 2011 से पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन निधियों का उक्त तीनों पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य किये गये आवंटन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए, पेंशन निधियों का आवंटन उपर्युक्त तीनों पेंशन निधि प्रबन्धकों के मध्य क्रमशः 31 प्रतिशत, 35.5 प्रतिशत तथा 33.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत नई पेंशन योजना के अभिदाताओं के लिए पेंशन निधियों का आवंटन उपर्युक्त अनुपात में ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा इस अनुपात में परिवर्तन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा भी उसी अनुपात को अंगीकृत किया जायेगा।

5–नयी पेंशन योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित समय–सारिणी का कड़ाई से पालन किया जाये–

(i) नोडल अधिकारियों द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना पंजीयन एन0एस0डी0एल0 में करा लिया जायेगा। किसी माह में खोले गये नये पी0आर0ए0एन0 की संख्या की सूचना आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सूचना विभागीय नोडल अधिकारी को अगल माह की दसवीं तारीख तक भेजी जायेगी।

(ii) माह मे आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की गयी अभिदाता अंशदान की कटौतियों एवं ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित की गयी धनराशि का विवरण अगले माह की दसवी तारीख तक निर्धारित इनपुट प्रारूप पर नोडल अधिकारी को ई–मेल द्वारा तथा हार्डकॉपी में उपलब्ध करा दिया जाए।

(iii) एन0एस0डी0एल0 द्वारा प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना का विवरण सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) किसी माह के लिए आहरण वितरण अधिकारियों एवं एन0एस0डी0एल0 द्वारा नोडल अधिकारी को प्रेषित सूचनाओं का मिलान नोडल अधिकारी द्वारा अगले माह की 15वीं तारीख तक कर लिया जायेगा।

(v) आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त सूचना का मिलान कर लेने के उपरान्त सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा संकलित विवरण 20 तारीख तक निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

## एन0एस0डी0एल0 को सी0आर0ए0 अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान

6–एन0एस0डी0एल0 द्वारा त्रैमासिक आधार पर अपने बिल सम्बन्धित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। बिल प्राप्त होने के दस कार्य दिवस के अन्दर नोडल अधिकारी अपने स्तर पर संरक्षित लेखों से मिलान करने के उपरान्त बिल को सत्यापित करते हुए भुगतान हेतु संस्तुति के साथ निदेशक, पेंशन को प्रेषित कर देंगे। निदेशक, पेंशन बिल प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर एन0एस0डी0एल0 को भुगतान प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा यदि दस दिनों के अन्दर सत्यापित बिल भुगतान हेतु निदेशक, पेंशन को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो सी0आर0ए0 अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज की देयता होने पर वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव।

———————

संख्या–सा–3–486 / दस–2013–301(9)–11

प्रेषक,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,
निदेशक, पेंशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 — लखनऊ, दिनांक 15 मई, 2013

**विषय** :–नई पेंशन योजना2005 के अन्तर्गत आंवटित डी0सी0आई0 नम्बर के सापेक्ष अभिदाता का अंशदान तथा शासकीय अंशदान की समेकित धनराशिका एन.एस.डी.एल. द्वारा आवंटित प्रान नम्बर में अन्तरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–पे0नि0 / एन0पी0एस0 / फण्ड ट्रान्सफर / 2013–2013 / 1245, दिनांक 20 फरवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–सा–3–1067–दस–2011–301(9)–2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के अनुक्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि जिन कार्मिकों का पंजीकरण (प्रान आबंटन) पूर्ण हो चुका है एवं जिनके लेखे में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हो रही हैं, की पूर्व में की गयी कटौतियों तथा नियोक्ता अंशदान से संबंधित संहत धनराशि का अन्तरण ट्रस्टी बैंक को तत्काल कर दिया जाये।

2. ऐसे प्रकरण जिनका अन्तरण त्रुटि पूर्ण होने के कारण नही किया जा सका है, के संबंध में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी कोषागार से आँकड़ों का मिलान कर कर्मचारी अंशदान एवं राज्य

सरकार के अंशदान की राशि की पुष्टि करायेंगे जिसकी सूचना संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, पेंशन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेत प्रेषित की जायेगी। आहरण–वितरण अधिकारीगण एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी गण आवश्यक कार्यवाही तथा प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्तानुसार आंकड़ों का मिलान हो जाने पर संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी के माध्यम से निदेशक, पेंशन को अभिप्रमाणित सूचना प्रेषित करेंगे। सूचना प्राप्त हो जाने पर निदेशक, पेंशन द्वारा धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

भवदीय,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

————

संख्या–सा–3–1006/दस–2013–301(09)–2012

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 19 सितम्बर, 2013

**विषय** :– राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों, जो नयी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, के अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की प्रक्रिया।

महोदय,

नियुक्ति अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 2268/दो–1–2013-4/(2)–2008, दिनांक 15 जुलाई, 2013 के क्रम में निदेशक, पेंशन के पत्र संख्या पे0नि0/एन0पी0एस0/2012–13/3693, दिनांक 23 मई, 2013 एवं पत्र संख्या पे0नि0/एन0पी0एस0/2013–14/5103, दिनांक 26 जुलाई, 2013 द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी ऐसे बाह्य सेवायोजक जो नयी पेंशन योजना के अधीन एन0एस0डी0एल0 में पंजीकृत नहीं हैं, में प्रतिनियुक्ति पर तैनात राज्य सरकार के अधीन नयी पेंशन योजना से आच्छादित अखिल भारतीय सेवाओं के एवं राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान सम्बन्धी विवरण, एन0पी0एस0सी0ए0एन0 पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धी जनपद के कोषागारों द्वारा तथा फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही पेंशन निदेशालय द्वारा किये जाने विषयक व्यवस्था लागू की जाये।

2–निदेशक, पेंशन के उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है–

(i) अखिल भारतीय सेवाओं अथवा राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का अभिदाता अंशदान सम्बन्धित बाह्य सेवायोजक द्वारा लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–01–राज्य कर्मचारियों का अंशदान टियर–1'' में चालान के माध्यम से सम्बद्ध बैंक में जमा कराया जायेगा।

(ii) सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के मूल वेतन, ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता अंशदान लेखाशीर्ष ''8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना स्कीम–01–राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदान पेंशन योजना–02–राज्य सरकार/सेवायोजक का अंशदान'' में चालान के माध्यम से कोषागार से सम्बद्ध बैंक में सम्बन्धित बाह्य सेवायोजक द्वारा जमा किया जायेगा।

(iii) सम्बन्धित बाह्य सेवायोजक द्वारा प्रत्येक माह, अपने यहाँ तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कर, चालानों की सत्यापित प्रतिलिपि सम्बन्धित कोषागार से प्राप्त कर अधिकारी/कर्मचारीवार PRAN अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान सम्बन्धी समेकित विवरण तैयार कर कोषागार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जायेगा कि दिये गये विवरणानुसार एन0पी0एस0सी0ए0एन0 पर डाटा अपलोड कर दिया जाय।

(iv) सम्बन्धित कोषागार तद्नुसार एन0पी0एस0सी0ए0एन0 पर अपलोड कर किया जायेगा तथा ऑटो जनरेटेड कन्ट्रोल शीट पेंशन निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

(v) कोषागार द्वारा अपलोड किये गये डाटा के क्रम में पेंशन निदेशालय द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के प्रान (PRAN) पर फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही कीजायेगी तथा कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित बाह्य सेवायोजक को प्रेषित कर दी जायेगी।

3–राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन ऐसे बाह्य सेवायोजक जो नी पेंशन योजना के अधीन एन0एस0डी0एल0 में पंजीकृत हैं, में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी अभिदाता अंशदान की राशि तथा नियोक्ता अंशदान की राशि सम्बन्धी डाटा अपलोड तथा फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही बाह्य सेवायोजक द्वारा की जायेगी तथा उसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पैतृक विभाग को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी।

4–कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

————

संख्या–सा–3–465 / दस–2014–301(9)–11

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, पेंशन,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 19 मई, 2014

**विषय** :– नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के सेवा से त्याग–पत्र देने पर डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या पे0नि0 / NPS / मार्गदर्शन / 2014 / 2016, दिनांक 7 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके वेतन से काटी गयी पेंशनरी अंशदान की धनराशि एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि डी0सी0आई0 खाते में जमा की गयी परन्तु जिसका संक्रमण एन0एस0डी0एल0 में खुले PRAN खाते में नहीं हो सका तथा कर्मचारी द्वारा सेवा से त्याग–पत्र दे दिया, के मामलों में कर्मचारी अंशदान की संचित धनराशि का ब्याज सहित भुगतान सम्बन्धित कार्मिक को कर दिया जाय तथा, चूँकि शासकीय सेवा से त्याग–पत्र देने पर पूर्व सेवाओं का ह्रास हो जाता है, अतः राज्य सरकार द्वारा किये गये नियोक्ता अंशदान की ब्याज सहित संचित धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाय।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

––––

संख्या–13 / सा–3–393 / दस–2014–301(23)–2014

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश।
4–निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014

**विषय** :–नयी पेंशन योजना से निकासी।

महोदय,

नई पेंशन येाजना को छोड़ने पर अभिदाता को किये जाने वाले भुगतान आदि के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एफ0आर0डी0ए0 के मास्टर सर्कुलर संख्या–PFRDA / 2013 / 2PDEX / 2, दिनांक 22 जनवरी, 2013 में राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 से आच्छादित राज्य सरकार, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों की नयी पेंशन योजना से निकासी (Exit) पर अधोलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(1) यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है तथा त्रुटिवश उसके वेतन से नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत कटौती हो गयी है, तो उसके अभिदाता अंशदान की राशि उस पर प्राप्त रिटर्न सहित उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी, तथा राज्य सरकार द्वारा किया गया नियोक्ता अंशदान राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

(2) **सेवाकाल में मृत्यु/विकलांगता** :–

नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा विकलांगता की दशा में उनके परिवार/उन्हें शासनादेश संख्या सा–3–1613/दस–2011–301(9)–2011, दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की व्यवस्थानुसार सुविधायें अनुमन्य होंगी। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने की अवस्था में नयी पेंशन योजना के अधीन जमा धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकरण में इस धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतानित धनराशियों के मासिक वार्षिकीकृत मूल्य के बराबर धनराशि की वसूली शासनादेश दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 के अन्तर्गत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन आदि से की जायेगी। वार्षिकीकृत मूल्य का निर्धारण, इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) **अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति** :–

अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की दशा में, कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा धनराशि के कम से कम 40 प्रतिशत धनराशि की एन्युइटी क्रय की जायेगी तथा शेष धनराशि का एकमुश्त भगतान सेवानिवृत्त कार्मिक को किया जायेगा।

(4) **अधिवर्षता के पूर्व योजना से निकासी** :–

अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व यदि कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना छोड़ता है तो उसके खाते में जमा धनराशि के कम से कम 80 प्रतिशत धनराशि की एन्युइटी क्रय की जायेगी तथा शेष धनराशि का एकमुश्त भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को किया जायेगा।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

––––

संख्या–3/2015/सा–3–187/दस–2015–301(13)–2012

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 12 मार्च, 2015

**विषय** :– नई पेंशन योजना (नेशनल पेंशन सिस्टम–एन0पी0एस0) से आच्छादित बाह्य सेवा पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का पेंशनरी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो नई पेंशन योजना (नेशनल पेंशन सिस्टम–एन0पी0एस0) से आच्छादित है तथा जिनकी तैनाती प्रतिनियुक्ति पर किसी सार्वजनिक उपक्रम/निगम/स्वायत्तशासी संस्था आदि में होती है, के सम्बन्ध में अधोलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

(1) प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में एन0पी0एस0 हेतु डी0डी0ओ0 का कार्य जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अभिदाता पंजीकरण फॉर्म नहीं भरा गया है तो यह फॉर्म जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी के माध्यम से एन0एस0डी0एल0 को भेजा जायेगा। प्रान आवंटित होने पर उसे मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी के डी0डी0ओ0 कोड से लिंक किया जायेगा। यदि प्रान पूर्व से ही आवंटित है तो प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए प्रान मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी के डी0डी0ओ0 कोड से लिंक किया जायेगा।

(2) जहाँ बाह्य सेवा पर तैनाती से पूर्व की अवधि का पेंशनरी अंशदान न जमा हुआ हो :–

इन मामलों में यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को प्रान आवंटित हो चुका है तो बाह्य सेवा पर तैनाती से पूर्व की अवधि के एक माह के लिए अभिदाता अंशदान की राशि चालू माह के वेतन से बाह्य सेवायोजक द्वारा चालू माह के अंशदान के साथ काटी जायेगी। चालू माह का नियोक्ता अंशदान बाह्य सेवायोजक द्वारा दिया जायेगा तथा पूर्व की अवधि के लिए नियोक्ता अंशदान का भुगतान प्रथमतः बाह्य सेवायोजक द्वारा किया जायेगा परन्तु इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बाह्य सेवायोजक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पूर्ववर्ती विभाग के माध्यम से निदेशक, पेंशन से प्राप्त की जायेगी। सुविधा की दृष्टि से प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रत्येक 6 माह पर करायी जायेगी।

(3) जहाँ सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की बाह्य सेवा की अवधि में पेंशनरी अंशदान की कटौती न हुई हो :–

ऐसे मामलों में जहाँ कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर किसी सार्वजनिक उपक्रम/निगम/स्वायत्तशासी संस्था आदि में तैनात रहा हो तथा उस अवधि के लिए अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान जमा न हुआ हो, तैनाती के वर्तमान सरकारी विभाग द्वारा बाह्य सेवा की सम्पूर्ण छूटी हुई अवधि के लिए नियोक्ता अंशदान की धनराशि बाह्य सेवायोजक से एकमुश्त राजकोष में जमाकरा ली जायेगी। परन्तु यदि किसी मामले में बाह्य सेवायोजक द्वारा धनराशि जमा किये जाने में विलम्ब किया जाता है तो भी उक्त छूटी हुई अवधि के लिए नियोक्ता अंशदान का भुगतान उसी भाँति कर दिया जायेगा मानों सम्बन्धित कर्मचारी उक्त अवधि में अपनी तैनाती के वर्तमान कार्यालय में ही तैनात रहा हो तथा उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित बाह्य सेवायोजक से तैनाती के वर्तमान विभाग द्वारा करायी जायेगी। छूटी हुई अवधि के लिए अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की कटौती शासनादेश संख्या सा–3–1051/दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 के प्रस्तर–2(5) में दी गयी प्रक्रियानुसार की जायेगी।

(4) बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के मामलों में अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि बाह्य सेवायोजक द्वारा इस शासनादेश के संलग्न चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करायी जायेगी। डाटा अपलोड की कार्यवाही शासनादेश संख्या सा–3–1067/दस–2011–301(9)–2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार जनपद के कोषागार के माध्यम से की जायेगी। लखनऊ जनपद में स्थित बाह्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सरकारी कार्मिकों के सम्बन्ध में कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ तथा इलाहाबाद जनपद में स्थित बाह्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सरकारी कार्मिकों के सम्बन्ध में कोषागार, इन्दिरा भवन, इलाहाबाद द्वारा कार्यवाही की जायेगी। फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही उक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था के अनुसार निदेशक, पेंशन द्वारा की जायेगी।

(5) इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु निदेशक, कोषागार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य एकक, उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ से सम्पर्क कर ट्रेजरी सॉफ्टवेयर में यथेष्ट परिवर्तन/संशोधन कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल,
सचिव।

शासनादेश संख्या–3/2015/सा–3–187/दस–2015–301(13)–2012, दिनांक 12 मार्च, 2015 का संलग्नक

# Challan Form for NPS

(In respect of Govt. Employees on deputation)

Employees Contribution

Distt. Name :

Deptt. Name :

Depositor Name :

Pran No. :

DDO Code of Treasury Officer :

DDO Registration No. :

Head of A/C :

| Employees Contribution | Current | | Arrear | |
|---|---|---|---|---|
| | Month and Year | Amount | Month and Year | Amount |

---

Employers Contribution

Distt. Name :

Deptt. Name :

Depositor Name :

Pran No. :

DDO Code of Treasury Officer :

DDO Registration No. :

Head of A/C :

| Employees Contribution | Current | | Arrear | |
|---|---|---|---|---|
| | Month and Year | Amount | Month and Year | Amount |

Total Amount __________________
(Inclusive of Employee's Contribution and Employer's Contribution)

(Signature of Depositor)

शासनादेश संख्या–3 / 2015 / सा–3–187 / दस–2015–301(13)–2012, दिनांक 12 मार्च, 2015 का संलग्नक

# Challan Form for NPS

(In respect of Govt. Employees on deputation)

Employees Contribution

Distt. Name :

Deptt. Name :

Depositor Name :

Pran No. :

DDO Code of Treasury Officer :

DDO Registration No. :

Head of A/C :

| Employees Contribution | Current | | Arrear | |
|---|---|---|---|---|
| | Month and Year | Amount | Month and Year | Amount |

---

Employer's Contribution

Distt. Name :

Deptt. Name :

Depositor Name :

Pran No. :

DDO Code of Treasury Officer :

DDO Registration No. :

Head of A/C :

| Employees Contribution | Current | | Arrear | |
|---|---|---|---|---|
| | Month and Year | Amount | Month and Year | Amount |

Total Amount ________________

(Inclusive of Employee's Contribution and Employer's Contribution)

(Signature of Depositor)

––––

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–21/2015/सा0–3–1038/दस–2015–301(09)–2011
लखनः दिनांक 6 नवम्बर, 2015

——————

**अधिसूचना**

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी तथा प्रत्याहरण के सम्बन्ध में पी0एफ0आर0डी0ए0 की अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा ''पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015'' प्रख्यापित किये गये हैं जिनमें तत्सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्थायें दी गयी हैं।

2–प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारी/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन खोले गये टियर–1 खातों में जमा धनराशियों के निकास एवं प्रत्याहरण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा प्रख्यापित ''पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015'' एतद्द्वारा अंगीकृत किये जाते हैं। उक्त विनियम की प्रतिलिपि इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

————

संख्या सा–3–1192/दस–2015

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2016

**विषय** :– नई पेंशन योजना से आच्छादित पदच्युत कार्मिक के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि को कार्मिक के पक्ष में भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र पत्रांक पे0नि0/एन0पी0एस0–1/पदच्युत–288/मार्गदर्शन/2015–16–7698, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पेंशन योजना से आच्छादित किसी कार्मिक द्वारा किये गये अंशदान एवं राज्य सरकार द्वारा किये गये समतुल्य अंशदान की निकासी/भुगतान के सन्दर्भ में कार्मिक द्वारा यदि किन्हीं कारणवश पद से त्याग–पत्र दिया गया हो अथवा उसे विभाग द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो तो दोनों स्थितियों में शासनादेश दिनांक 19 मई, 2014 के अनुसार कार्मिक द्वारा किये गये अंशदान की जमा धनराशि को ब्याज सहित सम्बन्धित कार्मिक को वापस कर दी जाये परन्तु धनराशि वापस करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध कोई शासकीय वसूली/क्षतिपूर्ति के आदेश निर्गत न किये गये हों। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा किये गये

नियोक्ता अंशदान की संचित धनराशि को ब्याज सहित राजकोष में जमा करा दी जाये। तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

———

संख्या—13 / सा—3—180 / दस—2016—301(9)—2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3—समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4—निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 19 मई, 2016

**विषय** :— नयी पेंशन योजना से निकासी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा—3—1613 / दस—2011—301(9)—2011, दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 शासनादेश संख्या—13—सा—3—393 / दस—2014—301(23)—2014, दिनांक 31—10—2014 तथा अधिसूचना संख्या—21 / 2015 / सा—3—1038 / दस—2015—301(09)—2011, दिनांक 06—11—2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु / विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभ शासनादेश दिनांक 05—12—2011 सपठित शासनादेश दिनांक 31—10—2014 की व्यवस्थाओं के अनुरूप अनुमन्य है।

2—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 जिसे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06—11—2015 द्वारा अंगीकृत किया गया है, के विनियम—3(ग) सपठित विनियम—6(ङ) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :—

(क) सेवाकाल में मृत कर्मचारी के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि यदि वे चाहें तो मृतक कर्मचारी के PRAN खाते में संचित धन का यथाविधि प्रत्याहरण करें, अथवा शासनादेश दिनांक 05—12—2015 सपठित शासनादेश दिनांक 31—10—2014 की व्यवस्था के अनुरूप पारिवारिक पेंशन की सुविधा का वरण करें।

(ख) यदि अभिदाता की मृत्यु के समय उसके स्थाई सेवानिवृत्ति खाते (PRAN) में संचित धन 2 लाख रुपये अथवा उससे कम है तो उसके नामिति अथवा विधिक वारिस जैसा भी मामला हो, को पूरा संचित धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा तथा इस विकल्प का प्रयोग करने पर परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वावित हो जायेगा। अन्य ऐसे सभी मामले में जिनमें सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, में अभिदाता के संचित धन का कम से कम 80 प्रतिशत अनिवार्य रूप से

वार्षिकी क्रय करने के लिये उपयोग किया जायगा और अतिशेष पेंशन धन का एकमुश्त रूप में ऐसे अभिदाता के यथास्थिति नामिति या नामितियों या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जायगा।

(ग) यदि विनियम 6(ङ) के अनुसार अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य, सरकार द्वारा उपबन्धित मृत्यु या निःशक्तता सम्बन्धी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का उपभोग करते हैं, तो सरकार को अभिदाता के PRAN खाते में सम्पूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अन्तरित किये जाने का अधिकार होगा। ऐसे लाभ का उपभोग करने वाला अभिदाता या अभिदाता के परिवार के सदस्य से पारिवारिक पेंशन या निःशक्तता पेंशन या कोई अन्य सम्बन्धित प्रसुविधा के स्थान पर विनिर्दिष्ट रूप से और बिना शर्त सरकार को PRAN खाते में सम्पूर्ण संचित पेंशन धन अन्तरित करने के लिये सहमत होंगे और इसका वचन देंगे। जिन प्रकरणों में शासनादेश दिनांक 05–12–2011 सपठित शासनादेश दिनांक 31–10–2014 के क्रम में सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकृत किये जा चुके हैं, उनमें भी इसी आशय का वचन–पत्र लाभार्थी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से निदेशक पेंशन को प्रस्तुत किया जायगा।

3–इस शासनादेश के प्रयोजनार्थ विकल्प पत्र का प्रारूप संलग्न है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव।

——————

शासनादेश संख्या–13 / 2016 / सा–3–180 / दस–2016–301(9)–2011, दिनांक 19 मई, 2016 का संलग्नक

**राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी / पारिवारिक पेंशन / निःशक्तता पेंशन के विकल्प का प्रारूप**

1–कर्मचारी का नाम ————————————————————

2–स्थायी सेवानैवृत्तिक खाता संख्या (PRAN) ————————————

3–पदनाम ————————————————————————

4–(i) अन्तिम वेतनमान (पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे) ——————————

(ii) अन्तिम आहरित वेतन (मूल वेतन एवं ग्रेड पे) ————————

5–विभाग ————————————————————————

6–तैनाती का अन्तिम कार्यालय ——————————————————

7–(i) सम्बद्ध कोषागार ———————————————————

(ii) पंजीकरण संख्या ————————————————————

8–(i) आहरण एवं वितरण अधिकारी ————————————————

(ii) पंजीकरण संख्या ————————————————————

9–कर्मचारी के आश्रितों का विवरण : (नाम एवं कर्मचारी से सम्बन्ध)

(i) ————————————————————————————

(ii) ————————————————————————————

(iii) ————————————————————————————

आवेदक / आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर

(1) ——————————————

(2) ——————————————

(3) ——————————————

10–आवेदक / आवेदकों की अण्डर टेकिंग

(i) मैं / हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि उपर्युक्त विवरण पूर्णतया सही एवं सत्य है, तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है और न हीं जानबूझ कर कोई असत्य सूचना अंकित की गयी है। किसी सूचना / तथ्य के गलत होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर ली जाये। मुझे / हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ii) मैं / हम एतद्द्वारा स्वेच्छा से तथा अपने पूर्ण संज्ञान में यह विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि :–(क) मैं / हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत स्थायी सेवानैवृत्तिक खाता संख्या (PRAN) में संचित धनराशि का यथातिथि प्रत्याहरण करने के इच्छुक हैं। मुझे / हमें यह ज्ञात है कि इस सुविधा का वरण करने पर हमें पारिवारिक पेंशन / निःशक्तता पेंशन / ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं होगी। मैं / हम इसका भविष्य में प्रतिवाद न करने का भी वचन देते हैं।

| | |
|---|---|
| दो सक्षियों के हस्ताक्षर | आवेदक / आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर |
| (नाम, पता एंव दिनांक सहित) | (1) —————————————— |
| (1)—————————————— | (2) —————————————— |
| (2) —————————————— | (3) —————————————— |

(iii) राज्य सरकार के शासनादेश संख्या ————————————, दिनांक ———————— सपठित शासनादेश संख्या ————————————, दिनांक ———————— के अधीन पारिवारिक / निःशक्तता / विकलांगता पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा का वरण करता / करती हूँ / करते हैं, तथा सुश्री / श्री (कर्मचारी का नाम) के, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन खुले स्थायी सेवानैवृत्तिक खाता संख्या (PRAN)

———————————————————— में सम्पूर्ण संचित धन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने पक्ष में समायोजित/अन्तरित कर लेने पर अपनी बिना शर्त सहमति प्रदान करता/करती हूँ/करते हैं।

| | |
|---|---|
| दो सक्षियों के हस्ताक्षर | आवेदक/आवेदकों के नाम एवं हस्ताक्षर |
| (नाम, पता सहित) | (1) ————————————————— |
| (1)————————————————— | (2) ————————————————— |
| (2) ————————————————— | (3) ————————————————— |
| दिनांक ———————————————— | दिनांक ———————————————— |
| स्थान ———————————————— | स्थान ———————————————— |

11—<u>आहरण एवं वितरण अधिकारी का प्रमाण—पत्र</u>

क्रमांक संख्या 1 से 8 तक अंकित विवरण (कर्मचारी का नाम दिया जाए) की सेवा पुस्तिका एवं वेतन पंजी से सत्यापन किया गया। अंकित सूचनायें शुद्ध हैं।

| | |
|---|---|
| दिनांक ———————————————— | हस्ताक्षर ———————————————— |
| स्थान ———————————————— | नाम एवं पदनाम —————————————— |
| | (मुहर लगायी जाये) |

12—कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण—पत्र

क्रमांक संख्या 1 से 9 तक अंकित विवरण (कर्मचारी का नाम) की सेवा पुस्तिका एवं वेतन पंजी एवं अन्य अभिलेखों से किया गया। अंकित सूचनायें शुद्ध हैं।

| | |
|---|---|
| दिनांक ———————————————— | हस्ताक्षर ———————————————— |
| स्थान ———————————————— | नाम एवं पदनाम —————————————— |
| | (मुहर लगायी जाये) |

**नोट** :— विकल्प पत्र छः प्रतियों में भरवाया जाये। एक—एक प्रति सम्बन्धित कोषागार, मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा निदेशक, पेंशन (अथवा सम्बन्धित स्टेट नोडल ऑफिसर) को प्रेषित की जाये, दो प्रतियाँ कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये तथा एक प्रति आवेदक/आवेदकों को वापस कर दी जाये।

—————

संख्या–19 / 2016 / सा–3–490 / दस–2016–301(9)–एस0ए0बी0–2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3–निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4–निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5–समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6–समस्त मुख्य / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 24 जून, 2016

**विषय** :– राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन।

महोदय,

शासनादेश संख्या सा–3–517 / दस–2011–301(9)–एस0ए0बी0–2011, दिनांक 21 मार्च, 2012 के प्रस्तर–4(3) में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :–

''4(3) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख–रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाइल NPSCAN में अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।''

2–माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जो आहरण वितरण अधिकारी हैं, को उपर्युक्त कार्य के सम्पादन हेतु उत्तरदायी बनाया जाये।

3–उक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 21–3–2012 के प्रस्ताव–4(3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेः–

''4(3) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में जिला विद्यालय निरीक्षक अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख–रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाइल NPSCAN में अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।''

4–शासनादेश दिनांक 21–03–2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 21–03–2012 की अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेगी।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

–––––

संख्या–23/2016–सा–3–474/दस–2016–301(09)/एस0ए0बी0/2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 5 जुलाई, 2016

**विषय** :– राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभ।

महोदय,

शासन से यह जिज्ञासा की जा रही है कि उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सा–3–1613/दस–2011–301(09)–2011, दिनांक 05–12–2011, संख्या–13/सा–3–393/दस–2014–301(23)–2014, दिनांक 31–10–2014, अधिसूचना संख्या–21/2015/सा–3–1038/दस–2015–301(09)–2011, दिनांक 06–11–2015 तथा शासनादेश संख्या–13/सा–3–180/दस–2016–301(09)–2011, दिनांक 19–05–2016 राज्य सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में लागू होंगे अथवा नहीं।

2–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रदेश में लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित ऐसी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व राज्य सरकार की भाँति पेंशन योजना लागू थी, की सेवा में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नवनियुक्त कार्मिकों पर समान रूप से लागू हैं। अतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सम्बन्धित उपर्युक्त समस्त शासनादेश जो सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्गत किये गये हैं, उपरिसन्दर्भित संस्थाओं के कार्मिकों पर समान रूप से लागू होंगे।

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिक की मृत्यु यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने/पंजीकरण हो जाने अथवा PRAN आवंटित हो जाने के पूर्व अथवा उपरान्त बिना कोई अभिदान किये हो जाती है तो भी ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को उपर्युक्त शासनादेशों का लाभ अनुमन्य होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

————

संख्या–27 / 2016 / सा–3–634 / दस–2016–301(9)–2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 12 अगस्त, 2016

**विषय :– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना) के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा नई पेंशन योजना लागू की गयी है। इस योजना से वह सभी कर्मचारी आच्छादित हैं जो दिनांक 01–04–2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन ऐसी अनुदानित संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं की सेवा में नियुक्त होते हैं जिनमें दिनांक 01–04–2005 के पूर्व राज्य सरकार के समान पेंशन योजना लागू थी तथा जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।

2–कई ऐसी संस्थाओं जिनमें दिनांक 01–04–2005 के पूर्व राज्य सरकार के समान पेंशन योजना लागू नहीं थी तथा उसके स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) योजना अथवा कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) योजना लागू थी, के कार्मिकों द्वारा इस आशय के प्रत्यावेदन दिये जा रहे है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय।

3–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01–04–2005 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त की जा चुकी है। ऐसे कार्मिक जो उक्त तिथि के पूर्व से राज्य सरकार की पेंशन योजना से भिन्न किसी अन्य पेंशन योजना अथवा सी0पी0एफ0 अथवा ई0पी0एफ0 के सदस्य रहे हैं, को दिनांक 01–04–2005 अथवा उनके उपरान्त पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य नही है। ऐसी संस्थायें यदि चाहें तो अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर, सी0पी0एफ0 अथवा ई0पी0एफ0 योजना समाप्त कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना) लागू करने पर विचार कर सकती हैं। इन संस्थाओं के समस्त कार्मिक, चाहे उनकी नियुक्ति दिनांक 01–04–2005 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त हुई हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ग्रहण कर सकेंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल,
सचिव।

—————

संख्या–31 / 2016 / सा–3–जी0आई0–17 / दस–2016–301(9)–2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 06 अक्टूबर, 2016

**विषयः–**दिनांक 01–04–2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अनुमन्यता।

महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट / विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में पेंशन / पारिवारिक पेंशन / असाधारण पेंशन एवं उपदान की सुविधा अन्तरिम रूप से शासनादेश संख्या सा–3–1613 / दस–2011–301(9)–2011 दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुमन्य की गयी थी। इसके उपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी हेतु शासनादेश संख्या 13 / सा–3–393 / दस–2014–301(23)–2014 दिनांक 31–10–2014 अधिसूचना संख्या 21–2015 / सा–3–1038 / दस–2016–301(9)–2011 दिनांक 06–11–2015 एवं शासनादेश संख्या 13 / सा–3–180 / दस–2016–301(9)–2011 दिनांक 19–05–2016 निर्गत किये गये।

2–केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7 / 5 / 2012–पी0एंड0पी0डब्लू(एफ) / बी, दिनांक 26 अगस्त 2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत शामिल कर्मचारियों के लिए लागू नियम और शर्तो पर ''सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान'' का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3–इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7 / 5 / 2012–पी0एंड0पी0डब्लू(एफ) / बी, दिनांक 26 अगस्त 2016 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दिनाक 01–04–2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायमेंन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भांति अनुमन्य होगा। यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनमें दिनांक 01–04–2005 के पूर्व राज्य सरकार की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य थे।

4–यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

———

संख्या–34 / 2016 / सा–3–767 / दस–2016–301(9)–2003टी0सी0

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

**विषय** :–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि प्रान में स्थानान्तरित होने के पूर्व ही कार्मिक के सेवानिवृत्त होने की दशा में कार्मिकों को डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेंशन निदेशालय के पत्रांक पे0नि0 / एन0पी0एस0–2(50)सेवानिवृत्त / 2016–17 / 5120 दिनांक 2 सितम्बर, 2016 के माध्यम से की गयी पृच्छाओं के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे कार्मिकों के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि जिसका हस्तांतरण संबंधित कार्मिक के प्रान ( PRAN ) में नही हो सका और वह सेवानिवृत्त हो गया अथवा संबंधित कार्मिक को प्रान आवंटित होने से पूर्व ही वह सेवानिवृत्त हो गया, ऐसे सभी मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डी0सी0आई0 खाते में जमा अभिदाता अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की धनराशि का भुगतान, भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित पेंशन निदेशालय के माध्यम से करा दिया जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

—————

संख्या–1 / 2017 / 158 / 79–6–2017–28(10) / 1996

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2017

**विषय :–**अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु उसी विद्यालय के असहायिक सेवाअवधि को अर्हकारी सेवा में जोड़ा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2070 / 15–6–99–28(10) / 96 दिनांक 26.07.01का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु उसी विद्यालय के असहायिक सेवाअवधि को अर्हकारी सेवा में जोडें जाने संबंधी लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत शिक्षकों / कर्मचारियों के प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने की तिथि 31.03.2002 तक बढ़ायी गयी थी, किन्तु कतिपय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनके द्वारा उक्त तिथि तक प्रबन्धकीय अंशदान की

धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा नहीं की जा सकी, उनके द्वारा प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने हेतु निर्धारित उक्त कट आफडेट दिनांक 31.03.2002 को बढ़ाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में कतिपय रिट याचिकायें योजित की गयी। रिट याचिका सं0–52703/2015 अनवारूलहक सिद्दीकी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य का`रिट याचिका सं0–45217/2012 बुद्धिराम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2012 के आधार पर निर्णीत किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है–

In view of this, qua incumbents who have been appointed in the said institution and said institution in question has been included in grant-in-aid list of the state government prior to 01-04-2005 qua them last opportunity be given by the state government for enabling them to deposit managerial contribution alogwith with interest and thereafter whatever benefit of the aforesaid old scheme is liable to be extended, the same be extended to said category of incumbents. In respect of institution who have been included in the grant-in-aid list after 01-04-2005 the incumbents working therein their claim be governed under new pension scheme.

In view of aforesaid discussion, civil Misc. writ petion No. 45217 of 2012 ; 45229 of 2012 are dismissed. Civil Misc. writ petition No 47649 of 2012 and Civil Misc. writ petition No. 44742 of 2012 are allowed. Civil Misc. writ petition No. 55778 of 2010 and Civil Misc. writ petition No. 47000 of 2012 are dismissed.

Petitioners' whose writ petition has been allowed are permited to deposit contribution with interest within two months from today, and in the event of deposit being made, then benefit of government order be extended to them, subject of fulfillment of other terms and condition.

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश एव उक्त आदेश के आधार पर निर्णीत याचिकाओं के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा कतिपय विशेष अपीलें योजित की गयी थी, जो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी है। विशेष अपील सं0 734/2014 मे पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.08.2015 का प्रभावी अंश निम्नवत है–

It is no doubt true that the state government had fixed 31 March 2002 as the date by which the managerial contribution should be deposited in order to get the benefit of the scheme, but when the scheme is for the benefit of the teacher as it provides for payment of pension, the extension of date for depositing of the managerial contribution with interest does not suffer from any illegality. Good and cogent reasons have been given in the judgment for extending the time period and we see no good reason to interfere.

The Special Appeal is, accordingly dismissed.

3- याची श्री अनवारूल सिद्दीकी द्वारा रिट याचिका सं0–52703/2015 अनवारूल सिद्दीकी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2015 के अनुपालन हेतु अवमानना याचिका सं0–4477/2016 योजित की गयी, जिसमें सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2016 को पारित आदेश काप्रभावी अंश निम्नवत है–

It is made clear that in the event, the order of the writ court is not complied with in letter and spirit, the principal secretary (Finance) shall ensure his/her physical presence on the next date.

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृति किये जाने हेतु उसी विद्यालय के असहायिक सेवा अवधि को अर्हकारी सेवा में जोडे जाने संबंधी लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा कराने हेतु अन्तिम अवसर देते हुए पूर्व में निर्धारित कट ऑफ डेट 31.03.2002 को बढ़ाकर दिनांक 30.06.2017 तक किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

(1) वह सुविधा शासनादेश सं0–2745 / 15–6–97–28(10) / 96 टी0सी0 दिनांक 23.05.1998 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।
(2) उक्त सुविधा दिनांक 01.04.2005 से पूर्व अनुदान सूची पर लिये गये अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो विद्यालय के अनुदानित होने की तिथि के पूर्व विधिवत नियुक्त है, को ही अनुमन्य होगी।
(3) नई पेंशन स्कीम लागू होने की तिथि के उपरान्त अनुदानित विद्यालयों तथा नवनियुक्ति शिक्षकों / कर्मचारियों को उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
(4) नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षकों / शिणेत्तर कर्मचारियों के अंशदान नई पेंशन स्कीम के अनुसार नियमानुसार जमा कराने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।
(5) यह सुविधा अंन्तिम अवसर के रूप में प्रदान की जा रही है। भविष्य में इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. उक्त आदेश पत्रावली संख्या–28(10) / 96 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव।

———

संख्या–4 / 2017 / सा–3–93 / दस–2017

प्रेषक,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
8वाँ तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 08 मार्च, 2017

**विषय** :–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रयोजनार्थ ''निदेशक पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश'' के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ''चालू खाता'' खोला जाना।

महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित अधोलिखित मामलों में एन0एस0डी0एल0 / ट्रस्टी बैंक द्वारा राज्य सरकार को धनराशियां वापस की जायेगीः–

(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा त्याग पत्र दे दिये जाने अथवा उसे पदच्युत कर दिये जाने पर शासनादेश सा–संख्या 3 / 465 / दस–2014–301(9) / 11 दिनांक 19–05–2014 तथा शासनादेश संख्या सा–3 / 1192 / दस–2016 दिनांक 14–01–2016 के अनुसार।

(2) एन0पी0एस0 से आच्छादित किसी कार्मिक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी विषयक शासनादेश संख्या 13 / सा–3–180 / दस–2016–301(9)–2011 दिनांक 19–05–2016 के प्रावधानों के अधीन उसके परिवार द्वारा पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा का वरण किये जाने पर।

(3) शासनादेश संख्या सा–3 / 1671 / दस–2010–301(9)–2003 टी0सी0, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या 13–सा–3–393 / दस–2014–301(23)–2014 दिनांक 31

अक्टूबर, 2014 के प्रस्तर 1 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किसी कार्मिक के वेतन से की गयी कटौतियों के मामलों में।

(4) एन0पी0एस0 से आच्छादित किसी कार्मिक के PRAN में नियोक्ता (राज्य सरकार) अंशदान के रूप में अनुमन्य धनराशि से अधिक जमा धनराशि के मामलों में।

2–इस विषय में आपके पत्रांक पें0नि0/एन0पी0एस01/NSDL मीटिंग 15–6–2016/बैंक खाता/2016–17/1157, दिनांक 17 फरवरी, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि पी0एफ0आर0डी0ए0/एन0एस0डी0एल0 के दिशा निर्देशों के अनुसार खाते में जमा धनराशि राज्य सरकार को वापस किये जाने हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित ''स्टेट नोडल ऑफिसर'' अर्थात् ''निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश'' के पदनाम से बैंक खाता खोला जाना आवश्यक है । उपर्युक्त सभी मामलों में, एन0पी0एस0 खाते में जमा सम्पूर्ण धनराशि अर्थात अभिदाता अंशदान, नियोक्ता अंशदान तथा उन पर रिटर्न की संचित धनराशियां उपर्युक्तानुसार खोले गये बैंक खाते में एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी।

3–आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2017 में किये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रयोजनार्थ ''निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश'' के नाम से किसी राष्ट्रीकृत बैंक में ''चालू खाता'' खोलने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4–खाता संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

(1) उक्त बैंक खाते का संचालन '' डुअल सिग्नेटरी'' द्वारा किया जायेगा। इस हेतु निदेशक, पेंशन द्वारा पेंशन निदेशालय के समूह 'क' के दो अधिकारियों को अधिकृत किया जायेगा।

(2) किसी प्रान खाते में जमा धनराशि निदेशक, पेंशन निदेशालय के नाम खुले बैंक खाते में प्राप्त होने पर, ऐसे मामले जिनमें अभिदाता अंशदान का भुगतान अभिदाता को किया जाना है, उनमें अभिदाता अंशदान (रिटर्न सहित) की राशि निदेशक, पेंशन द्वारा अभिदाता के बैंक अकाउण्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा अन्तरित कर दी जायेगी।

(3) राज्य सरकार के खाते में जमा की जाने वाली राशि निदेशक, पेंशन द्वारा ''ई–राजकोष पोटर्ल'' का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा करायी जायेगी।

(4) निदेशक, पेंशन द्वारा उक्त बैंक खाते में जमा/भुगतान का पृथक से लेखा जोखा रखा जायेगा।

(5) निदेशक, पेंशन द्वारा प्रत्येक माह एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक से प्राप्त धनराशि, अभिदाता के प्रान बैंक खाते तथा राजकोष में जमा की गयी धनराशि का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

5– कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

———————

संख्या–05/2017/सा–3–109/दस–2017–301(9)–2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, पेंशन निदेशालय,
8वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 10 मार्च, 2017

**विषय** :– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पासबुक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) से आच्छादित कर्मचारियों के डी0सी0आई0 नम्बर अथवा प्रान नम्बर पर की गयी कटौतियों के विवरण के लेखे जोखे के रख रखाव हेतु यह निर्णय लिया गया है कि समस्त कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उनके कार्यालयों के एन0पी0एस0 से आच्छादित आधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से टियर–1 खाते में की गयी कटौती एवं नियोक्ता अंशदान का विवरण इस शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप पर एन0पी0एस0 पास बुक में रखा जायेगा।

2–ऐसे कार्मिक जिन्हें शासनादेश संख्या सा–3–1051/दस–2008–301(9)–2003, दिनांक 14 अगस्त 2008 की व्यवस्थानुसार पेंशन निदेशालय द्वारा डी0सी0आई0 खाता संख्या आवंटित किया गया और बाद में प्रान आवंटित हुआ, के प्रकरणों में डी0सी0आई0 खाता संख्या एवं प्रान दोनों का उल्लेख यथास्थान किया जाये। जब तक डी0सी0आई0 खातें में कटौती की गयी है, तब के लिये जी0पी0एफ0 पर लागू ब्याज दर से ब्याज का आगणन किया जाये। जिस माह से प्रान में कटौती प्रारम्भ की गयी, उस माह से पास बुक का पृष्ठ बदल कर नवीन पृष्ठ से प्रविष्टियॉ अंकित की जाये, भले ही ऐसा एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान हुआ हो।

3– विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि संलग्न प्रारूप पर एन0पी0एस0 पास बुक यथेष्ट संख्या में मुद्रित कराकर एन0पी0एस0 से आच्छादित कार्मिकों को अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाये।

4–वर्षानुवर्ष कटौतियॉ, प्रारम्भिक शेष एवं अंतिम शेष का मिलान डी0सी0आई0 खाते हेतु निदेशक, पेंशन द्वारा निर्गत वार्षिक लेखा पर्ची तथा प्रान खाते के संबंध में सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी द्वारा अभिदाता को उपलबध कराये गये स्टेटमेंट से कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा भिन्नता होने पर उसके निराकरण हेतु यथेष्ट कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

———

**विभाग/संस्था का नाम**

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पास-बुक

नाम ............................................................................................................................

डी0सी0आई नम्बर..........................................................................................................

प्रान नम्बर..................................................................................................................

.....................................................................................................................................

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 05/2017/सा–3–109/दस–2017–301(9)–2011, 10 मार्च, 2017 द्वारा निर्धारित।

टिप्पणी– जिन कर्मचारियों को पेंशन, निदेशालय द्वारा अन्तरिम रूप से डी0सी0आई नम्बर आवंटित किया गया तथा जिन्हें बाद में PRAN आवंटित हुआ उनके मामलों में डी0सी0आई0 नम्बर एवं PRANदोनों अंकित किये जायें।

## अभिदाता से संबंधित निजी विवरण

(संदर्भः शासनादेश संख्या सा 05/2017/3–109/दस–2017–301(9)–2011, 10 मार्च, 2017)

.....................................................................................................................................

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).........................................................................................

   अंग्रेजी में (बडे अक्षरों में) ..........................................................................................

2. डी0सी0आई नम्बर ..................................................................................................

   प्रान नम्बर ..............................................................................................................

3. आवेदक के पिता/पति का नाम ..................................................................................

4. लिंगः पुरूष ☐ स्त्री ☐

5. वैवाहिक स्थितिः विवाहित ☐ अविवाहित ☐

6. पदनामः

7. कार्यालय का नामः

8. आवेदक का सेवा संवर्गः

9. सेवा में आने की तिथिः

10. वेतनमानः

11. मूल वेतन :

12. जन्म तिथि :

13. क्या नियमित नियुक्ति है : हाँ ☐ नहीं ☐

14. क्या नामांकन संलग्न है : हाँ ☐ नहीं ☐

15. टिप्पणी यदि कोई हो :

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

————

## नामांकन प्रपत्र

(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हेतु नामांकन)

डी0सी0आई0 नम्बर : .......................

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ लिए जाएं

प्रान नम्बर : .......................................

मैं ..................................................................... एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं अथवा आश्रित माता–पिता, बहन–भाई हैं, योजना में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ जब उस धनराशि के देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय :–

| नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता | अभिदाता से सम्बन्ध | नामित व्यक्ति की आयु | प्रत्येक नामित व्यक्ति का देय अंश (शेयर) | आकस्मिकताएं, जिनके होने पर नाम अवैध हो जायेगा | यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, तो इस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बन्ध, यदि कोई हो, जिसे/जिन्हें नामित व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

दिनांक ............................................... मास ................................. 20......

स्थान ...................................................................................................

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

नाम पता हस्ताक्षर

अभिदाता के हस्ताक्षर

नाम : (हिन्दी में) ............................................

(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ...................................

पदनाम ..........................................................

1–

2–

### कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के कार्यालय के प्रयोग के लिए

स्थान .......................................................................

श्री/श्रीमती/कुमारी ..................................................... का नाम

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)..................................

पदनाम ...................................................................

(कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी)

मुहर

द्वारा नामांकन प्रपत्र की प्राप्ति का दिनांक .......................................................

———————————————————————————————————————

<u>अभिदाता के हस्ताक्षर</u>

(क) अभिदाता का पूरा नाम भरा जाय।

(ख) 'परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा।

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियाँ तथा बच्चे एवं अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial Separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है, उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण–पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतद्पश्चात् अभिदाता का परिवार की सदस्य नहीं मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित रूप से स्पष्ट अभिसूचना (Express Notification) द्वारा यह सूचित न करें कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा।

(दो) महिला अभिदाता के मामले में, अभिदाता का पति तथा बच्चे और अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता लिखित अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किये जाने की इच्छा व्यक्त कर देती है, तो पति को एतद्पश्चात् अभिदाता के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में उसे सम्मिलित न किये जाने हेतु अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिखकर कर रद्द न कर दें।

टिप्पणी :– (1) "बच्चों" का तात्पर्य वैध बच्चों से है।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायगा जब दत्तक ग्रहण अभिदाता पर शासी स्वीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। किन्तु, यदि कार्यालयाध्यक्ष/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के मन में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो यह तभी मान्य होगा जब सरकार के विधि परामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जारज बच्चे' (Natural Child) की प्रास्थिति (Status) प्रदान करने के लिए विधिक मान्यता प्राप्त है।

(ग) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा' लिखा जाय। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश जिसमें पेंशन खाते की सम्पूर्ण देय धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय।

(घ) स्तम्भ–5 में आकस्मिकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय।

(ङ) स्तम्भ–6 में अभिदाता के नाम का उल्लेख न किया जाय।

(च) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आर–पार लकीर खींच दी जाय, जिससे कि अभिदाता के हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके।

## अभिदान का विवरण

वित्तीय वर्ष ................................ ब्याज दर..........(डी0सी0आई0 खाते में की गयी कटौती हेतु)

डी0सी0आई0 नम्बर : .................................................

कर्मचारी का नाम : ......................................................... प्रान नम्बर : ....................................................

लेखाशीर्ष : .........................................................................

| भुगतान का मास | वेतन/ बकाया वेतन/ महंगाई भत्ते की सम्बद्ध अवधि | कोषागार बाउचर/ चालान संख्या और दिनांक | बाउचर/ चालान की धनराशि | कर्मचारी का अंशदान | शेड्यूल की धनराशि का योग जिसमें कटौती सम्मिलित की गयी हो | राज्य सरकार/ नियोक्ता का अंशदान | योग (कालम 6+8) | मासिक क्रमागत योग | आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| अप्रैल | | | | | | | | | |
| मई | | | | | | | | | |
| जून | | | | | | | | | |
| जुलाई | | | | | | | | | |
| अगस्त | | | | | | | | | |
| सितम्बर | | | | | | | | | |
| अक्टूबर | | | | | | | | | |
| नवम्बर | | | | | | | | | |
| दिसम्बर | | | | | | | | | |
| जनवरी | | | | | | | | | |
| फरवरी | | | | | | | | | |
| मार्च | | | | | | | | | |
| योग | | | | | | | | | |

### डी0सी0आई0 के लिये

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे

क–प्रारंभिक शेष जोड़िये ............................................

ख–(1) वर्ष में नियमित जमा ............................................

(2) प्रारम्भिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज ............................................

(3) वर्ष में अवशेष जमा ............................................

(4) अवशेष जमा पर ब्याज ............................................

(5) योग (1 से 4 तक) ............................................

महायोग (क+ख) (5) ............................................

### प्रान के लिये

वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे

1–प्रारम्भिक शेष ............................................

2–वर्ष के दौरान अभिदाता अंशदान ............................................

3–वर्ष के दौरान नियोक्ता अंशदाता ............................................

4–वर्ष का अन्तिम शेष ............................................

### सत्यापन

.......................................................... द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

.......................................................... द्वारा सत्यापन किया गया।

कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

**नोट :–**

1–नियमित वेतन बिलों के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बन्धित विवरण अंकित किये जायेंगे। ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।

2–जिस अवधि तक डी0सी0आई0 में कटौती की गयी है, उस अवधि तक के लिये ब्याज दर, जी0पी0एफ0 पर लागू ब्याज दर के समान होगी। जिस माह से प्रान में धनराशि जमा की जा रही हैं, इस माह से राज्य सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना है। प्रान में कटौती जमा होने के प्रथम माह से पासबुक का पृष्ठ बदल दिया जाये (अर्थात् नये पृष्ठ से इन्ट्री की जायेगी)।

———

## उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–06 / 2017 / सा–3–118 / दस–2017–301(9)–2011

लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2017

विज्ञप्ति / शुद्धि–पत्र

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) से आच्छादित कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या 05 / 2017 / सा–3–109 / दस–2017–301(9)–2011, दिनांक 10 मार्च, 2017 को पासबुक का प्रारूप जारी किया गया है। अभिदान के विवरण वाले प्रोफार्मा में आंशिक प्रत्याहरण के लेखे जोखे का कालम छूट गया था, जिसे सम्मिलित करते हुए अंतिम पृष्ठ को संशोधित कर दिया गया है, जो इस कार्यालय ज्ञाप के साथ संलग्न है। शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत एन0पी0एस0 पासबुक के प्रारूप को तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

| | | | |
|---|---|---|---|
| वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे | | वार्षिक लेखा बन्दी के ब्यौरे | |
| क–प्रारंभिक शेष जोड़िये | ............ | 1–प्रारम्भिक शेष | ............ |
| ख–(1) वर्ष में नियमित जमा | ............ | 2–वर्ष के दौरान अभिदाता अंशदान | ............ |
| (2) प्रारम्भिक शेष एवं नियमित जमा पर ब्याज | ............ | 3–वर्ष के दौरान नियोक्ता अंशदान | ............ |
| (3) वर्ष में अवशेष जमा | ............ | 4–आंशिक प्रत्याहरण का विवरण | |
| (4) अवशेष जमा पर ब्याज | ............ | (1) वर्ष के दौरान आंशिक प्रत्याहरण रु0 | ............ |
| (5) योग (1 से 4 तक) | ............ | (2) प्रत्याहरण का दिनांक | ............ |
| | | (3) प्रत्याहरण का प्रयोजन | ............ |
| महायोग (क+ख)+(5) | ............ | 5–वर्ष का अंतिम शेष | ............ |

### सत्यापन

............ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित

............ द्वारा सत्यापन किया गया।

कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी की मुहर।

**नोट :–**

1–नियमित वेतन बिलों के अलावा अवशेष वेतन, अवशेष महंगाई वेतन एवं अवशेष महंगाई भत्ते से अंशदान की कटौती से सम्बन्धित विवरण अंकित किये जायेंगे। ब्याज सम्बद्ध अवधि के अनुसार आगणित किया जायेगा।

2–जिस अवधि तक डी0सी0आई0 में कटौती की गयी है, उस अवधि तक के लिये ब्याज दर, जी0पी0एफ0 पर लागू ब्याज दर के समान होगी। जिस माह से प्रान में धनराशि जमा की जा रही हैं, इस माह से राज्य सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना है। प्रान में कटौती जमा होने के प्रथम माह से पासबुक का पृष्ठ बदल दिया जाये (अर्थात् नये पृष्ठ से इन्ट्री की जायेगी)।

——

संख्या–07/2017/सा–3–108/दस–2017–301(9)–2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2017

**विषयः**– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी तथा प्रत्याहरण।

महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी तथा प्रत्याहरण के संबंध में पेंशन फण्ड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (पी0एफ0आर0डी0ए0) की अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा प्रख्यापित ''पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015'' जिसे आगे ''विनियम'' कहा गया है, को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 21/2015/सा–3–1038/दस–2015–301(09)–2011, दिनांक 06.11.2015 द्वारा अंगीकृत किया गया है।

**2–उक्त नियमावली के अनुसार :–**

(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारियों के टियर–1 खाते में संचित पेंशन धन से आंशिक प्रत्याहरण उपर्युक्त नियमावली के अध्याय–3 के अनुच्छेद–8 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये किये जाने की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार कोई अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदान की सम्पूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण कर सकता है। ऐसे प्रत्येक प्रत्याहरण की अंतिम तारीख से कम से कम पाँच वर्ष के उपरान्त अगला प्रत्याहरण अनुमन्य है परन्तु दो प्रत्याहरणों के बीच व्यतीत होने वाले पाँच वर्ष के अंतराल की अनिवार्यता विनियमावली में विनिर्दिष्ट रूग्णता के उपचार के मामलों में अथवा अभिदाता की मृत्यु की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी के मामलों में लागू नहीं होगी।

(2) प्रत्याहरण हेतु आवेदन की तिथि को अभिदाता के पेंशन खाते में उसके द्वारा किये गये अभिदान की संचित राशि की अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि प्रत्याहरित करने की अनुमति होगी।

3–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आंशिक प्रत्याहरण हेतु अभिदाता द्वारा फार्म संख्या–601 PW (अनुलग्नक–1) पर आवेदन किया जाना होगा।

4(1)–अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की दशा में फार्म संख्या–101 GS (अनुलग्नक 2क) पर आवेदन किया जाना अपेक्षित होगा, साथ ही फार्म संख्या–401 AN (अनुलग्नक 2ख) पर नामितियों का विवरण भी

प्रस्तुत किया जाना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक 2–ग में उल्लिखित अभिलेख भी प्रस्तुत किये जाने होंगे।

(2) अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के तीन माह पहले अभिदाता के वेतन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कटौतियां बन्द कर दी जाएंगी।

(3) आवेदन पत्र दो प्रतियों में कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संलग्नकों सहित आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं को कार्यालय अभिलेखों से सत्यापित करते हुए अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के 2 माह पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) जहां अभिदाता अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के पश्चात् अतिशेष रकम के प्रत्याहरण की वांछा नहीं करता है वहाँ ऐसे अभिदाता के पास तब तक एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण को आस्थगित करने का विकल्प होगा जब तक वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती, परन्तु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिये प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी।

(5) विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व उक्त विनियम के विनियम संख्या–6(ग) के अनुसरण में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यथा आवश्यक आदेश पारित कर आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे और उक्त विनियम के अनुसरण में अग्रतर कार्यवाही की जाएगी।

(6) यदि विनियम संख्या–6(ग) के अन्तर्गत कोई वसूली/निकास पर रोक आदि की कार्यवाही नहीं की जानी है तब भी इस आशय का प्रमाण–पत्र कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी को दिया जाएगा।

5–अधिवर्षता के पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी के प्रकरणों में अभिदाता द्वारा फार्म संख्या–102 GP (अनुलग्नक 3) पर आवेदन करना होगा साथ ही, अनुलग्नक 2–ख पर नामितियों का विवरण एवं अनुलग्नक 2–ग में उल्लिखित अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे।

6–अभिदाता की मृत्यु की दशा में अर्ह नामित/नामितियों द्वारा फार्म संख्या–103 GD (अनुलग्नक–4) पर आवेदन करना होगा एवं अनुलग्नक 2–ग में उल्लिखित अभिलेख भी प्रस्तुत किये जाने होंगे। मृत्यु की दशा में भरे जाने वाले फार्म संख्या–103GD के साथ सम्बन्धित कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक–8 पर संलग्न प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7–**अधिवर्षता/मृत्यु अथवा अधिवर्षता के पूर्व सम्पूर्ण राशि की निकासी :** अभिदाता की अधिवर्षता अथवा मृत्यु की तिथि को यदि उसके पेंशन खाते में कुल संचित पेंशन धन रुपये दो लाख अथवा उससे कम हो तो सम्पूर्ण धनराशि का एकमुश्त आहरण अनुमन्य होगा एवं इस हेतु क्रमशः अनुलग्नक–5 एवं 6 पर संलग्न प्रारूप में यथास्थिति अभिदाता/नामितियों द्वारा आवेदन एवं अण्डरटेकिंग दी जानी होगी। अधिवर्षता से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी की तिथि को अभिदाता के पेंशन खाते में संचित पेंशन धन यदि रुपये एक लाख अथवा उससे कम हो तो सम्पूर्ण संचित पेंशन धन निकाले जाने की अनुमति होगी तथा इसके लिये अभिदाता द्वारा अनुलग्नक–7 पर संलग्न प्रारूप में आवेदन एवं अण्डरटेकिंग दी जानी होगी।

8–पी0एफ0आर0डी0ए0 के सर्कुलर संख्या–पी0एफ0आर0डी0ए0/2015/06/EXIT/01, दिनांक 25 फरवरी, 2015 सपठित सर्कुलर संख्या–पी0एफ0आर0डी0ए0/2015/27/EXIT/02, दिनांक 12 नवम्बर, 2015 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी संबंधी आवेदनों की प्रॉसेसिंग ऑनलाईन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस हेतु केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी (सी0आर0ए0) की वेबसाइट पर आवश्यक Functionality उपलब्ध करायी गयी है। एन0पी0एस0 से प्रत्याहरण/निकासी हेतु ऑन लाईन प्रक्रिया स्वंय अभिदाता द्वारा अथवा नोडल अधिकारी द्वारा Initiate की जा सकती है। यदि अभिदाता द्वारा स्वयं ऑन–लाईन आवेदन किया जाता है तो भी विभिन्न संगत विवरणों का सत्यापन कराये जाने के प्रयोजन से संगत फॉर्म पर अभिदाता द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को संगत

अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। पी0एफ0आर0डी0ए0 के सर्कुलर दिनांक 25 फरवरी, 2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यदि आवेदनकर्ता द्वारा स्वतः ऑन लाईन आवेदन न कर संगत रूप पत्रों पर सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन किया जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आवेदन पत्र कोषागार को अग्रसारित किया जायेगा तथा कोषागार कार्यालय द्वारा सी0आर0ए0 वेबसाईट पर प्रत्याहरण/निकासी हेतु कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त सर्कुलर पी0एफ0आर0डी0ए0 की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

9–ऐसे प्रकरण भी शासन के संज्ञान में लाये गये हैं जिनमें ''सब्सक्राइबर कन्ट्रीब्यूशन फाईल (SCF)'' को अपलोड करते समय कतिपय त्रुटियां प्रकाश में आयी हैं। इस प्रकार की त्रुटियों का विवरण नीचे उद्धत किया गया है–

(1) ट्रस्टी बैंक को अधिक धनराशि का स्थानान्तरण।

(2) किसी अभिदाता के प्रान में अधिक धनराशि का स्थानान्तरण।

(3) किसी PRAN में की गयी कटौती की धनराशि का किसी अन्य PRAN में स्थानान्तरण।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अनाच्छादित अभिदाता के वेतन से कटौती।

उपर्युक्त त्रुटियों का निराकरण सी0आर0ए0 की वेबसाईट पर उपलब्ध Functionality- "Error Rectification Module (ERM)" का उपयोग करते हुये किया जायेगा। इस हेतु विस्तृत स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सी0आर0ए0 की वेबसाईट पर उपलब्ध है जिसके अनुसार विभिन्न चरणों पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। निदेशक, पेंशन इस संबंध में सी0आर0ए0 से सम्पर्क कर "Error Rectification Module (ERM)" का प्रयोग किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों एवं कोषाधिकारियों का प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे। सुविधा के लिये उपर्युक्त स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के सुसंगत अंश की संक्षिप्त रूपरेखा अनुलग्नक–9 पर संलग्न है।

10–प्रस्तर–9 के क्रमांक (2), (3) एवं (4) से संबंधित मामलों में इस शासनादेश के अनुलग्नक–10 पर स्थित प्रारूप पर आवेदन अपने आहरण एवं विवरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त आवेदन पत्र के भाग–6 एवं भाग–7 पर क्रमशः आहरण एवं विवरण अधिकारी तथा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र अंकित करते हुये कोषागार को अग्रसारित कर दिया जायेगा। सेवाकाल में मृत्यु/विकलांगता/चोट की दशा में यदि परिजन/कर्मचारी द्वारा शासनादेश संख्या–13/सा–180/दस–2016–301(09)/2011, दिनांक 19 मई, 2016 के अधीन पारिवारिक पेंशन/पेंशन की सुविधा के विकल्प का वरण किया जाता है अथवा किसी कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र दिये जाने अथवा उसके पदच्युत हो जाने की दशा में उसके प्रान खाते में संचित धनराशि की निकासी शासनादेश संख्या–सा–1192/दस–2015, दिनांक 14 जनवरी, 2016 के अधीन किये जाने हेतु भी अनुलग्नक–10 पर स्थित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

11–इस शासनादेश के प्रसतर–3, 5, 6, 7 एवं 10 के अधीन एन0पी0एस0 से प्रत्याहरण/निकास हेतु निर्धारित प्रारूप पर अभिदाता/नामिति/नामितियों द्वारा आवेदन समस्त संगत अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों का सत्यापन आहरण एवं विवरण अधिकारी तथा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा करते हुये मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव।

―――――

शासनादेश संख्या 07/2017—सा—3—108/दस—2017—301(9)—2011, दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक—1

FORM : 601 PW

**National Pension System (NPS)**

[Under Regulations 8 of PFRDA (Exits and withdrawals) Regulations, 2015]

Partial Withdrawal form for Tier-1 account under NPS

(Please fill all the details in CAPITAL LETTERS and BLACK INK only)

For Nodal Office use

PAO/DTO/POP/POP-SP Reg. no.: ☐☐☐☐☐☐☐

Receipt No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PRAN : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Act. No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(Generated by CRA System)

Entered By ______________________ Date : ______________

Verified By______________________ Date : ______________

Please select your Category (please tick)

☐ Government Sector ☐ Corporate Sector

☐ All Citigen of India ☐ NPS Lite/Swavalamban

To,
NPS Trust
Sir/Madam,

I ______________________ holding a Permanent Retirement Account under National Pension System, hereby submit partial withdrawal requast for withdrawal from by Tier-I account under NPS and give below the necessary details:

Section A - subscriber's Personal Details :

| | |
|---|---|
| PRAN * | ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
| Name of the Subscriber* | |
| Mobile No.# | |
| Email ID# | |

#Subscribers Mobile No. and Email ID provided here will not be updated in CRA records. For updation of Mobile No. and Email ID in CRA recordes, subscriber is required to submit S2 Form.

a. % of Partial Withdrawal* ☐☐ %

[Maximum 25% of own contribution (without accrued income earned thereon) only]

b. Purpose of withdrawal* (please tick on box below with reason applicable and submit the supporting documents)

☐ 1. for Higher education of children including a legally adopted child;

☐ 2. for the marriage of children including a legally adopted child;

☐ 3. for the purchase or construction of a residential house or flat in own name or in a joint name with legally wedded spouse;

☐ 4. for treatment of specified illnesses (please tick )

| | |
|---|---|
| | a. Cancer |
| | b. Kidney Failure (End Stage Renal Failure) |
| | c. Primary Pulmonary Arterial Hypertention |
| | d. Multiple Scierosis |
| | e. Major Organ Transplant |
| | f. Coronay Artery Bypass Graft |
| | g. Aorta Graft Surgery |
| | h. Heart Valve Surgery |
| | i. Stroke |
| | j. Myocardial Infarction |
| | k. Coma |
| | l. Total Blindness |
| | m. Paralysis |
| | n. Accident of serious/life thereatening nature |

c. Bank account details of the subscriber (please provide the details of the bank where the withdrawal amount shall be credited, tick as applicable and submit the bank proof).

☐ Same bank account already registered under NPS. ☐ another Bank account, please provide the details below

| | |
|---|---|
| Bank Account Number | |
| Bank Name | |
| Type of Bank Account | Savings Account ( ) Current Account ( ) |
| Bank Name and Address | |
| IFSC Code | |

| Section B - Declarations |
|---|
| Declaration by the Subscriber*:<br>1. I hereby declare that information stated above is true and correct to the best of my knowledge and belief and that I have completed minimum of ten years in to the NPS as required for partial withdrawal and eligible to withdraw the amount requested above due to the urgent need of funds to support the reason mentioned above.<br>2. I ____________________________________ (name) with PRAN _________________________ agree that in case of any failure of Direct Credit, for any reason whatever NPS Trust/CRA shall not be responsible. I also agree that NPS Trust/CRA shall not be responsible/liable for any losses that may arise due to incorrect bank account details provided herein above. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | |
| Place | | | | | | | | | Signature/Thumb impression of the Subscriber** |

** Left thumb impression in case of illiterate male claimant and Right thumb impression in case of illiterate female

Declaration by Nodal Office (for Government sector subscribers):*
I/we hereby declare that the subscriber sh./Smt/kum ........................ withPRAN........................is employed with us and have verified the genuineness of the reason for his/her withdrawal request and bank details submitted by him/her in respect of his/her request for partial withdrawal are correct.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | |
| | | | | | | | | | |
| Registration no. of DDO | | | | | | | | | Signature and stamp of the DDO |

| Date | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Registration no. of PAO/CDDO/DTO | | | | | | | | | Signature and stamp of the DTO/PAO/CDDO |

Declaration by POP/Aggregator (for Non government sector subsribers):

I hereby declare that the subscriber Sh./Smt./Kum. ______________________________ with PRAN __________________________ has signed/thumb impressed before me after he/she has read the entries/have been read over by him/her for the request of partial withdrawal under NPS. I have verified the genuineness of the reasons for his/her withdrawal request and bank details submitted by him/her in respect of his/her requset for partial withdrawal are correct.

| Date | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Registration no. of POP SP/NL-CC | | | | | | | | | Signature and stamp of the authorised person at POP-SP/NL-CC |

| Date | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Registration no. of POP/NL-AO | | | | | | | | | Signature and stamp of the authorised person at P0P/NL-AO |

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT

Acknowledgment slip to the NPS Subscriber on receipt of partial withdrawal application form

(To be filled by DDO/CDDO/PAO/DTO/POP/Aggregator)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Received from PRAN: | | | |
| DDO/POP-SP/NL-CC Registration Number: | | Date | D D M M Y Y Y Y |
| | | Received at | |
| PAO/CDDO/DTO/POP/NL-AO Registration Number : | | | |
| Acknowledgement Number: | | | |

**Form 601-PW**

(Under Regulation 8 of PFRDA Exits & Withdrawals Regulations, 2015)

Instructions Page

Instructions for filling up the form :

1. All fields marked with* are mandatory. All dates should be in DDMMYYYY format.

2. The Subscriber shall submit the application to the respective Nodal Office/POP/Aggregator for processing of request.

3. Before submitting the withdrawal form, subscriber should ensure that the bank account details are matched from the bank passbook/bank statement or cheque etc. to ensure that the details are correct. Subscriber should also attack the bank proof (cancelled cheque/copy of bank passbook/bank certificate) with the Partial Withdrawal Form submitted.

4. Subscriber should specify the purpose of Partial Withdrawal and a proof need to be submitted for the same.

5. Subscriber should be in the NPS atleast for a period of 10 years. A subscriber shall be permitted to withdraw not exceeding 25% of the contributions made by such subscriber to his/her individual pension account.

6. The Nodal officer/POP/Aggregator must verify the details of the bank account of subscriber.

7. Withdrawal amount received after the execution of the withdrawal request can be different from the requested amount to the extent of difference in NAV of two different days.

8. The withdrawal amount shall directly be credited to the bank account of the subscriber as mentioned in the withdrawal form.

9. In case, the subscriber already owns either individually or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under PFRDA regulations is permitted.

10. Treatment of specific illness covers the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from the specified illiness, which shall comprise of hospitalization and treatment.

11. The permitted withdrawal shall be allowed only if the eligibility criteria and limit for availing the benefit are complied with by the subscriber.

12. Frequency: the subscriber shall be allowed to withdraw only a miximum of three times during the entire tenure of subscription under the National Pension System and not less than a period of five years shall have elapsed from the last date of each of such withdrawal. Five years should have elapsed between two withdrawals shall not apply in case of "treatment for specified illnesses or in case of withdrawal arising out of exit from National Pension System due to the death of the subscriber.

13. For more detailed description of Partial Withdrawal option under NPS, please refer Regulation 8 of PFRDA (Exits & Withdrawals) Regulation, 2015.

14. The Nodal office/POP/Aggregator shall capture the details of the subscriber mentioned on the form and forward the same to NPS Claims Processing Cell (NPS CPc) at address mentioned below:

NPS Claim Processing Cell,<br>
Central Record Keeping Agency, NSDL,<br>
10th Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound,<br>
Senapati Bapat Marg, Lower Parel West, Mumbai-400013

---

संख्या–07/2017–सा–3–108/दस–2017–301(9)–2011, दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक–2क

**Annexure-A**

**Form 101-GS** **Page-1**

## National Pension System (NPS)

**Withdrawal Form for Claim of Accumulated Pension Wealth on superannuation for Government Employees**

(To be filled in by Subscriber - Please fill all the details in CAPITAL LETTERS and in BLACK INK only.)

(FOR OFFICE PURPOSE ONLY-NOT TO BE FILLED IN BY THE SUBSCRIBER)

Date : (DDMMYYYY) Acknowledgement Number : (Generated by CRA)

DDO Registration No.: _______________ PAO/DTO/POP/POP-SP Registration No. : _____________

Receipt Number issued by receiving officer

Entered By: ______________ Date : _____________ Verified By : ____________ Date ___________

Self attested photograph of the subscriber

Sir/Madam,

I hereby submit a request for withdrawal under NPS for both Tier-I/Tier-II (please tick as applicable) fund accumulations in my Permanent Retirement Account and give below the necessary details:

Section A- Suscriber's Personal Details :

1. PRAN* :

2. Full Name (As in PRAN Card) *:

First Name *

Middle Name

Last Name

3. Father's/Spouse name*:

First Name *

Middle Name

Last Name

4. Address* :

Flat/Unit No./Block no.*

Name of Premise/Building/Village

Area/Locality/Taluka

District/Town/City*

State/Union territory*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Country*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pin code:* | | | | | | |

5. Mobile No. | | | | | | | | | | |

6. Date of Birth* (as in PRAN Card): | | | | | | | | |

7. Email ID: ____________

8. Date of retirement *: | | | | | | | | |

**Form 101-GS** **Page-2**

Section B - Subscriber's Withdrawal Details:

**Tier - I Account :**

1. The Lump-sum amount to be withdrawn and amount topurchase annuity in case of normal withdrawal* (Please refer General Insruction no.-4)

| Description | Lump-Sum amount (Maximum of 60%) | Amont to purchase life annuity (Minimum of 40%) | Total |
|---|---|---|---|
| % share | | | 100% |

Note :– A separate form needs to be filled in for purchase of annuity and for arranging the monthly pension/annuity. The subscriber is required to follow the procedure laid down by Annuity Service Provider (ASP).

2. Type of withdrawal*:

One Time Withdrawal ☐ Phased Withdrawal ☐

3. In case of Phased Withdrawal#, please mention the percentage of lump-sum amount to be withdrawan this year (Please refer General Instruction no.-5).

| Description | Phased Lump-Sum Amount Percentage (Minimum 10%) |
|---|---|
| % share | |

Note :– In phased withdrawal of lump-sum amount, subscriber can opt to withdraw lump-sum amont for accumulated pension wealth in a phased manner over the period from 60 years (or any other retirement age as prescribed by employer) to 70 years. Subscriber has to withdraw minimum of 10% of the remaining pension wealth every year at the age of 70 years, subscriber would compulsory withdraw any amount lying to their credit. Also, note that in phased withdrawal of lump-sum amount, subscriber is subject to the NAV movement and may lose or gain in the future depending on the underlying fund's performance.

For subscriber opting for phased withdrawal, the Central Recordkeeping Agency (CRA) maintenance charges would be deducted from the corpus/units lying in the account of the subscriber.

**Tier - II Account :**

The entire accumulated pension wealth would be paid out in single lump sum along with the withdrawal/ payment of the Tier-I account.

Section C - Subscriber's Bank Details :

1. For Electronic transfer or Direct Credit through ECS/NEFT/RTGS, Proof attached for Bank Details*:

Cancelled Cheque ☐ Bank Certificate ☐

(Please note that Mode of remittance of funds would be through ECS/NEFT/RTGS/Electronic Transfer only and bank charges, if any, for direct credit would be deducted from pension wealth)

2. Type of Bank Account*: Savings A/C ☐ Current A/C ☐

3. Bank A/c Number*

4. Bank Name*

5. Bank Branch*

6. Bank Address*

7. Pin Code* 8. Bank IFS Code*

9. Bank MICR Code (Wherever applicable)

Form 101-GS **Page 3**

Section D-Subscriber's Annuity Details:

1. Annuity Service Provider (ASP) Name *:

2. ASP ID*:

3. ASP Scheme Name *:

4. ASP Scheme ID*:

| Declaration:<br>I ____________________________, NPS Subscriber, my PRAN is _______ do hereby declare that the inforation provided above is true to the best of my knowledge and belief<br>Date : | Signature/Left Thumb Impression of the Subscriber |
|---|---|
| D D M M Y Y Y Y<br>*Note: Left thumb impression in case of illiterate male claimans and Right thumb impression in case of illiterate female claimants must be obtained. | |

Form 101-GS Page 4

Annexure for Nomination Details

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM

The details of nominees to whom the outstanding pension wealth of the subscriber is payable in case of the demise of the subscriber before entire proceeds are withdrawn (Please refer general instruction no. 6) is to be provided hereunder. Also, please note that in case of demise of the subscriber after opting for phased withdrawal, all the outstanding pension wealth out of phased lump sum withdrawal in the account of the subscriber will be paid to the nominee (s) as mentioned in this form and the same would be treated as full and final discharge of the obligation. In case, if you wish to appoint multiple nominees. Please fill inthe form 401-AN.

I, _________________________ hereby nominate the person (s) mentioned below who is/are member (s)/non- member(s) of my family to receive the amount that may stand to my credit in the National Pension System as indicated below, in the event of my death before that eligible accumulated pension wealth amount has become payable or having become payable or having become payable has not been paid.

1. Name of the Nominee :

| First Name * | Middle Name | Surname/Last Name |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

2. Nominee's current communication Address

Flat/Unit No. Block no* ______________________________________________
Name of Premise/Building/Village ______________________________________
Area/Locality/Taluka __________________________________________________
District/Town/City* ___________________________________________________
State/Union Territory * ________________________________________________
Country*_____________ Pin Code * _________ Email ID: _______________ Mobile No. ___________

3. Date of Birth of the Nominee* (Only in case of a minor):

4. Relationship of the nominee with the Subscriber*:
(e.g. If nominee is son, subscriber should fill the relationship as 'Son')

5. Nominee's Guardian Details* (only in case of a minor):

| First Name * | Middle Name | Surname/Last Name |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Dated this ____________ day of _________20 at ___________

in the presence of the following witnesses:

| Particulars | Ist Witness | 2nd Witness | Signature/Left Thumb Impression of the Subscriber |
|---|---|---|---|
| Name | | | |
| Address | | | |
| Signature | | | |

***Note**: Left thumb impression in case of illiterate male Subscriber and Right thumb impression in case of illiterate female subscriber must be obtained.

TO BE FILLED /Attested BY DDO/POP-SP

Certified that the above declaration and nomination details has been signed/thumb/impressed before me by Sh/Smt/Ms. ________ __________________ after he/she have read the entries/entries have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her. Also certify that the date of retirement is as per employee records available with the Department. TGhe datge of retirement of the subscriber as per government record is as given below:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | (DDMMYYYY) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Rubber Stamp of the DDO/POP/POP-SP | | Signature of the Authorised Person |

DDO/POP-SP Registration Number ___________________ Designation of the Autghorised Person : __________________

(Allotted by CRA)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | | DDO/POP-SP Office Name : _____________________ |

| | |
|---|---|
| TO BE FILLED/ATTESTED BY PAO/DTO/POP/POP-SP<br><br>Rubber Stamp of the PAO/DTO/POP/POP-SP | PAO/DTO/POP/POP-SP Registration Number (Allotted by CRA) : ______________________________________________________<br><br>Signature of the Authorised Person |

CLAIM FOR THE WITHDRAWAL OF ACCUMULATED PERSION WEALTH OF THE SUBSCRIBER UNDER NATIONAL **PENSION SYSTEM**

**Advanced Stamped Receipt**

I ___________ covered under the National Pension System with Permanent Retirement Account Number (PRAN) ______________ has received a sum of Rs. /- (Rupees ___________________________ only) from National Pension System/National Pension System Trust by deposit in my Saving Bank/Cureent Account towards the settlement of my National Pension System (NPS) account.

| |
|---|
| Affix 1 Rupee Revenue Stamp and sign across |

Signature or Left/Right hand thumb impression of the NPS Subscriber*

(***Note*** : Left thumb impression in case of illiterate male claimants and Right thumb impression in case of illiterate female claimants must be obtained.)

---

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT

Acknowledgment slip to the NPS Subscriber on receipt of completed application form for Withdrawal on Superannuation

(To be filled by PAO/DTO/POP/POP-SP)

Received from PRAN : | | | | | | | | | | | | |

DDO Registration Number : ____________________ PAO/DTO/POP/POP-SP Registration Number : ____________________

Received at : ________________________ Date : ___________________ Time : _____________________

Acknowledgement Number : | | | | | | | | | | |

(Generated by CRA

Form 101-GS **Page 6**

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE FORM

**This application should be filled by the Subscriber seeking to withdraw pension wealth benefits upon** Superannuation from Government Service.

Documents to be enclosed along with this application :-

1. PRAN card in original. In case PRAN card is not availble, the subscriber needs to submit a duly notarized Affidavit as to the reasons of non-submission of the PRAN card.
2. Cancelled cheque (containing Subscriber Name, Bank Account Number and IFS Code) or Bank Certificate Containing Name, Bank Account Number and IFSC code, for direct credit or electronic transfer.
3. A pre-signed receipt acknowledging the receipt of the proceed under NPS by the subscriber.
4. In addition to the PRAN card any other identification and address proof of the subscriber. The Photocopies of documents (Sr. No. a to i) and original document (Sr no. j) that can be provided as identification and address proof are as mentioned below:
   a) Ration Card with photograph of the subscriber and residential address.
   b) Bank Passbook with photograph and residential address.
   c) Credit Card with photograph, any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the subscriber.
   d) Passpost.
   e) Aadhar Card issued by UIAD.
   f) Voter's Photo Identity Card with residential address.
   g) Driving license with photograph and residential address.
   h) PAN card and any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the subscriber.
   i) Final relieving certificate from government service on superannuation, if the application for withdrawal is submitted through the Points of Presence (POP).
   j) Certification of identity with photograh signed by a Member of Parliament of or member of LegislativeAssembly or Municipal Councilor or a Gazetted Officer and any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the subscriber (to be provided original).

In case if the address is not present on any of the above documents or differs with address provided in this form, proof in respect of current residential address like latest telephone bill, electricity bill in the name of the subscriber should be submitted.

GENERAL INSTRUCTION:

1.All the columns in the form should be filled with black ink pen without any overwring.

2. Fields marked with(*) are mandatory.

3. Correct postal address, including the pin code should be provided.

4. Percentage of allocation for amount to be withdrawn as Lump-sum and amount to purchase life annuity. Subscriber can withdraw maximum 60% of pension wealth and is required to transfer minimum 40% of pension wealth to annuity. For example, for a total corpus of Rs. 1000, if subscriber wants Rs. 300 as lump-sum and Rs. 700 for annuitisation, subscriber to select 30% and 70%.

5. Please select the type of lump-sum withdrawal as one-time or phased. For e.g. for a total corpus of Rs. 1000/-subscriber has selected Rs. 300 as lump-sum amount. For one time withdrawal subscriber will be given Rs. 300 as lump-sum amount on processing of withdrawal request. For phased withdrawal subscriber will be given minimum of 10% i.e. Rs. 30 for the period of 10 years, at the age of 70 years, subscriber would compulsorily withdraw any amount lying to their credit.

6. Instructions for nomination—

*Subscriber can nominate maximum of three nominees.

*Subscriber cannot fill the same nominee details more than once.

*Percentage share value for all the nominees must be integer. Fractional value will not be accepted.

*Sum of percentage share across all the nominees must be equal to 100. If sum of percentage is not equal to 100, entire nomination will be rejected.

*If a nominee is a minor, then nominee's guardian details will be mandatory.

**<u>For the purpose of this document pension Wealth means</u>**: The total amount of contributions made by the subscriber in the scheme plus the investment income derived from the investment of the contributions made by the subscriber from the date of joining of New Pension System till the date of execution of withdrawal request in the CRA System.

## शासनादेश संख्या 07/2017/सा–3–108/दस–2017–301(9)–2011, दिनांक 20 मार्च, 2017 का

### अनुलग्नक–2ख

**Form 401.AN** **Annexure for Nomination Details** **Page 1**

### INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM

The details of nominees to whom the outstanding pension wealth of this subscriber is payable in case of the demise of the subscriber before entire proceeds are withdrawn (Please refer general instruction no. 6) is to be provided hereunder. Also, please note that in case of demise of the subscriber after opting for phased withdrawal, all the outstanding pension wealth out of the phased lump sum withdrawal in the account of the subscriber will be paid to the nominees as mentioned in this form and the same would be treated as full and final discharge of the obligation.

I, --------------------------------- hereby nominate the persons (s) mentioned below who is/are member(s)/non-member (s) of my family to receive the amount that may stand to my credit in the National Pension system as indicated below, in the event of my death before that eligible accumulated pension wealth amount has become payable or having become payable or having become payable has not been paid.

1. Name of the Nominee*:

| Ist Nominee | 2nd Nominee | 3rd Nominee |
|---|---|---|
| First Name* | First Name* | First Name* |
| | | |
| Middle Name* | Middle Name* | Middle Name* |
| | | |
| Last Name* | Last Name* | Last Name* |
| | | |

2. Present Communication address of the nominees:

| Address of 1st Nominee | Address of 2nd Nominee | Address of 3rd Nominee |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

3. Date of Birth* (Only in case of minor):

| 1st Nominee | | 2nd Nominee | | 3rd Nominee | |
|---|---|---|---|---|---|

4. Relationship with the Nominee*:

| 1st Nominee | 2nd Nominee | 3rd Nominee |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. Percentage Share:

| 1st Nominee | | | | | | | | | 2nd Nominee | | | | | | | | 3rd Nominee | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

6. Nominee's Guardian Details* (Only in case of a minor):

| Ist Nominee's Guardian Details | 2nd Nominee's Guardian Details | 3rd Nominee's Guardian Details |
|---|---|---|
| First Name* | First Name* | First Name* |
| | | |
| Middle Name* | Middle Name* | Middle Name* |
| | | |
| Last Name* | Last Name* | Last Name* |
| | | |

Form 401-AN **Page 2**

Dated this ____________day of __________20 at ________________

| Particulars | 1st witness | 2nd witness |
|---|---|---|
| Name | | |
| Adress | | |
| Signature | | |

Signature/Left thumb Impression of the Subscriber

*Note: Left thumb impressionin case of illerate male Subscriber and Right thumb impression in case of illiterate female subscriber must be obtained.

TO BE FILLED/ATTESTED BY DDO/POP-SP
Certified that the above declaration and nomination details has been signed/thumb impressed before me by sh/smt/Ms. ____________________ after he/she have read the entries/entries have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her.

Rubber Stamp of the DDO/POP-SP

Signature of the Authorised Person

DDO/POP-SP Registration Number _________ Designation of the Authorised Person: ____

(Allottedby CRA)

Date:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

| | |
|---|---|
| Designation of the Authorised Person : _______ | |
| DDO/POP-SP Office Name : _________ | |

| | |
|---|---|
| TO BE FILLED/ATTESTED BY PAO/DTO/POP/POP-SP<br><br>Rubber Stamp of the PAO/DTO/POP/POP-SP | PAO/DTO/POP Registration Number (Allotted by CRA ___________<br><br>Signature of the Authorised Person |

शासनादेश संख्या–07 / 2017 / सा–3–108 / दस–2017–301(9)–2011,दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक–2ग

**Annexure B**

**Documents to be enclosed with the application**

1. List of documents acceptable as Proof identity and Address for exit under NPS (for all variants);-

| Sl. No. | Proof of Identity (Copy of any one of the given below documents) | Proof of Address (Copy of any one of the given below documents) |
|---|---|---|
| a | Passport issued by Government of India. | Passport issued by Government of India. |
| b | Ration Card with Photograph | Ration card with photograph and residential address. |
| c | Bank pass book or Certificate with Photograph. | Bank Pass book or Certificate with photograph and residential address. |
| d | Voters Identity card with photograph and residential address | Voters Identify card with photograph and residential address. |
| e | Valid Driving license with photograph. | Valid Driving license with photograph and residential address. |
| f | PAN Card issued by income tax department. | Letter from any recognized public authority at the level of Gazetted officer like District Magistrate, Divisional Commissioner, BDO, Tehsildar, Mandal Revenue Officer, Judical Magistrate etc. |
| g | Certificate of identify with photograph signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly. | Certificate of address with photograph signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly. |
| h | Aadhar Card/letter issued by Unique Identification Authority of India. | Adhar Card/Letter issued by Unique Identification Authority of India clearly showing the address. |
| i | Job Cards issued by NREGA duly signed by an Officer of the State Government. | Job cards issujed by NREGA duly signed by an Officer of the State Government. |
| j | Photo Identity card issued by Government Defence, Paramilitary and Police Departments. | Latest Electricity/Water bill in the name of the subscriber/Claimant and showing the address (Less than 6 months old). |
| k | Ex-Service Man Card issued by Ministry of Defence to their employees. | Latest Telephone bill in the name of the subscriber/Claimant and showing the address (less than 6 months old). |
| I | Photo Credit Card. | Latest property/house Tax Receipt (not more than one year old). |
| m | | Existing Valid registered lease agreement of the house on stamp paper in case agreement of the house on stamp paper (in case of rented/leased accommodation). |
| n | Identity card issued by Central/State Government and its Departments, Statuary/Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Public Financial Institution, Colleges affiliated to Universities and Professional Bodies such as ICAI, ICWAL, ICSI, Bar Council etc. | The identity card/document with address, issued by any of the following:<br>Central/State Government and its Departments, Statuary/Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Schedules Commercial Banks, Public Financial Institution for their Employees. |

2. In addition to the above, Original PRAN card is required. In case PRAN card is not available, the subscriber needs to submit a duly notarized Affidavit as to the reasons of non-submission of the PRAN Card.

3. Cancelled cheque (containing Subscriber Name, Bank Account Number and IFS Code) or Bank Certificate Containing Name, Bank Account Number and IFS Code, if opted for direct credit or electronic transfer.
4. A pre-signed receipt acknowledging the receipt of the proceeds under NPS by the subcriber/claimant/nominee.
5. In case of Withdrawal of Accumulated Pension Wealth by Claimant/Nomiee due to the death of a subscriber, the Claiment/Nominee needs to submit Death certificate in original of the decesed subscriber.

शासनादेश संख्या–07 / 2017–सा–3–108 / दस–2017–301(9)–2011, दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक–2क

**Annexure-A**

**Form 102-GP** **Page-1**

## National Pension System (NPS)

### Withdrawal Form for Claim of Accumulated Pension Wealth on exiting before the age of normal superannuation for Government Employees

(To be filled in by Subscriber - Please fill all the details in CAPITAL LETTERS and in BLACK INK only.)

(FOR OFFICE PURPOSE ONLY-NOT TO BE FILLED IN BY THE SUBSCRIBER)

Date : [ ] (DDMMYYYY) Acknowledgement Number : [ ] (Generated by CRA)

DDO Registration No.: _______________PAO/DTO/POP/POP-SP Registration No. : _____________

Receipt Number issued by receiving officer [ ]

Entered By: ______________ Date : _____________ Verified By : ____________ Date ___________

Self attested photograph of the subscriber

Sir/Madam,

I hereby submit a request for withdrawal under NPS for both Tier-I and Tier-II fund accumulations in my Permanent Retirement Accunt and give below the necesary details:

Section A- Suscriber's Personal Details :

1. PRAN* :
2. Full Name (As in PRAN Card) *:

First Name *

Middle Name

Last Name

3. Father's/Spouse name*:

First Name *

Middle Name

Last Name

4. Address* :

Flat/Unit No./Block no.*

Name of Premise/Building/Village

Area/Locality/Taluka

District/Town/City*

State/Union territory*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Country*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pin code:* ☐☐☐☐☐☐ 5. Mobile No. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. Date of Birth* (as in PRAN Card): ☐☐☐☐☐☐☐☐ 7. Email ID: ☐

8. Date of retirement *: ☐☐☐☐☐☐☐☐

**Form 102-GP** **Page-2**

**Section B-Subscriber's Withdrawal Details:**

**Tier-1 Account :**

1. The Lump-sum amount tobe withdrawn and amount to purchase annity in case of normal withdrawal* (Please refer general instruction no. 4)

| Description | Lump-Sum amount (Maximum of 20%) | Amount to purchase life annuity (Minimum of 80%) | Total |
|---|---|---|---|
| % share | | | 100% |

Note : A separate form needs to be filled in for purchase of Annuity and for arranging the monthly pension/annuity. The subscriber is required to follow the procedure laid down by Annuity Service Provider (ASP)

Tier-II Account :

The entire accumulated pension wealth would be paid out in single lump sum along with the withdrawal/payment of the Tier-A account.

Section C-Subscriber's Bank Details:

1. For Electronic transfer or Direct Credit through ECS/NEFT/RTGS, Proof attached for Bank Details*:

Cancelled Cheque ☐ Bank Certificate ☐

(Please note the Mode of remittance of funds would be through ECS/NEFT/RTGS/Electronic Transfer only and bank charges, if any, for direct credit would be deducted from pension wealth)

2. Cancelled Cheque ☐ Bank Certificate ☐

3. Bank A/c Number*

4. Bank Name*

5. Bank Branch*

6. Bank Address*

7. Pin Code* 8. Bank IFS Code*

9. Bank MICR Code (Wherever applicable)

Section D-Subscriber's Annuity Details:

1. Annuity Service Provider (ASP) Name *:

2. ASP ID*:

3. ASP Scheme Name *:

4. ASP Scheme ID*: | | | | | | |

| Declaration:<br>I _____________________________, NPS Subscriber, my PRAN is _______ do hereby declare that the inforation provided above is true to the best of my knowledge and belief<br>Date : \| \| \| \| \| \| \| \| \|<br>D D M M Y Y Y Y | Signature/Left Thumb Impression of the Subscriber |
|---|---|

*Note: Left thumb impression in case of illiterate male claimans and Right thumb impression in case of illiterate female claimants must be obtained.

Form 102-GP **Page 3**

Annexure for Nomination Details

| INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE FORM |
|---|
| The details of nominees to whom the outstanding pension wealth of the subscriber is payable in case of the demise of the subscriber before entire proceeds are withdrawn (Please refer general instruction no. 6) is to be provided hereunder. Also, please note that in case of demise of the subscriber after opting for phased withdrawal, all the outstanding pension wealth out of phased lump sum withdrawal in the account of the subscriber will be paid to the nominee (s) as mentioned in this form and the same would be treated as full and final discharge of the obligation. In case, if you wish to appoint multiple nominees. Please fill in the form 401-AN. |
| I, _________________________ hereby nominate the person (s) mentioned below who is/are member (s)/non- member(s) of my family to receive the amount that may stand to my credit in the National Pension System as indicated below, in the event of my death before that eligible accumulated pension wealth amount has become payable or having become payable or having become payable has not been paid. 1. Name of the Nominee : |

| First Name * | Middle Name | Surname/Last Name |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

2. Nominee's current communication Address

Flat/Unit No. Block no* ____________________________________________

Name of Premise/Building/Village ______________________________________

Area/Locality/Taluka ______________________________________________

District/Town/City* _______________________________________________

State/Union Territory * _____________________________________________

Country*_____________ Pin Code * _________ Email ID: _______________ Mobile No. ___________

| | |
|---|---|
| 3. Date of Birth of the Nominee* (Only in case of a minor): | |
| 4. Relationship of the nominee with the Subscriber*:<br>(e.g. If nominee is son, subscriber should fill the relationship as 'Son') | |

5. Nominee's Guardian Details* (only in case of a minor):

| First Name * | Middle Name | Surname/Last Name |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Dated this ____________ day of _________20 at ___________

in the presence of the following witnesses:

| Particulars | Ist Witness | 2nd Witness | Signature/Left Thumb Impression of the Subscriber |
|---|---|---|---|
| Name | | | |
| Address | | | |
| Signature | | | |

***Note**: Left thumb impression in case of illiterate male Subscriber and Right thumb impression in case of illiterate female subscriber must be obtained.

Form 102-GP **Page 4**

TO BE FILLED /Attested BY DDO/POP-SP

Certified that the above declaration and nomination details has been signed/thumb/impressed before me by Sh/Smt/Ms. ________ __________________ after he/she have read the entries/entries have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her. Also certify that the date of retirement is as per employee records available with the Department. TGhe datge of retirement of the subscriber as per government record is as given below:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | (DDMMYYYY) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Rubber Stamp of the DDO/POP/POP-SP | | Signature of the Authorised Person |

DDO/POP-SP Registration Number ___________________ Designation of the Autghorised Person : __________________

(Allotted by CRA)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | | DDO/POP-SP Office Name : _____________________ |

| | |
|---|---|
| TO BE FILLED/ATTESTED BY PAO/DTO/POP/POP-SP<br><br>Rubber Stamp of the PAO/DTO/POP/POP-SP | PAO/DTO/POP/POP-SP Registration Number (Allotted by CRA) : ______________________________________________________<br><br>Signature of the Authorised Person |

Form 102-GP **Page 5**

CLAIM FOR THE WITHDRAWAL OF ACCUMULATED PERSION WEALTH OF THE SUBSCRIBER UNDER NATIONAL **PENSION SYSTEM**

**Advanced Stamped Receipt**

I ___________ covered under the National Pension System with Permanent Retirement Account Number (PRAN) ______________ has received a sum of Rs. /- (Rupees ___________________________ only) from National Pension System/National Pension System Trust by deposit in my Saving Bank/Cureent Account towards the settlement of my National Pension System (NPS) account.

Affix 1 Rupee Revenue Stamp and sign across

Signature or Left/Right hand thumb impression of the NPS Subscriber*

(***Note** : Left thumb impression in case of illiterate male claimants and Right thumb impression in case of illiterate female claimants must be obtained.)

---

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT

Acknowledgment slip to the NPS Subscriber on receipt of completed application form for Withdrawal on Superannuation

(To be filled by PAO/DTO/POP/POP-SP)

Received from PRAN : | | | | | | | | | | | | |

DDO Registration Number : ____________________ PAO/DTO/POP/POP-SP Registration Number : ____________________

Received at : ________________________ Date : ___________________ Time : _____________________

Acknowledgement Number : | | | | | | | | | | |

(Generated by CRA

Form 102-GP **Page 6**

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE FORM

This application should be filled by the Subscriber seeking to withdraw pension wealth benefits before attaining the age of normal superannuation from Government Service

Documents to be enclosed along with this application:-

1. PRAN card in original. In case PRAN card is not avaible, the subscriber needs to submit a duly notarized Affidavit as to the reasons of non-submission of the PRAN card.
2. Cancelled cheque (containing Subscriber Name, Bank Account Number and IFS Code) or Bank Certificate Containing Name, Bank Account Number and IFSC code, for direct credit or electronic transfer.
3. A pre-signed receipt acknowledging the receipt of the proceed under NPS by the subscriber.
4. In addition to the PRAN card any other Identification and address proof of the subscriber. The photocopies of documents (Sr. No. a to i) and original document (Sr. No.j) that can be provided as identification and address proof are as mentioned below:-
   a) Ration Card with photograph of the subscriber and residential address
   b) Bank Passbook with photograph and residential address.
   c) Credit Card with photograph, any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the subscriber.
   d) Passport
   e) Aadhar Card issued by UIAD
   f) Voter's Photo Identity Card with residential address
   g) Driving license with photograph and residential address
   h) PAN card and any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the subscriber.
   i) Final relieving certificate from government service on superannauation, if the application for withdrawal in submitted through the points of presence (POP).
   j) Certificate of identity with photograph signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or a Gazetted Officer and any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the subscriber (to be provided original)

In case if the address is not present on any of the above documents or differs with address provided in this form, proof in respect of current residential address like latest telephone bill, electricity bill in the name of the subscriber should be submitted.

GENERAL INSTRUCTIONS

1. All the columns in the form should be filled with black ink pen without any overwriting.
2. Fields marked with (*) are mandatory.
3. Correct postal address, including the pin code should be provided.
4. Percentage of allocation for amount to be withdrawn as lump-sum and amount to purchase life annuity. Subscriber can withdraw maximum 20% of pension wealth and is required to transfer minimum 80% of pension wealth to annuity. For example, for a total corpus of Rs. 1000/-, if subscriber wants Rs. 100 as lump-sum and Rs. 900 for annuitisation, subscriber to select 10% and 90%.
5. Instructions for nomination
   * Subscriber can nominate maximum of three nominees.
   * Subscriber cannot fill the same nominee details more than once.
   * Percentage share value for all the nominees must be integer. Fractional value will not be accepted.
   * Sum of percentage share across all the nominees must be equal to 100. If sum of percetage is not equal to 100, entire nomination will be rejected.
   * If a nominee is a minor, then nominee's guardian details will be mandatory.

<u>For the purpose of this document Pension Wealth means:</u> The total amount of contributions made by the subscriber in the scheme plus the investment income derived from the investment of the contributions made by the subscriber from the date of joining of National Pension System till the date of execution of withdrawal request in the CRA System.

शासनादेश संख्या–07/2017/सा–3–108/दस–2017–301(9)–2011,दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक–4

Form 103-GD **Page 1**

NATIONAL PENSION SYSTEM (NPS)

Withdrawal of Accumulated Pension Wealth by Claimant due to the death of the subseriber

(Please fill all the details in Capital Lettres and in Black Ink only.)

This application should be filled by :-

If a valid nomination subsists : By the Nominee(s), if the nominee(s) is/are minor(s) guardian of the minor(s)

If no nomination subsists : By the family members (family includes posthumous child if any) except major sons and married daughters whose husbands are live, of the deceased family member duly supported bya list of surviving family membersfurnished by Executive magistrate complete particulars such as name, relationship with the deceased member (in case of parents whether dependent or not) age, maritalc status, Also, if any family member is minor by the guardian of the minor.

If both 1 and 2 above are not applicable, By legal heir (s) duly supported by a 'legal heir certificate' from the appropriate sate authority.

In case of multiple claimants, separate forms need to be filled and submitted.

(FOROFFICE PURPOSE ONLY-NOT TO BE FILLED IN BY THE CLAIMANTS)

Date : ☐☐☐☐☐☐☐☐ Acknowledgement Number ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(DD/MM/YYYY) (Generated by CRA)

DDO Registration No.—————— PAO/DTO/POP/POP-SP Registration No.——————

Receipt Number issued by receiving office : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Entered By : ——————Date :——————Verified By : ——————date : ——————

Sir/Madam,

I/We being a nominee(s)/legal heir(s)/guardian of minor nominee(s) or miner heir(s) of the deceased subscriber apply for the payment of the accumulated pension wealth of the deceased subscriber under the NPS for both Tier-I/Tier-II (please tick as applicable). I/we understand further that the entire accumulated pension wealth in both Tier I and Tier II (as applicable) would be settled as per the NPS scheme and hereby give below the necessary details :

Section A-Subscriber's Details :

1. PRAN : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. Full Name (As in PRAN card)*

First Name*

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Middle Name

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Last Name

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. Father's name/Spouse Name*

First Name*

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Middle Name

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Last Name

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

4. Date of Birth of the deceased subscriber* (As in PRAM Card) ☐☐☐☐☐☐☐☐ (DDMMYYYY)

5. Date of subscriber's death (DDMMYYYY) ☐☐☐☐☐☐☐☐

Form 103-GD **Page 2**

Section B-Details of the Claimant (person ontitlod to receive claim proceeds under the pollicy) :

1. name of the Claimant

First name* Middle name Surname/last name

2. Claimant's current communication Address :

Flat/Unit No. Block no.* ____________________

Name of Premise/Building/Village ____________________

Area/Locality/Taluka____________________

District/Town/City*____________________

State/Union Territory*____________________

Country*____________Pin Code*____________Email ID:____________Mobile No. ________

3. Date of subscriber's death (DDMMYYYY)

Relationship with the Subscriber* :
(e.g. If claimant is son, claimant should fill the relationship as 'Son'

5. Claimant's Guardian Details*

First name* Middle name Surname/last name

Section C-Claimant's Bank Details (Please refer General Instruction no. 6)

1. Bank Details of the Claimant :

1. For Electronic transfer or Direct Credit through ECS/NEFT/RTGS, Proof attached for Bank Details* :

cancelled Cheque ☐ Bank Certificate ☐

2. Type of Bank Account*: Savings A/c ☐ Current A/c ☐

3. Bank A/c Number*

4. Bank Name*

5. Bank Branch*

6. Bank Address*

7. Pin Code* 8. Bank IFS Code*

9. Bank IFS Code* (Wherever applicable)

Declaration :

I/We (as mentioned below), the nominee(s)/legal heir(s)/guardian of minor nominee(s) or miner heir(s) of NPS Subscriber Shri/smt./Ms.________________________________ do hereby declare that the information provided above is true to the best of my/our knowledge and belief.

| Claimants Signature (Signature of guardian in case the claimant is a minor) | Name of the Claimant or of guardian | Self attested Photograph of the Claimant/guardian |
|---|---|---|
| Signature/Left Thumb Impression* | Date: D D M M Y Y Y Y | |

TO BE FILLED/ATTESTED BY DDO/POP-SP:

Certified that the above declaration and details has been signed/thump impressed before me by Sh./Sm/Mr________________________________after the nominee(s)/legal heir(s)/guardian of minor nominee(s) or miner heir(s) has read the entries/entries have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her. It is also certified that this office has not paid/received any family penson to the legal heir(s)/nominee(s) of the deceased subscriber as per O.M. no. : 38/41/06/P&PW(A) dt. 05th May, 2009 issued by Department of Pension &Pensioners welfare (DoPPW) and other OMs issued in this regard and we don't have any objection for release of accumulated pension wealth to his/her claimant.

| | |
|---|---|
| Rubber Stamp of the DDO/POP-SP | Signature of the Authorised Person |

DDO/POP-SP Registration Number____________ Designation of the Authorised Person_________

(Allotted by CRA)

Date: D D M M Y Y Y Y DDO/POP-SP Office Name : ______________________

| TO BE FILLED/ATTESTED BY PAO/DTO/POP/POP-SP | PAO/DTO/POP/POP-SP Registration Number (Allotted by CRA) ________________________________ |
|---|---|
| Rubher Stamp of thePAO/DTO/POP/POP-SP | Signature of the Authorised Person |

CLAIM FOR THE WITHDRAWAL OF ACCUMULATED PENSION WEALTH BY CLAIMANTS DUE TO THE DEATH OF THE SUBSCRIBER UNDER NATIONAL PENSION SYSTEM

Advanced Stamped Receipt

Claimant/Guardian of the Claimant (if the claimant is minor)

Received a sum of Rs. (rupees..........................................................................................Only ) from National Pension System/National Pension System Trust by deposit in my Saving Bank/Current account towards the settlement of National Pension System account of late Shri/Smt.........................................with PRAN Number.............................

Affix I Rupee Revenue Stamp and sign across

Signature or Left/Right hand thump impression of the No,inee/Guardian*

Form 103-GD **Page 4**

| Requirements submitted along with this form | Yes/No |
|---|---|
| Original PRAN Card | |
| In the absence of PRAN card, notarized Affidavit | |
| Death certificate in original issued by local authorities | |
| Photo ID | |
| Address proof of the Claimant | |
| Date of birth proof of claimant | |
| Legal heir certificate | |
| Certified copy of family member's certificate issued by Executive Magistrate | |
| Cancelled cheque (containing nominee Name, Bank Account Number and IFS Code) or Bank Certificate | |
| Discharge Certificate from the employer (in case claim is lodged through a POP/POP-SP) | |
| Note : PFRDA reserves the right to call for additional requirements, if needed for establishing a valid claim under National Pension System. | |

| DECLARATION & AUTHORIZATION |
|---|
| I hereby declare that the information given on this death claim application form is true and complete to the best of my knowledge and belief. I hereby declare and agree that any personal information collected or held by the National Pension System (NPS) (whether contained in this application or otherwise obtained) is provided and may be held, used, and disclosed by the Company to individuals/organisations associated with the NPS or any selected third party (within or outside of India) for the purposes of processing this application. |

Witness Signature _____________ Claimant Signature _____________

Name of the Witness ___________ Name of Claimant ______________

(in block letters, family name first)

Address of Witness : _________________ Date : ________/_____/_____________________

DD MM Y YYY

Date :____/____/_______

DD MM YYY

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT

Acknowledgment slip to the Claimant on receipt of completed application form for Withdrawal due to death of the subscriber

(To be filled by PAO/DTO/POP/POP-SP)

Received from PRAN : | | | | | | | | | | | |

PAO/DTO/POP/POP-SP Registration Number : _________ PAO/DTO/POP/POP-SP Office Name ___

Received at : ________________ Date : __________________ Time : ________________

Acknowledgment Number : | | | | | | | | | | |

(Generated by CRA)

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE FORM

1. All the columns in the form should be filled with black ink pen without any overwriting.
2. Fields marked with (*) are mandatory.
3. The day on which CRA receives the confirmation of funds transferred to Subscriber's accounts; the PRAN will be deactivated in the CRA System.
4. Correct postal address, including the pin code should be provided.
5. The literate claimant should sign the application form. In case of the claimant being illiterate, Left hand thump impreswsion by illiterate male claimant and Right hand thump impression by illiterate female should be affixed in the claim form.
6. If the Nomince/legal heir is minor, Bank account number should be in the name of nominee/legal heir, Bank account's guandian should be same as mentioned in the withdrawal form.

<u>Documents to be enclosed with the application :-</u>

1. Death certificate in original of the deceased subscriber.
2. PRAN card in original. In case PRAN card is not available, a duly notarized affidavit as to the reasions of non-submission of the PRAN card is needs to be submitted.
3. Certified copy of family member's certificate issued by Executive Magistrate for cases where no nomination was registered with us.
4. Legal heir certificate when the claim is being made by.
5. Cancelled cheque (containing nominee Name, Bank Account Number and IFS Code) or Bank Certificate containing Name, Bank Account Number and IFSC code, for direct or electronic transfer.
6. A pre-signed receipt acknowledging the receipt of the proceeds by nominee/nominees/legal heir (as applicable)

1. Identification and address proof of the nominee or nominees, in case of multiple nominees. The plotocopies of documents (Sr. No.a to h) and original document (Sr. No. i) that can be provided as identification and address proof are as mentioned below :

    a) ration Card with photograph and residential address.

    b) Bank Passbook with photograph and residential address.

    c) Credit Card with photograph, any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the nominee.

    d) Passport.

    e) Aadhar card issued by UIAD.

    f) Voter's Photo Identity Card with residential address.

    g) Driving license with photograph and residential address.

    h) PAN card and any other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the nominee.

    i) Crrtificate of identify with photograph signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or a Gazetted Officer and any Other address proof like latest telephone bill, electricity bill in the name of the nominee (to be provided original).

In case if the address is not present on any of the above documents or differs with address provided in this form, proof in respect of current residential address like latest telephone bill, electricity bill in the name of the nominee should be submitted.

**<u>For the purpose of this document Pension Wealth means :</u>** The total amount of contributions made by the subscriber in the scheme plus the investment income derived from the investment of the contributions made by the subscriber from the date of joining of National Pension System till the date of execution of withdrawal request in the CRA System.

शासनादेश संख्या–07 / 2017 / सा–3–108 / दस–2017–301(9)–2011, दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक–5

**Annexure II**

*(As per Regulation 3(a) of PFRDA (Exits & Withdrawals)Regulations,2015)*

REQUEST CUM UNDER TAKING FORM FOR WITHDRAWAL OF TOTAL PENSION WEALTH AT SUPERANNUATION AND WHERE THE WHERA THE TOTAL PENSION WEALTH IS EQUAL TO OR LESS THANRS.

200,000/-

I...................................................S/D/W/O...........................................aged about.................years, residing at.........................................................................................................................................do herebysolemnly affirm and declare as under :

1.That I am a subscriber of National Pension System, holding PRAN....................

2. That since the total amount receivable by me as the benefit receivable upon exit from NPS is Rs. .............Which is less than/equal to the limit of Rs. 2,00,000/- Iunderstand that I am eligible to opt for withdrawal of the total pension wealth under NPS rules/guidelines.

basing on the above, I hereby opt to withdraw my complete pension wealth lying to my credit in my aforesaid PRAN account being the full and final benefits receivable by me.

I also understand that with the aforesaid withdrawal, I or my falily members shall not be entitled to receive any other or further benefits under the National Pension System (NPS) including the benefits as provided under PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations 2015.

Date :

Place : Signature/Thump Impression of the Subscriber*

Attested by :

Signature of the PAO/DDO/DTO :........................................................

Name of the designated Official :..........................................................

PAO/DDO/DTO Registration Number.................................................

Rubber Stamp of the PAO/DDO/DTO..................................................

**In case of female, Right Thump IMpression and in case of males Left Thump Impression may be taken*

**Annexure II**

*(As per Regulation 3(c) of PFRDA (Exits & Withdrawals)Regulations,2015)*

REQUEST CUM UNDER TAKING FORM FOR WITHDRAWAL OF TOTAL PENSION WEALTH DUE TO DEATH OF SUBSCRIBER AND WHERE THE TOTAL PENSION WEALTH IS EQUAL TO OR LESS

THAN Rs. 200,000/-

1. I/We..........................................................................................................being a nominee(s) legal heir(s) guardian of minor nominee(s) or minor here(s) of the deceased subscriber Sh/Smt/ku......................PRAN...............................apply for the payment of the accumulated Pension wealth of the deceased subscriber under the NPS and do hereby solemnly affirm and declare as under :

2. That since the total amount receivable as the benefit receivable upon exit from NPS is Rs. ..............,Which is less than/equal to the limit of Rs. 2,00,000/- I/we understand that I/we am/are eligible to opt for withdrawal of the total pension wealth under NPS rules/guidelines.

basing on the above, I/we hereby opt to withdraw complete pension wealth lying in the aforesaid PRAN account being the full and final benefits receivable by me/us.

I/we also understand that with the aforesaid withdrawal, I/we or my/our family members shall not be entitled to receive any other or further benefits under the National Pension System (NPS) including the benefits as provided under PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations 2015.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Signature of 1st Nominee/ Claimant | Signature of 2nd Nominee/ Claimant | Signature of 3rd Nominee/ Claimant |
| Date :<br>Place : | Date :<br>Place : | Date :<br>Place : |

Attested by :

Signature of the PAO/DDO/DTO :.......................................................

Name of the designated Official :.........................................................

PAO/DDO/DTO Registration Number.................................................

Rubber Stamp of the PAO/DDO/DTO..................................................

**Annexure II**

*(As per Regulation 3(b) of PFRDA (Exits & Withdrawals)Regulations,2015)*

REQUEST CUM UNDER TAKING FORM FOR WITHDRAWAL OF TOTAL PENSION WEALTH AT BEFORE SUPERANNUATION AND WHERE THE TOTAL PENSION WEALTH IS EQUAL TO OR LESS THAN RS. 100,000/-

I..................................................S/D/W/O..........................................aged about.................years, residing at..........................................................................................................................................do hereby solemnly affirm and declare as under :

1.That I am a subscriber of National Pension System, holding PRAN....................

2. That since the total amount receivable by me as the benefit receivable upon exit from NPS is Rs. .............Which is less than/equal to the limit of Rs. 1,00,000/- I understand that I am eligible to opt for withdrawal of the total pension wealth under NPS rules/guidelines.

Basing on the above, I hereby opt to withdraw my complete pension wealth lying to my credit in my aforesaid PRAN account being the full and final benefits receivable by me.

I also understand that with the aforesaid withdrawal, I or my falily members shall not be entitled to receive any other or further benefits under the National Pension System (NPS) including the benefits as provided under PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations 2015.

Date :

Place : Signature/Thump Impression of the Subscriber*

Attested by :

Signature of the PAO/DDO/DTO :........................................................

Name of the designated Official :.........................................................

PAO/DDO/DTO Registration Number.................................................

Rubber Stamp of the PAO/DDO/DTO..................................................

**In case of female, Right Thump Impression and in case of males Left Thump Impression may be taken.*

शासनादेश संख्या 07/2017/सा–3–108/दस–2017–301(9)–2011, दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक–8

(To be enclosed alongwith Withdrawal Form 103 GD)

No objection for Settlement of Accumulated Pension Wealth in NPS

REQUEST CUM UNDER TAKING FORM FOR WITHDRAWAL OF TOTAL PENSION WEALTH AT BEFORE SUPERANNUATION AND WHERE THE TOTAL PENSION WEALTH IS EQUAL TO OR LESS THAN RS.

I.............................................of.......................................(name of the office, i,e, PAO/CDDO/DTO) hereby confirm that this office has not paid/received any family pensionas per O.M. no. : 38/41/06/P&PW(A) dt. 5th May, 2009 issued by Department of pension &Pensioners welfare (DoPPW) and other OMs issued in this regard, if any, with request to/by the legal heir(s)/nominee(s) of the deceased subscriber Late................(PRAN-....................) or to the subscriber Sh...........................................(PRAN -..................) on invalidation and we don't have any objection for release of accumulated pension wealth to his/her claiman(s).

Stamp and Signature of the Authorised person

PAO/DDO/DTO Reg. No. :........................................................

PAO/CDDO/DTO Name..................................................

PrAO/DTA Name...................................................

date.......................

<u>शासनादेश संख्या 07/2017/सा–3–108/दस–2017–301(9)–2011, दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक–9</u>

## 1. Error Rectification Module

PAO has to upload Subscriber Contribution File (SCF) in NPSCAN/CRA system and remit the pension contributions to the Trustee Bank. However, there have been instances wherein the accredited bank had transferred amount in excess of the SCF. Further, there have been instances wherein the PAOs may have committed errors in uploading the SCFs. In a nutshell, the PAOs/Accredited Banks may have committed the following errors :

A. Excess Transfer to Trustee Bank*

B. Excess Transfer to a PRAN

C. Amount wrongly credited in PRAN 1 instead of PRAN 2

D. Non-NPS Subscriber withdrawal

**In present scenario, all the funds are returned which do not get matched within the next business day. Therefore,'Excess transfer totrustee Bank module will facilitate only those remittances which have been done before may 1, 2012.*

The succeeding pages describe SOP to be followed by the Nodal Offices for rectification of such errors.

### 3(a). Excess amount transferred to Trustee Bank (only for CG Sector)

This scenario consists of a situation wherein PAO has transferred excess funds to the Trustee Bank. PAO may/may not have uploaded the corresponding SCF in the CRA system and the entire amount is invested and is part of the CG pool Account[1]. In order to resolve the situation, the PAO has to capture a request in CRA system through 'Error Rectification Module'.

Funds can be remitted back to the PAO only if the amount is lying in the Pool. PAO may contact trustee Bank with the Fund Transfer Details (FTD) to check whether the amount has been adjusted against any SCF or not. If the funds have been adjusted with other SCF, amount cannot be remitted back to PAO. Below are the activities which need to be performed for rectification of error :

1. Capturing of Request by PAO
2. Verification of Request by PAO
3. Authorisation of Request by PrAO
4. Confirmation of by Trustee Bank
5. Verification by Trustee Bank

**3(b). Excess amount transferred to a PRAN**

*[1]Pool Account : Funds received by Trustee Bank, if not identified were being credited to a 'Pool Account' for the CG Sector.*

In some instances, PAO may have erroneously transferred excess amount to a PRAN and the amount has been credited into the subscriber account. The resolution of these cases can be done by the PAO.

Following are the validations which are in place for capturing the request in CRA system :

1. PAO can capture the request for only that record which has been uploaded by it, irrespective of whether at present the Subscriber is associated with that nodal office or not. However, the subscriber should not have moved out of the sector to which the PAO belongs.
2. Unless and until the request (captured earlier) is verified for a PRAN for the specific entry, PAO will not be able to capture a fresh entry for the same. For example, PAO has captured the request for withdrawal of regular credit of April 12. Unless this request is effectively completed, PAO will not be able to capture any other request for withdrawal of credit pertaining to April 2012 for this particular subscriber.
3. In these cases, the units credited in the subscriber account (equivalent to the contribution amount credited) erroneously would be redeemed. Amount (in Indian Rupees) equal to the initial investment would be credited back to the PAO and excess realized (if any) would be credited to the Investor's Awareness Account maintained with the Trustee Bank.

**3(c). Transfer to a PRAN 1 instead of PRAN 2**

In some cases, PAO has inadvertently transferred an amount to a PRAN 1 instead of PRAN 2. Accordingly units have been credited in the PRAN 1. As the amount is already credited to PRAN 1 (i.e. file is matched and booked), correction file cannot be uploaded by the PAO. In such cases, PAO has to put the request for rectification of entry in 'Error Rectification Module'. Following are the validations built in the system :

1. Both the PRANs (i.e. source as well as target) should belong to the sector of the PAO.
2. PAO can capture the request for only that record which has been uploaded by it.
3. Unless and until the request (captured earlier) is verified for a PRAN for the specific entry, PAO will not be able to capture a fresh entry for the same. For example, PAO has captured the request for withdrawal of regular credit of April 12. Unless this request is effectively completed, PAO will not be able to capture any other request for withdrawal of credit pertaining to April 2012 for this particular subscriber.
4. PAO can capture maximum of five target PRANs in a request.

***In case, the subscriber's scheme ratio is identical (at the time of erroneous credit as well as at the time of rectification) then equivalent units will be transferred from the source PRAN to the target PRAN.**

IIlustration : PAOX had remitted in excess Rs. 2,000/- in 'PRAN 1' inadvertently, instead of 'PRAN 2' on April 22, 2008. Based on NaV of Rs. 10/-, 200 units were created for Rs. 2,000/- and credited to PRAN 1. On February 15, 2012, PAOX has requested for rectification of incorrect credit in PRAN 1 and transfer of investment to PRAN 2. After PrAO authorizes the request for incorrect remittance of Rs.2000/-, 200 units will be debited from the source PRAN and credited to the arget PRAN at the End of the Day.

****In case, where subscriber's scheme ratio is not identical (at the time of erroneous credit and at the time of rectification) than units worth of excess transferred amount will be redeemed from the source PRAN. Further, the redeemed amount will be re-invested as per the scheme ratio of target PRAN.**

IIlustration : PAOX had remitted in excess Rs. 3,000/- in 'PRAN 1' inadvertently, instead of 'PRAN 2' on March 1, 2013. Based on NAV of Rs. 10/- of 'SBI scheme-G, 300 units were created for Rs. 3,000/- and credited to PRAN 1. After PAO has identified, PAO captures and verifies the rectification request On July 2, 2013 and PrAO authorises the request on July 4, 2013. Based on the NAV (Rs. 12) of July 4, 2013, 250 units will be redeemed from the PRAN 1.The redeemed amount will be re-invested in the target PRAN as per the settlement cycle.

**3(d). Non-NPS Subscriber withdrawal**

This scenario consists of a situation wherein PAO has inadvertently committed the error by allotting the PRAN for Non-NPS subscriber and also transferred the amount in the CRA system. Now the amount needs to be withdrawn and given back to the PAO. For this, PAO is required to use the functionality of Non-NPS subscriber withdrawal. PAO will login into the CRA system and click the 'Error Rectification Module'. A sub-menu will be provided for 'Non-NPS subscriber withdrawal. The procedures to be followed to process the withdrawal requests are given as under :

1. Capturing of Request by PAO.
2. Verification of Request by PAO.
3. Authorisation of Request by PrAO.

Before processing the request, certain validations will be performed such as :

i. The PAO can capture such requests only for the subscribers associated with it.

ii. Request has to be authorized by the PrAO.

iii. All the units credited in the subscriber's PRAN will be redeemed.

iv. If there are any contribution files pending to be matched for the subscriber, than the request for withdrawal of funds will be rejected at EOD. These pending SCFs may be corrected by the PAO to exclude the said PRAN. Subsequently, request for non-NPS withdrawal can be captured.

v. Redeemed units will be transferred in the suspense account (subsequent to authorization of request by PrAO) and will be considered for the redemption in the next settlement cycle.

vi. Once request is processed in the CRA system, PRAN will be deactivated in the CRA system. No contribution will be allowed to be credited in the subscriber's PRAN.

**शासनादेश संख्या 07/2017/सा–3–108/दस–2017–301(9)–2011, दिनांक 20 मार्च, 2017 का अनुलग्नक–10**

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रान खाते से पेंशन निदेशालय के माध्यम से की जाने वाली निकासी के संबंध में उपलब्ध कराये जाने वाले फार्म का प्रारूप

1. निकासी का कारण (कृपया सही विकल्प चुनें)

*(क) सेवा काल में मृत्यु/विकलांगता/चोट की दशा में पारिवारिक पेंशन का वरण दिये जाने पर राज्य सरकार को वापसी ☐

**(ख) त्याग पत्र/पदच्युत कर दिए जाने के कारण ☐

पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो जाने के कारण ☐

PRAN खाते में गलत कटौती होने के कारण ☐

*बिन्दु–क के संबंध में आवेदन द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्प पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

**भाग–1–कार्मिक का विवरण**

2. प्रान खाता : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. कर्मचारी का नाम (हिन्दी में) :.......................................................................................

4. कर्मचारी का नाम (अंग्रेजी में) :.......................................................................................

5. पिता/पति का नाम :.......................................................................................

6. पत्र व्यवहार का पता :.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

7. स्थायी पता :.......................................................................................

8. मोबाइल : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

9. ई-मेल :.......................................................................................

10. कार्मिक के परिवार/अश्रितों का विवरण :

| क्रम संख्या | सदस्य का नाम | कार्मिक से संबंध | सदस्य की जन्म तिथि | विकलांगता (हाँ/नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

11. नामिनी का नाम व कार्मिक से संबंध :

*संदर्भ : शासनादेश संख्या-13/सा-180/दस-2016-301;09द्ध/2011 दिनांक 19 मई, 2016

**संदर्भ : शासनादेश संख्या-सा-1192/दस-2015, दिनांक 14 जनवरी, 2016

**भाग–2–कार्मिक के सेवा का विवरण**

12. जन्म तिथि (mm/dd/yyyy) : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

13. सेवा में आने की तिथि (mm/dd/yyyy): ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

14. सेवा में छोड़ने की तिथि (mm/dd/yyyy) : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

15. अंतिम पदनाम :.......................................................................................

16. तैनाती का अंतिम पदनाम :.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

17. आहरण वितरण अधिकारी का नाम व पद :.......................................................................................

18. आहरण वितरण अधिकारी का कोड (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित) : ☐☐☐☐

19. आहरण वितरण अधिकारी की पंजीकरण संख्या: (NSDLद्वारा जारी) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

20. सम्बंधित कोषागार एवं कोड :.......................................................................................

21. कोषागार पंजीकरण संख्या (NSDLद्वारा जारी) : ☐☐☐☐☐☐

22. अंतिम वेतनमान (पे-बैंड एवं ग्रेडपे/लेवल एवं मैट्रिक्स) :.......................................................................................

23. अंतिम आहरित वेतन :.......................................................................................

**भाग–3–कार्मिक/नामिनी के बैंक खाते का विवरण(केवल 1. (ख) तथा (ग) के संबंध में)**

24. बैंक खाते का प्रकार : बचत खाता: ☐ चालू खाता ☐
(खाते से सम्बंधित कैंसल चेक/बैंक सर्टिफिकेट संलग्न करें)

25.बैंक खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

26. बैंक का नाम :.......................................................................................

27. शाखा का नाम तथा पता :.......................................................................................

.......................................................................................

28. बैंक का IFSC: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

29. बैंक का कोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

30. MICRकोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**भाग–4–कार्मिक के GPF खाते के संबंध में (केवल 1.(ग) के संबंध में)**

| क्रम संख्या | सदस्य का नाम | सम्बंधित GPF खाता संख्या | GPF संख्या जारी होने की तिथि |
|---|---|---|---|
| | | | |

*महालेखाकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें।

**भाग-5–कार्मिक/नामिनी के द्वारा अंडरटेकिंग**

(क). मै/हम शपथपूर्वक बयान करते हैं की उपर्युक्त विवरण पूर्णतया सत्य है, तथा मेरे/हमारे द्वारा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है और जानबूझ कर कोई असत्य सूचना अंकित नहीं की गई है।

(ख). मै/हम शपथपूर्वक बयान करते हैं की उपर्युक्त बिन्दु संख्या-1 के संबंध में उपलब्ध कराये गए सभी साक्ष्य सही हैं। भविष्य में उक्त सूचना गलत पाए जाने पर मै/हम उत्तरदायी होंगे।

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

**भाग-6—आहरण एवं विवरण अधिकारी का प्रमाण—पत्र**

क्रमांक संख्या 1 से 30 तक अंकित..............................................से सम्बंधित विवरण का सेवा पुस्तिका एवं वेतन पर्ची से सत्यापन किया गया। अंकित सूचनायें शुद्ध है।

दिनांक :........................................ हस्ताक्षर......................................

स्थान :........................................... नाम व पदनाम..........................

.....................................

(मुहर लगाई जाए)

**भाग-7—कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र**

उपरोक्त भाग-1 से भाग-6 तक अंकित विवरण....................................................से सम्बंधित विवरण का सेवा पुस्तिका एवं वेतन पर्ची से सत्यापन किया गया। अंकित सूचनायें शुद्ध है।

दिनांक :........................................ हस्ताक्षर......................................

स्थान :........................................... नाम व पदनाम..........................

.....................................

(मुहर लगाई जाए)

प्रतिहस्ताक्षरित :—

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी

नाम......................................................

जिला...................................................

संख्या–15 / 2017 / सा–3–328 / दस–2017–301(09)–2003टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2017

**विषय** :– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासनादेश संख्या–3–1118 / दस–2011–301(09)–2003टी0सी0 दिनांक 16–09–2011 द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते हैं तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे।

2–केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिनांक 01–01–2004 से लागू की गयी है जबकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भिन्न–भिन्न तिथियों से लागू की गयी है, यथा–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01–04–2005 से, गोवा सरकार द्वारा 05–08–2005 से, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 01–10–2005 से, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 01–11–2005 से, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2006 से, कर्नाटक तथा सिक्किम सरकार द्वारा दिनांक 01–04–2006 से, नागालैण्ड, मेघालय एवं मिजोरम द्वारा क्रमशः दिनांक 01–01–2010, 01–04–2010 तथा 01–09–2010 सेतथा केरल सरकार द्वारा दिनांक 01–04–2013 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। एन0पी0एस0 ट्रस्ट की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी विवरण इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

3–उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में दिनांक 01–04–2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त हुये कतिपय कर्मचारीगण, जो उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में आने के पूर्व किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रत्यावेदन दिये जा रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय। इसमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी दूसरे राज्य में नियुक्ति की तिथि 01–04–2005 के पहले की थी जबकि कुछ कर्मचारी ऐसे है जिनकी दूसरे राज्य में नियुक्ति की तिथि 01–04–2005 अथवा उसके उपरान्त की थी।

4–इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में दिनांक 01–04–2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त कोई कर्मचारी यदि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में आने के पूर्व किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01–04–2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यरत था और तत्समय उस राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू थी, तो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से ही आच्छादित होगा। यह आदेश दिनांक 01–04–2005 से लागू माना जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
अजय अग्रवाल,
सचिव।

शासनादेश संख्या–15/2017/सा–3–328(1)/दस–2017–301(9)–2003 टी0सी0 दिनांक 28 जून, 2017 का संलग्नक

एन0पी0एस0 ट्रस्ट की वेबसाइट से प्राप्त विवरण के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना लागू किये जाने की तिथियां

| Sl. No. | State | Type | Data of Notification | Data of Adoption | Reference Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | State Notification | 22/09/2004 | 1/9/2004 | G.O. Ms. No. 653, Finance (Pension-1) Department |
| 2 | Andhra Pradesh | Other Notification | 18/06/2012 | 1/9/2004 | Circular Memo No. 41/01/A2// Pen.I/2012 of Finance (Pension-1) Department |
| 3 | Arunachal Pradesh | State Notification | 17/11/2007 | 1/1/2008 | No.DAP/PEN/11/2004 of Finance Department |
| 4 | Assam | State Notification | 25/01/2005 | 1/2/2005 | No. BW 3/2003/Pt.II/1 of Finance (Budget) Department |
| 5 | Assam | Other Notification | 18/10/2012 | 1/2/2005 | No. BW 7/2008/Pt.-I/69 of Finance (Budget) Department |
| 6 | Bihar | State Notification | 31/08/2005 | 1/9/2005 | F No. F(27)P.C.-53/04-1964 of Finance Department |
| 7 | Bihar | Other Notification | 31/08/2005 | 1/9/2005 | F No. F(27)P.C.-53/04-1964 of Finance Department |
| 8 | Chhattisgarh | State Notification | 27/10/2004 | 1/11/2004 | F No. 977/761/F/R/04 of Deptt. of Finance & Planning |
| 9 | Chhattisgarh | Other Notification | 1/8/2012 | 1/4/2012 | No. 1230/F 1-41/2009/Fin./S/4/2012 of Deptt. of Finance & Planning |
| 10 | Goa | State Notification | 5/8/2005 | 5/8/2005 | No. 12/4/2004/Fin.(R&C) of Finance (R&C) Deptt. |
| 11 | Goa | Other Notification | 5/8/2005 | 5/8/2005 | No. 12/4/2004/Fin.(R&C) of Finance (R&C) Deptt. |
| 12 | Gujarat | State Notification | 18/03/2005 | 1/4/2005 | G.R. No. NPN-2003-GOI-10-P of Finance Deptt. |
| 13 | Gujarat | Other Notification | 23/08/2013 | 1/4/2005 | G.R. No. NPN-102011/O-115/(810/2013)-P of Finance Deptt. |
| 14 | Haryana | State Notification | 18/08/2008 | 1/1/2006 | No. 1/1/2004-1 Pension of Finance Deptt. |
| 15 | Haryana | Other Notification | 2/3/2010 | 1/1/2006 | No. 2/47/2007-1 Pension of Finance Deptt. |
| 16 | Himachal Pradesh | State Notification | 17/08/2006 | 15/5/2003 | No. Fin (Pen) A(3)-1/96 of Finance (Pension) Department |
| 17 | Jammu & Kashmir | State Notification | 24/12/2009 | 1/1/2010 | SRO-400 of Finance Deptt. |
| 18 | Jharkhand | State Notification | 9/12/2004 | 1/12/2004 | DP-5-47-03-518/FDS of Finance Deptt. |
| 19 | Karnataka | State Notification | 31/03/2006 | 1/4/2006 | FD(SPL) 04 PET 2005 of Finance Deptt. |
| 20 | Kerala | State Notification | 7/1/2013 | 1/4/2013 | G.O.(P) No. 20/2013/Fin. of Finance (Pension A) Deptt. |
| 21 | Madhya Pradesh | State Notification | 13/04/2005 | 1/1/2005 | No. F- 9/3/2003/Niyam/4, Bhopal of Finance Deptt. |
| 22 | Madhya Pradesh | Other Notification | 22/05/2010 | 1/1/2005 | No. F- 9/3/2003/Niyam/4, Bhopal of Finance Deptt. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Maharashtra | State Notification | 31/10/2005 | 1/11/2005 | No. CPS-1005/126/SER-4 of Finance Deptt. |
| 24 | Manipur | State Notification | 31/12/2004 | 1/1/2005 | No. 9/44/2004-FD(PIC) of Finance Deptt. Pay Implementation Cell |
| 25 | Meghalaya | State Notification | 24/03/2010 | 1/4/2010 | FEMPC 7/2007/Pt.II/66 of Finance (Pension Cell) Deptt. |
| 26 | Mizoram | State Notification | 17/06/2010 | 1/9/2010 | No. G- 17011/2/2008-F. APF of Finance Deptt. |
| 27 | Nagaland | State Notification | 28/01/2010 | 1/1/2010 | No. Fin ESTT-3/04/Pt of Finance Deptt.(Establishment Branch & ROP Cell) |
| 28 | Odisha | State Notification | 17/09/2005 | 1/1/2005 | No. Pen-5/05-44451/F of Finance Deptt. |
| 29 | Odisha | Other Notification | 1/11/2012 | 1/1/2005 | No. Pen-250/1236690/F of Finance Deptt. |
| 30 | Punjab | State Notification | 2/3/2004 | 1/1/2004 | No. 8/1/2004-3FPII/2078 of Finance Deptt. |
| 31 | Punjab | Other Notification | 9/7/2012 | 1/1/2004 | No. 5/44/2012-5FPPI/758 of Finance Deptt. |
| 32 | Rajasthan | State Notification | 28/01/2004 | 1/1/2004 | No. F 13(1)FD/Rules/2003 of Finance Deptt. (Rules Division) |
| 33 | Rajasthan | Other Notification | 20/06/2011 | 1/1/2004 | No. F 133/NPS/SAB/2011/527 of State Insurance and Provident Fund Deptt. |
| 34 | Sikkim | State Notification | 10/11/2010 | 1/4/2006 | No. GOS/Fin.(Adm) 98-99/0-043/Fin/304 of Finance, Revenue & Expenditure Department. |
| 35 | Tamil Nadu | State Notification | 6/8/2003 | 1/4/2003 | GO No. 259 of Finance Deptt. |
| 36 | Uttar Pradesh | State Notification | 28/03/2005 | 1/4/2005 | UP Gazette Notification |
| 37 | Uttar Pradesh | Other Notification | 21/03/2012 | 1/4/2005 | S-3-517/10-2012/301(9)/SAB/2011 |
| 38 | Uttarakhand | State Notification | 25/10/2005 | 1/10/2005 | No. 21/XXVII(7)CPS/2005 of Finance (General Rules-Pay Commission) Section-7 |
| 39 | Uttarakhand | Other Notification | 25/10/2005 | 1/10/2005 | No. 21/XXVII(7)CPS/2005 of Finance (General Rules-Pay Commission) Section-7 |

संख्या–26 / 2017 / सा–3–437 / दस–2017–301(1) / एस0ए0बी0 / 2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 8अगस्त, 2017

**विषय** :–राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि का प्रान खाते में हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेंशन निदेशालय के पत्रांक–पे0नि0 / एन0पी0एम0 / मिलान–2018 / 2017–18–4789, दिनांक 24.7.2017 द्वारा किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के डी0सी0आई0 खाते में जमा धनराशि उनके प्रान खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। कृपया प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

———————

संख्या–22 / 2018 / सा–3–845 / दस–2018–301(09 / 2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊःदिनांक 22 अक्टूबर, 2018

**विषय** :– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन

महोदय,

प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–सा–3–1067 / दस–2011–301(09) / 2003 दिनांक 15–09–2011 में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया दी गई है जिसमें कर्मचारियों के परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नम्बर (PRAN) पंजीकरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।

2–राज्य सरकार द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि0 (NSDL) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA) के रूप में अनुबंधित किया गया है। NSDLद्वारा अपने पोर्टल https://cra-nsdl.comपर ऑन लाईन (PRAN) पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

3–इस सबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि NPS के अंतर्गत कार्मिकों के PRAN पंजीकरण हेतु NSDL के पोर्टल https://cra-nsdl.comपर उपलब्ध आनलाईन प्रान जनरेशन मॉडयूल (OPGM) का प्रयोग किया जाये।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

———

संख्या–23 / 2018 / सा–3–828 / दस–2018–301(09)–एस0ए0बी0–2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

**विषय** :– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन

महोदय,

प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–सा–3–517 / दस–2012–301(09) / एस0ए0बी0 / 2011 दिनांक 21–3–2012 में प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया दी गई है जिसमें कर्मचारियों के परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नम्बर (PRAN) पंजीकरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।

2–राज्य सरकार द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि0 (NSDL) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA) के रूप में अनुबंधित किया गया है। NSDLद्वारा अपने पोर्टल https://cra-nsdl.comपर ऑन लाईन (PRAN)पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

3–इस सबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि NPS के अंतर्गत कार्मिकों के PRAN पंजीकरण हेतु NSDL के पोर्टल https://cra-nsdl.comपर उपलब्ध आनलाईन प्रान जनरेशन मॉडयूल(OPGM) का प्रयोग किया जाये।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

———

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–30–2018 / सा–3–1126 / दस–2018–301(9) / 2011–2
लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2018
कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से ऐसे सभी कार्मिक आच्छादित है जो दिनांक 01 अप्रैल 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश करते हैं अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें राज्य सरकार की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना पूर्व से लागू थी, की सेवा में प्रवेश करते हैं।

2–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिकों का पंजीकरण किये जाने हेतु पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) द्वारा तत्समय चयनित सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी–नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि0 एन0एस0डी0एल0 को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12–08–2011 को अनुबंधित किया गया।

3–पी0एफ0आर0डी0ए0 के परिपत्र संख्या PFRDA/2017/1/CRA/1 दिनांक 03 जनवरी 2017 सपठित परिपत्र संख्या–PFRDA/2017/5/CRA/2 दिनांक 09 फरवरी 2017 द्वारा मेसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्रा0 लि0 को द्वितीय सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी के रूप में चयनित किया गया है।

4– उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों तथा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी हैं तथा उनके पंजीकरण के कार्य में अपेक्षित गति नहीं आ पा रही है।

5–उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं के ऐसे कार्मिकों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत प्रान (PRAN) पंजीकरण एवं (PRAN) खातों के रख-रखाव हेतु सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी के रूप में मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा0 लि0 को अनुबन्धित किया जाये जिनका पंजीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि तक नहीं हुआ है। मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा0लि0 द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने की तिथि से सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी का कार्य किया जायेगा। ऐसे कार्मिक जिनका प्रान पंजीकरण एन0एस0डी0एल0 द्वारा किया जा चुका है उनके खातों का रख-रखाव एन0एस0डी0एल0 द्वारा किया जाता रहेगा।

आज्ञा से,
अलकनंदा दयाल,
सचिव।

संख्या—05 / 2019 / सा—3—91 / दस—2019—301(9)—2019

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 13 फरवरी, 2019

**विषय** :— राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान में संशोधन।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या सा—3—379 / दस—2005—301(9)—2003 दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी, में 01 अप्रैल 2005 से समस्त नई भर्तियों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है। उक्त अधिसूचना द्वारा वित्तीय सेवायें विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—5—7 / 2003—ईसीबी एण्ड पीआर दिनांक 23 अगस्त 2003 के अनुरूप यह व्यवस्था की गयी कि नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एन0पी0एस0) के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा।

2—भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—1 / 3 / 2016—पीआर दिनांक 31 जनवरी, 2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

3—इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 में की गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत् वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था / निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

4—यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

———

संख्या–06 / 2019 / सा–3–91ए / दस–2019–301(9)–2019

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 13 फरवरी, 2019

**विषय** :– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जाना।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003 दिनांक 28 मार्च 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी, में 01 अप्रैल 2005 से समस्त नई भर्तियों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है। उक्त अधिसूचना द्वारा वित्तीय सेवायें विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–5–7 / 2003–ईसीबी एण्ड पीआर दिनांक 23 अगस्त 2003 के अनुरूप यह व्यवस्था की गयी थी।

2–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) को युक्तिसंगत बनाये जाने हेतु भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1 / 3 / 2016–पीआर दिनांक 31 जनवरी, 2019 द्वारा की गयी व्यवस्थाओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैंः–

**(1) एन0पी0एस0 के टियर–1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का विकल्प निम्नानुसार होगा :–**

(क) पेंशन निधि का विकल्प :–सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र पेंशन निधि सहित किसी भी पेंशन निधि का चयन करने की अनुमति होगी। वे वर्ष में एक बार अपने विकल्प को बदल सकेंगे। तथापि सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि की वर्तमान व्यवस्था मौजूदा और नये सरकारी अभिदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध रहेगी।

(ख) निवेश पद्धति का विकल्प :–सरकारी कर्मचारियों को निवेश के निम्नलिखित विकल्प दिये जायेंगे नामतः–

(i) सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान योजना वर्तमान और नये सरकारी अभिदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध योजना के रूप में जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत पी0एफ0आर0डी0ए0 के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के तीन निधि प्रबंधकों के बीच उनके पूर्व के कार्य निष्पादन के आधार पर निधियां आवंटित की जाती है।

(ii) ऐसे अभिदाता जो न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, को सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100 प्रतिशत निवेश करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(iii) ऐसे अभिदाता जो उच्चतर प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें जीवनचक्र पर आधारित निम्नलिखित दो योजनाओं का विकल्प उपलब्ध होगा :–

* परंपरागत (कन्जर्वेटिव) जीवन चक्र निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत होगी–(एल0सी0–25)
* सामान्य (मॉडरेट) जीवन चक्र निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत होगी–(एल0सी0–25)

(ग) **पुराने कॉर्पस के विकल्पों को लागू करना** :—भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की जो अनुमति प्रदान की गयी है उसके अनुरूप ही यह सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

(घ) **पुराने कॉर्पस को एक समुचित समयावधि में अंतरित करना** :—सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए नये विकल्पों के अनुसार पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा संचित कॉर्पस को समुचित समयावधि अर्थात 05 वर्ष में अन्तरित करने की एक योजना तैयार की जा सकती है। पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा योजना तैयार किये जाने पर उक्त योजना के अनुसार संचित कॉर्पस के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

(2) 01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2019 तक अंशदानों को जमा न करने अथवा देरी से जमा करने हेतु क्षतिपूर्ति :

(क) उन सभी मामलों में जिनमें राज्य सरकार अथवा सहायता प्राप्त संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं के अभिदाताओं के वेतन में से 31 मार्च, 2019 तक कटौती तो कर ली गयी थी लेकिन राशि को सी0आर0ए0 सिस्टम में सम्प्रेषित नहीं किया गया था अथवा देरी से सम्प्रेषित किया गया था अंशदान की राशि को कटौती की तिथि से लेकर अभिदाता के एन0पी0एस0 खाते में जमा होने की तिथि तक की अवधि के लिए जी0पी0एफ0 पर समय—समय पर यथा लागू दरों पर ब्याज के साथ अभिदाता के एन0पी0एस0 खाते में जमा किया जाए।

(ख) उन सभी मामलों जिनमें उपर्युक्त श्रेणी के अभिदाताओं के वेतन से एन0पी0एस0 अंशदानों की कटौती नहीं की गयी थी, में अभिदाता को अब अंशदान जमा कराने का विकल्प दिया जाए। यदि वह अब अंशदान जमा करने का विकल्प चुनता है तो अंशदान की राशि को एकमुश्त रूप में अथवा मासिक किश्तों में एन0पी0एस0 खाते में जमा कराया जा सकता है।

(ग) उन सभी मामलों जिनमें 31 मार्च, 2019 तक देय नियोक्ता अंशदान सी0आर0ए0 सिस्टम में सम्प्रेषित नहीं हुए थे अथवा देरी से सम्प्रेषित हुए थे (भले ही अभिदाता अंशदानों की कटौती हुई थी अथवा नहीं), में नियोक्ता अंशदान की राशि नियोक्ता अंशदान देय होने की तिथि से लेकर अभिदाता के एन0पी0एस0 खाते में वास्तविक रूप में जमा होने तक की अवधि के लिए जी0पी0एफ0 पर समय—समय पर यथा लागू दरों पर ब्याज के साथ अभिदाता के एन0पी0एस0 खाते में जमा किया जाय।

3—भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 के समस्त प्रावधान 01 अप्रैल, 2019 से लागू किये गये है। अतः राज्य सरकार द्वारा भी उपर्युक्त समस्त प्रावधान 01 अप्रैल, 2019 से लागू किये जायेंगे। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगे।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–15–2019 / सा–3–309 / दस–301(9) / 2003

लखनऊ : दिनांक 10 अप्रैल, 2019

अधिसूचना

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 अधिनियम संख्या 23ए सन् 2013 की धारा 20 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से अधिसूचना संख्या–सा–379 / दस–2005–301(9)–2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 में उल्लिखित समस्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को विस्तारित करते हैं और यह निदेश देते हैं कि यथा संशोधित उक्त अधिसूचना उक्त धारा 12(4) के अधीन अधिसूचित की गयी समझी जायेगी।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

————

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 15/2019/Sa-3-309/XX-2019-301(9)/2003, dated April 10, 2019:

UTTAR PRADESH SHASAN

Vitta (Samanya) Anubhag-3

**Notification**

No. 15-2019/G-3-309/X-2019-301(9)/2003

Lucknow : Dated April 10, 2019

IN exercise of the powers under sub-section (4) of section 12 *read* with sub-section (1) of section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act no. 23 of 2013), the Governor is pleased to extend National Pension System to all the employees mentioned in notification no. G-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated March 28,. 2005 with effect from 1st April, 2005 and to direct that the said notification as amended shall be deemed to have been notified under the said section 12(4).

By Order
SANJIV MITTAL,
Additional Chief Secretary.

-----------------

# उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–16 / 2019 / सा–3–322 / दस–2019–301(8) / 2015

लखनऊः16 अप्रैल, 2019

## अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अंगीकृत सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह अधिसूचना संख्याः सा–3–379 / दस–2005–301(9)–2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 के निर्गत होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 350 में नये परन्तुक का बढ़ाया जाना

2– उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स में, अनुच्छेद 350 के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये–

" Provided further that the provisions of this Article shall apply to the government servants who have joined service before April 01, 2005. The government servants who join service on or after 01, 2005 shall be governed by the new defined contribution pension system notified by the state government vide notification. No G-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated March 28, 2005 with all subsequent amendments."

आज्ञा से,

संजीव मित्तल,

अपर मुख्य सचिव।

---------------

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–2
संख्या–01/2020/212/33–2–2020–58जी–17 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2020

**कार्यालय–ज्ञाप**

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों के केन्द्रीय एवं अकेन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग सेवा में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त/विनियमित किए गये नये प्रवेशकों, जिनका वित्त पोषण जिला पंचायतों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा किया जाता है, पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :–

(1) उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों के केन्द्रीय/अकेन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग सेवा के दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त/विनियमित समस्त नई भर्तियों पर 1 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

(2) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा किया जायेगा, परन्तु दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से इस आदेश के प्रस्तर–3 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियोक्ता अंशदान दिया जायेगा तथापि राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा जो पेंशन टियर–1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों जो नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, को परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

(3) चूँकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे अतः वे पेंशन एक–टियर खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक दो–टियर खाता भी रख सकते हैं। तथापि जिला पंचायतें टियर–दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेंगी। दो–टियर खाते में अस्तियों का निवेश/प्रबन्धन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक–टियर खाते के लिए है। तथापि कर्मचारी अपने धन के 'द्वितीय टियर' के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(4) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर–1 को सामान्यतः छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करें, जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता–पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति, कर्मचारी द्वारा एक मुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर–एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(5) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त से अपने विगत कार्य–कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सके।

2–नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 होगी।

3–नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ववत वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का

मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर का अंशदान किया जाएगा।

4–उक्त के अतिरिक्त नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के सम्बन्ध में जो भी नियम सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये हों अथवा किये जाएं वे जिला पंचायत के सेवकों पर भी स्वतः प्रभावी माने जाएंगे।

5–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या यू0ओ0–सा–3–09/दस–2020, दिनांक 10 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

अनीता सिंह,<br>प्रमुख सचिव।

# पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं सर्कुलर्स

# वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)
(ईसीबी एण्ड पीआर प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2003

**फा0सं0 5/7/2003–ईसीबी एण्ड पी आर**.–सरकार ने दिनांक 23 अगस्त, 2003 को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को हटाते हुए, प्रथम चरण में केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्ताओं जिनमें सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं, के लिए एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली को शुरू करने संबंधी वर्ष 2003–2004 की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया।

(i) प्रणाली 1 जनवरी, 2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों के सिवाय) के लिए अनिवार्य होगी। मासिक अंशदान वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा तथा कर्मचारी द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा और केन्द्र सरकार इसे समतुल्य करेगी। तथापि, सरकार की ओर से ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, कोई अंशदान नहीं दिया जाएगा। अंशदान तथा निवेश आय को गैर–आहरण योग्य पेंशन टियर–I लेखे में जमा किया जाएगा। परिभाषित लाभ पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि के मौजूदा उपबंध केन्द्र सरकार की सेवा में आए नए प्रवेशकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

(ii) उपर्युक्त पेंशन लेखे के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति अपने विकल्प पर स्वैच्छिक टियर–II आहरण योग्य लेखा भी रख सकता है। केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकों के लिए सामान्य भविष्य निधि के रूप में देय इस विकल्प को वापस ले लिया जाएगा। सरकार इस खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी। इन परिसंपत्तियों का पूर्णतः उपर्युक्त प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंध किया जाएगा। तथापि, कर्मचारी किसी भी समय 'द्वितीय टियर' लेखे में जमाराशि को अंशतः अथवा पूर्ण रूप में निकासी करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस आहरण योग्य लेखे में पेंशन निवेश नहीं होगा, तथा इस पर कोई विशेष कर नहीं लगेगा।

(iii) पेंशन प्रणाली के टियर–I हेतु कोई व्यक्ति सामान्यतः 60 वर्ष अथवा इसके बाद इसे छोड़ सकता है। छोड़ते समय व्यक्ति को अनिवार्यतः वार्षिकी खरीदने (आईआरडीए–नियंत्रित जीवन बीमा कंपनी से) के लिए पेंशन राशि का 40 प्रतिशत निवेश करना आवश्यक होगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में वार्षिकी को सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता–पिता तथा उसके पति/पत्नी के जीवनकाल हेतु पेंशन की व्यवस्था करनी होगी। व्यक्ति को शेष पेंशन राशि की एकमुश्त राशि प्राप्त होगी जिसे वह किसी भी तरह उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु से पूर्व पेंशन प्रणाली छोड़ने की छूट होगी। तथापि, इस मामले में अनिवार्य वार्षिकी पेंशन राशि का 80 प्रतिशत होगी।

**नई पेंशन प्रणाली की संरचना**

(iv) इसमें एक केन्द्रीयकृत रिकार्ड रखरखाव तथा लेखाकरण (सीआरए) आधारढांचा, अनेक पेंशन निधि प्रबंधक (पीएफएम) होंगे जो स्कीमों की तीन श्रेणियों नामतः विकल्प क, ख तथा ग की पेशकश करेंगे।

(v) भागीदार कंपनियां (पीएएफएम तथा सीआरए) पिछले कार्यनिष्पादन के संबंध में आसान से समझ में आने वाली जानकारी देगी ताकि कोई व्यक्ति सूचित विकल्पों का प्रयोग करते हुए यह निश्चित कर सके कि उसे कौन सी स्कीम का चयन करना है।

2–नई पेंशन प्रणाली के प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2004 होगी।

यू0 के0 सिन्हा,
संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Econimic Affairs)

(ECB & PR Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2003

**F. No. 5/7/2003-ECB & PR.—**The Government approved on 23rd August, 2003 the proposal to implement the budget announcement of 2003-2004 relating to introducing a new restructured defined contribution pension system for new entrants to Central Government service, except to Armed Forces, in the first stage, replacing the existing system of defined benefit pension system.

(i) The system would be mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st of January, 2004 (except the armed forces in the first stage). The monthly contribution would be 10 percent of the salary and DA to be paid by the employee and matched by the Central Government. However, there will be no contribution from the Government in respect of individuals who are not Government employees. The contributions and investment returns would be deposited in a non-withdrawable pension tier-I account. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits in the Central Government service.

(ii) In addition to the above pension account, each individual may also have a voluntary tier-II withdrawable account at his option. This option is given as GPF will be withdrawn for new recruits in Central Government service. Government will make no contribution into this account. These assets would be managed through exactly the above procedures. However, the employee would be free to withdraw part or all of the 'second tier' of his money anytime. This withdrawable account does not constitute pension investment and would attract no special tax treatment.

(iii) Individuals can normally exit at or after age 60 years for tier-I of the pension system. At exit the individual would be mandatorily required to invest 40 percent of pension wealth to purchase an annuity (from an IRDA-regulated life insurance company). In case of Government employees the annuity should provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The individual would receive a lump-sum of the remaining pension wealth, which he would be free to utilise in any manner. Individuals would have the flexibility to leave the pension system prior toage 60. However, in this case, the mandatory annuitisation would be 80% of the pension wealth.

**Architecture of the New Pension System**

(iv) It will have a central record keeping and accounting (CRA) infrastructure, several pension fund managers (PFMs) to offer three categories of schemes *viz.* option A, B and C.

(v) The participating entities (PFMs and CRA) would give out easily understood information about part performance, so that the individual would able to make informed choices about which scheme to choose.

2. The effective date for operationalisation of the new pension system shall be from 1st of January, 2004.

U. K. SINHA,
Jt. Secy.

# वित्त मंत्रालय

## (वित्तीय सेवाएं विभाग)

## संकल्प

**सं0–406** नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2008

**फा0सं0 1(6)2007–पीआर.**–सरकार ने दिनांक 23 अगस्त, 2003 को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को हटाते हुए, प्रथम चरण में केन्द्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकर्ताओं जिनमें सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं, के लिए एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली को शुरू करने संबंधी वर्ष 2003–04 की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। नई प्रणाली सभी व्यक्तियों जिनमें स्व–रोजगार वाले व्यावसायिकों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति भी शामिल हैं, के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर, उपलब्ध होगी तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा अन्य विशेष भविष्य निधियों के अधीन अनिवार्य कार्यक्रम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा इन निधियों को शासित करने वाले अन्य विशेष अधिनियमों के अधीन, मौजूदा प्रणाली के अनुसार कार्य करते रहेंगे। प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण के पूर्वगामी के रूप में व्यापक विधान के अधिनियमन के पारित होने तक दिनांक 10 अक्टूबर, 2003 के फा0सं0 5/7/2003–ईसीबी और पीआर के संकल्प द्वारा अंतरिम पीएफआरडीए गठित किया गया। तत्पश्चात् 2004 का पीएफआरडीए अध्यादेश सं0 8, दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 को प्रख्यापित किया गया। तथापि, उक्त अधिनियम 7 अप्रैल, 2005 को व्यपगत हो गया और सुझाव दिया गया कि पर्याप्त सावधानी के उपाय के रूप में, अक्टूबर, 2003 का संकल्प मामूली परिवर्तनों, जो भी आवश्यक हों, सहितपुनः जारी किया जाना वांछनीय है।

जबकि, सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एक समग्र विधान के पारित होने तक प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण के पूर्वगामी के रूप में एक अंतरिम निकाय गठित करना तथा उसे प्रचालनात्मक बनाना आवश्यक है, जिसके साथ अंतरिम निकाय का अन्ततः विलय होगा, अथवा इस प्राधिकरण का गठन हो जाने पर उसमें यह परिवर्तित किया जाएगा।

इसलिए, अब, भारत सरकार, एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अंतरिम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को निम्नानुसार गठित करती है :

(i) पीएफआरडीए के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य–दो पूर्णाकालिक तथा दो अंशकालिक–1 की नियुक्ति अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार की जाएगी।

(ii) पीएफआरडीए पेंशन बाजार को विनियमित तथा विकसित करेगा।पीएफआरडीए प्रयोक्ता प्रभारों पर आधारित अपनी स्वयं की निधिपोषण प्रणाली बनाएगा। ऐसे अतिरिक्त कार्य, जिन्हें आवश्यक माना जाए, पेंशन बाजार के प्रभावी विनियमन, संवर्धन तथा क्रमिक वृद्धि के लिए पीएफआरडीए को सौंप दिये जाएं।

(iii) अंतरिम पीएफआरडीए की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो कम से कम भारत सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी हो और उसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। अंतरिम निकाय के अन्य सदस्य, जिनकी संख्या चार से अधिक न हो और जिनमें से दो पूर्णकालिक सेवा करेंगे, का चयन केन्द्र सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो अर्थशास्त्र, वित्त, विधि एवं प्रशासनिक कार्यों का अनुभव तथा ज्ञान रखते हों तथा कम से कम एक विषय से प्रत्येक व्यक्ति संबंधित हो। अध्यक्ष उपर्युक्त किसी भी क्षेत्र से हो सकता है।

(iv) पीएफआरडीए के अध्यक्ष को पीएफआरडीए के कार्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए समुचित शक्तियां प्राप्त होंगी। इस प्रयोजनार्थ, पीएफआरडीए अपने लिए उपयुक्त सहायक स्टाफ की व्यवस्था करेगा तथा पर्याप्त संसाधन जुटाएगा।

(v) सरकार पीएफआरडीए द्वारा उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुदानों की व्यवस्था करेगी,

(vi) सरकार के समग्र निदेशों तथा दिशानिर्देशों के अध्यधीन, पीएफआरडीए निम्न कार्य करेगा :–

(क) पेंशन बाजार के संवर्धन तथा सुव्यवस्थित संवृद्धि से जुड़े सभी मामलों संबंधी कार्रवाई;

(ख) ऊपर निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ व्यापक विधान का प्रस्ताव; तथा

(ग) ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा जो ऊपर (क) एवं (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किए जाएं।

(vii) पीएफआरडीए अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा उसको अपने कार्यकरण से संबंधित अभिलेख, विवरणियां, टिप्पणियां,ज्ञापन, आंकड़े अथवा कोई अन्य संगत सामग्री सरकारी तथा गैर–सरकारी निकायों से मंगवाने तथा साथ ही उनके साथ विचार–विमर्श करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

(viii) पीएफआरडीए का मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा वह पेंशन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के संबंध में तथा ऐसे अन्य विशिष्ट मामलों पर सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर मांगी जाएं।

यह संकल्प 8 अप्रैल, 2005 से प्रभावी माना जाएगा।

के0 पी0 कृष्णन,
संयुक्त सचिव।

––––

**अनुबन्ध–1**

**अन्तरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का निबंधन और शर्तें**

**(क) सेवा–काल:**अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये पदभार संभालेगा और पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा बशर्ते:

कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात अध्यक्ष का पदभार नहीं संभालेगा:

साथ ही, कोई भी व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पूर्णकालिक सदस्य का पदभार नहीं संभालेगा।

**(ख) पुनः नियुक्ति के लिए पात्रता :–**अध्यक्ष अथवा सदस्य, केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी निकाय/प्राधिकरण के तहत तब तक पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक उन्होंने दो वर्ष की विराम अवधि पूरी न कर ली हो। इसी प्रकार, अध्यक्ष अथवा सदस्य पदभार छोड़ने के बाद दो वर्ष तक निजी आधार पर ऐसे संगठनों/संकायों/संबद्ध निकायों में जो संबंधित विनियामक प्राधिकरण के प्रचालनात्मक न्यायाधिकार क्षेत्र में आते हों, में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। पूर्णकालिक सदस्य विनियमित निकायों से सभी संपर्क समाप्त कर देगा। पूर्णकालिक और अंशकालिक, दोनों प्रकार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों अर्थात पति/पत्नी, आश्रित संतान और माता–पिता के विनियमित निकाय में नियुक्ति और शेयरधारिता के ब्यौरों की घोषणा करेंगे।

**(ग) वेतनः** यदि किसी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होती है, तो उन्हें भारत सरकार में सचिव को यथानुमत्त वेतन के समकक्ष अथवा सरकार द्वारा यथा निर्धारित उससे अधिक वेतन दिया जाएगा। वेतन इस विषय पर प्रचलित आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के किसी अधिकारी की नियुक्ति यदि अध्यक्ष के रूप में की जाती है तो वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में आहरित अंतिम वेतन के समकक्ष वेतन आहरित करेगा। यदि निजी क्षेत्र के व्यक्ति की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा तय किया गया वेतन दिया जाएगा। यदि सरकारी अधिकारी का चयन पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किया जाता है, तो उन्हें भारत सरकार में अपर सचिव को यथानुमत्त वेतन के समकक्ष वेतन दिया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी का चयन यदि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किया जाता है तो उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में आहरित अंतिम वेतन के समकक्ष वेतन दिया जायेगा। निजी क्षेत्र के किसी व्यक्ति का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चयन किए

जाने पर उन्हें सरकार द्वारा तय किया गया वेतन दिया जाएगा। अंशकालिक सदस्य सरकार द्वारा तय किया गया "बैठक शुल्क" (सिटिंग फी) प्राप्त करने के हकदार होंगे।

**(घ) पेंशनः**–पीएफआरडीए के अध्यक्ष/सदस्यों के लिये लागू पेंशन प्रणाली निम्न प्रकार होगी :–

(i) एनपीएस की तर्ज पर अंशदायी (मूल वेतन का 10% +कर्मचारी तथा मालिक दोनों द्वारा अंशदान किया गया महंगाई भत्ता); (ii) ये राशियां एनपीएस की तर्ज पर एकत्रित और निवेश की जाएंगी; (iii) बजाए पेंशन सेवानिवृत्ति खाते की तरह जिसमें अभिदाता को अनिवार्य रूप से एकत्रित राशि का न्यूनतम 40% वार्षिकी देना होता है, इन व्यक्तियों के संबंध में, या तो वार्षिकी की मानक एनपीएस प्रणाली अथवा एकत्रित राशि+अभिवृद्धि का पूर्ण आहरण (भूतपूर्व सीपीएफ में यथा उपलब्ध की तर्ज पर) अनुमत्त किया जा सकता है;(iv) उपर्युक्त प्रणाली उन पर जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पीएफआरडीए में कार्य आरम्भ करते हैं और उस अवधि के लिए जो वे पीएफआरडीए में बिताते हैं, लागू होगी।

**(ङ) महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ताः** अध्यक्ष और सदस्य, सरकार में समकक्ष वेतन लेने वाले अधिकारियों को अनुमत्त दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

**(च) छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ताः** अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता समकक्ष मूलवेतन लेने वाले सरकारी अधिकारियों को अनुमत्त भत्तों के अनुरूप दिया जाएगा। वे केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन उस श्रेणी के अतिथि गृहों/निरीक्षण बंगलों में जिसके लिए समकक्ष वेतन वाले सरकारी अधिकारी पात्र हैं, में शहर से बाहर सामान्य किरायों का भुगतान करने पर अस्थायी आवास की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

**(छ) विदेश यात्राएं :** अध्यक्ष और किसी भी सदस्य द्वारा 15 दिन तक की सरकारी विदेश यात्रा बिना सरकारी अनुमोदन के की जा सकेगी। तथापि, एक वर्ष में 15 दिन से अधिक की यात्रा भारत सरकार में समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों यथानुमत्त सरकारी आदेशों के अनुसार ही की जा सकेगी। विदेशों में सरकारी प्रतिनिधि मंडल जिसमें प्रशासनिक सचिव और अध्यक्ष अथवा विनियामक प्राधिकरण के सदस्य दोनों शामिल हैं, का संचालन सचिव करेंगे। घरेलू दौरों के लिए अध्यक्ष प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को सूचित करेगा।

**(ज) आवास :** पीएफआरडीए के अध्यक्ष और सदस्य कार्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के अंदर किराए पर आवास लेने के हकदार होंगे और इस व्यवस्था के लिए स्वीकार्य अधिकतम लागत 2500/– रुपये प्रति वर्ग फुट से अधिक नहीं होगी। यदि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है जिसे पहले से ही सरकारी आवास आवंटित किया गया हो तो वह उचित स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही उसे धारित करने का हकदार होगा। जिन मामलों में प्राधिकरण द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता, आवास किराया भत्ता, मूल वेतन + महंगाई भत्ता +गैर–प्रैक्टिस भत्ता, यदि कोई हो, के 30% की दर पर अनुमत्त होगा।

**(झ) सत्कार भत्ता :** अध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सत्कार भत्ते के हकदार होंगे।

**(ञ) चिकित्सा संबंधी सुविधाएं :** अध्यक्ष और सदस्य घरेलू चिकित्सा बीमा सुरक्षा को खरीदने के लिए अदा किये गये वास्तविक प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

**(ट) परिवहन :** अध्यक्ष और सदस्य समकक्ष रैंक के अधिकारियों को यथा प्रदत्त सरकारी कारों का प्रयोग करने की सुविधा के हकदार होंगे।

**(ठ) स्तर :** अध्यक्ष तथा सदस्य को अनुसचिवीय स्तर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा नियुक्ति किए गए व्यक्ति के पूर्व स्तर को अध्यक्ष/सदस्य को प्रदत्त स्तर का निर्धारण करने के लिए पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा। अपवादात्मक रूप से पात्र मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ गृह मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श किया जाएगा, जो यथावश्यक सचिवों की स्थायी समिति के साथ संपर्क करेगा जैसा कि दिनांक 16 नवम्बर, 1996 के मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुदेश सं0–99/1/5/95–मंत्रिमंडल में निर्धारित किया गया है।

**(ड) छुटटी :** अध्यक्ष अथवा सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिनों की अर्जित छुटटी का हकदार होगा। छुट्टी के दौरान अवकाश वेतन का भुगतान सीसीएस (छुट्टी) नियम 1972 के नियम 40 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समय पर अपने खाते में जमा अर्जित छुटटी के 50% का उपभोग करने का हकदार होगा। निजी क्षेत्र से नियोजित अध्यक्ष और सदस्यों के लिए छुट्टी का कोई नकदीकरण नहीं किया जाएगा।

**(ढ) प्रशासनिक और अन्य अवशिष्ट मामले :** पीएफआरडीए के प्रचालनों से संबंधित प्रशासनिक, मामले और अध्यक्ष तथा सदस्य की सेवा शर्तों, जिसके लिए इन निर्देशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, के हर मामले में केन्द्र सरकार को उसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा और केन्द्र सरकार का निर्णय पीएफआरडीए के लिए बाध्यकारी होगा।

———

No. 38/41/06/P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare

---------

Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated 5th May, 2009

OFFICE MEMORANDUM

**Sub : Additional Relief on death/disability of Government servants covered by the new Defined Contribution Pension System (NPS)**

The undersigned is directed to say that the pension of the Government servants appointed on or after 1.1.2004 is regulated by the new Defined Contribution Pension System (known as new Pension Scheme), notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) *vide* their O.M. No. 5/7/2003-ECB 2 PR dated 22.12.2003.

2. On introduction of the New Pension Scheme, among others, the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules were amended on 30.12.2003. Under the amended Rules, the benefits of Invalid Pension/Disability Pension and Family Pension/Extraordinary Family Pension/Liberalized Pensionary Award relief are not available to the Government Servants appointed on or after 1.1.2004.

3. Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) has subsequently clarified that the New Pension Scheme is a replacement for only pension under normal circumstances and family pension in case of death of employees after retirement.

4. A high Level Task Force (HLTF) constituted by the Government has recommended certain additional benefits that can be provided on death or discharge on invalidation/disability of a Government servant covered by the New Pension Scheme. It is likely to take some time before the Rules regulating these benefits under the New Pension System are put in place.

5. Meanwhile, considering the hardships being faced by the employees appointed on or after 1.1.2004 who are discharged on invalidation/disablement and by the families of such employees who have died during service since 1.1.2004, the President is pleased to extend the following benefits to Central Civil government Servants covered by the New Pension Scheme. on Provisional basis till further orders:

(I) Retirement from Government service on invalidation not attributable to Government duty:

(i) Invalid Pension calculated in terms of Rule 38 and Rule 49 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(ii) Retirement gratuity calculated in terms of Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(II) Death in service not attributable to Government duty:

(i) Family Pension (including enhanced family Pension) computed in terms of Rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(ii) Death gratuity computed in terms of rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(III) Discharge from Government service due to disease/injury attributable to Government duty:

(i) Disability Pension computed in terms of the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules.

(ii) Retirement gratuity computed in terms of the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules *read* with Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(IV) Death in service attributable to Government duty:

(i) Extraordinary Family Pension computed in terms of Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules and Scheme for Liberalised Pensionary Awards.

(ii) Death gratuity computed in terms of Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

The employee/his family will also be paid Dearness Pension/Dearness Relief admissible from time to time in addition to be above benefits, on provisional basis.

6. The above provisional payments will be adjusted against the payments to be made in accordance with the Rules framed on the recommendations of the HLTF and recoveries, if any , will be made from the future payments to be made on the basis of those rules.

7. The Recommendations of the HLTF envisage Payment of various benefits on death/discharge of a Government employee after adjustment of the monthly-annuitised pension from the accumulated funds in the NPS Account of the employee. Therefore, no payment of monthly-annuitised pension will be made to the employee/family of the employee during the period he/she is in receipt of the provisional benefits mentioned in para 5 above.

8. In cases where, on discharge/death of the employee, the amount of accumulated funds in the NPS Account have been paid to be employee/family of the employee, the amount of monthly-annuitised pension from the date of discharge/death will be worked out in accordance with the rules/regulations to be notified by the Department of Financial Services/PFRDA and the same will be adjusted against the payment of benefits/relief after the notified rules in this respect are in place.

9. These instructions will be applicable to those Government servants who joined Government service on or after 1.1.2004 and will take effect from the same date i.e. 1.1.2004.

10. This Order issues with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Expenditure) *vide* their U.O. No. 127/EV/2009 dated 13.4.2009.

M. P. SINGH,
Director.

———

No. 1(7)/DCPS(NPS)/2009/TA/221
Office of the Controller General of Accounts
Department of Expenditure
Ministry of Finance
7th Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi-110003
---------

Dated : 02.07.2009

OFFICE MEMORANDUM

**Sub : Additional Relief on death/disability of Government servants covered by the defined contribution Pension System (NPS)**

Reference is invited to Dept. of Pension and Pensioners Welfare's O.M. No 38/41/06/P&PW(A) dated 5.5.2009 regarding additional relief on death/disability of government servants covered by the Defined Contribution Pension System (NPS)

2. As per the above O.M. the following benefits have been extended to Central Civil Government Servants covered by the New Pension Scheme, on provisional basis:

**(A) Retirement from Government Service on invalidation not attributable to Government duty:**

(a) Invalid Pension calculated in terms of Rule 38 and rule 49 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(b) Retirement Gratuity calculated in terms of Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

**(B) Death in serice not attributable to Government duty:**

(a) Family Pension (including enhanced family pension) computed in terms of Rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(b) Death Gratuity computed in terms of Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

**(C) Discharge from Government service due to disease/injury attributable to Government duty:**

(a) Disability Pension computed in terms of the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules.

(b) Retirement Gratuity computed in terms of the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules read with rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

**(D) Death in service attributable to Government duty:**

(a) Extraordinary Family Pension computed in terms of Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules and Scheme for Liberalised Pension Awards.

(b) Death Gratuity computed in terms of Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

The employee/his family will also be paid Dearness Pension/Dearness Relief admissible from time to time in addition to the above benefits, on provisional basis.

3. The procedure for making the above provisional payments to the eligible Government Servants/families has been under consideration of this office. With a view to expenditing these payments it has been decided that the work relating to release of pensions in respect of such Central Civil pensioners should be centalized and entrusted to the Central Pension Accounting Office. In this regard the following guidelines are issued for compliance by Drawing & Disbursing Officers (DDOs), Heads of Officers (HOO), Pay & Accounts Offices (PAOs), Central Pension Accounting Office (CPAO) and the banks where Pensioners/family pensioners are/will be holding pension accounts.:-

i. The Head of Office (HOO) will prepare the pension papers as per the provisions of the relevant rules and will submit the same along with all the relevant documents and requisite

number of photographs, the particulars of the bank Account of the Pensioner (*viz.* Name of Bank , Name of Branch, full postal address of Branch with PIN, 7 digit BSR Code, IFSC Code etc.) to the Pay and Accounts Office concerned. The HOO will be responsible for the correctness of the bank details of the beneficiary. The Permanent Retirement Account Number (PRAN) of the concerned Government Servant allotted by National Securities Depository Limited will also be indicated.

ii. The HOO will also obtain and forward, along with the pension papers, a copy of the Undertaking from the pensioner/family pensioner to the effect that he has understood the provisions of Paras 6, 7 and 8 of Dept. of Pension & Pensioners' Welfare OM No. 38/41/06/P&PW(A) dated 5-5-2009 and that any payment found to be in excess of his/her entitlement will be refunded to Government/adjusted out of his/her final entitlements-(vide Annexure 1 to this O.M.).

iii. Pay and Accounts Office, after scrutinizing the pension papers will finalise the pensionary entitlements as admissible under the abvoe said OM/relevant rules/orders and issue authorities for pension/family pension/gratuity.

iv. Pay and Accounts Office will record the entitlements admitted, in the Service Book of the Government Servant under the signature of the Pay and Accounts Officer.

v. Necesary entries with regard to the issue of authorities will be made in the Registers maintained by Pay and Accounts Officer. While the payment of gratuity will be made by Pay and Accounts Officer, on the basis of authority issued by him, pension/family pension will be paid only to the bank account of pensioners, by CPAO.

vi. Pensioners in their interest may be encouraged to open their accounts with bank branches having Real Time Gross Settelement (RTGS)/National Electronic Funds Transfer System (NEFT) facility, failing which, Core Banking Solutions (CBS) facility.

vii. Pensioners may open joint Account with spouse only (to whom family pension is payable in the event of death of pensioner). The conditions stipulated in para 4 and elsewhere in the scheme for "Payment of Pensions to Central Government Civil Pensioners through Authorised Banks" would aply.

viii. The Pay and Accounts Officer will allot an alphanumeric serial number (Provisionol Pension Payment Order) to each pensioner in the following manner. It will be prefixed with 'N' and the first 5 digits will represent the PAO code (after deleting the first digit 0 from the PAO code) follwed by 2 digits to denote the year, 3 digits representing serial number. The last digit which is a check number will be allotted by the system in CPAO.

ix. Pay and Accounts Officer will issue special seal authority for pension/family pension (vide Annexure 2) to CPAO under intimation to the retired Government Servant/family of deceased Govt. Servant.

x. PAO will issue a pension payment order in triplicate in the format prescribed by CPAO (Vide Annexure 3) (disburser's i.e. CPAO's, Pensioners and Pension Account Holding Branch's portions) and send it along with authority as prescribed by CPAO. Pay and Accounts Officer will have to issue e-special seal authority/e-PPO on receipt of orders to this effect from CPAO.

xi. CPAO will forward Pensioner's and Pension Account Holding Bank Branch's copies to the Bank Branch where the Account of the Pensioner is maintained. The Bank's copy of PPPO should be used only for identification purpose and not for payment.

xii. CPAO will maintain and Index Register and maintain a separate data base in respect of all pensioners/family pensioners to whom provisional payments are made as per the Department of Pension and Pensioners Welfare's O.M. dated 5-5-2009. The PPO issued will be scanned and archived in CPAO with photographs and signature of the pensioners.

xiii. The Banks are required to complete identification formalities of the pensioner as required under para 12 of the scheme for "Payment of Pensions to Central Government Civil

Pensioners through Authorised Banks" and intimate CPAO electronically to enable commencement of credit of pension to the pensioner's account. After identification of the Pensioner, his copy may be invariably handed over by the concerned branch.

xiv. The Pension Account holding Bank will have to obtain an undertaking that excess payment, if any credited tohis/her account, due to for refund of excess amount credited to his/her account due to delay in receipt of any material information or due to any bonafide error, can be recovered by the bank (as prescribed in Annexure XI to CPAO's Scheme for "Payment of Pensions to Central Government Civil Pensioners through Authorised Bank").

xv. On the basis of authority issued by the PAOs, CPAO will prepare a bill for drawing pension/family pension/additional quantum plus Dearness Relief thereon and issue advice to its accredited bank for electronic transfer for crediting the account of pensioners/family pensioners held in various banks, by debit to CPAO's (Pension) Account. All amendments on account of revision will be issued by the PAOs and the revision authority (as per the format prescribed) will be sent to CPAO.

xvi. It will be the responsibility of CPAO to deduct Income Tax at source from payment of pension/family pension as applicable. Income Tax statement for the same will also be issued by them annually. For this relief under Income Tax by the Pensioner will be sent by paying branch uploaded to CPAOs website after getting the same from the pensioner.

xvii. CPAO will issue advice to bank well in time so that the accounts are credited to the banks accounts of pensioners/family pensioners on due dates.

xviii. The accredited bank of CPAO will issue electronic credit to the bank account of the pensioner/family pensioner based onthe advice.

xix. The Pension Account holding bank will be responsible for obtaining periodical certificates such as Life Certificate, Re-employment Certificate etc. (as prescribed in CPAO’s Scheme for ‘‘Payment of Pensions to Central Government Civil Pensioners through Authrorised Banks’’) and intimated electronically to CPAO on due dates. (Life certificate should be obtained on 1st May each year and intimation uploaded on CPAO’s website.) Drawing of pension/family pensions will be subject to the receipt of Life Certificate by CPAO.

xx. Any change in the bank of the pensioner may be authorised with the Bank’s portion by CPAO through the Pension Account Holding Bank. Fresh identification of pensioner by new branch will be entailed. The account if closed by the Pensioner will be intimated electronically by the bank to CPAO immediately.

xxi. CPAO will be responsible for working out of arrears of Dearness Relief as and when they are sanctioned by Government and arrange to get it credited to the bank accounts of the pensioners/family pensioners.

xxii. The accredited bank of CPAO will be asked to Prepare separate scrolls for these provisional pension payments and confirmations of credit to pensioner’s account for submission to CPAO.

xxiii. CPAO will issue pension slip, annual statements of income tax deducted and Due and Drawn statement in respect of any arrear payment to the pensioner/family pensioner through pension paying branch annually. A facility on CPAO’s website for online viewing by pensioners on the web will be enabled through passwords.

xxiv. The normal procedure for reporting, reconciliation of Government transactions will be followed by bank and CPAO (like non-pension transactions).

xxv. It has been decided to open separate head of account to book these payments in accounts. Those head will be intimated separately.

xxvi. At this stage, the position is not clear as to what benefits will be finally admissible to the Government Servants covered under Defined Contribution Pension Scheme. Therefore, the

mode of payments is also not clear. However, the CPAO will maintain the data base on the benefits paid to each pensioner/family pensioner as per this Office Memorandum.

xxvii. However the responsibility for all recoveries mentioned in the OM dated 5-5-2009 shall be that of the concerned ministry/PFRDA and NPS disbursing authority. They shall work out of the final payments/recoveries as and when orders to this effect are issued by Government.

xxviii. In case of death pensioner, the same may be intimated to the pension account holding branch of the bank by the family members of the deceased immediately and bank will inform the same to CPAO electronically. The amount lying in the bank account of the pensioner till the date of death is to be paid to the nominee (as per Nomination Rules, 1983). If nomination is not available with the bank, the amount will be paid to legal heirs of the deceased and/or excess amount refunded as per debit advice issued by CPAO.

xxix. Discontinuation/Reduction of the Provisional Pension in respect of any pensioner should be conveyed to CPAO at least one month before the next payment date by the concerned Ministry's PAO.

xxx. Invariably any correspondence between nodes of GOI should be endorsed to the pensioners.

Sd/-

(BHARATI DAS)

Joint Controller General of Accounts.

---

No. 25014/14/2001-AIS(II)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension

Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001

Dated : 8th September, 2009

To

The Chief Secretaries,

All the State Governments/UTs

**Sub :** Introduction of New Pension Scheme for Members of the All India Service Joining the All India Service on or after 1/1/2004.

Sir/Madam,

The undersigned is directed to say that the pension of the members of the All India Services appointed on or after 1.1.2004 is regulated by the new Defined Contribution Pension Scheme (known as the New Pension Scheme) notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) vide their O.M. No. 5/7/2003-ECB 2 PR dated 22.12.2003. On introduction of the New Pension Scheme, the All India Service (Death Cum Retirement Benefit) Rules, 1958 and the All India Service (Providednt Fund) Rules, 1955 were amended on 7.02.2004 & 17th May 2004 respectivey. Under the amended Rules, benefits of the old Defined Benefit Pension Scheme and of GPF are not available to the members of the service appointed on or after 1.1.2004.

2. The New Pension Scheme will work on a defined contribution basis and will have two tiers-Tier I and II. Contribution to Tier I will be mandatory for all members of All India Services joining the All India Service on or after 1/1/2004, whereas Tier II will be optional and at the discretion of members of All India Service.

3. In Tier I, members of All India Service will make a contribution of 10% of his/her basic pay plus DA, which will be deducted from his/her salary bill every month by the DTO/TO concerned. The Government will also make an equal matching contribution.

4. Tier I contributions (and the investment returns) will be kept in a non-withdrawable pension TierI account. Tier II contributions will be kept in a separate account that will be available for withdrawal at the option of the member of the Service. Government willnot make any contribution to TierII account.

5. A member of the service can exit at or after the age of 60 years from the TierI of the scheme. At exit, it would be mandatory for him/herto invest 40 percent of pension wealth to purchase an annuity (from an IRDA regulated Life Insurance Company), which will provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents/spouse. In the caseof members of the All India Service who leave the Scheme before attaining the age of 60, the mandatory annuitisation would be 80% of the pension wealth.

6. Recoveries towards Tier I contribution will start from the salary of the month following the month in which the member of the service has joined service. No recovery will be made for the month of joining.

7. As the existing provision of Defined Benefit Pension and GPF would not be available to new members of All India Service joining All India Service on or after 1/1/2004, in case any GPF deduction has been made then it would have to be refunded to the concerned All India Service Officers.

8. Deduction towards Group Insurance will, however, continue to be made from the salary of new members of the All India Service joining the service on or after 1/1/2004.

9. The State Service officers appointed to the IAS/IPS/IFS by way of promotion/selection, who are already covered under the old pension scheme will continue to be governed by the old pension scheme.

10. The Pension funds of members of the All India Service would be managed by pension fund managers nominated by the Pension Fund Regulatory Development Authority (PFRDA) and the records would be maintained by a Central Record Keeping Agency, the National Security Depository Limited (NSDL).

11. All State Governments would be required to designate a State Nodal Officer (SNO) at the State capital for all NPS related activities. District Treasury Officer (DTO)/Treasury Officer (TO) would be entrusted the rsponsibility of deducting the amount of employee's subscription from the salary of the AIS subscriber and would forward the same to the State Nodal Officer.

12. The amount and contribution details from each of the TO would be consolidated for all subscribers by the designated State Nodal Officer at the State capital. The SNO would also compile and consolidate Employers contribution.

13. The designated officer in the State Nodal Office would prepare and upload the Subscriber Contribution File (SCF) on CRA system; transfer funds to the Trustee Bank and send information to Department of Personnel & Training for control purposes.

14. Immediately on joining the All India Service, each member of the service will be required to provide particulars such as his/her name, designation, scale of pay, date of birth, nominees (s) for the fund, relationship with the nominee etc. in the prescribed form (Annexure-I). The same procedure should be followed for all AIS officers appointed on or after 1.1.2004. Accordingly all AIS officers recruited on or after 1.1.2004 are advised to fill up the registration form at Annexure-I immediately.

15. The DTO would be responsible for getting the physical registration form filled by all AIS officers and would also fill up their own registration form (DDO registration form) and send it to the State Nodal Officer (SNO). The State Nodal Officer would act as the PAO in the NPSCAN. He would collate the physical registration forms and also fill up the registration form for the PAO and send all these filled forms to NDSL preferably within a month of issuance of these orders. NDSL would process the details and send all the kits to the SNO by the end of October 2009.

16. On receipt of the Permanent Registration Allotment Number (PRAN), the SNO would start the regular uploads and funds transfers. After this is done the legacy data would be send in one or maximum two tranche.

17. For the legacy data, the DDOs would then prepare the arrears-SCF for month wise contribution details and send the same to SNO who will upload the same to NPSCAN and transfer the funds. Accounting procedure for the above would be devised by the State Government in consultation with Accountant General.

18. Payment to Trustee bank: The salary bills and the bills for Government contribution will be passed by TOs after exercising the checks prescribed under financial rules and Treasury Manual. The amount of NPS subscriptions (member' contribution) recovered from the salary bills will be shown under the "Recoveries" column of the salary bill and will be classified under the Head "8342-Other Deposits-00-117-Defined Contribution Pension Scheme" in the State Section of Accounts by opening suitable separate sub-heads thereunder for "01-Government Servants Contributions under Tier-1" and "02-Government's Contribution under Tier-II". The amount of Government's Contribution shall be debited to "2071-Pension Scheme-01-Civil-117-Contribution for Defined Contribution Pension Scheme-01-Government Contribution-00.04-Pensionary Charges" in the Consolidated Fund of the State Government.

19. After the bills are passed, the SNOs will upload the data relating to contributions (both of members of service's and Government's contributions) into NPSCAN of NDSL and also tally the figures uploaded with that booked. Further, all the accumulated balances under the DCPS would be transferred to the Trustee bank i.e. the Bank of India.

20. After uploading is completed, SNO will get Transaction ID and draw the total amount by minus crediting the head mentioned above either by cheque in favour of the Trustee Bank or remit the amount through RTGS/NEFT. SNO will also ensure the amount of contributions booked is duly tallied with the Subscriber's Contribution File (SCF) being uploaded in the NPSCAN and the same amount is drawn in the Cheque and passed on to the Trustee Bank.

21. The SNO/TO would have to maintain the Alphabetical Index Register in Annexure V wherein they would have to indicate the PRAN numbers allotted to each of the subscriber; the particulars of remittances of contributions to the Trustee bank in the Proforma prescribed *vide* Annexure VI; and the individual-wise account indicating the amounts of contributions paid tothe Trustee Bank and the details of remittance. (vide Annexure VII).

22. In order to enable NSDL to carry out reconciliation and credit the amounts against the individuals' accounts, Treasury Officers/SNO will have to ensure that their TO Registration numbers/SNO Registration numbers respectively and the month to which the contributions pertain/Transaction ID in NPSCAN are mentioned in the NEFT/RTGS application form (in the 'Remarks' column) to be submitted to their banker, Where payments are made through cheques in favour of the Trustee Bank, these particulars would have to be furnished on the reverse of the cheque as well as in the forwarding letter. The time schedule prescribed will have to be strictly adhered to by SNOs, TOs and DDOs.

23. The SNO along with the State Government would have to ensure that arrears of contributions both of Government and Subscribers, are recovered and transfered to the trustee bank with a definite time span. If the contributions have been recovered but kept elsewhere, then also they must be transferred immediately to the Trustee Bank.

24. If the State Governments decide to recover the contributions in instalments, it may be ensured that the instalments of Government contributions drawn and transferred to the fund do not exceed the individual's contributions.

25. In the case of post 01.01.2004 entrants into the service, whose contributions to NPS are yet to be deducted the State Government may consider deducting their contribution (arrears from 01.01.2004 or from their date of entry into service) from the second instalment of arrears of revision of pay due on account of the 6th Pay Commission recommendations. Further the pay arrears may be released only after individual application forms for registration to the New Pension Scheme have been obtained by the DDO/SNO from the concerned member of the service.

26. Whenever any member of the service is transferred from one office to another or goes on Central deputation etc, the TO will indicate in the Last Pay Certificate of the member of the service, the

PRAN in respect of that individual and the month up to which his contributions have been recovered/drawn.

27. Accountant Generals/Finance Departments of all State Governments are requested to bring these instructions to the notice of their TOs/DDOs/SNOs for strict compilance.

Harjot Kaur,
Director (Services).

———

No. 28/30/2004-P&PW(B)
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension and Pensioners Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi-110003
Dated : 28th October, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Mobility of personnel amongst Central/State & Autonomous Bodies while working under Pensionable establishments regarding.

The undersigned is directed to say that while introducing the New Pension Scheme from 1/1/2004, amendments to various existing rules including rule 2 of the CCS (Pension) Rules, 1972 were made whereby these rules became inapplicable to those apointed to Central Govt. Services and posts from 1/1/2004. Also the new and changed position obtaining on mobility of personnel between Central Government departments Between Central and State Governments; and between Govt. departments and autonomous bodies on technical resignation from 1/1/2004 under these rules were clarified *vide* OM of even number dated 26/7/2005.

2. The position has been further reviewed by the Government of India and it has been decided to continue mobility of Govt. Servants/Autonomous body employees appointed on or before 31.12.2003 and who were governed under the old non-contributory Pension Scheme of their respective Governments/Organizations in order to provide for the continuance of Pensionary benefits based on combined service in accordance with the CCS (Pension) Rules, 1972 as under :-

a. between the Central Govt. departments covered under CCS (Pension) Rules, 1972 and Railway Pension Rules, 1993 or other similar non contributory pensionable establishments of Central Govt. covered by old Pension rules other than CCS (Pension) Rules, 1972;
b. between State and Central Govt. Provided the employees ware appointed in the State Govt. (S) on or before 31.12.2003 and covered under old pension scheme similar to CCS (Pension) Rules, 1972;
c. the pre-existing arrangement of mobility between State/Central Autonomous Body to Central/State Govt. and between autonomous bodies that were governed by old pension schemes in force upto 31/12/2003 *vide* no. 28/10/84-P&PW dated 7/2/1986 and OM. No. 28/10/84-Pension unit dated 29/8/1984 stand restored although those under CPF etc. will not be allowed entry into the old pension scheme on appointments from 1/1/2004.

3. These instructions modify/supersede provisions in the OM of even number dated 26/7/2005 to the extent as indicated above and take effect from 1.1.2004.

4. This issues with the concurrence of Department of Expenditure *vide* their UO No. 335/EV/2009 dt. 5/10/2009 and in consultation with C&AG *vide* their U.O. No. 93-audit (Rules)/28-2009 dated 09-10-2009.

Raj Singh,
Director.

———

No. 11/25/2011-PR
Government of India
Ministry of Finance
Department of financial Services
-----

Jeevan Vihar Building, Parliament Street,
New Delhi, dated the 25th January, 2012.

**OFFICE MEMORANDUM**

Subject :Release of the accumulation in Defined Contribution Pension Scheme in Tier-I under New Pension Scheme.

The undersigned is directed to refer to Cabinet Secretariat's O.M. No. 1/71/2008-EA-I-3990 dated 23-12-2011 on the above captioned subject and to say that there is no provision of withdrawal under NPS on premature exit from NPS except the mandatory annuitisation principle of 40% annuitisation at an age of sixty and 80% annuitisation before the age of sixty.

2. In the case of Technical Resignation, it is stated that, since, the NPS pension account is "portable" meaning thereby that a NPS pension account could be maintained even when the Government Servant moves from one Department/Organisation of the Government to the other or to the private sector, or *vice-versa*. the pension account under NPS could be moved along with him. So, no withdrawal in case of "technical resignation" is recommended and the balance outstanding in their personal retirement account along with PRAN may be carried forward.

Surinder Kaur
Under Secretary to the Govt. of India.

Cabinet Secretariat,
[Shri Sumati Kumar, Director (CS)],
Bikaner House (Annexe),
Shahjahan Road,
New Delhi.

---

**Pension Fund Regulatory and Development Authority**

PFRDA/2013/10/CRTB/1 30th April, 2013

To

All Central Government Ministries & State Governments
All PrAos/PAOs/DTAs/DTOs
All POPs/POP-SPs/Aggregators/Corporates
All PFMs/ASPs

Dear Sir/Madam,

**Subject** : Appointment of new Trustee Bank (TB) under National Pension System (NPS)-reg.

1. All the offices are hereby informed that Axis Bank has been appointed as a new Trustee Bank in place of Bank of India (the current Trustee Bank) for National Pension System (NPS) with effect from 1st July, 2013.
2. Accordingly, all NPS related funds are to be remitted to the designated accounts of Axis Bank from Ist July, 2013. The Offices shall continue to remit funds to the designated NPS trust accounts being maintained with the current Trustee Bank, i.e., Bank of India till 30th June, 2013.
3. Kindly note that the overall procedure for remittance of funds to the Trustee Bank and matching & Booking of Subscriber Contribution Files (SCF) as well as the receipt of funds from Trustee Bank shall remain unchanged.
4. The Offices are requested to take note of the same. A detailed circular communicating the new NPS trust Account numbers where the funds will have to be remitted from 1st July,2013 and the name, contact numbers and email ids of the Axis Bank officials for any query/assistance will be communicated subsequently.

Yours faithfully
Subroto Das,
Chief General Manager.

FILE NO.: PFRDA/24/12 Dated : 30/07/2014

To,

All Government Departments/Autonomous Bodies

**Sub : Issue of family pension/Invalidation pension and adjustment of accumulated pension wealth of Government sector NPS subscribers to Government.**

Department of Pension and Pensioners Welfare has issued O.M. No.: 38/41/06/P&PW (A) dt. 5th May, 2009 providing for additional reliefs like invalidation pension/family pension to the Central government NPS subscribers/family members of a deceased Central Government employee covered under NPS on an optional basis wherein the subscriber/family members can either choose to opt for the benefits offered under the referred OM or choose to take the benefits as provided under NPS. However, if the option to avail the family pension/invalidation pension is exercised, the accumulated pension wealth in the account of the subscriber/deceased subscriber has to be adjusted/transferred to the Government account. It has also come to our notice that some of the State Governments, state/central autonomous bodies *etc*. are also offering this relief to their employees who are covered under NPS on similar lines.

2. During our discussions earlier with some of the Central Government departments, we have been informed that there are about 1900 cases wherein the family pension has been paid by various Central Government departments to the families of those Central Government employees who were covered under NPS and who are no more alive now.

3. However, there are no communications/intimations from the Central/State Government departments or those organisations which offer benefits referred in the above OM to CRA/PFRDA till date, on any such family/invalidation pension paid to the family members of the deceased NPS subscribers/subscribers. as a result, it is very much possible the family members will be availing both the benefits either knowingly or unknowingly on account of lack of knowledge about the rules and regulations in this regard.

4. Owing to the abvoe, since March, 2014 PFRDA is seeding a "No objection" certificate from the nodal office (PAO/DDO) stating that no application for providing family/invalidation pension has been received from the deceased subscriber's family members/subscriber and that they have no objection to release the NPS benefits.

5. Therefore, in order to streamline the system, we request that complete details as under should be intimated tous on priority so that the claims can be accordingly marked and Governments right of recovery duly protected and preseved.

(a) Details of all those cases where applications have been recived for payment of family pension/invalidation pension or any other benefit as provided under O.M. no.: 38/41/06/P&PW(A) dt . 5th May, 2009 or any other OM or order providing for such a relief.

(b) Details of all those cases where PAOs/DTA/DTO *etc.* have paid/paying family pension /invalidation pension or any other benefit as provided under O.M. no. : 38/41/06/P&PW (A) dt. 5th May, 2009 or any other OM or order providing for such a relief to the family members of the deceased Government servant covered under NPS/subscriber.

The above details may be sent in the attached format.

* Further it is advised that, in case if the State Governments/autonomous bodies/other Government entities have no such provision on such additional relief providing for family pension/invalidation pension to the Government employees covered under NPS, the same should also be specifically informed to us so that necessary process changes can be implemented.

* Also, in case if the State Governments/autonomous bodies/other Government entities have issued similar instructions on additional relief but where the adjustment of NPS benefits is not mandated, the same should also be specifically informed to us so that necessary process changes can be implemented

The above informatin needs to be sent in the attached format (Annexure I) at the following address and also by E-mail to the following:

1. NPS Claim Processing Cell,
   Central Record Keeping Agency, NSDL, 4th Floor,
   'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound,
   Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013

E-Mail ID : SarvdeepS@nsdl.co.in; Sudhanshus@nsdl.co.in;K.sumit@pfrda.org.in

In case any additional information is required or any further clarification is required in the matter, you may contact the following:

Sumit Kumar,
DGM
PFRDA, New Delhi
Mobile: +91 8447000347
Mail : K. sumit@pfrda.org.in

Thanking you,

Yours sincerely
Ashish Kumar,
General Manager.

**Annexure I**

| Sl. no. | Name of the NPS subscriber | PRAN | Date of the death/invalidation of the NPS subscriber | Name and address of the office paying the family pension/inalidation pension | Name of the family members who have applied for the family pension and to whom the family pension/ invalid pension paid | Relationship with the NPS subscriber | PAO/DDO/DTA/DTO registration number of the CRA | Any other relevant information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SIGNATURE OF THE PAO/DDO/DTA/DTO

or any authorised Government official along with the office seal

Address:

Date :

Place :

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

PFRDA/2015/07/EXIT/02 25th February, 2015

To,

All Govt. depts./PAO's/PrAO's/DDO's/DTO's & CRA

Dear sir/Madam,

SUB : Simplification of withdrawal Process-Documentary requirements.

Currently, the following documents are required to be submitted by the subscribers for processing a withdrawal request by CRA/NPS Trust for various types of withdrawals and which are common across all the sectors of National Pension System.

1. Original PRAN Card or in the absence of PRAN card, notarized affidavit.
2. Photo ID proof*.
3. Address proof of the Claimant*.
4. Cancelled Cheque (containing claimant's Name, Bank Account Number and IFS Code) or Bank Certificate.

*If a document contains both identification and address for compliance with KYC requirements, it would be sufficient for processing the withdrawals. Ex: Passport, Aadhar, Driving license, Ration card *etc.*

Additionally, the following documents are asked for exits arising out of death of the subscriber

5. Death certificate in original issued by local authorities.

6. Legal Heir Certificate/Succession Certificate as applicable in case if nomination is not registered by the Subscriber.

However, Feedback has been received at varius meetings conducted by PFRDA with Government officials, subscrbers and other stakeholders that the burden of documentation is too heavy and needs to be reduced for a smooth oeration of the system. The Authority based on the feedback and also upon reexamination of the procedural requirements at varius levels and has decided to simplify the documentary requirements for the Government subscriber sector to begin with. However, the long run goal is to minimise the documentary requirements for all sectors.

The following are the revised requirements for the Government sector subscriber for the Exit and withdrawal requests submitted to CRA/NPS Trust:

1. KYC documents, Bank Passbook/cancelled cheque/bank certificate and Name mis-match certification : The certification provided by the PAO/PrAO/DDO/DTO that

* the KYC requirements of proper identification of the subscriber has been done (as per Annexure I).
* that the name as provided in the withdrawal application form be accepted as final.
* Bank account details as provided in the application form be accepted as final.

would be accepted and claims dealt accordingly.

2. Nomination-If already existing in CRA system-there is no further requirement to fill in the details, unless the subscriber wishes to change the nomination already provided.
3. Original Pran card or in the absence of PRAN card, notarized affidavit : Not required to be submitted henceforth.
4. Death Certificate-Copy of the death certificate duly attested by the concerned PAO/PrAO/DDO/DTOwith a specific certification that it is a true copy of the original death certificate and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name, title and seal of office would be accepted as adequate for the purpose of establishing the death of the subscriber.

Yours faithfully,

Venkateswarlu Peri,

General Manager.

**ANNEXURE I**

1. KYC CERTIFICATION

Certified that Shri/Smt ................Son/Wife of Shri ............................who is an employee of (office address) ...........................from (date) ..............and is at present holding the post of .............................. and his/her identity is certified as provided in the NPS withdrawal aplication form along with the address as provided.

Further, the name and Bank account details as provided in the withdrawal aplication form by the subscriber shall be accepted as final.

Date .............

Name, Designation, Address & Tel no.
of the certifying officer.

--------

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण**

अधिसूचना

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण**
**(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015**

**नई दिल्ली, 11 मई, 2015**

सं0 पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8–पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

अध्याय 1

**प्रारंभिक**

1–**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 है।

"इन विनियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और प्रत्याहरण के समय अभिदाताओं के हित में एक प्रभावी तंत्र जिसमें व्यक्तिगत पेंशन खाता से प्रत्याहरण के लिए निबंधनों, उददेश्य, आवृत्ति और सीमाएं शामिल है साथ ही वे शर्ते भी जिनके आधार पर अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास और उसके पश्चात् वार्षिकी का क्रय करेगा, उपलब्ध कराना है।"

(2)–ये राजपत्र मे उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2–**परिभाषाएं–(1)** इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है;

(ख) "संचित पेंशन धन" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्त खाते में संचित पेंशन विनिधानों का मुद्रामूल्य अभिप्रेत है;

(ग) "संकलनकर्ता" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन् के अधीन अभिदाता के अंतरानीक कृत्यो को करने के लिए अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत ऐसा मध्यवर्ती अभिप्रेत है जिसका कुछ सामाजिक–आर्थिक माल या सेवाओं के लिए ज्ञात ग्राहक आधार के साथ कृत्यकारी संबंध होगा;

(घ) "वार्षिकी सेवा प्रदाता" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित कोई जीवन बीमा कंपनी अभिप्रेत है और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं को वार्षिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सूची में सम्मिलित है;

(ङ) "भारत का नागरिक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन भारत का नागरिक होने के लिए अर्हित है;

(च) "अनुपालन अधिकारी" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई जिम्मेदार व्यक्ति या कोई अन्य मध्यवर्ती या अस्तित्व अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं से प्रत्याहरण दावों को प्राप्त करने, प्रक्रमण और परिनिर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिसे अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों या समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतो या अनुदेशों के अनुपालन को किए जाने को मानीटर करने के उत्तरदायित्व का भार सौंपा गया है;

(छ) "सरकारी सेक्टर का अभिदाता" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के नोडल कार्यालयों के माध्यम से दर्ज और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई अभिदाता अभिप्रेत है;

(ज) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली–लाइट" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जिसमें असंगठित सेक्टर से, जिसकी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली–स्वावलंबन् एक ऐसा संघटक है, जिसमें भारत सरकार का अभिदाय अनुज्ञेय है, संबंधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आशावान समूह माडल की एक विशेषता का उपबंध है;

(झ) "स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्यांक (पीआरएएन) से केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा प्रत्येक अभिदाता को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(ञ) ''स्वावलंबन् अभिदाता'' से ऐसा अभिदाता अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा उस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और जहां भारत सरकार का सह अभिदाय अनुज्ञेय है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उनका है।

## अध्याय 2

## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के प्रयोजनों के लिए अभिदाताओं को (1) सरकारी सेक्टर, (2) सर्वनागरिक सहित कारपोरेट सेक्टर और (3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली–लाइट और स्वावलंबन् अभिदाताओं के रूप में प्रवर्गीकृत और परिभाषित किया गया है। तद्नुसार इसके अधीन विनिर्दिष्ट निकास संबंधी विनियम उस प्रवर्ग को लागू होंगे जिसके अभिदाता है।

3–सरकारी सेक्टर के अभिदाताओं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास–सरकारी सेक्टर का कोई अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से नीचे विनिर्दिष्ट रीतियों में बाहर आएगा, अर्थात् :–

(क) जहां अभिदाता, जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा यथाविहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है या होती है, वहां ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी करने के लिए उपयोजित की जाएगी और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन का अतिशेष एकमुश्त रूप में अभिदाता को संदत्त किया जाएगा :

परंतु,–

(i) निम्न डिफाल्ट वार्षिकी संविदा होगी जो कि लागू होगी और जिसके अंतर्गत वार्षिकी संविदा में अभिदाता को जीवन के लिए वार्षिकी और उसके पति या पत्नी (यदि कोई हो) के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किये जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में, (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम मे पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगीः

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सभी सदस्य पूरे होने के पश्चात ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जायेगी।

उन अभिदाता को जो उपरोक्त वर्णित डिफाल्ट विकल्प से बाहर निकलना चाहते है और उपलब्ध वार्षिकी प्रकारों में से अपनी पंसद की वार्षिकी संविदा का चयन करना चाहते है अथवा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा करना चाहते है, उस विकल्प को चुनाव विशेष रूप से करना अपेक्षित होगा।

(ii) जहां अभिदाता अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के पश्चात् अतिशेष रकम के प्रत्याहरण की वांछा नहीं करता है वहां ऐसे अभिदाता के पास तब तक एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण को आस्थगित करने का विकल्प होगा जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता या लेती है, परंतु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी।

(iii) जहां अभिदाता वार्षिकी के क्रय को आस्थगित करने की वांछा करता या करती है, वहां उसके पास अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए ऐसा करने का विकल्प होगा परंतु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आुय प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी। वार्षिकी क्रय करने को ऐसे आस्थगित करने के विकल्प की एक पुरोभाव्य शर्त यह होगी कि यदि अभिदाता की मृत्यु आस्थगन के पश्चात् वार्षिकी क्रय किये जाने की ऐसी नियत तारीख के पहले हो जाती है तो वार्षिकी अनिवार्य रूप से पति या पत्नी द्वारा (यदि कोई हो) वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ पति या पत्नी के लिए आजीवन वार्षिकी प्रदान करने के लिए क्रय की जायेगी और ऐसे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके वार्षिकी के क्रय के समय पर विद्यमान प्रीमियम दर पर इसके अधीन उपबंधित अधिमानता के क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगीः

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

सभी सदस्य पूरे होने के पश्चात ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी।

(iv) जहां अभिदाता एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण या वार्षिकी क्रय करने को आस्थगित करने की वांछा करता हैं, वहां अभिदाता को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्त खाता, अनुरक्षण प्रभार, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, पेंशन निधि, न्यासी बैंक या कोई अन्य मध्यवर्ती, जो समय–समय पर लागू हो, को संदेय प्रभार भी हैं, वहन करने के लिए सहमत हो।

(v) जहां अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन दो लाख रूपये की धनराशि के बराबर या उससे कम है, वहां अभिदाता को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन या सरकार से ऐसी कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा;

(ख) जहां अभिदाता, जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा विहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व स्वैच्छिक रूप से निवृत्त हो जाता है या बाहर हो जाता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगाः

परंतु वार्षिकी संविदा में अभिदाता और उसका पति या पत्नी (यदि कोई हो) के जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किये जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगीः

(i) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(i) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सभी सदस्य पूरे होने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगीः

परन्तु यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रूपये से अधिक है किन्तु अभिदाता की आयु, सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में से किसी प्रदाता से, जिसका ऐसे अभिदाता द्वारा चुनाव किया गया है, कोई वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम है, तो ऐसा अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक अभिदाय करता रहेगा जब तक वह कोई वार्षिकी क्रय करने की पात्रता आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती हैः

परंतु यह और कि यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रूपये के बराबर या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा और अभिदाता द्वारा ऐसे किसी विकल्प के प्रयोग को, विनियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, इन विनियमों के अनुसार किया गया माना जाएगा।

(ग) जहां ऐसा अभिदाता, जिसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पहले मृत्यु हो जाती है वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और अतिशेष पेंशन धन एकमुश्त रूप से ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति, नामिति या नामितियों को या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जाएगाः

परंतु,—

(i) वार्षिकी संविदा में पति या पत्नी (यदि कोई हो) को जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, वार्षिकी का उपबंध और ऐसे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगीः

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

सभी सदस्य पूरे होने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, जो लागू हो, अभिदाता के जीवित बच्चो और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को वापस कर दी जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु के समय उसके स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन दो लाख रुपये की धनराशि के बराबर या उससे कम है, वहां उसके नामिति अथवा विधिक वारिस जैसा भी मामला हो, को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा इस विकल्प का प्रयोग करने पर परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा।

4–सर्व नागरिकों का जिसके अंतर्गत कारपोरेट सेक्टर के अभिदाता भी है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिदाता, जिसके अंतर्गत कारपोरेट सेक्टर का अभिदाता भी है, नीचे दी गई विनिर्दिष्ट रीति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर होगा, अर्थात :–

(क) जहां कोई अभिदाता साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, या ऐसे अभिदाता को लागू सेवा नियमों के अनुसार उसकी अधिवर्षिता हो जाती है, वहां ऐसा होने पर भी ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से, मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन दो लाख रुपये की राशि के बराबर है या उससे कम है, तो अभिदाता के पास कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन के प्रत्याहरण का विकल्प होगाः

परंतु,–

(i) सत्तर वर्ष से अनधिक का अभिदाता, लिखित में सूचना देते हुए इस प्रकार विनिर्दिष्ट साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जब तक वह अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में अभिदाय करना चाहे, अभिदाय करना जारी रख सकता है।

ऐसी सूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को दी जायेगी। ऐसी सूचना देने पर भी अभिदाता, किसी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को लिखित में अनुरोध करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास कर सकेगा;

(ii) अभिदाता के पास, जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है, तब तक एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण को आस्थगित करने का विकल्प होगा, परंतु अभिदाता,राष्ट्रीय पेंशन न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को, यथास्थिति, साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी;

(iii) अभिदाता के पास, यथास्थिति, साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए वार्षिकी के क्रय को आस्थगित करने का विकल्प होगा, परंतु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को, यथास्थिति, साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी;

(iv) अभिदाता को अभिदाय जारी रखने के लिए, यथास्थिति, वार्षिकी की रकम एकमुश्त प्रत्याहरण या उसके क्रय को आस्थगित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता का अनुरक्षण प्रभार, जिसके अंतर्गत केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, पेंशन निधि, न्यासी बैंक या कोई अन्य मध्यवर्ती, जो समय–समय पर लागू हो, को संदेय प्रभार भी है, का वहन करने के लिए सहमत हों;

(ख) जहां अभिदाता, जो साठ वर्ष की आयु या सेवा नियमों द्वारा यथाविहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास की वांछा करता है, ऐसे अभिदाता को केवल इस आधार पर विकल्प का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम दस वर्ष से अभिदाय कर रहा हो। ऐसी स्थिति में ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया

जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन का अतिशेष एकमुश्त रूप से अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा।

परंतु यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रूपए से अधिक है किन्तु, सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में से किसी प्रदाता से, जिसका ऐसे अभिदाता द्वारा चुनाव किया गया है, कोई वार्षिकी क्रय करने के लिए अभिदाता की आयु अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम है, तो ऐसा अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक अभिदाय करता रहेगा जब तक वह कोई वार्षिकी क्रय करने की पात्रता आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है :

परंतु यह और कि यदि अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्त खाते में संचित पेंशन धन एक लाख रूपए के बराबर या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा;

(ग) जहां अभिदाता की मृत्यु, साठ वर्ष की आयु या सेवा नियमों द्वारा यथाविहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व हो जाती है वहां अभिदाता का संपूर्ण संचित पेंशन धन, ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति, नामिति या नामितियों या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जाएगा :

परंतु,—

(i) मृतक अभिदाता के नामिति या कुटुंब के सदस्यों को ऐसी कोई वार्षिकी, जिसकी निकास के समय प्रस्थापना की गई है, क्रय करने का विकल्प होगा यदि वे, मृतक अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के मद्दे लाभों के प्रत्याहरण के लिए आवेदन करते समय ऐसी वांछा करते हैं;

(ii) यदि मृतक अभिदाता द्वारा उसकी मृत्यु के पूर्व नामितिकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारिता के न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर कुटुंब के सदस्यों को संचित पेंशन धन भुगतान कर दिया जाएगा।

(5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली—लाइट और स्वावलंबन् अभिदाताओं द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एनपीएस—लाइट या स्वावलंबन् अभिदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई अभिदाता नीचे विनिर्दिष्ट रीति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास कर सकता है, अर्थात :—

(क) अभिदाता द्वारा, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से मासिक या अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय किए जाने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा :

परन्तु :—

(i) स्वावलंबन अभिदाता के लिए, अभिदाता के संचित पेंशन धन का न्यूनतम चालीस प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से, उपयोजित करके क्रय की गई वार्षिकी से कम से कम एक हजार रुपये, मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जाएगी, इसमें असफल रहने पर संपूर्ण संचित पेंशन धन का ऐसी रीति में वार्षिकी विनियोग किया जाएगा जिससे कम से कम एक हजार रुपये की मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जा सके और इसके पश्चात् अतिशेष का, भुगतान यदि कोई हो, अभिदाता को एकमुश्त रूप से कर दिया जाएगा। तथापि इसमें ऐसी राशि को अव्यक्त या सुव्यक्त गारंटी नहीं होगी कि संपूर्ण संचित पेंशन धन से क्रय की गई वार्षिकी से मासिक रूप से वार्षिकी या पेंशन एक हजार रुपये दी जाएगी;

(ii) यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रुपये के बराबर या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा और अभिदाता द्वारा ऐसे किसी विकल्प के प्रयोग को, विनियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, इन विनियमों के अनुसार किया गया माना जाएगा।

(ख) तथापि इस बात के अधीन रहते हुए कि साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व किसी भी समय संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय किए जाने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात अतिशेष संचित पेंशन धन का एकमुश्त भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा;

स्वावलंबन अभिदाता के लिए, अभिदाता के संचित पेंशन धन का न्यूनतम चालीस प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से उपयोजित करके क्रय की गई वार्षिकी से कम से कम एक हजार रुपये मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जाएगी, इसमें असफल रहने पर संपूर्ण संचित पेंशन धन का ऐसी रीति में वार्षिकी विनियोग किया जाएगा जिससे कम से कम एक हजार रुपये की मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जा सके और इसके पश्चात अतिशेष का, भुगतान यदि कोई हो, अभिदाता को एकमुश्त रूप से कर दिया जाएगा। तथापि इसमें ऐसी राशि को अव्यक्त या सुव्यक्त गारंटी नहीं होगी कि संपूर्ण संचित पेंशन धन से क्रय की गई वार्षिकी से मासिक रूप से वार्षिकी या पेंशन एक हजार रुपये दी जाएगी; परंतु यह और कि इस खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां संचित पेंशन धन एक लाख रुपये से अधिक नहीं है वहां यदि अभिदाता ने न्यूनतम पच्चीस वर्ष की अवधि तक स्कीम मे अभिदाय जारी रखा है तो बिना किसी वार्षिकी विनियोग के संपूर्ण पेंशन धन का अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि अभिदाताओं अथवा स्वालम्बन, अभिदाताओं का भारत सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना में प्राधिकरण की अनुज्ञा से किये गये प्रवसन को इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निकास और आहरण नहीं माना जाएगा।

(ग) जहां अभिदाता, जिसकी साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है वहां अभिदाता का संपूर्ण संचित पेंशन धन का ऐसे अभिदाता के नामिति या विधि वारिस को भुगतान कर दिया जाएगा और इसमें अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने और मासिक या कालिक पेंशन के उपबंध की कोई शर्त नहीं होगी तथा इसमें ऐसे मृतक अभिदाता से संचित पेंशन धन के वार्षिकी विनियोग की कोई अपेक्षा नहीं होगी। मृतक अभिदाता के नामिति या उसके कुटुंब के सदस्यों को, यदि वे ऐसी वांछा करे तो निकास के लिए प्रस्थापित की गई कोई वार्षिकी क्रय करने का विकल्प होगाः

परन्तु यह कि जहां अभिदाता द्वारा उसकी मृत्यु के पूर्व नामितिकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाण–पत्र या सक्षम प्राधिकारिता के न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के आधार पर कुटुंब के सदस्यों को संचित पेंशन धन का भुगतान कर दिया जाएगा।

6–निकास या प्रत्याहरण के लिए आवेदन की शर्तें–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिदाता का निकास और अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के टीयर I में के संचित पेंशन धन से प्रत्याहरण नीचे यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थातः–

(क) पूर्व या वर्तमान सेवाओं के मददे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के टीयर I में की कोई पेंशन या संचित पेंशन धन, जो विनियम 8 में यथाविहित उस सीमा तक निर्बंधित होगा, वहां के सिवाय जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अभिदाता के पेंशन खाते में संचित पेंशन धन के समनुदेशन के लिए पूर्व मंजूरी दी है, लेनदार की प्रेरणा पर किसी न्यायालय की आदेशिका द्वारा अभिदाता के विरूद्ध किसी मांग के लिए या किसी ऐसे न्यायालय की डिक्री या आदेश की तुष्टि के लिए अभिग्रहण, कुर्की या परिवद्धकरण के लिए दायी नहीं होगा;

(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के किसी अभिदाता द्वारा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन ऐसे अभिदाता की ऐसी किसी लाभ के सबंध में या उसके मद्दे संदेय किसी धनराशि के संबंध में या उसमें कोई भावी ब्याज देने या उसके समनुदेशन के लिए किया गया किसी प्रकार का कोई समनुदेशन, गिरवी, संविदा, आदेश, विक्रय या प्रतिभूति, सिवाय वहां के अकृत्य और शून्य होगा जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अभिदाता के पेंशन खाते में संचित पेंशन धन के ऐसे समनुदेशन की पूर्व अनुज्ञा दी है और जो नियम 8 में यथा विहित ऐसी सीमा तक निर्बंधित होगी जिस तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहमत था या उसका अनुमोदन किया था;

(ग) यथास्थिति, भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, यदि अभिदाता के नियोजन को शासित करने वाले सेवा नियमों में ऐसा उपबंधित है तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को कारित संपूर्ण धनीय हानि या उसके किसी भाग की वसूली के प्रयोजन के लिए अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते के टीयर I खाते में नियोजक के रूप में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए सह अभिदाय के माध्यम से संचित पेंशन धन का भाग या उस पर प्रोद्भूत विनिधान आय को विधारित करने के अधिकार को उलट सकेगा, परंतु ऐसी हानि, संबंधित नियोजक द्वारा ऐसे अभिदाता के विरूद्ध आरंभ की गई किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में सिद्ध होनी चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी ऐसी इकाई को, जिसे ऐसा प्राधिकार दिया गया है, दी गई किसी सूचना के अनुसरण में और अभिदाता के उक्त पेंशन धन के प्रतिधारण की ईप्सा से विधारण के ऐसे अधिकार का अभिदाता की अधिवर्षिता की तारीख से पहले प्रयोग किया जाएगा। विधारण के ऐसे अधिकार का विधिमान्यतः प्रयोग किए जाने पर :–

(i) ऐसा पेंशन धन, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन भुगतान योग्य है, अभिदाता को तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक, यथास्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष और ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में अंतिम आदेश में पारित नहीं कर दिया जाता है;

(ii) उपखंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट विधारित रकम का, स्कीम में, ऐसी पद्धति और रीति में अभिदाय के रूप में बनी रहेगी, जिसमें संबंधित सरकार द्वारा ऐसी कारवाई को अपनाकर रखा गया था और विधारित रकम का अंतिम परिनिर्धारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या अन्य इकाई द्वारा सामान्यतः संबंधित सरकार से समुचित आदेश के प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा;

(iii) विधारित रकम का, उस संबंधित सरकारी विभाग द्वारा, जिसने ऐसे फायदे को विधारित करने की ईप्सा की थी, यथा प्रमाणित अंतिम परिनिर्धारण पर अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा हो जाएगी। वह यथा संभव शीघ्र अभिदाता को संदत्त भुगतान कर दिया जाएगा और यह प्रत्येक दशा में ऐसा भुगतान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई या व्यक्ति द्वारा अंतिम आदेश की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा;

(ङ) यदि अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके कुटुम्ब के सदस्य, सरकार द्वारा उपबंधित मृत्यु या निःशक्तता संबंधी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का उपभोग करते हैं तो सरकार को अभिदाता का संपूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा। ऐसे फायदे का उपभोग करने वाला अभिदाता या अभिदाता के कुटुम्ब के सदस्य ऐसे सरकारी प्राधिकरण से कुटुम्ब पेंशन या निःशक्तता पेंशन या कोई अन्य पेंशन संबंधी प्रसुविधा के स्थान पर विनिर्दिष्ट रूप से और बिना शर्त सरकार को संपूर्ण संचित पेंशन धन अंतरित करने के लिए सहमत होंगे और इसका वचन देंगे;

(च) प्राप्त होने योग्य सभी फायदे, जिसके अंतर्गत इन विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वार्षिकी का क्रय किया जाना भी है, इन विनियमों या ऐसे किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेश या अधिसूचना, जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएं, के अनुसार प्रत्याहरण संबंधी आवेदन पर कार्यवाही करने के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा संदत्त किए जाएंगे;

(छ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन टीयर I खाते से निकास करने वाले अभिदाता का टीयर II खाते में रखी धनराशि का भी मुद्रीकरण कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उपयुक्त फायदे का भुगतान करके बंद कर दिया जाएगा।

## अध्याय 3

## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन प्रत्याहरण, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाएं

7—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन प्रत्याहरण की शर्तें :—

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से कार्य करने वाला केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य इकाई अभिदाता से विनिर्दिष्ट प्ररूप में और इस प्रकार विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी अभिदाता से प्रत्याहरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर इन विनियमों, प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों, आदेशों या अधिसूचनाओं के अधीन अनुज्ञात पद्धति और रीति में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण मंजूर कर सकेगा :

परंतु अभिदाता से विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनुज्ञेय प्रत्याहरण की बाबत प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन की अपेक्षा होगी।

8— राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निम्नलिखित प्रत्याहरण अनुज्ञात होंगे—(1) अभिदाता के संचित पेंशन धन का आंशिक प्रत्याहरण, जो अभिदाता के संचित पेंशन धन का, जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक है, और जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के पूर्व किसी समय नियोजक द्वारा किए गए अंशदान, यदि कोई हो, अपवर्जित किया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा—

(अ) प्रयोजन : किसी अभिदाता को, प्रत्याहरण प्रारूप प्रस्तुत करने की तारीख से केवल निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी के लिए उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते से ऐसे अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक का प्रत्याहरण, अनुज्ञात होगा :—

(क) अपने बच्चों के, जिसके अन्तर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, उच्चतर शिक्षा के लिए;

(ख) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, विवाह के लिए;

(ग) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके संन्निर्माण के लिए;

यदि, अभिदाता के पास पहले से पैतृक संपत्ति से भिन्न उसके स्वयं के नाम से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट है, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(घ) विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए; यदि, अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, या आश्रित माता—पिता किसी विनिर्दिष्ट रूग्णता से ग्रस्त हैं, जिसमें निम्नलिखित रोगों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा;

(i) कैंसर;

(ii) किडनी फेल होना (रीनल फेल होना, अंतिम स्टेज);

(iii) प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन;

(iv) मल्टीपल एक्लराइओसिस;

(v) मेजर आर्गन ट्रांसप्लांट;

(vi) कोरेनरी आर्ट्री बाइपास ग्राफ्स;

(vii) ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी;

(viii) हार्ट वाल्व सर्जरी;

(ix) स्ट्रोक;

(x) मायोकार्डियल इंफक्शन;

(xi) कोमा;

(xii) टोटल ब्लांडनेस (पूर्ण रूप अंधता);

(xiii) पेरालेसिस (लकवा);

(xiv) गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना;

(xv) जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट किया जाये।

(आ) सीमाएं : अनुज्ञात प्रत्याहरण केवल तथा मंजूर किया जाएगा यदि अभिदाता लाभों का उपभोग करने के लिए निम्नलिखित पात्रता संबंधी मानदंड और सीमाओं का अनुपालन करता है :–

(क) अभिदाता, अपने कार्यग्रहण की तारीख से कम से कम दस वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो;

(ख) अभिदाता को उसके द्वारा किए गए अभिदायों के, आवेदन की तारीख को उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा रकम के प्रत्याहरण के लिए, पच्चीस प्रतिशत से अनधिक संचयन का प्रत्याहरण अनुज्ञात नही होगा।

(ई) आवृत्ति : (1) अभिदाता को, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाय की संपूर्ण अवधि के दौरान केवल अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण अनुज्ञात होगा और ऐसे प्रत्येक प्रत्याहरण की अंतिम तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो। दो प्रत्याहरणों के बीच व्यतीत होने वाले पांच वर्ष की अनिवार्य अपेक्षा, विनिर्दिष्ट रुग्णता के उपचार की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास अभिदाता की मृत्यु के कारण उद्भूत प्रत्याहरण की दशा में लागू नही होगी। अभिदाता द्वारा सुसंगत दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रत्याहरण के लिए अनुरोध केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्रत्याहरण की कार्यवाही करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु जहां कोई अभिदाता, उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है वहां प्रत्याहरण का ऐसा अनुरोध ऐसे अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) स्थायी सेवानिवृत्ति खाते से संबंधित विधिमान्य और सक्रिय टीयर II खाता धारक कोई अभिदाता ऐसे आवेदन प्रारूप पर और ऐसी पद्धति तथा रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रत्याहरण के लिए किसी भी समय आवेदन करके पूरा या भागतः संचित धन का प्रत्याहरण कर सकेगा। ऐसे प्रत्याहरणों की, लागू प्रभारों और प्रत्याहरण रकम को देखते हुए संचित पेंशन धन की पर्याप्त रकम होने तक कोई सीमा नही होगीः

परंतु अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर होते ही टीयर II खाता स्वतः बंद हो जायेगा, भले ही उक्त प्रयोजन के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट आवेदन अभिदाता से प्राप्त नही हुआ हो और ऐसे खाते में संचित धनराशि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास संबंधी अभिदाता के आवेदन प्रस्तुत करने के समय ही उसके द्वारा दिये गये बैंक खाते में अंतरित हो जाएगा।

9–प्रत्याहरण की प्रक्रिया–(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य मध्यवर्ती या इकाई, अभिदाता द्वारा अधिनियम के उपबंध, प्राधिकरण द्वारा जारी इन विनियमों, निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतो और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015, जहां लागू हों, के अनुसार दर्ज प्रत्याहरण और निकास से संबंधित दावों पर कार्रवाई करने और उसका अनुमोदन करने और प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं के प्रत्याहरण और निकास को सुकर बनाने के लिए उपयुक्त प्रचालन कार्रवाई या मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करेगा।

## अध्याय 4

## वार्षिकी का क्रय और वार्षिकी सेवा प्रदाता

10—निकास के समय वार्षिकी क्रय करने की शर्तें—(1) अभिदाता, निकास के समय, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट मासिक या कालिक वार्षिकी या पेंशन के लिए अनिवार्य रूप से कोई वार्षिकी क्रय करेगा। ऐसी वार्षिकी, प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से क्रय की जाएगी।

(2) अभिदाता द्वारा वार्षिकी और उसके प्रकार के विकल्प का उपयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के समय किया जाएगा, जब तक प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्रों, अधिसूचनाओं या मार्गदर्शक सिद्धांतो द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

(3) एक बार वार्षिकी क्रय कर लिए जाने पर रद्करण और किसी अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाता के साथ या किसी अन्य वार्षिकी स्कीम में पुनः विनिधान का विकल्प अनुज्ञात नहीं होगा, जब तक कि वह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंधित मुक्त नियत अवधि सीमा के भीतर, वार्षिकी संविदा के निबंधनों में ऐसा उपबंधित न हो, या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट रूप से उपलब्ध न हों

(4) सरकारी सेक्टर के अभिदाता से भिन्न अभिदाता को वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वार्षिकियों में से चुनाव का विकल्प होगा और इस प्रकार चुनी गई वार्षिकी सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध की जाएगी।

(5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास चाहने वाले अभिदाताओं के फायदे के लिए एक डिफाल्ट वार्षिकी सेवा प्रदाता और डिफाल्ट वार्षिकी स्कीम होगी। डिफाल्ट वार्षिकी सेवा प्रदाता और लागू डिफाल्ट वार्षिकी स्कीम संबंधी सूचना ऐसी होगी जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जो उसके द्वारा जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतो या अधिसूचना के माध्यम से अभिदाता संसूचित करने के अतिरिक्त उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हो। ऐसी डिफाल्ट वार्षिकी स्कीम विनियम 3 के अधीन आने वाले सरकारी अभिदाताओं के मामले में उपलब्ध या लागू नहीं होगी।

11—वार्षिकी सेवा प्रदाताओं का पैनल तैयार करना—(1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही ऐसा कोई आवेदक, जो सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए पैनल प्रमाण—पत्र अनुदत्त किये जाने संबंधी इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करता है, उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट पैनल में सम्मिलित होने हेतु फीस और उसके समर्थन में ऐसे दस्तावेजों, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के साथ विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन करेगा।

(2) आवेदन प्रपत्र के साथ एक लाख रुपये की एक बारगी फीस प्राधिकरण को संदत्त की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा पैनल में सम्मिलित होने संबंधी फीस, विनियम 17 के अधीन पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण—पत्र प्रदान करने की सूचना भेजने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर वसूल की जाएगी:

परंतु प्रत्येक सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता, पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय ऐसी नवीकरण फीस, यदि कोई हो, का संदाय करेगा जो प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर उसके द्वारा जारी परिपत्र, आदेश या अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) ऐसा आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, जो आवेदन प्ररूप में और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुदेशो के अनुरूप नहीं है, नामंजूर कर दिया जाएगा। परंतु यदि कोई ऐसा आवेदन नामंजूर करने के पहले आवेदक को वापस लेने या आवेदन को सभी प्रकार से पूर्ण करने और गलतियों को, यदि कोई हो, सुधारने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। प्राधिकरण आवेदक से आवेदन का निपटारा करने के लिए ऐसी अतिरिक्त सूचना की ईप्सा कर सकेगा जो वह सुसंगत समझे।

(4) इन विनियमों के प्रांरभ से पूर्व अंतरिम पेंशन, पेशन निधि, विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध कोई वार्षिकी सेवा प्रदाता, इन विनियमों की अधिसूचना से नब्बे दिन की अवधि तक या यदि वह पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करता है तो प्राधिकरण द्वारा उसके आवेदन का निपटारा करने तक उस रूप में कार्य करता रहेगा।

12–प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड–(1) किसी आवेदक के लिए सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु निम्नलिखित पात्रता मानदंड होंगे :–

(क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित तथा पिछले तीन वर्षों से घरेलू बाजार में वार्षिकी संबंधी उत्पादों में व्यवहार करने वाली कोई जीवन बीमा कंपनी;

(ख) आवेदक, जिसके पास न्यूनतम शुद्ध मालियत दो सौ पचास करोड रुपये है;

(ग) आवेदक, ऐसे वार्षिकी उत्पादों की, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को फाइल वार्षिकी उत्पादों के ब्यौरों द्वारा प्रदर्शन योग्य है, परिकल्पना, विकास और प्रस्थापना करने में सक्षम है;

(घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार में वार्षिकी उत्पादों के साथ व्यवहार करने या उनका विक्रय करने से वर्जित नहीं किया गया है;

(ङ) कोई अन्य मानदंड, जो प्राधिकरण द्वारा संकल्पो, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतो, संन्नियमों या ज्ञापन द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्राधिकरण ने लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से उपरोक्त कुछ या सभी मानदडों या अधित्यजन करने या उपांतरित करने का अधिकार आरक्षित रखा है।

13–सूचना का प्रकटीकरण–(1) प्राधिकरण को, अभिदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का अधिकार होगा।

(2) वार्षिकी प्रदाता द्वारा पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते समय या उसके पश्चात् प्राधिकरण को दी गई सूचना में हुई कोई तात्विक परिवर्तन तुरंत किन्तु ऐसी परिवर्तन होने के तीस दिन के अपश्चात् प्राधिकरण को दी जाएगी।

14–सूचना और स्पष्टीकरण का दिया जाना–(1) प्राधिकरण, आवेदक से पैनल में सम्मिलित होने के लिए आवेदन का निपटारा करने के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने के लिए और तत्पश्चात् ऐसे किसी अन्य मामले की बाबत, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा जाए, अपेक्षा कर सकेगा। आवेदक या उसका प्रधान अधिकारी, यदि ऐसा अपेक्षित हो, प्राधिकरण के समक्ष आवेदन के संबंध में व्यक्तिगत अभ्यावेदन के लिए हाजिर होगा।

(2) आवेदक, प्राधिकरण को उसके समाधानप्रद रूप में प्राधिकरण द्वारा इस सबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण देगा।

15–सूचना का सत्यापन–(1) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन और सूचना तथा उसकी पात्रता पर विचार करते समय प्राधिकरण , यदि ऐसी वांछा करे, सूचना का सत्यापन, जिसके अंतर्गत दस्तावेजों, कार्यस्थल का वस्तुतः सत्यापन भी है, ऐसी रीति में कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और कार्यस्थल, अवसंरचना और ऐसे प्रौद्योगिकी समर्थन की, जिसका आवेदक के पास होना अपेक्षित है, उपलब्धता का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण, किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसके अंतर्गत उसका कोई अधिकरी या संपरीक्षक या कोई वाहय अभिकरण भी है।

16–आवेदन पर विचार किया जाना–(1) आवेदक की पात्रता और ऐसे आवेदक को पैनल में सम्मिलित किये जाने संबंधी प्रमाणपत्र देने पर विचार करने के लिए प्राधिकरण ऐसे सभी विषयों को ध्यान में रखेगा जो वह पेंशन सेक्टर और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियाकलापों के लिए सुसंगत समझे किन्तु ये निम्नलिखित विषयों तक सीमित नहीं होगा :–

(क) क्या आवेदक या उसके किसी सहबद्ध को पहले, भारत के किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक द्वारा, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण भी हैं। पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र देने इंकार किया गया है, यदि ऐसा है तो ऐसी इंकार के आधार;

(ख) क्या आवेदन पर, पिछले पांच वर्षो में भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण जैसे किसी वित्तीय विनियामक द्वारा या किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किन्हीं विधियों के उपबंधो का, संबंधित विनियामक द्वारा बनाए गए विनियमों या निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतो और परिपत्रों के उल्लंघन के विषय में शास्ति अधिरोपित की गई है और यदि ऐसा हुआ है तो उसके आधार;

(ग) क्या आवेदक इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी मानदंडों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है;

(घ) क्या आवेदक को प्रमाण–पत्र दिया जाना अभिदाताओं के हित और/या पेंशन सेक्टर या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमबद्ध विकास के हित में है;

(2) आवेदन पर विचार करते समय, प्राधिकरण आवेदक को, ऐसी तारीख, समय और स्थान पर, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे प्रस्तुतिकरण का प्रयोजन, आवेदक को, प्राधिकरण को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने और अपने प्रस्ताव का मूल आधार स्पष्ट करने हेतु अनुज्ञात करना होगा।

(3) पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण–पत्र दिए जाने का ऐसा आवेदन–

(क) जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और दी गई अपेक्षाओं तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है;

(ख) जिसमें प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना अंतर्विष्ट नहीं है;

(ग) जो गलत, मिथ्या या भ्रामक प्रकृति का है;

(घ) जहां आवेदक ने इन विनियमों के अधीन यथा वर्णित पात्रता सबंधी अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है;

(ङ) जो प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हित और/या पेंशन सेक्टर या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमबद्ध विकास उद्देश्यपरक हित में नहीं है;

(च) जहां आवेदक उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं है,

प्राधिकरण द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नामंजूर कर दिया जाएगा।

(4) किसी आवेदन को नामंजूर किए जाने के पूर्व आवेदक को, प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कमियों को सुधारने का लिखित में अवसर दिया जाएगाः

परंतु जहां कोई आवेदन इस आधार पर नामंजूर किया जाता है कि उसमें मिथ्या या भ्रामक सूचना अंतर्विष्ट है, वहां ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आवेदक इन विनियमों या किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रमाणपत्र देने हेतु आवेदन नहीं करेगा।

(5) इन विनियमों के अधीन पैनल में सम्मिलित होने संबंधी आवेदन का, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, प्राधिकरण द्वारा ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा।

17–पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र दिए जाने की प्रक्रिया–(1) प्राधिकरण, इस बात का समाधान हो जाने पर कि आवेदक पात्र है। उपाबंध 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण–पत्र देगा और इस संबंध में आवेदक को सूचना भेजेगाः

परंतु जहां प्राधिकरण या किसी न्यायालय या अधिकरण में कोई कार्यवाही लंबित है जिसके परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है, वहां प्राधिकरण सशर्त रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त कर सकेगा।

(2) पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस कार्य दिवस के भीतर, वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के साथ, राष्ट्रीय

पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं द्वारा वार्षिकी के क्रय करने की प्रक्रिया को प्रचालित करने के प्रयोजन के लिए करार करेगा।

18–पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र की शर्तें–किसी वार्षिकी सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पैनल में सम्मिलित होने संबंधी अनुदत्त प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थातः–

(क) जहां वार्षिकी सेवा प्रदाता, अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है वहां वह वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अभिप्राप्त अनुमोदन के साथ ऐसी सूचना प्राधिकरण को देगा;

(ख) वह इन विनियमों के अनुसार लागू फीस का संदाय करेगा;

(ग) वह अधिनियम या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों, जारी किए गए किसी निदेश, मार्गदर्शक सिद्धांतो या परिपत्रों का पालन करेगा;

(घ) वह बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों का पालन करेगा;

(ङ) वह प्रमाणपत्र की संपूर्ण अवधि तक पैनल में सम्मिलित होने संबंधी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी मानदंड और अन्य अपेक्षाओं का पालन करेगा :

परंतु प्राधिकरण, ऐसी अन्य और अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वह अभिदाताओं के हित में या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पेंशन सेक्टर के क्रमबद्ध विकास के लिए उचित समझे।

19–पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र अनुदत्त करने, इंकार करने या पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण–पत्र के समाप्त होने का प्रभाव–(1) जहां कोई विद्यमान वार्षिकी सेवा प्रदाता पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र की समाप्ति पर या इन विनियमों के अधीन पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण–पत्र अनुदत्त किए जाने से इंकार कर दिए जाने या किसी न्यायालय के आदेश में ऐसे वार्षिकी सेवा प्रदाता को परिसमापन करने का निदेश दिया गया है,

या उसने अपना प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर दिया है। वहां ऐसा वार्षिकी सेवा प्रदाता,–

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य तुरंत छोड़ देगा;

(ख) वार्षिकी सेवा प्रदाता, यदि कोई हो, उपगत या कल्पित दायित्व के बारे में उपबंध करेगा;

(ग) ऐसी समय–सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जो प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा।

(2) किसी वार्षिकी सेवा प्रदाता को इन विनियमों के अधीन पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इंकार करते समय प्राधिकरण वार्षिकी सेवा प्रदाता पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह अभिदाताओं के हित के संरक्षण के लिए उचित समझे और ऐसी शर्तों का पालन किया जाएगा।

20–पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाण–पत्र की विधिमान्यता की अवधि–(1) अधिनियम, इन विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन किसी वार्षिकी सेवा प्रदाता को अनुदत्त प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक उसका उसके द्वारा अभ्यर्पण नहीं कर दिया जाता या इन विनियमों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(2) ऐसा वार्षिकी सेवा प्रदाता, जिसे पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, ऐसे पैनल को प्रवृत्त रखने के लिए पहला पैनल तैयार होने की तारीख से या प्राधिकरण द्वारा अंतिम स्वीकृत फीस के संदाय की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व नब्बे दिन के भीतर, प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट प्ररूप में पच्चीस हजार रुपये फीस का संदाय करेगा।

21–कतिपय मामलों में पात्रता मानदंड से छूट–(1) यदि कोई आवेदक, वार्षिकी सेवा प्रदाता के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तो वह ऐसे मानदंड से छूट की ईप्सा करते हुए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, यदि उसकी राय में ऐसी पात्रता शर्तों का, जिसकी छूट की ईप्सा की गई है, पालन न किया जाना अभिदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी छूट पेंशन सेक्टर और विनिर्दिष्ट रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के सामान्य विकास में अवरोध नहीं करेगी तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी इकाई को कुछ मानदंड से छूट दे सकेगा। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह सूचीबद्ध किए जाने के लिए उचित समझे।

22–पैनल में सम्मिलित वार्षिकी सेवा प्रदाता के कर्तव्य और दायित्व–(1) पैनल में सम्मिलित वार्षिकी सेवा प्रदाता के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के समय अभिदाताओं को भिन्न–भिन्न प्रकार की तत्काल वार्षिकी का प्रबंध करना;

(ख) प्राधिकरण द्वारा यथाअपेक्षित न्यूनतम तत्काल वार्षिकी के विभिन्न विकल्प उपलब्ध करना और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुरूप अभिदाताओं के हित में समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कोई नए विकल्प को उपलब्ध कराने में समर्थ होना;

(ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा क्रय की गई वार्षिकी संविदा के लिए अभिदाता को मासिक या कोई अन्य वार्षिकी उपलब्ध कराना;

(घ) वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं के साथ वार्षिकी संविदा करने के उद्भूत शिकायतों और सबंधित मुद्दो पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पारस्परिक आरंभिक ग्राहक–

(क) वार्षिकी क्रय करने के संबंध में संभावित अभिदाताओं के प्रश्नों पर विचार;

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की वार्षिकियों से संबंधित अनुमोदित सूचना, वार्षिकियां और आवेदन पत्र या प्रस्थापना संबंधी दस्तावेज या तात्कालिक वार्षिकियों से तात्पर्यित प्रचार सामग्री, जिसके अंतर्गत वार्षिकी संगणना भी है, उपलब्ध कराना और प्रदर्शित करना;

(3) वार्षिकी के क्रय के लिए अभिदाता रजिस्ट्रीकरण –

(क) आवेदनों की प्राप्ति और प्रतिग्रहण के लिए अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना, विनिर्दिष्ट प्रीमियमों सहित, उपलब्ध कराना तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुमोदनों के अनुरूप वार्षिकी संविदाएं जारी करना;

(ख) अभिदाताओं द्वारा प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के माध्यम से वार्षिकी उत्पादों, जिनके अंतर्गत आवश्यक साफ्टवेयर समर्थन भी है, के आनलाइन क्रय के लिए अपेक्षित अवसंरचना को सुकर बनाना तथा इसे उपलब्ध कराना। वार्षिकी सेवा प्रदाता उपलब्ध वार्षिकियों और अन्य सुविधाओं के संबधं में आवश्यक आवेदन प्ररूप, साहित्यिक सामग्री अभिदाताओं को केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण प्रणाली अथवा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी अन्य ढंग के माध्यम से उपलब्ध कराएगा;

(ग) अभिदाता के विकल्पानुसार इन विनियमों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुरूप वार्षिकी आवेदन में उपबंधित वार्षिकी संविदा का जारी किया जाना;

(घ) वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन मासिक, तिमाही या वार्षिक, अभिदाता द्वारा जैसा विकल्प अपनाया गया है, पेंशन या वार्षिकी, वार्षिकी आवेदन प्ररूप में तथा ऐसे अभिदाता द्वारा चयनित वार्षिकी संविदा के अनुसार परिदत्त करने के लिए उत्तरदायी होगा; हालांकि सरकारी अभिदाताओं को केवल मासिक आधार पर पेंशन परिदत्त की जाएगी।

(ङ) वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या उसके प्रतिनिधि या ऐसी अन्य इकाई से, जो इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत

है, क्रय के प्रति वार्षिकी संविदाओं के जारी किए जाने के लिए संग्रहण, सत्यापन और पश्चात्वर्ती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा;

(च) वार्षिकी सेवा प्रदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा किए गए वार्षिकी क्रयों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को इस रूप, प्ररूप में और ऐसे अंतराल पर, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, सूचना उपलब्ध कराएगा।

(4) वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा की गई वार्षिकी संविदा के संबंध में, पते में, नामितिकरण में या किसी अन्य क्रियाकलाप में परिवर्तन के लिए अभिदाता के अनुरोधों पर, जैसे कि अभिदाताओं से अनुरोध प्राप्त करने, उन पर कार्रवाई करना और उन्हें प्रभावी करने की कार्रवाई की जाएगी।

(5) वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन ऐसे अभिदाताओं से, जिन्होंने उससे वार्षिकी क्रय की थी, शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ताओं के लिए जारी किए गए शिकायत समाधान सबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो या विनियमों के अनुसार उनका समाधान किए जाने तक उनका अनुपरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अभिदाता से प्राप्त किसी शिकायत पर, कार्रवाई तथा वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा उनका निपटारा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा और उसकी सूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दी जाएगी। ऐसा प्राधिकरण की वार्षिकी सेवा प्रदाता के पैनल को रद्द करने या निलंबित करने की अथवा ऐसे अन्य उपाय करने की, जो अभिदाता के हित में आवश्यक समझे जाएं, शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।

23—अभिदाताओं से फीस और प्रभारों का प्रभारित किया जाना—किसी उत्पाद के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा उपबंधित प्रीमियम से भिन्न कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी किन्तु इसमें सरकार द्वारा अधिरोपित किन्हीं करों को अपवर्जित किया गया है। अभिदाताओं को जारी उत्पाद के लिए कोई अतिरिक्त मध्यस्थता व्यय या प्रभार नहीं होंगे।

24—अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति—(1) प्रत्येक वार्षिकी सेवा प्रदाता एक अनुपालन अधिकरी की नियुक्ति करेगा जो इन विनियमों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य नियमों, विनियमों मार्गदर्शक सिद्धांतो के अधीन यथा उपबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता के कर्तव्यों के अनुपालन को मानीटर करने तथा ऐसे अभिदाताओं द्वारा, जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास पर वार्षिकी सेवा प्रदाता से वार्षिकियों का क्रय किया है, प्राप्त की गई शिकायतों को दूर करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे अनुपालन अधिकारी के नाम और ब्यौरे के बारे में, ऐसी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(2) अनुपालन अधिकारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अन्य इकाइयों जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, न्यासी बैंक या वार्षिकी क्रय करने या उससे संबंधित किसी क्रियाकलाप से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट इकाई के साथ सहयोग से संबंधित क्रियाकलापों को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

25—आचार संहिता—पैनल में सम्मिलित वार्षिकी सेवा प्रदाता सभी समयों पर बीमाकर्ता की आचार संहिता या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं द्वारा क्रय की गई वार्षिकी से संबंधित क्रियाकलापों में उचित कार्रवाई करने के लिए विनिर्दिष्ट कोई अन्य समान नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतो या विनियमों का पालन करेगा।

26—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से सहबद्ध किन्हीं विषयों पर कार्रवाई करने की प्राधिकरण की शक्ति—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं द्वारा वार्षिकी क्रय में आने वाली किन्हीं कठिनाइयों, वार्षिकी क्रय से उदभूत शिकायतों या वार्षिकी क्रय से संबद्ध किसी अन्य मामले को ध्यान में

रखते हुए प्राधिकरण में उस मामले को सीधे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के समक्ष ले जा सकता हैं।

27–गोपनीयता–पैनल में सम्मिलित वार्षिकी सेवा प्रदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उसके द्वारा प्राप्त सभी अभिलेखों, डाटा और सूचना, जिसके अंतर्गत अभिदाता से प्राप्त सूचना भी है, के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। वार्षिकी सेवा प्रदाता प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसा डाटा या सूचना साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा यथापेक्षित के सिवाय, पेश अथवा साझा नहीं करेगा।

28–पैनल का रद्द किया जाना–प्राधिकरण, वार्षिकी सेवा प्रदाता का, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से रद्द कर सकेगा।

## अध्याय 5

## निरीक्षण और संपरीक्षा

29–निरीक्षण और संपरीक्षा–ऐसे मध्यवर्तियों की, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण के प्रबंध के कार्य सौंपे गए हैं, संपरीक्षा और निरीक्षण की बाबत प्राधिकरण की शक्तियां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन विनिर्दिष्ट मध्यवर्तियो को शासित करने वाले विनियमों के अनुसार होगी।

## अध्याय 6

## जांच

30–जांच का संचालन–(1) व्यक्तिक्रम की दशा में, जांच कार्यवाहियां और कार्रवाई, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या कोई अन्य मध्यवर्ती जैसे विनिर्दिष्ट मध्यवर्तियों को शासित करने वाले विनियमों के अनुसार होगी।

(2) जहां व्यतिक्रम अंतवर्लित है वहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण और या कोई अन्य मध्यवर्ती उक्त प्रयोजन के लिए एक सामान्य जांच कर सकेंगे।

## अध्याय 7

## प्रकीर्ण

31–कपट या कुप्रबंध का निवारण–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या वार्षिकी सेवा प्रदाता या कोई अन्य मध्यवर्ती या इकाई, जिसे प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण के प्रबंधन का कृत्य सौंपा गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास पर अभिदाताओं के प्रत्याहरण के कपट, कुप्रबंध के निवारण के लिए सभी संभव प्रयास करेगा।

32–नामितिकरण–इन विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुडने वाले किसी अभिदाता से, विनिर्दिष्ट प्ररूप में, एक या अधिक व्यक्तियों को, ऐसी रकम, जो उसके संदेय होने के पूर्व या संदेय हो जाने पर संदत्त नहीं की गई है, उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में संचित धनराशि या संचित निधि के रूप में उसकी जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए नामितिकरण करने की अपेक्षा होगी। नामिति अथवा नामतियों को अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर ऐसी सभी धनराशियों को, जो सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके, असंदत्त है, प्राप्त करने का, यथास्थिति, हक होगा।

परन्तु–

(i) यदि नामिति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाती है तो नामितिकरण, जहां तक उसका संबंध नामिति को प्रदत्त अधिकारो से है, शून्य हो जाएगा;

(ii) जहां इन विनियमों के अनुसार नामिति की मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाने की दशा में नामितिकरण में सम्यक् रूप से किए गए किसी उपबंध में ऐसी सभी धनराशियां, जो अभी तक असंदत्त हैं, प्राप्त करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त किया गया है वहां

ऐसा अधिकार, नामिति की मृत्यु हो जाने पर नामिति के रूप में प्रत्यास्थापित ऐसे अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा;

(iii) अभिदाता, अपने नामितिकरण में ऐसी रकम को, जो उसकी निधि में जमा है, अपने स्वयं के विवेकाधिकार से अपने नाम निर्देशितियों के बीच वितरित कर सकेगा;

(iv) यदि नामितिकरण के समय किसी अभिदाता का कुटुंब है तो नामितिकरण, उसके कुटुब के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाएगा। ऐसे अभिदाता द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामितिकरण, जो उसके कुटुंब का सदस्य नहीं है, अविधिमान्य होगा;

(v) अभिदाता द्वारा, उसका विवाह होने पर नए सिरे से नामितिकरण किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किया गया कोई नामितिकरण अविधिमान्य समझा जाएगा;

(vi) यदि नामितिकरण करने के समय अभिदाता का कोई कुटुंब नहीं है तो नामितिकरण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा। किन्तु तत्पश्चात यदि अभिदाता कोई कुटुब अर्जित कर लेता है तो ऐसा नामितिकरण तत्काल अविधिमान्य समझा जाएगा और अभिदाता अपने कुटुंब के एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नए सिरे से नामितिकरण करेगा;

(vii) जहां कोई नामितिकरण पूर्ण रूप से या भागतः किसी अवयस्क के पक्ष में किया जाता है वहां अभिदाता, इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, अपने कुटुंब के किसी वयस्क व्यक्ति को, अभिदाता की नामिति और इस प्रकार नियुक्त संरक्षक से पहले मृत्यु होने की दशा में अवयस्क नामिति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा;

(viii) जहां कुटुंब में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है वहां अभिदाता अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य व्यक्ति को, अवयस्क नामिति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा;

(ix) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किया गया कोई नामितिकरण अभिदाता द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय उपांतरित किया जा सकेगा। कोई नामितिकरण या इस प्रकार किया गया उपांतरण, उस विस्तार तक प्रभावी होगा जहां तक वह उस तारीख को, जिसको यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी मध्यवर्ती को प्राप्त होता है, विधिमान्य है;

(x) यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसके पति या पत्नी ने, उसे शासित करने वाली स्वीय विधि या उस समुदाय की, जिसका पति या पत्नी है, रूढिजन्य विधि के अधीन भरणपोषण का हकदार नहीं है तो वह इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए अभिदाता के कुटुंब का भाग तब तक नहीं समझा जायेगा या समझी जाएगी, जब तक अभिदाता उसके बाद अभिहित मध्यवर्ती को, उक्त प्रयोजन के लिए कि उसका उससे संबंध बना हुआ है, लिखित सूचना द्वारा सूचित नहीं कर देता है; और

(xi) यदि अभिदाता उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित मध्यवर्ती को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को कुटुंब से अपवर्जित करने की वांछा करती है तो पति और उसके आश्रित माता–पिता को इस स्कीम के प्रयोजन के लिए अभिदाता के कुटुंब का भाग नहीं समझा जायेगा तब तक अभिदाता तत्पश्चात् लिखित में ऐसी सूचना को रद्द न कर दे।

**स्पष्टीकरण** 1–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "कुटुंब" पद से–

(i) पुरुष अभिदाता के संबंध में उसकी विधितः विवाहित पत्नी, उसके बालक, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता–पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक अभिप्रेत है;

(ii) किसी महिला अभिदाता के संबंध में उसका विधितः विवाहित पति, उसके बालक, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता–पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बालक;

**स्पष्टीकरण** 2–उपरोक्त दोनों दशाओं में यदि किसी अभिदाता के, यथास्थिति, बच्चों या, यथास्थिति अभिदाता के मृतक पुत्र के बच्चे का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और यदि दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण वैध रूप से मान्यताप्राप्त है तो ऐसे बच्चे को अभिदाता के कुटुंब से यथा अपवर्जित समझा जायेगा।

33–प्रत्याहरण आवेदन का प्रस्तुत किया जाना–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर I खाते से प्रत्याहरण की ईप्सा करने वाला कोई अभिदाता, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी प्रत्याहरण और निकास के प्रचालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उसमें उल्लिखित अपेक्षाओं के साथ अपना प्रत्याहरण आवेदन प्रस्तुत करेगा।

34–दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर I खाते से प्रत्याहरण की ईप्सा करने वाला कोई अभिदाता, ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो प्रत्याहरण आवेदन प्ररूप में विनिर्दिष्ट हैं। अभिदाताओं के भिन्न–भिन्न प्रवर्गों को लागू प्रत्याहरण आवेदन प्ररूप प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर उपबंधित प्रारूपों के अनुसार होगा।

35–बैंक खाते संबंधी ब्यौरों का दिया जाना–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर I खाते से प्रत्याहरण की ईप्सा करने वाला कोई अभिदाता, अनिवार्य रूप से आधार कार्ड या आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड के अतिरिक्त बैंक को ऐसे सभी ब्यौरे देगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दावे की धनरशि उसके खाते में सीधे जमा किए जाने हेतु प्रत्याहरण प्ररूप में दी गई खंड में प्रयोज्य है।

36–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन भुगतान की पद्धति–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन प्रत्याहरण से संबंधित सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा किए जाएंगे और प्रत्याहरण धनराशि सीधे अभिदाता या दावाकर्ता द्वारा प्रत्याहरण प्ररूप में दिये गये बैंक खाते में जमा की जाएगी।

37–नियोजक द्वारा अंतिम तीन मास की कटौतियों का रोका जाना–नियोजक द्वारा ऐसे अभिदाता के वेतन से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदायों/कटौतियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिदाता का निकास और प्रत्याहरण निर्बाध और प्रभावी हो, अधिवर्षिता की तारीख से, जो लागू हो, कम से कम तीन मास पहले बंद कर दिया जाएगा। नियोजक संबंधित कर्मचारी की ओर से उक्त अंतिम तीन मास के अभिदाय का सीधे निर्धारण करेगा।

38–रिपोर्ट और प्रकटीकरण–वार्षिकी सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट विधि, रीति और आवृत्ति में ऐसी सूचना और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है।

39–प्राधिकरण की निदेश और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति–प्राधिकरण को, इन विनियमों के अधीन, यथास्थिति, प्रत्याहरण और निकास से संबंधी उपबंधों को निर्बंधित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिससे किसी ऐसी अन्य पेंशन या अधिवर्षिकी स्कीमों, जो अधिनियम के अधीन नहीं आती हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाने की अपेक्षाओं का पालन किया जा सके। प्राधिकरण इन विनियमों को लागू करने या उसके निर्वचन में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकता है।

[विज्ञापन-III/4/असा0/203/49/15]

हेमंतजी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

———

## CIRCULAR

PFRDA/2015/24/EXITS/1 October 29, 2015

To,

NPS Trust, All POP'S, Aggregators, CRA, Central, State Governments and all Subscribers.

Dear Sir/Madam,

**Sub : Clarification of Deferred withdrawal of lump sum.**

PFRDA (Exits and Withdrawals from National pension System) Regulations 2015 provides option to subscriber to defer withdrawal of lump sum (60%) up to the age of 70 years.

Under the Deferred withdrawal facility, the subscribers at the time of exit from National Pension System (NPS) can exercise an option to defer the withdrawal of eligible lump sum withdrawal and stay invested in the NPS. Subscriber has an option to withdraw the deferred lump sum amount in maximum ten annual installments up to the age of 70 years or withdraw the entire amount at once by giving 15 days advance notice during such a period of deferment. If no such notice is given, the accumulated pension wealth would be automatically monetized and credited to his bank account upon attaining the age of 70 years.

This is for the information of all concerned. The circular also is being placed on PFRDA website at http://www.pfrda.org.in NPS Trust website www.npstrust.org.in and CRA website at http://www.npscra.nsdl.co.in.

Yours faithfully,
Subroto Das,
Chief General Manager.

...............

## CIRCULAR

PFRDA/2015/27/EXIT/2 November 12, 2015

**Subject : Mandatory processing of Online Withdrawal request**

All the Nodal Offices/Ministries are aware that Government of India has recently launched the "Digital India" campaign to develop a digitally empowered society and to digitally integrate the Government departments and the citizens of India. It aims at ensuring the government services are made available to people of India electronically by improving online infrastructure and by increasing Internet connectivity. One of the objectives is to make various Government services on a real time basis on online platform.

PFRDA is also committed to support this promising initiative of Government of India. Efforts are being made by PFRDA to make various NPS related services available on online platform. One such initiative is to make withdrawal process online herein subscriber can raise withdrawal request using online platform made available on the CRA system. This will make withdrawal process paperless to a great extent and seamless and exit claims of the subscribers can be settled in least possible time.

PFRDA had issued circular dated February 25, 2015 making it mandatory for all the Nodal Offices to process the withdrawal claims of their underlying subscribers on the online platform made available on the CRA system from April 1, 2015. However, it has been observed that majority of the withdrawal requests are still being received in physical form (without capturing online withdrawal request) resulting into delay in processing of withdrawal claims of the subscribes.

It has therefore been decided that with effect from April 1, 2016 only such Withdrawal requests raised on online platform will be accepted at CRA for further processing. Physical Withdrawal Request Forms received at CRA will not be accepted for further processing.

Subscribe/Nodal Office will have to raise Online Withdrawal request in the CRA system by providing the lump-sum % share/annuity % share, Bank details, Nomination details, Annuity Service Provider and Annuity scheme. Subscriber is also required to submit the withdrawal request alongwith annuity purchase form.

The responsibility of verifying the Withdrawal request Form alongwith the relevant supporting documents will be with the Nodal Office initiating the request online. The Nodal Office will also be responsible for establishing the veracity of the documents/claims submitted at the Nodal Office.

The Physical Withdrawal requests are to be forwarded to CRA for storage purpose only. As mentioned earlier, the Physical Withdrawal requests received at CRA without submission of online request will not be entertained by CRA for further processing and will be rejected.

The detail procedure of generating of Claim ID and capturing the Withdrawal request has been provided as Annexure I. The Nodal Offices may contact CRA for further support and guidance.

Yours Faithfully,
Subroto Das,
Chief General Manager.

**Annexure I**

## EXIT PROCESS TO BE FOLLOWED IN CASEOF GOVERNMENT SUBSCRIBERS

**A. Preface :**

A subscriber can exit the National Pension System (NPS) due to Superannuation, Pre-mature Exit and death. This document describes the **Withdrawal procedure** to be followed by the subscribers and Nodal Offices for processing the Withdrawal request in the CRA system.

With a view to simplify and streamline the processing of exit and withdrawal claims, CRA has developed a 'Online Withdrawal' module to process 'Withdrawal Request' for subscribers exiting NPS on the online platform made available by CRA. In order to facilitate and expedite the process for settlement of the withdrawal claims of the subscribes of National Pension System (NPS), PFRDA has made it mandatory for all the Nodal Offices (PAO's /DDO etc.) to process the withdrawal claims of their underlying subscribers on the online platform being made available on the CRA system from 01st April, 2015. this functionality has been made available through the website of CRA (www.cra-nsdl.com) and can be initiated at any of the two levels as mentoned below:

* **AT NODAL OFFICES (PAO/DDO)**-When the applicant herself/himself does not files an online Withdrawal/exit application but submits the physical application, Nodal Offices will key in the particulars and initiate (capture, verify and submit) the Withdrawal requests in CRA system under all the three categories (Exit due to Superannuation/attainment of 60 years, exit before the age of Superannuation/attainment of 60 years and exit due to Death)
* **At Subscribers**- In case of Superannuation/attainment of 60 years, exit before the age of Superannuation/attainment of 60 years, the subscribers can also initiate Withdrawal requests in the CRA system which shall subsequently have to be verified by the Nodal Office (PAO/DDO) in CRA system.

**B. Important featurs of the 'Online' Claims Processing:**

* If subscriber wishes to raise the Withdrawal request in Online module (in case of Superannuation/Pre-mature exit), Claim ID is mandatory.
* In case of superannuating subscribers, Claim IDs will be generated six months prior tothe date of superannuation/attaining the age of 60 years of age. Nodal Offices will be able to initiate the Withdrawal request in the CRA system for all such cases where Claim ID has been generated.
* If request is initiated by the subscriber, the Nodal Office has to authorize the same in CRA system.
* In case of exit due to Pre-mature exit, Nodal Office has to generate the Claim ID for a subscriber to enable them to submit the online request. The process of Generation/Cancellation of Claim ID by the Nodal Office is attached as Annexure III.
* If Nodal Office initiates the Withdrawal request on behalf of subscriber, Claim ID is not mandatory.
* The purchase of anuity shall take place on manual basis as per existing guidelines till the online annuity purchase system is in place.

**C. Processing of Withdrawal request in CRA system.**

This document describes the steps tobe followed by Nodal Offices for initiating Withdrawal request in CRA system for subscribers who are exiting NPS. The document has been divided in two chapters:

* Withdrawal Request raised by a Nodal Office in CRA system
    o Capturing of Withdrawal request by Nodal Office
    o Authorization of Widhdrawal request by Nodal Office
* Subscribers raising Withdrawal Request in CRA system
    o Capturing of Withdrawal request by subscriber
    o Verification and Authorization of Withdrawal request by Nodal Office.

The PAO and the DTAs (hereafter referred as Nodal Offices) can capture Withdrawal request for superannuation, premature exit or death cases. The following activity flow provides the steps the Nodal Office has to follow while initiating a Withdrawal request:

**D. Withdrawal Request raised by a Nodal Office in CRA system**

* Submission of physical form by Subscriber/Claimant : Subscriber/Claimant will fill the Withdrawal Form and submit the Withdrawal request along with required documents (please refer Annexure IV) and annuity purchase form (if applicable) informing his/her choice of ASP to his/her mapped Nodal Office.
* Verification of Withdrawal request : The Nodal Office will verify whether the Withdrawal Request Form has been properly filled and check whether all KYC documents have been submitted by the subscriber/claimant. The Nodal Office will initiate the request only after such verification is carried out.

**E. Online Capturing of Withdrawal request by Nodal Office**

**E.1. Upon Normal Superannuation/upon reaching the age of 60 years:**

Nodal Office will login into the CRA system (www.cra-nsdl.com) using the one of the User ID and I-Pin.

a. After logging in the CRA site, the User will click on the menu 'Exit Withdrawal request' and then on the sub-menu 'Initiate Withdrawal Request'.

b. The user will enter PRAN in the designated field and submit the request.

c. Category of withdrawl request: The user will select Category of Withdrawal request as Suerannuation from the drop down menu.

d. Withdrawal % Allocation : The User will select the Withdrawal type and percentage of Withdrawal and submit the request. Subscriber can select maximum 60% as lump-sum Withdrawal. However, if NPS subscriber corpus is less than Rs. 2,00,000, he/she can opt for 100% as lump-sum Withdrawal. If NPS Lite subscriber corpus is less than Rs. 1,00,000 he/she can opt for 100% as lump-sum withdrawal.

e. Subscriber's correspondence address will be displyaed. The user will click on proceed.

f. Bank Details : User will mandatorily provide the bank details where subscriber last salary was credited as per employment records to which funds will be transferred after redemption of units. If subscriber's bank details are present in the CRA system, it will be displayed to the user. User will click on confirm and proceed if bank details available in CRA records are same as mentioned in Withdrawal Form, else user will click on 'Edit' button and will update bank details of the subscriber. The user will then confirm the details. The details should be as per the salary records maintained by the Nodal office.

g. Nomination Details : If Nomination details of the subscriber are available in CRA system, it will be displayed to the user. The user will click on the Edit Button and will update Nomination details of the subscriber if the same are not matching with the details mentioned on Withdrawal Form. Else, user will update the address details of the Nominee (s).

h. Annuity Service Provider (ASP) Selection : User will select as ASP and ASP scheme for the ASPs empanelled by PFRDA under NPS.

i. The user will then be navigated to 'Checklist' page where the User will select the documents submitted by subscriber, the User will then submit the request.

j. The User will then be navigated to confirmation screen where the User will have to confirm the details captured. On confirmation, the request will be captured in the CRA system and an Acknowledgement Number will be generated. User should note down the Acknowledgement Number generated.

**E.2. On Exit from NPS before the age of Normal superannuation/age of 60 years (irrespective of cause)**

Nodal Office will login into the CRA system (www.cra-nsdl.com) using the one of the User ID and I-Pin.

a. After logging in the CRA site, the User will click on the menu 'Exit Withdrawal request' and then on the sub-menu 'Initiate Withdrawal Request'.

b. The User will enter PRAN in the designated field and submit the request.

c. Category of Withdraal request : The user will select Category of Withdrawal request as Pre-mature Exit from the drop down menu.

d. Withdrawal % Allocation : The User will select the Withdrawal type and percentage of Withdrawal and submit the request. Subscriber can select maximum 20% as lump-sum Withdrawal. However, if subscriber corpus is less than Rs. 1,00,000 he/she can opt for 100% lump-sum Withdrawal.

e. Subscriber's correspondence address will be displayed. the user will click on proceed.

f. Bank Details : User will mandatorily provide the bank details where subscriber last salary was credited as per employment records to which funds will be transferred after redemption of units. If subscriber's bank details are present in the CRA system, it will be displayed to the user. User will click on confirm and proceed if bank details available in CRA recordes are same as mentioned in Withdrawal Form, else user will click on 'Edit' button and will update bank details of the subscriber. The user will then confirm the details. The details are as per the salary records maintained by the nodal office.

g. Nomination Details : If Nomination details of the subscriber are available in CRA system, it will be displayed to the user. The user will click on the Edit Button and will update Nomination details of the subscriber if the same are not matching with the details mentioned on Withdrawal Form. Else, user will update the address details of the Nominee (s).

h. Annuity Service Provider (ASP) Selection : User will select an ASP and ASP scheme for the ASPs empanelled by PFRDA under NPS.

i. In the Checklist, the User will then capture the documents submitted by subscriber. The User will then submit the request.

j. The User will then be navigated to confirmation screen where the User will have to confirm the details captured. On Confirmation, the request will be captured in the CRA system and an Acknowledgement Number will be generated. User should note down the Acknowledgement Number generated.

**E.3. Withdrawal request due to death of subscriber**

Only Nodal Office can capture the Withdrawal request due to death of subscriber. as per PFRDA guidelines, if the family members of the deceased Govt. subscriber are not receiving family pension then NPS contributions is to be transferred to the family member of the deceased subscriber. Below is the procedure to capture the request in CRA System.

Nodal Office will login into the CRA system (www.cra-nsdl.com) using the one of the User ID and I-Pin.

a. After logging in the CRA site, the User will click on the menu 'Exit Withdrawal request' and then on the sub-menu 'Initiate Withdrawal Request.'

b. The User will enter PRAN in the designated field and submit the request.

c. Category of Withdrawal request : The user will select Category of Withdrawal request as Death from the drop down menu.

d. Withdrawal % Allocation : The User will select the Withdrawal type and percentage of Withdrawal and submit the request. Claimant can select maximum 20% as lump-sum Withdrawal. However, if subscriber corpus is less than Rs. 2,00,000 he/she can opt for 100% lump-sum Withdrawal.

e. Subscriber's correspondence address will be displayed. The user will click on proceed.

f. Claimant Details : If Nomination details of the subscriber are available in CRA system, it will be displayed to the user. User is required to provide Claimant details. If Nomination details are not available in CRA system, User is required to provide the Claimant details as per the document submitted by the claimant (Legal heir certificate/family member certificate).

g. Bank Details : User will provide the bank details to which funds will be transferred after redemption of units. The details are to be supported by the documents wherever necessary.

h. Annuity Service Provider (ASP) Selection : User will select an ASP and ASP scheme for the ASPs empanelled by PFRDA under NPS.

i. In the checklist, the User will then capture the documents submitted by subscriber. The User will then submit the request.

The user will be requested to confirm the details captured. On confirmation, the request will be captured in the CRA system. CRA system will generate the Claim ID and Acknowledgement Number on successful submission of Withdrawal request.

**F. Authorization of Withdrawal Request by Nodal Office**

Nodal Office is required to authorize the request captured in the CRA system. Another Nodal Office User will login into the CRA system (www.cra-nsdl.com) using second User ID and I-Pin.

a. The second User, after logging the CRA site, will click on the menu 'Transaction' and then on the sub-menu 'Authorize Transaction'.

b. The Nodal Office User will have to select transaction type as 'Withdrawal request'. After selecting the type, the User will enter the relevant PRAN/Acknowledgement ID as the search criterion.

c. After clicking on the search button, the second Nodal Office User will be able to view the screen summary with the details of Acknowledgment Number, PRAN, Registration Date, Registeed By the Request Type. The Nodal Office User then clicks on the Acknowledgment Number hyperlink.

d. The second User will now have the view of the Withdrawal request initiated by the first User. The second Nodal Office User can view the signature of the subscriber. the user will verify the request and click on Authorize Button to submit the request.

e. The second User has to confirm the bank account details provided in the withdrawal form with the bank account details available with them in which the last salary was credited as per record.

f. Once the User authorizes the Withdrawal request in CRA system, request will be placed in the CRA system for redemption of units. Units will be redeemed from the PRAN and funds will be transferred to the bank details provided in the Withdrawal request. In case of superannuation, Withdrawal request will be executed in the CRA system after the date of retirement of subscriber. In case of Pre-mature Exit/death, request will be executed on next day of authorization of Withdrawal request.

g. The User will reject the request in case there is any micmatch or details are not proper. In case of rejection, reason is mandatory.

h. The Nodal Office official has to attest the Withdrawal Form along with other KYC documents. The Nodal Office will then attach covering letter and sends the Withdrawal docket to CRA (to be marked to NPSCPC) for storage purpose only.

**G. Subscribers raising online Withdrawal Request in CRA System**

**G.1. Capturing of Superannuation Withdrawal request by subscriber**

NPS subscribers may initiate the Withdrawal request in the CRA system six months before the age of Superannuation or on reaching the age of 60 years.

The NPS subscribers, after capturing their Withdrawal request in the CRA system, will submit the Withdrawal Form alongwith the required documents (please refer Annexure IV) and annuity purchase form(if applicable) to their mapped Nodal Office. Nodal Office is required to authorize the request in the CRA system, authorize the physical Withdrawal Form and verify the subscriber signarture, KYC Documents submitted and forward the duly authorised physical Withdrawal Form alongwith the supporting documents to CRA for storage purpose only.

The following activity flow provides the steps the subscriber to follow while capturing a Withdrawal request.

(a) The subscriber will login into the CRA system (www.cra-nsdl.com) with his/her User ID and I Pin.

(b) After logging in the CRA site, the subscriber will click on the menu 'Exit Withdrawal request' and then on the sub-menu 'Initiate Withdrawal Request.'

(c) In case, a subscriber whose Claim ID is not generated and tries to capture the withdrawal request, a message will be displayed that the subscriber is not allowed to initiate any Withdrawal request.

(d) Withdrawal type & percentage of Withdrawal allocation : The subscriber will select the Withdrawal type and percentage of Withdrawal allocation and submit the request. Subscriber can select maximum 60% as lump-sum Withdrawal. However, if subscriber corpus is less than Rs. 2,00,000, he/she can opt for 100% as lump-sum Withdrawal.

(e) Subscriber's correspondence address will be displayed. The subscriber will click on proceed.

(f) Bank Details : Subscriber will mandatorily provide the bank details where subscriber last salary was credited as per employment records to which funds will be transferred after redemption of units. If subscriber's bank details are present in the CRA system, it will be displayed to the subscriber. Subscriber will click on confirm and proceed if bank details available in CRA records are updated else subscriber will click on Edit and will enter bank details. The subscriber then confirms the details. The details. should be as per the salary records maintained by the nodal office where last salary was credited.

(g) Nomination Details: If Nomination details of the subscriber are available in CRA system, it will be displayed to the subscriber. The subscriber will click on the Edit Button and willprovide the complete Nomination details.

(h) Annuity Service Provider (ASP) Selection : User will select an ASP and ASP scheme for the ASPs empaneled by PFRDA under NPS.

(i) In the Checklist, the subscriber will then selects the documents which would be submitted alongwith Withdrawal Form. The subscriber will then submit the request.

(j) After successful submission, an Acknowledgement ID will be generated.

(k) The subscriber can click on 'View Form' and view & print the Withdrawal Form.

(l) The subscriber has to perform the following activity:

* Paste his/her photograph and self attest it. Subscriber should provide his/her signature as per CRA records only.
* Subscriber is also required to sign the declarations in the Withdrawal Form,
* Get the witness signatures
* Affix Revenue Stamp and Signature on the Advanced Stamp Receipt

Subscriber is required to submit the auto-ulated Withdrawal Form alongwith required documents to Nodal Office for authorization of Withdrawal request by Nodal Office.

**G.2. Subscribers raising Pre-mature Exit Withdrawal Request in CRA System.**

NPS subscribers can initiate Withdrawal request inthe CRA system only after Nodal Office generates the Claim ID for the subscriber. Procedure of Claim ID generation is explained in Annexure III.

The NPS subscribers, after capturing their Withdrawal request in the CRA system, will submit the Withdrawal Form alongwith the required documents and annuity purchase form to their mapped Nodal Office. Nodal Office is required to authorize the request in the CRA system, authorize the physical Withdrawal Form and verify the subscriber signature, KYC Documents submitted and forward the duly authorised physical Withdrawal Form alongwith the supporting documents to CRA for storage purpose only.

The following activity flow provides the steps the subscriber and the concerned Nodal Office has to follow while authorizing a Withdrawal request.

(a) The subscriber will login into the CRA system (www.cra-nsdl.com) with his/her User ID and I Pin.

(b) After logging in the CRA site, the subscriber will clickon the menu 'Exit Withdrawal request' and then on the sub-menu 'Initiate Withdrawal Request'.

(c) In case, a subscriber whose Claim ID is not generated and tries to capture the Withdrawal request, a message will be displayed that the subscriber is not allowed to initiate any Withdrawal request.

(d) Withdrawal type & percentage of withdrawal: The subscriber will select the Withdrawal type and percentage of Withdrawal and submit the request.

(e) Subscriber's correspondence address will be displayed. The subscriber will click on proceed.

(f) Bank Details : Subscriber will mandatorily provide the bank details where subscriber last salary was credited as per employment records to which funds will be transferred after redemption of units. If subscriber's bank details are present inthe CRA system, it will be displayed to the subscriber. Subscriber will click on confirm and proceed if bank details available in CRA records are updated else subscriber will click on Edit and will enter bank details. The subscriber then confirms the details. The details should be as per the salary records maintained by the Nodal Office where last salary was credited.

(g) Nomination Details : If Nomination details of the subscriber are available in CRA system, it will be displayed to the subscriber. The subscriber will click onthe Edit Button and will provide the complete Nomination details.

(h) Annuity Service Provider (ASP) Selection : User will select an ASP and ASP scheme forthe ASPs empanelled by PFRDA under NPS.

(i) In the checklist, the subscriber will then selects the documents which would be submitted alongwith Withdrawal Form. The subscriber will then submit the request.

(j) After successful submission, an Acknowledgement ID will be generated.

(k) The subscriber can click on 'View Form' and view & print the Withdrawal Form.

(l) The subscriber has to perform the followintg activity:

- * Paste his/her photograph and self attest it. Subscriber should provide his/her signature as per CRA recordes only.
- * Subscriber is also required to sign the declarations in the Withdrawal Form.
- * Get the witness signature.
- * Affix Revenue Stamp and Signature on the Advanced Stamp Receipt Subscriber is required to submit the auto-ulated Withdrawal form alongwith required dcuments to Nodal Office for authorization of Withdrawal request by Nodal Office.

**H. Verification of Withdrawal request by Nodal Office**

Once Nodal Office receives the physical request from the subscriber, it will process the request after verifying that the document is properly filled and supporting documents are in place. The roles and responsibilities of the Nodal Office would be as follows :

a. Nodal Office User will login into the CRA system (www.cra-nsdl.com) using the One of the User ID and I-Pin.

b. Once Nodal Office User will click the menu 'Exit Withdrawal Request' and will click the sub-menu 'Verify Subscriber Withdrawal Initiation'.

c. The Nodal Office User will enter the combination of PRAN and Ack. ID and submit the request.

d. After submission of search button, the Nodal Office User will be able to view the screen summary with the details of Acknowledgment Number, PRAN, Registration Date, Registered By and Request Type.

e. The Nodal Office User will then click on the Acknowledgment Number hyperlink. The verification screen for Withdrawal request captured by Subscriber will be available to the User.

f. The Nodal Office User can view subscriber signature and verify the same against the signature in the Withdrawal request. Once the Nodal Office User verifies the Withdrawal request, the user will submit the request.

g. In case, there is any error in the details entered by the subscriber or incorrect details entered, Nodal Office User can edit the same provided the supporting documents for such details are available.

h. The Nodal office User will check for Bank account details provided by the subscriber as available with the records of nodal office for crediting subscriber's salary

i. The Nodal Office User may reject a request in case of a mismatch in the data entered. KYC documents not provided etc. Wherever a Withdrawal request is rejected, the User is required to provide the rejection reason.

j. The Nodal Office should notify the subscriber in case of anymodification carried out or any request rejected.

1. Autherisation of Withdrawal request by Nodal office

   (a) The Second User of the Nodal Office will login into the CRA system (www.cra-nsdl.com) using his other User ID and I-Pin.

   (b) The second User, after logging in the CRA site, will click on the menu 'Transaction' and then on the sub-menu 'Aujthorize Transaction'.

   (c) The Nodal Office User will have to select transaction type as 'Withdrawal request'. After selection the type, the User will enter the relevant PRAN as the search criterion.

   (d) After clicking on the search button the second Nodal office User will be able to view the screen summary with the details of AcknowledgmentNumber. PRAN Registration Date, Registered By and Request Type.

   (e) The Nodal Office User then clicks on the Acknowledgment Number hyperlink.

   (f) The authorization screen for Withdrawal request verified by Nodal Office First User willthen be available to the Second User. The User will click on Authorize Button and submits the request.

   (g) The Nodal office User will check for Bank account details provided by the subscriber as available with the records of nodal office for crediting subscriber's salary.

   (h) Once the User authorizes the Withdrawal request in CRA system, request will be placed in the CRA system for redemption of units. Units will be redeemed from the PRAN and funds willbe transferred to the bank details provided in the Withdrawal request. In case of superannuation, Withdrawal request will be executed inthe CRA system after the date of retirement of subscriber. In case of Pre-mature Exit, request will be executed on next day of authorization of Withdrawal request.

   (i) The User will reject the request in case there is any mismatch or details are not proper. In case of rejection, reason is mandatory.

   (j) The Nodal Office Official has to attest the Withdrawal Form alongwith other KYC documents. The Nodal Office will then attach covering letter and sends the Withdrawal docket to CRA (tobe marked to NPSCPC) for storage purpose only.

वेंकटेश्वरलु पेरी
महाप्रबंधक
**VENKATESWARLU PERI**
**General Manager**

**F. No. PFRDA/24/Exit/1** **May 26, 2016**

**Shri Amit Sinha**
Executive Vice President,
NSDL e-Governance Infrastructure Limited,
Ist Floor, Times Tower,
Kamla Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel,
Mumbai-400013

**Subject : Guidelines for processing of Family Pension Cases.**

Dear Mr. Sinha,

This has with reference to regulation 6(e) of the PFRDA (Exit and Withdrawals under NPS) Regulation 2015 relating to family pension and transfer of corpus from subscribers NPS account to government nodal office, if the subscriber or the family members of the deceased subscriber avails the benefit of family pension.

The Authority after examining the issue has finalized the policy with respect to transfer of accumulated pension wealth of the subscribers to government and where the subscribers family has availed the additonal relief given by the government in the family of family pension Accordingly, the guidelines for processing of such claims are being enclosed herewith for your guidance and implementation of the same.

Therefore, you are advised to intimate to all the accounting formations under the central government, state governments (excluding the states which have clarified that they do not provide the benefit including Punjab &Sikkim) and autonomous bodies falling under their jurisdiction about the policy guidelines and also the process tobe followed.

The same shall be made part of the online exit module. In case if you want any clarifications on the matter you may write back tous.

Yours Sincerely,
Venkateswarlu Peri,
General Manager.

**Guidelines for processing of Family Pension cases**

Online processing of Withdrawal request in case family pension is provided by the Nodal Office to the claimant (s)/subscriber(s)

1. The family member (s)/subscriber(s) who is/are availing Family Pension from will submit the No objection certificate (Annexure-II) to the concerned Nodal Office.
2. Nodal Office will authenticate the Annexure II.
3. Nodal Office shall fill in the declaration form Annexure I & provide necessary authentications.
4. Nodal Office (First User) will login into CRA system to select the option that the family pension is being/has been granted to the family members of the deceased subscriber or to the subscriber.
5. Nodal office will enter the details of family member (s)/subscribers (s) into the CRA system to whom the family pension is being given (as mentioned under Annexure II).
6. A new field-Nodal Office bank detail will be enabled. Nodal Office will provide its bank details as per Nodal Office Declaration form (Annexure I).
7. Nodal Office (First User) will submit post entering the complete details.
8. Nodal Office (Second User) will authenticate and authorise the said request. Claim ID will get generated on successful submission of Withdrawal request.
9. Nodal Office will print the online form dispatch the same along with duly filled & attested both the Annexures-I and II to CRA.
10. On receipt of documents, CRA will initiate the withdrawal request in the CRA system.
11. The accumulated pension wealth, of the particular deceased subscriber or the subscriber (in case of disability) for whom the withdrawal request is raised, will be transferred tothe Nodal Office bank account as per the settlement cycle.

---

**CIRCULAR**

PFRDA/2016/13/Exit/06 27.07.2016

To,

NPS Trust, CRA, Pension Funds, Trustee Bank, Govt. Nodal Offices, Annuity Service Providers and other stakeholders.

**Sub : Clarification on Continuing Contribution Beyond 60 Years Or The Age Of Superannuation-Till 70 Years**

The Authority has notified the PFRDA (Exits and Withdrawals from National Pension System) Regulations, 2015 on 11th May 2015 and is in force. Reference is drawn to Regulation 4 pertaining to Exit from National Pension System by citizens, including corporate sector subscribers and more particularly Sub-regulation (a).

It has been brought to the notice of the Authority that the stakeholders including subscribers require further clarity on the matters associated in order to actively utilise this opportunity to continue to contribute to NPS. Thus, for the convenience of the subscriber clarificatory guidelines are issued. The Authority has examined the matter and Authority in exercise of its powers under section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 *read* with Regulation 39 of the PFRDA (Exits and Withdrawals from National Pension System) Regulations, 2015 hereby issues the following clarification:

| Sl. no. | Issue Raised | Clarification |
|---|---|---|
| 1 | When should a subscriber inform NPS Trust or CRA about his/her intension to continue contribution beyond the age of 60 years/Superannuation age? | Where a subscriber desires to continue to contribute to NPS beyond the age of 60 years or superannuation age, he or she shall have the option to do so provided the subscriber intimates his or |

| Sl. no. | Issue Raised | Clarification |
|---|---|---|
| | | her intention to do so in writing in the specified form at least fifteen days before the attainment of 60 years of age or the age of superannuation to the CRA. |
| 2 | On what corpus will the mandatory minimum investment of 40% of the accumulated pension wealth for purchase of annuity be applicable i.e., the corpus available on the date of attaining 60 years or superannuation OR the corpus available at the time of exit after availing the benefit of further contributions to the NPS account under sub-regulation 4(a)(i). | The entire set of Exit and Withdrawal conditions as per the applicable regulations would be applicable on the accumulated pension wealth available in the PRAN as on the date of final exit from NPS including those contributions and investment income that have been contributed and accured to the account beyond the age of 60 years or the age of superannuation. |
| 3 | Whether Tier II account can also be continued along with the Tier I when one opts for further contribution to NPS beyond the age of 60 years or superannuation. | For a normal NPS account a Tier II account can exist as far as there is a corresponding Tier I account. Hence, the same position shall continue and the subscriber may to contribute to his Tier II account apart from Tier I account. |
| 4 | Will the subscriber who has opted to contribute to his tier I account beyond the age of 60 years/superannuation have all the facilities and options of a normal NPS account like access to CRA system, option to switch PFMs and Investment choice etc. | Yes, the subscriber shall enjoy all the facilities and options of a normal NPS account like access to CRA system, option to switch PFMs and Investment choice etc. |
| 5 | Whether one can Exit at any point of time after choosing to continue to contribute to NPS beyond 60 years/superannuation. | Yes, a subscriber can Exit from NPS after giving due notice, at any point of time after availing the benefit of continuing to contribute to NPS irrespective of the period of contribution indicated by the subscriber while submitting the request to continue to contribute to NPS. |
| 6 | Whether the option of deferment of purchase of annuity would be available to the subscribers who have voluntarily opted to continue to contribute beyond 60 years of age or superannuation and when they decide to Exit finally from NPS. | Option of deferment of purchase of annuity would not be available tothe subscribers who have voluntarily opted to continue to contribute beyond 60 years of age or superannuation. |

Yours faithfully,
Venkateswarlu Peri,
General Manager.

--------

No. 7/5/2012-P&PW(F)/B
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare

Lok Nayak Bhavan, Khan Market.
New Delhi-110 003, Dated the 26 August, 2016

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject :Extension of benefits of 'Retirement Gratuity and Death Gratuity' to the Central Government employees covered by new Defined Contribution Pension System (National Pension System)-regarding.**

The undersigned is directed to say that the pension of the Government servants appointed on or after 1/1/2004 is regulated by the new Defined Contribution Pension System (known as National Pension System), notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) vide their O.M. No. 5/7/2003-ECB &PR dated 22/12/2003 Orders were issued for payment of gratuity on provisional basis in respect of employees covered under National Pension System on their retirement from Government service on invalidation or death in service, vide this Department's OM No. 38/41/2006-P&PW(A) dated 5/5/2009.

2. The issue of grant of gratuity in respect of government employees covered by the National Pension System has been under consideration of the Government. It has been decided that the government employees covered by National Pension System shall be eligible for benefit of 'Retirement gratuity and Death gratuity' on the same terms and conditions, as are applicable to employees covered by Central Civil Service (Pension) Rule, 1972.

3. These orders issue with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure, vide their I.D. Note No. 1(4)/EV/2006-II dated 29.07.2016.

4. In their application to the persons belonging to the Indian Audit and Accounts Department, these orders issue after consultation with Comptroller and Auditor General of India.

5. These orders will be applicable to those Central Civil Government employees who joined Government service on or after 1.1.2004 and are covered by National Pension system and will take effect from the same date i.e. 1.1.2004.

Harjit Singh,
Director (Pension Policy).

**CIRCULAR**

PFRDA/2016/21/EXIT/7 24.10.2016

To,

NPS Trust, CRA, Pension Funds, Trustee Bank, Govt Nodal Offices, Annuity Service Providers and other Stakeholder.

**Sub : Documents tobe submitted for availing partial withdrawal.**

The Authority has notified the PFRDA (Exits and Withdrawals from National Pension System) Regulations, 2015 on 11th May, 2015 and is in force Reference is drawn to Regulation 8 pertaining to partial withdrawal from National Pension System by subscribers of NPS. Where under the subscribers are availing partial withdrawals as per Regulation 8 of the PFRDA (Exits and Withdrawals from National Pension System) Regulations, 2015.

Based on the withdrawal received and experience gained on the matter . It was felt that documents may be prescribed by the Authority for the convenience of the subscribers and for seamless process of partial withdrawal request. Thus the Authority has examined the matter and in exercise of its powers under section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 *read* with Regulation 39 of the PFRDA (Exits and Withdrawals from National Pension System) Regulations, 2015 hereby issue the following clarifications (Prescribing documents for different types of partial withdrawal as mentioned below:

| Sr. No. | Type of Withdrawal | Documents required |
|---|---|---|
| 1 | For Higher education | Copy of admission letter of the Institute along with Fees schedule |
| 2 | For marriage of his or her children | Self-Declaration |
| 3 | For purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse | Photocopy of Title Documents of the Property. Approved Plan and self-declaration OR Loan offer letter from a housing finance company or a Bank and self-declaration |
| 4 | For treatment of specified illinesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children including a legally adopted child or dependent parents | Certificate from Doctor |

Yours faithfully,
Venkateswarlu Peri,
General Manager.

**National Pension System (NPS)**

[*Under Regulations 8 of PFRDA (Exits & Withdrawals) Regulations, 2015*]

Declaration form for partial withdrawal in case of Marriage or purchase of property

Fields marked ***with are mandatory.

Section A-Subscriber's Personal Details :

1. Name of the Subscriber

| | |
|---|---|
| 2. PRAN | |
| 3. Registered mobile number | |
| 4. Registered E-mail | |
| Section B-Withdrawal Request Details | |
| Withdrawal Type | |
| A. ☐ For marriage of his or her Children | |
| ☐ I hereby declare and state that this withdrawal is only for the purpose of __________ as is permitted under PFRDA (Exits and Withdrawal under National Pension System) Regulation, 2015. | |
| | |
| Aged________ Date of marriage __________<br>Address of Marriage ______________________________ | |
| B. ☐ For purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in Joint name with his or her legally wedded spouses<br>☐ I hereby declare and state that this withdrawal is only for the purpose of __________ as is permitted under PFRDA (Exits and Withdrawal under National Pension System) Regulation, 2015<br>PropertyAddress ______________________________ | |

| | | |
|---|---|---|
| Date | | |
| Place | | Signature/Thumb impression of the Subscriber** |
| **Left thumb impression in case of illiterate male claimant and Right impression in case of illiterate female. | | |

## CIRCULAR

PFRDA/2017/1/CRA/7 Date : January 03, 2017

**Sub : Operationalisation of Karvy Computershare Private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS Regular/NPS Lite/APY**

Please refer to the notice dated June 24, 2016 issued by PFRDA on the selection of Karvy Computershare Private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS.

Karvy Computershare Private Limited is currently at an advanced stage of CRA system development and is expected to become operational in the near future.

With operationalisation by Karvy, there will be two CRAs operating in the NPS system under PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 i.e. NSDL e-Governance infrastructure Ltd. and Karvy Computershare Pvt Ltd.

As per the applicable CRA regulations, the choice of CRA can be made by the employer (existing or prospective) between the existing CRA and the new CRA depending onthe policy of the employer in case where there is employer-employee relationship. In case of voluntary subscribers (without existence of any employee-employer relationship) the option to choose a CRA rests with the subscribers. In case of Government sector subscribers and subscribers registered under Atal Pension Yojana, the respective Government will choose the CRA for rendering the services. In case of NPS-Lite sujbscribers the aggregator will have the option to choose the CRA.

The charge structure of Karvy-CRA for NPS regular and NPS Lite subscribers as accepted by PFRDA is as under :-

| S. No. | Service Charge Head | NPS Regular (Rs.) | NPS Lite/APY (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | PRA opening charges | 39.36 | 15.00 |
| 2 | PRA Annual maintenance charges | 57.63 | 14.40 |
| 3 | Transaction charges | 3.36 | - |

This is issued for the information of all concerned.

Venkateswarlu Peri,

Chief General Manager.

---------------

## CIRCULAR

PFRDA/2017/5/CRA/2 Dated : February 09, 2017

**Sub : Operationalisation of M/s Karvy Computershare Private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) under NPS.**

Reference is drawn to our circular no. PFRDA/2017/1/CRA/1, dated January 03, 2017 on operationalization of Karvy Computershare Private Limited as second Central Recordkeeping Agency (CRA) for NPS.

The Authority has decided to allow M/s Karvy Computershare Private Limited to start its operations for servicing of accounts sourced through e-NPS module of NPS Trust wherein the subscriber would be provided an option to choose between NSDL e-goverance Ltd (1st CRA) and M/s Karvy Computershare PVt. Ltd. (2nd CRA) with effect from Febraury 15, 2017 and other distribution channels thereafter. It has been decided that M/s Karvy Computershare would be allowed to service the new accounts will March 31, 2017 and thereafter it would be allowed to function as a full-fledged CRA with interoperability functionality providing for option to shift for existing subscribers of NPS from April 01, 2017 onwards.

Under sub-regulation 4 of regulation 3 the CRA regulations, the allocation of the subscribers between the existing central recordkeeping agency and the other central recordkeeping agency or agencies, if appointed, shall be based on a transparent criteria and process as may be notified by the Authority from time to time having regard to the subscribers interst. Accordingly, the criteria of allocation of subscribers is mentioned as under :-

In case where there is employee-employer relationship, including corporate, if the CRA charges are being borne by the employer, the decision to select the CRA shall rest with the employer, unless they specifically delegates the option to individul employees and in all other cases, the choice of selection of CRA will rest with the employee/subscriber under NPS. In case of voluntary subscribers (without existence of any employee empployer relationship) the option to choose a CRA rests with the subscriber in general. In case of subsribers registered under Atal Pension Yojana, the respective Government will chose the CRA for rendering the services. In case of NPS-Lite subscribers the aggregator will have the option to choose the CRA. The charge structure for NPS regular and NPS Lite subscribers is provided hereunder the information of all concerned:

| S.N. | Service Charge head | M/S NSDL e-governance Infrastructure Ltd. (1st CRA) | | M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. (2nd CRA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | NPS Regular (Rs.) | NPS Lite/APY (Rs.) | NPS Regular (Rs.) | NPS Lite/ APY (Rs.) |
| 1 | PRA opening charges | 50 | 15 | 39.36 | 15 |
| 2 | PRA Annual Maintennance charges | 190 | 40 | 57.63 | 14.4 |
| 3 | Transaction charges | 4 | Nil | 3.36 | Nil |

Further, the charge structure with effect from 1st April, 2017 would be as under:–

| S.N. | Service Charge head | M/S NSDL e-governance Infrastructure Ltd. (1st CRA) | | M/s Karvy Computershare Pvt Ltd (2nd CRA) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | NPS Regular (Rs.) | NPS Lite/APY (Rs.) | NPS Regular (Rs.) | NPS Lite/APY (Rs.) |
| 1 | PRA opening charges | 40.00 | 15.00 | 39.36 | 15 |
| 2 | PRA Annual Maintennance charges | 95.00 | 25.00 | 57.63 | 14.4 |
| 3 | Transaction charges | 3.75 | Nil | 3.36 | Nil |

This is issued for the information of all concerned.

VENKATESWARLU PERI,
Chief General Manager.

——

## पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017**

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017**

**सं0पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8.**–पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामतः–

1–इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 है।

2–यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

3–पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2017 में,:–

(i) विनियमन 2 में, उप–विनियमन (1) में, उपखंड (ञ) के पश्चात् निम्न नये उपखंड जोड़े जायेंगे।

(ट) इस विनियमन के प्रयोजन के लिए "प्रत्याहरण" का अर्थ होगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते का समापन, निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक के होने की तिथि से, लागू हो सकता है :–

(I) रोजगार की शर्तों के अनुसार रोजगार में अधिशेष/सेवानिवृत्त होने वाला एक अभिदाता;

(II) अभिदाता की साठ साल की आयु का होना, और सदस्यता को जारी रखने के विशेष अनुमति के बाद लिखित में सदस्यता जारी रखने का कोई विकल्प प्रयोग नहीं में किया है, ऐसे अतिरिक्त अवधि तक, योगदान देने के साथ का बिना उसके;

(III) ऐसा अभिदाता, जिसकी सेवानिवृत्ति की उम्र, या साठ वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है, या अभिदाता द्वारा एक निश्चित अनुमत समय अवधि तक सदस्यता जारी रखने का विकल्प लिया जाता है और, इस अवधि से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है;

(IV) अभिदाता द्वारा खाते की स्वैच्छिक समापन, ऐसे मामलों में जहां इसकी अनुमति दी है और उस तिथि पर जब अभिदाता के खाते को प्रणाली में बंद किया जायेगा।

परन्तु, एक अभिदाता को उप–खंड (i) से (iv) के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरीत का समझा जायेगा, बावजूद इसके की अभिदाता या उसके लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त होने वाले ऐसे दावे निकास/भुक्तातन के लिए लंबित हो।

परन्तु, जहां एक अभिदाता सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता से पहले नौकरी छोड़ता है, तो उसे "प्रत्याहरण" के रूप में नहीं माना जाएगा और उसे अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने का विकल्प होगा यदि उसके नये सेवा में या सवेक्षिक रूप में एक नागरिक की तरह, तब तक अभिदाता इन विनियमों के तहत दावा नहीं करते।

(ठ) इन विनियमों में उपयोग किए जाने वाले " स्थगित" या "विलंब" अभिव्यक्ति का मतलब होगा कि एक अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण पर एक अभिदाता के लिए स्वीकार्य लाभ प्राप्त करने के दावों का विलंबन या स्थगितकरण करना।

(II) विनियमन 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

3–सरकारी सेक्टर के अभिदाताओं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास–सरकारी क्षेत्र के तहत कोई अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से नीचे विनिर्दिष्ट रीतियों में बाहर निकल जाएंगे, अर्थात्:–

(क) जहां अभिदाता, जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा यथाविहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है, वहां ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन संपदाओं में से कम से कम चालीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबन्ध करने के लिए वार्षिकी करने के लिए उपयोजित की जायेगी और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन का अतिशेष एकमुश्त रूप में अभिदाता को संदत्त किया जायेगा या उसके पास ऐसे शेष पेंशन धन लेने को प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुसार, अभिदाता के हित के लिए लिया जायेगा, लेने का विकल्प होगा।

परन्तु :

(i) निम्न डिफाल्ट वार्षिकी संविदा होगी जो कि लागू होगी और जिसके अंतर्गत वार्षिकी संविदा में अभिदाता के जीवन के लिए वार्षिकी और उसके पति या पत्नी (यदि कोई हो) के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगी:

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सभी सदस्यों के न रहने के पश्चात ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चो और बच्चो के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी। किसी भी कारण से इस तरह की डिफॉल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, अभिदाता को वार्षिकी खरीदने के लिए उन वार्षिकी के प्रकारों में से जो प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, चुनना होगा। इसके अलावा, उन अभिदाता को जो उपरोक्त वर्णित डिफाल्ट विकल्प से बाहर निकलना चाहते है और उपलब्ध वार्षिकी प्रकारों में से अपनी पसंद की वार्षिकी संविदा का चयन करना चाहते है अथवा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा करना चाहते है, उस विकल्प को चुनाव विशेष रूप से करना अपेक्षित होगा।

(II) जहां अभिदाता अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के पश्चात अतिशेष रकम के प्रत्याहरण की वांछा करता है वहां ऐसे अभिदाता के पास तब एकमुश्त रकम के प्रत्याहरण को अस्थिगत करने का विकल्प होगा जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता हैं, परन्तु अभिदाता, केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत, प्राधिकरण द्वारा बताये प्रकार या प्रपत्र द्वारा, किसी भी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पंद्रह दिन पहले लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी।

(III) जहां अभिदाता वार्षिकी के क्रय को आस्थगित करने की वांछा करता या करती है, वहां उसके पास अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए ऐसा करने का विकल्प होगा परंतु अभिदाता, केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व लिखित रूप से विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी। वार्षिकी क्रय करने को ऐसे आस्थगित करने के विकल्प की एक पुरोभाव्य शर्त यह होगी कि यदि अभिदाता की मृत्यु आस्थगन के पश्चात् वार्षिकी क्रय किये जाने की ऐसी नियत तारीख के पहले हो जाती है तो वार्षिकी अनिवार्य रूप से पति या पत्नी द्वारा (यदि कोई हो) वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ पति या पत्नी के लिए आजीवन वार्षिकी प्रदान करने के लिए क्रय की जायगी और ऐसे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके वार्षिकी के क्रय के समय पर विद्यमान प्रीमियम दर पर इसके अधीन उपबंधित अधिमानता के क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगीः

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

उपरोक्त सभी सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चो और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो, वापस कर दी जाएगी।

(iv) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंगत अंतर्गत एकमुश्त रकम के या वार्षिकी क्रय करने को स्थगित करना चाहता है तो व्यक्तिगत पेंशन खाते/स्थायी रिटायरमेंट खाते के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत देय शुल्क खर्चा एवं रखरखाव शुल्क है, वह लागू रहेंगे।

(v) जहां अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन दो लाख रुपये की धनराशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट के रूप में परिभाषित सीमा जो कि, जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिकियां के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, अभिदाता को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन या सरकार से ऐसी कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा;

(VI) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जारी रखना चाहते है और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फार्म को भर के व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक जमा करने का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अन्य मध्यवर्ती या इकाई को बतायेगा। विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ को स्थगित करने के अन्य विकल्प ऐसे अभिदाताओं को उपलब्ध नहीं होगें। इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

न्यास या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी भी मध्यवर्ती या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत कर के निकाल सकते है;

(ख) जहां अभिदाता, जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा विहित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व स्वैच्छिक रूप से निवृत्त हो जाता है या बाहर हो जाता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा या उसके पास ऐसे शेष पेंशन धन लेने के लिए, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुसार अभिदाता के हित में का विकल्प होगा।

परंतु वार्षिकी संविदा में अभिदाता और उसका पति या पत्नी (यदि कोई हो) के जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगी।

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

उपरोक्त सभी सदस्यों के न रहने के पश्चात ऐसी क्रय कीमत, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चो के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, जो लागू हो वापस कर दी जाएगी। किसी भी कारण से इस तरह की डिफॉल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, अभिदाता को जो उस समय उपलब्ध वार्षिक वार्षिकी के प्रकारों में से जो कि प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जायंगे, चुनना होगा।

इसके अलावा, उन अभिदाता को जो उपर्युक्त उपलब्ध वार्षिकी डिफॉल्ट विकल्प से बाहर निकलना चाहते है और उपलब्ध वार्षिकी प्रकारों में से अपनी पसंद की वार्षिकी संविदा का चयन करना चाहते हैं अथवा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा करना चाहते है, उस विकल्प का चुनाव विशेषज्ञ से करना आपेक्षित होगा।

परन्तु यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन एक लाख रूपये से अधिक है या इस उद्‌देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा तक किन्तु अभिदाता की आयु, सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में से किसी प्रदाता से, जिसका ऐसे अभिदाता द्वारा चुनाव किया गया है, कोई वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम है, तो ऐसा अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक अभिदाय करता रहेगा जब तक वह कोई वार्षिकी क्रय करने की पात्रता आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है :

परन्तु यह और कि यदि अभिदताा की संचित पेंशन संपत्ति एक लाख रुपये के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियां के न्यूनतम मूल्य पर उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वाचित हो जाएगा और अभिदाता द्वारा ऐसे किसी विकल्प के प्रयोग को, विनियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, इन विनियमों के अनुसार किया गया माना जाएगा।

(ग) जहां ऐसा अभिदाता, जिसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पहले मृत्यु हो जाती है वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जायेगा और अतिशेष पेंशन धन एकमुश्त रूप या प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य दिये विकल्पों में से, ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति, नामिति या नामितियों को या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जाएगाः

परन्तुः

(I) वार्षिकी संविदा में पति या पत्नी (यदि कोई हो) को जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, वार्षिकी का उपबंध और ऐसे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक सभी सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगीः

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

उपरोक्त सभी सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, जो लागू हो, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चो के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस को, वापस कर दी जाएगी। किसी भी कारण से इस तरह की डिफॉल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, अभिदाता को अपनी पसंद की ऐसी वार्षिकी के क्रय के लिए विकल्प का उपयोग करना होगा, जो उस समय उपलब्ध वार्षिक, वार्षिकी के प्रकारों जो कि प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जायंगे।

(II) परन्तु यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु के समय उसके स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन दो लाख रुपये की धनराशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियां के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, वहां उसके नामिति अथवा विधिक वारिस जैसा भी मामला हो, को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा इस विकल्प का प्रयोग करने पर परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा।

(III) (i) विनियमन 4 के उप–धारा (क) से प्रावधान (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

परन्तुः

(I) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जारी रखना चाहता है और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद अपने सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहता है, तो उसे इसका विकल्प उपलब्ध होगा और लिखित रूप से या निर्धारित प्रपत्र में आयु बतानी होगी जो कि सत्तर वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। इस तरह के विकल्प का उपयोग साठ वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के कम से कम पंद्रह दिन पहले किया जाएगा, केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी मध्यवर्ती या इकाई को बताना होगा। इस विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ के स्थगित करने के अन्य विकल्प उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होंगे।

इस तरह के विकल्प का प्रयोग करने के बावजूद अभिदाता, किसी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी भी मध्यवर्ती या इकाई को अनुरोध के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय बाहर निकल सकता है;

(II) विनियमन 4 की उप–धारा (ख) के अंतिम प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

यदि अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा पेंशन संपत्ति एक लाख रुपये या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियों के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, ऐसे अभिदाता को किसी भी वार्षिकी को खरीदने के बिना पूरे संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का भी विकल्प होगा;

(III) विनियमन 4 के खंड (ग) के खंड (ii) के लिए प्रावधान निम्न प्रकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) यदि मृतक अभिदाता द्वारा उसकी मृत्यु के पूर्व नामितिकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाण–पत्र या सक्षम प्राधिकारिता के न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र के आधार पर कुटुंब के सदस्यों को संचित पेंशन धन भुगतान कर दिया जाएगा।

(IV) उप–खंड (ख) विनियमन 5 के निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(ख) तथापि इस बात के अधीन रहते हुए कि साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व किसी भी समय संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय किए जाने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् अतिशेष संचित पेंशन धन का एकमुश्त भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा या उसे प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुसार, उन शेष पेंशन संपत्ति को एकत्र करने का विकल्प होगा जो अभिदाताओं के हित में है;

स्वावलंबन् अभिदाता के लिए, अभिदाता के संचित पेंशन धन का न्यूनतम अस्सी प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से उपयोजित करके क्रय की गई वार्षिकी से कम से कम एक हजार रूपये मासिक वार्षिकी या पेंशन मिले, इसमें असफल रहने पर संपूर्ण संचित पेंशन धन का ऐसी रीति में वार्षिकी विनियोग किया जाएगा जिससे कम से कम एक हजार रूपये की मासिक वार्षिकी या पेंशन दी जा सके और इसके पश्चात् अतिशेष का, भुगतान यदि कोई हो, अभिदाता को एकमुश्त रूप से कर दिया जाएगा। तथापि इसमें ऐसी राशि को अव्यक्त या सुव्यक्त गारंटी नहीं होगी कि संपूर्ण संचित पेंशन धन से क्रय की गई वार्षिकी से मासिक रूप से वार्षिकी या पेंशन एक हजार रुपये दी जाएगीः

परंतु यह और कि इस खंड के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां संचित पेंशन धन एक लाख रूपये से अधिक नहीं है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियां के न्यूनतम मूल्य पर उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, इस सीमा के तहत पेंशन धन को अभिदाता को जिसने स्वावलम्बन सह–योगदान नहीं लिया है, तो बिना किसी वार्षिकी विनियोग के संपूर्ण पेंशन धन का अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा और यह प्रावधान उन अभिदाता पर लागू होगा जिसने स्वावलम्बन सह–योगदान लिए है किन्तु उस अभिदाता ने इस योजना में खाता कम से कम पच्चीस वर्ष तक जारी रखता है;

परन्तु यह और कि अभिदाताओं अथवा स्वावलम्बन अभिदाताओं का भारत सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना के प्राधिकरण की अनुज्ञा से किये गये प्रवसन को इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निकास और आहरण नही माना जाएगा।

(v) विनियमन 6 निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगाः

6–निकास और प्रत्याहरण के लिए आवेदन की शर्तें–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पंजीकृत कोई अभिदाता का निकास और अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खातें अकाउंट के टियर–1 में संचित पेंशन संपदा से प्रत्याहरण नीचे तथा इसके विनियमों 3,4,5 और 8 में उल्लिखित विनिर्दिष्ट विनियमों के सिवाय अनुज्ञात नहीं होगा;

(II) उप–विनियमन (ङ) निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगाः

(ड) यदि अभिदाता या मृतक अभिदाता के परिवार के सदस्यों, उनकी मृत्यु के बाद, सरकार या नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई मृत्यु या विकलांगता सम्बधी अतिरिक्त राहत के विकल्प का उपभोग करते हैं, तो सरकार या नियोक्ता को अभिदाता के सम्पूर्ण संचित धन अपने पास समयोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा। ऐसे फायदे का उपयोग करने वाला अभिदाता या अभिदाता के परिवार के सदस्य ऐसे सरकारी प्राधिकरण या नियोक्ता से कुटुम्ब पेंशन या निःशक्ता पेंशन या कोई अन्य पेंशन संबंधी प्रसुविधा के स्थान पर विनिर्दिष्ट रूप से बिना शर्त सरकार या नियोक्ता को सम्पूर्ण पेंशन धन अंतरित करने के लिए सहमत होंगे और इसका वचन देंगे। अभिदाता की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का कुटुम्ब पेंशन लेने के साथ ही किसी भी परिवार व्यक्ति का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत किसी भी लाभ का दावा करने का अधिकार, नामांकित व्यक्ति के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अधिकारों सहित, कोई अधिकार नहीं होगा।

(III) उप–विनियमन (छ) निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगाः

(छ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन टीयर–1 खाते से निकास करने वाले, अभिदाता के टियर–II खाते को साथ में बंद कर दिया जाएगा और उस खाते के तहत राशि अभिदाता या उसके नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दी जाएगी।

(II) विनियमन 6 के तहत, उप–विनियमन (छ) के बाद नए उप–विनियमन (ज) निम्न प्रकार से जोड़े जाएंगेः

(ज) उन अभिदाताओं के संबंध में जिन्होंने नियम 7 के तहत आवेदन जमा नही किये हैं, और साठ साल की आयु प्राप्ति की तिथि या सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र के एक महीने के भीतर जो भी लागू हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने पर मिलने वाले लाभ के लिए, इस तरह के अभिदाताओं (दोनों टीयर–1 और टियर–II श्रेणी के तहत) के खाते में संचित पेंशन संपत्ति का मुद्रीकरण हो जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों या दिशा–निर्देशों के अनुसार अलग रखा जाएगा। अभिदाता की मुद्रीकृत संचित पेंशन संपत्ति के इस तरह से सुरक्षित रखने पर प्राप्त आय का लाभ उन लाभों का हिस्सा होगा जो अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत हकदार है। यह प्रावधान ऐसे अभिदाताओं के संबंध में लागू होंगे जिन्होंने लाभों को किया है या आंशिक रूप से लाभ वापस ले लिया है और इन सम्पूर्ण लाभों को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों दिशा–निर्देशों या दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक है।

(III) उप–विनियमन (छः) के बाद विनियमन 6 नए उप–विनियमन (ज) के तहत निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

(ज) मृत अभिदाताओं के संचित पेंशन कोष से उत्पन्न होने वाले दावों का निवारण करने के संबंध में, जहां इन विनियमों में उल्लिखित कोई वैध नामांकन मृत्यु की तारीख में मौजूद नहीं है, प्राधिकरण, उपभोक्ता के उचित हित में, मृतक अभिदाता के परिवार के सदस्यों के पक्ष में ऐसे दावो ंको विनिर्दिष्ट सीमा तक, ऐसे वारिसों द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने पर, के दावों के निस्तारण के आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है।

(v) विनियमन 7 को निम्नानुसार रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

7–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्रत्याहरण की शर्तें–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने की अपेक्षित तिथि या इससे पहले, अभिदाता इन विनियमों में दिए गए निकास के लाभों को वापस लेने के उद्देश्यसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापसी आवेदन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य संस्था को जमा करेगा। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास विनिर्दिष्ट फॉर्म में किसी अभिदाता द्वारा निकास या प्रत्याहरण के लिए इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर और विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से है प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए नियमों और दिशा–निर्देशों, परिपत्र, आदेश या सूचनाओं के तहत अनुमति दी गई हैः प्रणाली से निकास या निकासी की अनुमति दे सकता।

(VI) विनियमन 8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

8–राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आधीन निम्नलिखित प्रत्याहरण की अनुमति दी जाएगी–(1) अभिदाता के संचिव पेंशन धन का आंशिक प्रत्याहरण, जो अभिदाता के संचित पेंशन धन का, जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक है, और जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के पूर्व किसी समय नियोजक द्वारा किए गए अंशदान, यदि कोई हो, अपवर्जित किया गया है, नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति और सीमाओं के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा–

(अ) प्रयोजनः किसी अभिदाता को, प्रत्याहरण प्रारूप प्रस्तुत करने की तारीख से केवल निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी कि लिए उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते से ऐसे अभिदाता द्वारा किए गए अभिदायों का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक का प्रत्याहरण, अनुज्ञात होगा :–

(क) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, उच्चतर शिक्षा के लिए;

(ख) अपने बच्चों के, जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, विवाह के लिए;

(ग) अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके सन्निर्माण के लिए;

यदि, अभिदाता के पास पहले से पैतृक संपत्ति से भिन्न उसके स्वयं के नाम से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट है, तो इन विनियमों के अधीन कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(घ) विनिर्दिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए; यदि, अभिदाता उसका विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी है, या आश्रित माता–पिता किसी विनिर्दिष्ट रूग्णता से ग्रस्त है, जिसमें निम्नलिखित रोगों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होना, उपचार समाविष्ट होगा :

(I) कैंसर;

(II) गुर्दा की विफलता (अंतचरण रीनल फेल होना);

(III) प्राइमरी पुल्मोनरी आल्टेकियल हाइपरटेंशन;

(IV) मल्टीपल एक्लराइओसिस;

(V) प्रमुख अंग प्रत्यारोपण;

(VI) कोरेनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट;

(VII) ओरटा ग्राफ्ट सर्जरी;

(VIII) हार्ट वाल्व सर्जरी;

(IX) स्ट्रोक;

(X) मायोकार्डिअल इन्फेक्शन;

(XI) कोमा;

(XII) टोटल ब्लांडनेस (पूर्ण रूप अंधता);

(XIII) पेरालेसिस (लकवा);

(XIV) गंभीर/जीवन को संकट में डालने वाली दुर्घटना;

(XV) जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अन्य गंभीर रोग जो प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतो या अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(आ) सीमाएं : अनुज्ञात प्रत्याहरण केवल तभी मंजूर किया जायेगा यदि अभिदाता लाभों का उपयोग निम्नलिखित पात्रता संबंधी मानदंड और करने के लिए सीमाओं का अनुपालन करता है:–

(क) अभिदाता अपने कार्यग्रहण की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो;

(ख) अभिदाता को उसके द्वारा किए गए अभिदायों के, आवेदन के तारीख को उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा रकम के प्रत्याहरण के लिए, पच्चीस प्रतिशत से अनधिक संचयन का प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(ग) आवृत्ति : (1) अभिदाता को, राष्ट्रीय पेंशन प्रणी के अधीन अभिदाय की संपूर्ण अवधि के दौरान केवल अधिकतम तीन बार प्रत्याहरण अनुज्ञात होगा। अभिदाता द्वारा सुसंगत दस्तावेजों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रत्याहरण के लिए अनुरोध केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्रत्याहरण की कार्यवाही करने के लिए अपने मुख्य पणधारी या पणधारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु जहां कोई अभिदाता, उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रोग से ग्रस्त है वहां प्रत्याहरण का ऐसा अनुरोध ऐसे अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) स्थायी सेवानिवृत्ति खाते से संबंधित विधिमान्य और सक्रिय टीयर II खाता धारक कोई अभिदाता ऐसे आवेदन प्रारूप पर और ऐसी पद्धति तथा रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रत्याहरण के लिए किसी भी समय आवेदन करके पूरा या भागतः संचित धन का प्रत्याहरण कर सकेगा। ऐसे प्रत्याहरणों की, लागू प्रभारों और प्रत्याहरण रकम को देखते हुए संचित पेंशन धन की पर्याप्त रकम होने तक कोई सीमा नहीं होगीः

परंतु अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर होते ही टीयर II खाता स्वतः बंद हो जाएगा, भले ही उक्त प्रयोजन के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट आवेदन अभिदाता से प्राप्त नहीं हुआ हो और ऐसे खाते में संचित धनराशि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास संबंधी अभिदाता के आवेदन प्रस्तुत करने के समय ही उसके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अंतरित हो जाएगा।

(Vii) विनियमन 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

9. प्रत्याहरण की प्रक्रिया–(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य मध्यवर्ती या इकाई, अभिदाता द्वारा अधिनियम के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा जारी इन विनियमों, निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम 2015, जहां लागू हों, के अनुसार दर्ज प्रत्याहरण और निकास में संबंधित दावों पर कार्रवाई करने और उसका अनुमोदन करने और प्राधिकृत करने के लिये उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं के प्रत्याहरण और निकास को सुकर बनाने के लिए, उपयुक्त प्रचालन कार्रवाई ऑनलाइन प्रचालन सहित या मार्गदर्शक सिद्धांत, प्राधिकरण से अनुरूप अनुमोदन लेने के बाद, बनायेगा।

(VIII) विनियमन 10 की उप–विनियमन (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

10–निकास के समय वार्षिकी क्रय करने की शर्तें–(1) अभिदाता, निकास के समय, अनिवार्य रूप से इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट मासिक या कालिक वार्षिकी या पेंशन के लिए कोई वार्षिकी क्रय करेगा, उन मामलों को छोड़कर जहां छूट दी गई हो या प्रावधान हो और छूट की हो। ऐसी वार्षिकी प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से क्रय की जायेगी।

(IX) विनियमन 32 के, प्रावधानों में, उपखंड (Xi) के बाद एक नया उपखंड (xii) जोड़ दिया जाएगा :–

(xii) विनियमन 3 के उपखंड (ग) और विनियमन 4 के उप–खंड (ग) के अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं के संबंध में, जहां इन वैध मानदंडों एवं विनियमों के अनुसार नामिति नहीं मौजूद है, मृत्यु के कारण ऐसे अभिदाताओं के बाहर निकलने के समय, नामांकन, यदि अन्य स्वीकार्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये उसके नियोक्ता के अभिलेखों में मौजूद किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए नामिति के रूप में माना जाएगा। प्रसंस्करण के लिए दावे को अग्रेषित करते समय, नियोक्ता, अपने अभिलेखों में इस तरह के नामांकन की पुष्टि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी को भेजेगा।

(X) विनियमन 33 और 34 को निरस्त माना जायेगा।

(XI) विनियमन का निम्नानुसार रूप मेंप्रतिस्थापित किया जाएगाः–

35–बैंक खाता विवरण प्रदान करना–इन विनियमों के तहत निकास या प्रत्याहरण का लाभ पाने वाले अभिदाता को बैंक विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्य की प्रतिलिपि या आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नंबर (पैन) कार्ड, ताकि अभिदाता या लाभार्थियों के बैंक खाते के सीधे निर्धारित लाभ को जमा किया जा सके।

XII–विनियमन 37 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

37–नियोक्ता द्वारा अंतिम महीने की कटौती का रोकनाः'–मासिक नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान, जों लागू है और जो नियोक्ता द्वारा अभिदाताओं के वेतन से उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के खातों में जमा किया जायेगा, सेवानिवृत्ति आयु से कम से कम एक महीने पहले रोक दिया जायेगा।

नियोक्ता निर्धारित अंशदान जो नियोक्ता से मिलना निर्धारित है को सीधे कर्मचारी के वेतन के साथ अभिदाता को दे देगा।

XIII–विनियमन 39 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

39–प्राधिकरण की निदेश और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति :–प्राधिकरण को, इन विनियमों के अधीन, यथास्थिति, प्रत्याहरण अरैर निकास से संबंधी उपबंधों को निर्बंधित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिससे किसी ऐसी अन्य पेंशन या अधिवार्षिका स्कीमों, जो अधिनियम के अधीन नहीं आती हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाने की अपेक्षाओं का पालन हो।

(2)–प्राधिकरण इन विनियमों या प्रावधानों को लागू करने या उसके निर्वचन में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकता है।

[विज्ञापन-III / 4 / असाधारण / 179 / 17]

**हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष**

-------------

।

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

**नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2017**

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017**

**सं0पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 / 8.**–पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामतः–

1–इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 है।

2–यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

3–पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में,:–

(I) विनियमन 2 में, उप–विनियमन (1) में, उपखंड (ट) में।

(i) उपखंड (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

अभिदाता जो साठ साल की आयु को प्राप्त कर चुका है और सदस्यता को जारी रखने के विशेष अनुमति के बाद लिखित में सदस्यता जारी रखने का कोई विकल्प प्रयोग नहीं में किया है, ऐसे अतिरिक्त अवधि तक, योगदान देने के साथ या बिना उसके, या उस अभिदाता के संबंध में जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होता है (लेकिन पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले) उस योजना की सदस्यता को जारी रखने की अनुमोदित अधिकतम आयु या इससे पहले की तारीख को अभिदाता से प्राप्त खाता बंद करने के विशिष्ट अनुरोध पर आधारित;

(ii) उपखंड (iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

ऐसा अभिदाता, जिसकी सेवानिवृत्ति की उम्र या साठ वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है या अभिदाता द्वारा एक निश्चित अनुमत समय अवधि तक सदस्यता जारी रखने का विकल्प लिया जाता है और इस अविध से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है या उस अभिदाता की मृत्यु, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को साठ वर्षों की पूर्ण होने के पश्चात (लेकिन पैसठ वर्ष आयु पूर्ण होने से पहले) में शमिल होता है, उस योजना कि सदस्यता जारी रखने की अनुमोदित अधिकतम आयु से किसी भी समय पहले;

(II) विनियम 4 में, उप–नियमन (ग) के बाद, नई उप–विनियम (घ) निम्नानुसार जोड़ दी जाएगीः

(घ) अभिदाताओं द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास, साठ साल की उम्र पूर्ण होने या उसके पश्चात (लेकिन पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले) ऐसी पेंशन व्यवस्था में शामिल होने परः

(i) उस अभिदाता के मामले में, सर्व नागरिकों या कॉर्पोरेट मॉडल के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हुआ है, साठ साल की उम्र पूर्ण होने के पश्चात (या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले) और ऐसी पेंशन प्रणाली की कम से कम तीन साल की अवधि तक सदस्यता लेने की तिथि से, निकास पर, ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप में अभिदाता को भुगतान कर दिया जायेगा। यदि अभिदाता की संचित पेंशन धन दो लाख रूपये के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट के रूप में परिभाषित सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिकियों के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, तो अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा।

(ii) जहां, उप–खंड (i) के अधीन अभिदाता, जो ऐसे पेंशन प्रणाली में तीन साल पूरा होने से पहले, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से स्वेच्छा से निकास, का विकल्प लेता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा।

परन्तु, यदि अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा पेंशन धन एक लाख रूपये के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियों के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, ऐसे अभिदाता को कोई भी वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे पेंशन धन की वापस लेने का भी विकल्प होगा;

(iii) जहां उप–खंड (i) के अधीन, अभिदाता की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सदस्य रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो , इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिदाता की पूर्ण जमा पेंशन धन ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति के अनुसार, नामिति या नामितियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दिया जायेगा।

**हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष**

—

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2017

**Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System (Second amendment) Regulations, 2017**

**No. PFRDA/12/RGL/139/8.—**In exercise of the powers confered by sub-section (1) of Section 52 *read* with sub-clause (g), (h), and (i) of sub-section (2) of Section 52 of the Pension fund Regulatory and Development authority Act, 2013 (Act no. 23 of 2013), the Pension fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,—

1. These regulations may be called the Pension fund Regulatory and Development authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017.

2. These shall come into force on the date of their publication in the official *gazette.*

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:—

(I) In regulation 2, in sub-regulation (I), in sub-clause (K),

(i) sub- clause (ii) shall be *substituted as follows:—*

a subscriber having attained the age of sixty years, and where so specifically permitted has not exercised a choice in writing to continue to remain subscribed to such system, till such further period as is permissible, with or without making contributions or in respect of a subscriber who has joined National Pension System after attaing the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age) upon attaining the maximum age permitted to be subscribed to such scheme or any date prior thereto, based on the specific request for closure received from subscriber;

(ii) sub- clause (iii) shall be *substituted as follows:—*

death of the subscriber before attaining the age of superannuation, or the age of sixty years, or in cases where an option has been exercised by subscriber to continue to remain subscribed to a certain permissible time period, death before expiry of such period or death of a subscriber who has joined National Pension System after attaining the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age) at any time period to attaining the maximum age permitted to be *subscribed* to such scheme;

(II) In Regulation 4, after sub-regulation (c), new sub-regulation (d) shall be added as follows;

(d) Exit from National Pension system by subscribers, joining such pension system on or after attaining the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age):

(i) In case of a subscriber, joining National Pension System under all citizens model or in corporate model, on or after attaining the age of sixty years, (But before attaining sixty five years of age) and after having subscribed to such pension system for atleast a period of three years, from the date of such joining, on exit, at least forty percent out of the accumulated pension wealth, of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity roviding for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the sujbscriber in lump sum. In case, the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh rupees or a limit to be spec ified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insuers, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without there being any requirement of purchasing an annuity.

(ii) where a subscriber under sub-clasue (i) who, befoere completion of three years in such pension system, voluntarily opts to exit from the National Pension System, at least eighty percent out of the accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for purchase of

annuity and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum :

Provided further that if the accumulated pension wealth in the individual pension account of the subscriber is equal to or less than a sum of Rupees one lakh, or a limit to be specified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without there being any requirement of purchase of an annuity.

(iii) where a subscriber under sub-clause (i) dies, while being subscribed to National Pension System, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee or nominees or legal heirs, as the case may be, of such subscriber, in accordance with the provisions of these regulation.

HEMANT G., Contractor, Chairperson

----------------

## परिपत्र

परिपत्र सं0 पीएफआरडीए / 2017 / 32 / निकासी / 2 दिनांक 09–10–2017

सभी भागीदारों–सरकारी (केंद्रीय / राज्य), केंद्रीय स्वायत्त निकायों / राज्य स्वायत्त निकायों / जिला खजाना कार्यालय / निदेशालय खजाना एवं खाते / केंद्रीय आहरण एवं संवितरण कार्यालय / प्रमुख लेखा कार्यालय / वेतन एवं लेखा कार्यालय / आहरण एवं संवितरण कार्यालय, राष्ट्रीय पेंशन योजना न्यास, केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी, उपस्थिति अस्तित्व, सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए

**विषय :– एक मुश्त राशि एवं वार्षिकी के आस्थगन तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत टीयर–II खातों के निरंतरण हेतु दिशा निर्देश।**

प्राधिकरण ने 11 मई, 2015 को तथा 10 अगस्त 2017 को पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत निकासी तथा प्रत्याहरण) विनियमों, 2015 एवं उसके प्रथम संशोधन को अधिसूचित किया है तथा ये दोनों ही लागू है। यह हमारे परिपत्र सं–पीएफआरडीए / 2016 / 13 / निकासी / 06 दिनांक 27.07.2016 के क्रम में है जो एनपीएस खातों की निरंतरता के विभिन्न पक्षों पर स्पष्टीकरण देता है।

अधिक स्पष्टता प्रदान करने तथा विनियमों एवं परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार एकमुश्त राशि एवं वार्षिकी के आस्थगन और टीयर–II खातों के विभिन्न आस्थगन प्रावधानों तथा निरंतरता की बेहतर समझ के लिए, तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत टीयर–II खातों के निरंतरण के लिए हम निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं:

| क्र0सं0 | प्रश्न | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रणाली से समयपूर्व निकलने की स्थिति में क्या में अपनी एकमुश्त राशि को स्थगित रख सकता हूँ / सकती हूँ? | नहीं, अभिदाता प्रणाली से समयपूर्व निकलने की स्थिति में अपनी एकमुश्त राशि को स्थगित नहीं रख सकता। |
| 2 | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या अधिवर्षिता के बाद, मैंने महसूस किया कि मुझे एनपीएस खाता जारी रखना चाहिए। क्या मैं खाता जारी रखने का विकल्प अपना सकता हूँ / सकती हूँ? | नहीं, निकासी तथा प्रत्याहरण प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय रिकार्डकीपिंग एजेसी अभिदाता तथा संबंधित कार्यालय यदि कोई हो तो, को सूचित करती है, अधिवर्षिता की तिथि या 60 वर्ष की आयु पर जब अभिदाता सेवानिवृत्त होने वाला है से 6 माह पूर्व बताता है कि वह सेवानिवृत्त होने वाला है या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है तथा साथ ही निकासी से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने का संकेत देता है जिसमें एक मुश्त राशि एवं वार्षिकी के आस्थगन के कार्यान्वयन का विकल्प भी सम्मिलित है, यदि आवश्यक हो तो। यह अभिदाता के लिए 60 वर्ष की आयु से पूर्व या अधिवर्षिता पर आस्थगन के |

| क्र0सं0 | प्रश्न | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| | | विषय में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय है। |
| 3 | जहाँ नियोक्ता–कर्मचारी संबंध होता है और अभिदाता अधिवर्षिता की आयु के बाद खाता जारी रखना चाहता है तो क्या नियोक्ता अंशदानों की अपलोडिंग में सहायता प्रदान करेगा? | नहीं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरंतरता के विकल्प के पश्चात् अभिदाता अपने एनपीएस खाते को व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार स्थानांतरित कर सकता है तथा जारी रख सकता है। नियोक्ता एनपीएस संबंधी गतिविधियों में सहायता नहीं करेगा। |
| 4 | अनिवार्य कम से कम 40% वार्षिकी की खरीद किए संचित पेंशन कोष पर लागू होगी अर्थात् 60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के समय उपलब्ध कोष पर अथवा एनपीएस को जारी रखने के लाभ के बाद निकासी के समय उपलब्ध कोष पर? | संचित पेंशन कोष का न्यूनतम 40% स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में एनीपीएस से पूर्ण निकासी की तिथि (60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु के बाद जारी रखने के पश्चात् किसी समय) पर उपलब्ध होता है, जिसमें वो अंशदान तथा निवेश आय सम्मिलित है, जो कि खातों में 60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु के बाद अंशदान दी गई या जमा की गई है, उसे अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष राशि का एकमुश्त के रूप में भुगतान किया जाएगा। अभिदाता की असामयिक मृत्यु की स्थिति में, निकासी तथा प्रत्याहरण शर्तें जो कि विनियमों में निर्दिष्ट है लागू होगी। |
| 5 | क्या कोई व्यक्ति एनपीएस में अंशदान हेतु 70 वर्ष की आयु तक अंशदान करने के वादे के अनुरोध के पश्चात् किसी भी समय पर निकासी कर सकता है? | हाँ, अभिदाता एनपीएस में अंशदान की सुविधा जारी रखने का लाभ उठाने के पश्चात् अभिदाता द्वारा एनपीएस में अंशदान जारी रखने के अनुरोध के समय सूचित समय सीमा से भिन्न एनपीएस से किसी भी समय निकासी कर सकता है। |
| 6 | क्या मैं अंशदानों/निरंतरता (60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु के पश्चात्) के बढ़े हुए समय के दौरान एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी को टालने के विकल्प का लाभ उठा सकता हूँ/सकती हूँ? | नहीं अभिदाता बढ़ाए गए समय के दौरान, एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी को टालने के विकल्प का लाभ जो कि अधिवर्षिता या 60 वर्षो की आयु के पहले उपलब्ध है, नहीं उठा सकता क्योंकि अभिदाता स्वेच्छा से एनपीएस प्रणाली को बढ़ाए गए समय के दौरान किसी भी समय छोड सकता/सकती है। |
| 7 | अभिदाता जो एनपीएस प्रणाली में 60 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु के बीच शामिल हुआ है, क्या एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी के आस्थगन के विकल्प का लाभ उठा सकता है? | नहीं, अभिदाता एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी के आस्थगन के विकल्प का लाभ नहीं उठाता सकता क्योंकि उसके पास प्रणाली में 70 वर्ष की आयु तक बने रहने या किसी भी समय प्रणाली से निकासी का विकल्प है।<br><br>यदि अभिदाता एनपीएस प्रणाली को शामिल होने की तिथि से न्यूनतम तीन वर्ष पूर्ण किए बिना छोड़ देता है तो निकासी को समय से पूर्व निकासी समझा जाएगा तथा 3 वर्ष पश्चात् इसे सामान्य निकासी समझा जाएगा, तथा इन पर समय से पूर्व निकासी या सामान्य निकासी हेतु मान्य नियम लागू किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए पीएफ आरडीए (एनपीएस से निकासी तथा प्रत्याहरण) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2017 देखें। |
| 8 | जब कोई व्यकित 60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता के पश्चात् एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी के आस्थगन दोनों के विकल्प को चुनता | टीयर–II खाते जारी रहेंगेः<br><br>एकल स्विच को छोड़कर सभी सुविधाएं जो |

| क्र0सं0 | प्रश्न | स्पष्टीकरण |
| --- | --- | --- |
| | है, तो क्या टीयर–I के खाते के साथ टीयर–II खाते को भी जारी रखा जा सकता है? | टीयर–II खाते में 60 वर्ष की आयु से पूर्व उपलब्ध है, टीयर–I (एकमुश्त राशि का प्रत्याहरण), खातों के बंद होने तक जारी रहेगी या अभिदाता द्वारा टीयर–II खातो को बंद करने का निर्णय लिया गया हो। |
| 9 | जब कोई व्यक्ति 60 र्वर्ष की आयु या अधिवर्षिता के पश्चात् केवल एकमुश्त राशि के आस्थगन के विकल्प को चुनता है तो क्या टीयर–I खाते के साथ टीयर–II खाते को भी जारी रखा जा सकता है? | टीयर–II खाता जारी रहेगाः<br>एकल स्विच को छोडकर सभी सुविधाएं टीयर–II खाते में 60 वर्ष की आयु से पूर्व उपलब्ध है, टीयर–I (एकमुश्त राशि का प्रत्याहरण) खातों के बंद होने तक जारी रहेंगी या अभिदाता द्वारा टीयर–II खातों को बंद करने का निर्णय लिया गया हो। |
| 10 | जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता के पश्चात् वार्षिकी के आस्थगन के विकल्प को चुनता है तो क्या टीयर–I खाते के साथ टीयर–II खाते को भी जारी रखा जा सकता है? | टीयर–I खाते से एकमुश्त प्रत्याहरण के समय ही टीयर–II खाते को बंद कर दिया जाएगा। |
| 11 | जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता के पश्चात् केवल एकमुश्त राशि के आस्थगन के साथ चरणबद्ध प्रत्याहरण के विकल्प को चुनता है तो क्या टीयर–I खाते के साथ टीयर–II खाते को भी जारी रखा जा सकता है? | टीयर–I खाते से एकमुश्त प्रत्याहरण के समय ही टीयर–II खाते को बंद कर दिया जाएगा। |

भवदीय,
वेंकटेश्वरलू पेरी,
मुख्य महाप्रबंधक।

-----------------

**CIRCULAR**

Cir No. PFRDA/2018/40/Exit Dated : January 10, 2018

To,

CEO, National Pension System Trust/Cetral recordkeeping Agencies/Pension Funds/Trustee Bank/Govt. Nodal Offices/Points of Presence/Aggregators

Dear Sir/Madam

**SUBJECT : GUIDELINES ON PROCESS TO BE FOLLOWED BY SUBSCRIBERS AND NODAL OFFICE/POP/AGGREGATOR FOR PROCESSING OF PARTIAL WITHDRAWL REQUEST**

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawal under the National Pension System) First amendment) Regulations 2017 have been notified/published on the website (www.egazette.nic.in.) w.e.f. 10-08-2017. In light of this, Circular dated 21-03-2016 has been modified and norms for partial withdrawals have been liberalized. this circular shall be effective from the date of the notification of first amendment i.e. 10-08-2017.

2. As per Regulation 8 of the PFRDA (Exit and withdrawal from National Pension System) (First amendment) Regulations 2017, following provisions have been notified in respect of the partial withdrawals under National Pension System (NPS).-

(1) A partial withdrawal of accumulated pension wealth of the subscriber, not exceeding twenty-five per cent. of the contributions made by the subscriber and excluding contributions made by employer, if any, at any time before exit from National Pension System subject to the terms and conditions, purpose, frequency and limits specified below:-

**(A) Purpose :** A subscriber on the date of submission of the withdrawal form, shall be permitted to withdraw not exceeding twenty-five percent, of the contributions made by such subscriber to his individual pension account, for any of the following purposes only :-

(a) for Higher education of his or her children including a legally adopted child;

(b) for the marriage of his or her children, including a legally adopted child;

(c) for the purchase or construction of a residential house or flat in his or her own name or in a joint name with his or her legally wedded spouse. In case, the subscriber already owns either individualy or in the joint name a residential house or flat, other than ancestral property, no withdrawal under these regulations shall be permited;

(d) for treatment of specified illnesses: if the subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents suffer from any secified illness, which shall comprise of hospitalization and treatment in respect of the following diseases;

(i) Cancer;

(ii) Kidney Failure (End Stage Renal Failure);

(iii) Primary Pulmonary Arterial Hypertension;

(iv) Multiple Sclerosis;

(v) Major Organ Transplant;

(vi) Coronary Artery Bypass Graft;

(vii) Aorta Graft Surgery;

(viii) Heart Valve Surgery;

(ix) Stroke;

(x) Myocardial Infarction

(xi) Coma;

(xii) Total Blindness;

(xiii) Paralysis;

(xiv) Accident of serious/life threatening nature.

(xv) any other critical illness of a life threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time.

**(B) Limits:** the permitted withdrawal shall be allowed only if the following eligibility criteria and limit for availing the benefit are complied with by the subscriber:-

(a) the subscriber shall have been inthe National Pension System at least for a period of three years from the date of his or her joining;

(b) the subscriber shall be permitted to withdraw accumulations not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by him or her and standing to his orher credit in his or her individual pension account, as on the date of aplication for withdrawal;

**(C) Frequency :** the subscriber shall be allowed to withdraw only a maximum of three times during the entire enure of subscription under the National Pension System. The request for withdrawal shall be submitted by the subscriber, along with relevant documents to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust, as may be specified, for processing of such withdrawal claim through their nodal office. Provided that where a subscriber is suffering from any illness, specified in sub-clause (d), the request for withdrawal may be submitted, through any family member of such subscriber.

**3. Partial withdrawal Process/documents;**

Operational process/documents tobe adhered to/submitted for availing partial withdrawal would be as per the norms/guidelines prescribed/specidfied earlier.

Yours Sincerely,

Venkateshwarlu Peri

Chief General Manager

---

## पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

## पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018

**सं0 पीएफआरडीए / 12 / आरजीएल / 139 / 8.–** पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामतः–

1, इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018 है।

2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:–

(I) विनियम 3 के उप–विनियम (क) में, नया उप–विनियम (vii) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा :

(vii) परन्तु, यदि नियोक्ता ये प्रमाणित करता है कि अभिदाता अपने सम्बन्धित कार्यालय की सेवाओं से निःशक्तता या शारीरिक विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त कर दिया गया है, तो

ऐसे मामले में निकासी को जैसा उप–विनियम (क) के तहत निर्दिष्ट है उस प्रकार माना जायेगा।

(II) विनियम 4 के उप–विनियम (क) में, नए उप–विनियम (v) को निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा;

(v) परन्तु, यदि अभिदाता शारीरिक रूप से असक्षम या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है जिसके कारणवश वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अपने व्यक्तिगत खाते को जारी रखने में असक्षम है, तो ऐसे मामले में निकासी को उप–विनियम (क) के प्रावधानों के अनुसार माना जायेगा, जो अभिदाता के, सरकारी शल्यकार या चिकित्सक (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाण–पत्र जमा कराने के अधीन होगा, जिसमें विकलांगता की प्रवृत्ति तथा सीमा वर्णित हो तथा जो ये भी प्रमाणित करता हो कि :

**क–**प्रभावित अभिदाता अपनी नियमित सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में नही है तथा वास्तव में ऐसी संभावना है कि प्रभावित अभिदाता अपने जीवन की शेष अवधि में कार्य करने में असमर्थ होगा;तथा

**ख–**उस सरकारी शल्यकार या चिकित्सक के मत में विकलांगता 75 प्रतिशत से अधिक हो (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो)

(III)विनियम 5 के उप–विनियम (क) में, नया उप–खंड (iii) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगा

(iii) परन्तु, यदि अभिदाता शारीरिक रूप से अक्षम है या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है जिसके कारणवश वह राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अपने व्यक्तिगत खाते को जारी रखने में असक्षम हैं, तो ऐसे मामले में निकासी को उप–विनियम (क) के प्रावधानों के अनुसार माना जायेगा, जो अभिदाता के, सरकारी शल्यकार या चिकित्सक (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाण–पत्र जमा कराने के अधीन होगा, जिसमें विकलांगता की प्रवृत्ति तथा सीमा वर्णित हो तथा जो ये भी प्रमाणित करता हो कि :

**क–**प्रभावित अभिदाता अपनी नियमित सेवाएँ प्रदान करने की स्थिति में नहीं है तथा वास्तव में ऐसी संभावना है कि प्रभावित अभिदाता अपने जीवन की शेष अवधि में कार्य करने में असमर्थ होगा; तथा

**ख–**उस सरकारी शल्यकार या चिकित्सक के मत में विकलांगता 75 प्रतिशत से अधिक हो (जो अभिदाता की इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो)

(IV) विनियम 8 के उप–विनियम (1) (अ) में, नया उप–खंड (ङ) निम्नलिखित रूप से जोड़ा जायेगाः

**(ङ)** अभिदाता की विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले चिकित्सकीय तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु

**हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष**

—————

## PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System (Third amendment) Regulations, 2018

**No. PFRDA/12/RGL/139/8.—**In exercise of the powers confered by sub-section (1) of Section 52 *read* with sub-clause (g), (h), and (i) of sub-section (2) of Section 52 of the Pension fund Regulatory and Development authority Act, 2013 (Act no. 23 of 2013), the Pension fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,—

1. These regulations may be called the Pension fund Regulatory and Development authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018.

2. These shall come into force on the date of their publication in the official *gazette.*

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:—

**(I) In regulation 3, in sub-regulation (a), new sub-regulation (vii) shall be added as follows:**

(vii) provided that if the employer certifies that the subscriber has been discharged from the services of the concerned office on account of invalidation or disability, the exit shall be determined as specified under sub-regulation(a).

**(II) In regulation 4, in sub-regulation (a), new sub-regulation (v) shall be added as follows:**

(v) provided that a subscriber is physically incapacitated or has suffered a bodily disability leading to his incapability to continue with his individual pension account under National Pension System, the exit in such cases shall be determined as per the provisions of sub-regulation (a) subject to the subscriber submitting a disability certificate from a Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and extent of disability and also certifying that:

a. the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life; and

b. Percentage of disability is more than seventy five percent. In the opinion of such Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber)

**(III) In regulation 5, in sub-regulation (a), new sub-clause (iii) shall be added as follows:**

(iii) provided that a subscriber who is physically incapacitated or has suffered a bodily disability leading to his incapability to continue with his individual pension account under National Pension System, the exit in such cases shall be determined as per the provisions of sub-regulation (a) subject to the subscriber submitting a disability certificate from a Government surgeon or doctor (treating such disability or invalidation of subscriber) stating the nature and exent of disability and also certifying that:

a. the affected subscriber shall not be in a position to perform his regular duties and there is a real possibility of the affected subscriber, being not able to work for the remaining period of his life; and

b. Percentage of disability is more than seventy-five percent. In the opinion of such Government surgeon or doctor (treating sujch disability or invalidation of subscriber_.

(iv) in regulation 8, in sub-regulation (I) (A), a new sub-clause (e) shall be added as follows:

(e) to meet medical and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber.

HEMANT G., Contractor, Chairperson

# पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

## पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2018

**सं0 पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8.**—पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत,—

1—इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2018 है।

2—यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3—पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में :—

**(I) विनियम 3 के उप—विनियम (क) के प्रावधान (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—**

(vi) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं औरसाठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म जो निर्दिष्ट है, और व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशनखाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को बताएगा :

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली केतहत, साठ साल या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहते हैं जैसा भी मामला हो, तथा अनुमति की सीमा तक, ऐसी आयु प्राप्त करने या सेवानिवृत्ति के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर एनपीएस न्यास को आवेदन करते हुए ऐसा कर सकते हैं जहाँ किसी भी अभिदाता द्वारा निर्धारित समयसीमा के पश्चात, कोई आवेदन तर्कसंगति तथा पर्याप्त कारण के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्राप्त होता है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ऐसे आवेदन अपनी सिफारिशों के साथ, प्राधिकरण के विचार तथा अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के संन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, विलम्ब यदि कोई हो तो, माफ कर सकता है। अभिदाता द्वारा ऊपर निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ को स्थगित करने के अन्य विकल्प ऐसे अभिदाता को उपलब्ध नही होंगे।

इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत करके निकल सकते हैं ;

**(II) विनियमन 4 के उपधारा (क) में प्रावधान (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा;**

(I) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहते है और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बादभी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म जो निर्दिष्ट है, और व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को बतायेगा।

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, साठ साल या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहते हैं जैसा भी मामला हो, तथा अनुमति की सीमा तक, ऐसी आयु प्राप्त करने या सेवानिवृत्ति के एक सौ अस्सी के भीतर एनपीएस न्यास को आवेदन करते हुए ऐसा कर सकते हैं जहाँ किसी भी अभिदाता द्वारा निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् कोई आवेदन तर्कसंगति तथा पर्याप्त कारण के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्राप्त होता है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ऐसे आवेदन अपनी सिफारिशों के साथ, प्राधिकरण के विचार तथा अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण का प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के सन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, विलम्ब यदिकोई हो तो माफ कर सकता हैं अभिदाता द्वारा ऊपर निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग करने पर, अन्य लाभ को स्थगित करने के अन्य विकल्प ऐसे अभिदाता को उपलब्ध नहीं होंगे।

इस तरह के विकल्प के प्रयोग के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉडकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत करके निकल सकते है;

**(III) विनियमन 6 की उप–धारा (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा;**

(ग) यथास्थिति, भारत का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, या किसी संगठन का प्रमुख, किसी कॉर्पोरेट निकाय या अन्य इकाई जो कि या तो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या एक सरकारी कम्पनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो, के सम्बन्ध में, जैसा भी मामला हो, यदि अभिदाता के नियोजन को शासित करने वाले सेवा नियमों में ऐसा उपबंधित है, तो नियोक्ता को होने वाली सम्पूर्ण धनीय हानि या उसके किसी भाग की वसूली के प्रयोजन के लिए अभिदाता के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के टीयर 1 खाते में नियोक्ता के रूप में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य इकाई जो कि या तो केन्द्र सरकार या कोई राज्य सरकार या एक सरकारी कम्पनी के स्वामित्व तथा नियंत्रण में हो, जैसा भी मामला हो, सहअभिदाय के माध्यम से संचित पेंशन धन का भाग या उस पर प्रोद्‌भूत विनिधान आय को विधारित करने का अधिकार होगा, परन्तु ऐसी हानि, सम्बन्धित नियोक्ता द्वारा ऐसे अभिदाता के विरूद्ध आरम्भ की गयी किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में सिद्ध होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या किसी ऐसी इकाई को, जिसे ऐसा प्राधिकार दिया गया है, दी गयी किसी सूचना के अनुसरण में और अभिदाता के उक्त पेंशन धन के प्रतिधारण की ईप्सा से विधारण के ऐसे अधिकार का अभिदाता की अधिवर्षिता की तारीख से पहले प्रयोग किया जाएगा। विधारण के ऐसे अधिकार का विधिमान्यतः प्रयोग किए जाने पर :–

(i) ऐसा पेंशन धन, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन भुगतान योग्य है, अभिदाता को तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक, यथास्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष और ऐसी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है;

(ii) उपखंड (i) में यथाविनिर्दिष्ट विधारित रकम का, स्कीम में, ऐसी पद्धति और रीति में अभिदाय के रूप में बनी रहेगी, जिसमें निर्दिष्ट नियोक्ता द्वारा ऐसी कार्रवाई को अपनाकर रखा गया था और विधारित रकम का अंतिम परिनिर्धारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या अन्य इकाई द्वारा सम्बन्धित नियोक्ता से समुचित आदेश के प्राप्त होने सामान्यतः नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा;

(iii) विधारित रकम का, उस निदिष्ट नियोक्ता द्वारा, जिसने ऐसे फायदे को विधारित करने की ईप्सा की थी, यथा प्रमाणित अंतिम परिनिर्धारण पर अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा, हो जाएगी। वह यथा संभव शीघ्र अभिदाता को संदत्त भुगतान कर दिया जाएगा और यह प्रत्येक दशा में ऐसा भुगतान राष्ट्रीय पेंशन न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई या व्यक्ति द्वारा अंतिम ओदश की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा;

**(IV) विनियमन 8 की उप–धारा (1) (अ) में मौजूदा प्रावधान (ङ) के पश्चात् प्रावधान (च) एवं (छ) को जोड़ा जाएगा, जो निम्नानुसार है :**

(च) अभिदाता द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल या अन्य कोई स्व–विकास क्रियाकलापों के खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशा–निर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो।

(छ) अभिदाता द्वारा स्व–उद्यम स्थापित करने या नए उद्यमों की शुरूआत करने हेतु खर्चों के लिए, जैसा भी उस बारे में प्राधिकरण द्वारा उचित दिशा–निर्देश जारी करते हुए अनुज्ञप्त हो।

**हेमंत जी, कांट्रेक्टर, अध्यक्ष**

—————————

No. 1/3/2016-P&PW(F)
Government of India
Department of Pension and Pensioners Welfare
(Desk-F)

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 24th January, 2019

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject :Clarificatory OM for payment of two family pensions on death attributable to Govt. service of a re-employed pensioner regarding –**

The undersigned is directed to say that references have been received in this Department seeking clarification as to whether a second family pension is admissible under CCS(EOP) Rules when a military/civil pensioner is re-employed in civil service dies and his death is attributable to Government service.

2. Vide this Department's Notification No. G.S.R. 938(E) dated 27.12.2012, sub-rule 13A and 13B of rule 54, prohibiting two family pension, have been deleted, Subsequently, vide OM No. 1/33/2012-P&PW(E) dated 16.1.2013, two family pensions have been allowed in the event of death of a re-employed pensioner, in service or after retirement. The financial benefits for the past cases however is with effect from 24th September, 2012. Thus under CCS(Pension) Rules, two family pensions are admissible with effect from 24th September 2012.

3. The matter has been examined in the context of the provisions of CCS(Extra-ordinary Pension) Rules, It is clarified that the provisions of two family pensions, one in respect of military/civil service and the other for civil service after re-employment, as available in terms of CCS(Pension) Rules, is also applicable under CCS(EOP) Rules. IN Other words, on death of a pensioner who was re-employed in civil service, where death is attributable to government service, family pension under CCS(EOP) Rules in respect of service in re-employment would be admissible in addition to ordinary family pension in respect of the previous military/civil service.

4. Where, however, on death of a re-employed civil Government servant, the family is eligible for Special/extra-ordinary family pension under the EOP rules in respect of the first spell of service, family pension for the second spell of service would be admissible under the CCS(Pension) Rules, 1972 only.

5. The extra-ordinary family pension shall be granted only in one service. In no case, both the family pension shall be granted under EOP Rules.

6. The financial benefits in the past cases will accrue with effect from 24th September, 2012, as in the case of family pension under CCS(Pension) Rules.

7. Formal amendment in Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules will be made in due course.

8. This issues with the approval of Department of Expenditure, vide their ID No. 1(5)/EV/2012 dated 3.4.2017 and 15.01.2019.

SUJASHA CHOUDHURY,

Director

———

**CIRCULAR**

PFRDA/2019/8/SUP-PF/2 Dated : March 25, 2019

**Subject : Amendment to the investment Guidelines (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Life schemes of NPS and Atal Pension Yojana).**

1. Reference is invited to the Investment Guidelines for NPS Schemes (Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana) dated 3rd June 2015 issued vide circular no. PFRDA/2015/16/PFM/7, the Change in Investment guidelines for NPS schemes w.r.t. Investment in equity Mutual funds vide circular no.PFRDA/2018/56/PF/2 dated 20th August 2018 and Revised rating criteria for investments under NPS Schemes vide circular No. PFRDA/2018/02/PF/02 dated 08.05. 2018 The changes hereunder shall apply only to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana.

2. In order to provide flexibility to the Pension Funds to improve the scheme performance depending upon the market conditions, it has been decided to increase the cap on Government Securities & related investments and Short term debt instruments & related investments by 5% each.

3. The asset class wise revised caps on the various asset classes are as under :-

| Asset Class | Caps on Investments for composite schemes |
|---|---|
| Government Securities & related investments | Upto 55% |
| Debt Instruments & related investments | Upto 45% |
| Equity & related investments | Upto 15% |
| Asset backed, trust structured etc. | Upto 5% |
| Short term debt instruments & related investments | Upto 10% |

4. The other terms and conditions as mentioned in the circular no. PFRDA/2015/16/PFM/7 dated 03.06.2015, circular no. PFRDA/2018/56/PF/2 dated 20th August 2018 andcircular no. PFRDA/2018/2/PF/02 dated 08.05.2018 shall remain the same.

5. This circular is issued in exercise of powers of the Authority under sub-clause (b) of the sub-section (2) of section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 read with regulation 14 and 43 of PFRDA (Pension Fund) Regulation, 2015.

6. This would be effective from 01.04.2019.

VENKATESHWARLU PERI
Chief General Manager

-------

FILE NO.: PFRDA/16/3/12/0001/2017-REG-PF

Dated : 07/05/2019

To
Chief Executive Officer
National Pension System Trust
3rd Floor, Chatrapati Shivaji Bhawan,
Qutab Institutional Area,
New Delhi-110016

**Subject : Re-allocation of subscription of Government employees to Pension Funds for FY 2019-20**

Dear Sir,

Based on the performance of the pension funds in the preceding financial year, the incremental subscriptions of Government employees under the NPS are tobe distributed among the pension funds for FY 2019-20 as under, with effect from 07-05-2019 for a period of 12 months ending 30/04/2020.

| CG Scheme | % Allocation for 2019-20 |
|---|---|
| SBI Pension Fund Pvt. Ltd. | 34 |
| UTI Retirement Solution Ltd. | 33 |
| LIC Pension Fund Ltd | 33 |
| SG Scheme | % Allocation for 2019-20 |
| SBI Pension Fund Pvt. Ltd | 34.0 |
| UTI Retirement Solution Ltd. | 33.5 |
| LIC Pension Fund Ltd. | 32.5 |

2. In this regard, it may be noted that the allocation of funds, as mentioned above, is for incremental subscriptions under existing Central Government Scheme, which shall continue as default scheme as per Notification F. No. 1/3/2016-PR dated 31.01.2019 issued by DFS and existing State Government Scheme/default scheme, for both existing as well as new Government subscribers under Central Govt. and State Govt. Sectors, for the FY 2019-20.

3. You are further requested to initiate the suitable instructions to Central Recordkeeping Agency. Trustee Bank and Pension Funds for implementation of the above.

Your's truly,
SUMIT KUMAR,
*General Manager.*

------

**CIRCULAR**

PFRDA/2019/12/REG-PF/1 Dated : May 8th, 2019

**Sub : Introduction of choice of Pension Funds and Investment Pattern in Tier-I of NPS for Central Government subscriber-reg.**

Reference is invited to the *Gazette* Notification F.No. 1/3/2016-PR dated 31st January, 2019 issued by Ministry of Finance, Department of Financial Services, modifying Ministry of Finance's Notification No. 5/7/2003-ECB dated 22nd December, 2003, based on the Government's decision on the recommendations of a Committee set up to suggest measures for streamlining the implementation of National Pension System (NPS).

2. Accordingly, it has been decided to introduce the following options for Central Government subscribers:

**(i) Choice of Pension Fund :**As in the case of subscribers in the private sector, the Government subscribers shall also be allowed to choose any one of the pension funds including Private sector pension funds, They could change their option once in a year. However, the current provision of combination of the Public-Sector Pension Funds will be available as the default option for both existing as well as new Government subscribers.

**(ii) Choice of Investment pattern**: The following options for investment choices shall be offered to Government employees:

(a) The existing scheme in which funds are allocated by the PFRDA among the three Public Sector Undertaking fund managers based on their past performance inaccordance with the quidelines of PFRDA for Government employees shall continue as default scheme for both existing and new subscribers.

(b) Government employees who prefer a fixed return with minimum amount of risk shall be given an option to invest 100% of the funds in Government securities (Scheme G).

(c) Government employees who prefer higher returns shall be given the options of the following two Life Cycle based schemes :

(A) Conservative Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 25%-LC-25.

(B) Moderate Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 50%-LC-50.

The subscribers may exercise one of the above choices of Investment Pattern twice in a financial year.

**(iii) Implementation of choices to the legacy corpus;** Transfer of a huge legacy corpus of more than Rs. 1 lakh crore in respect of the Government sector subscribers from the existing Pension Fund Managers is likely to impact the market. It may be practcally difficult for the PFRDA to allow Government subscribers to change the Pension Funds or investment pattern is allowed in respect of the accumulated corpus , in one go . Therefore, for the present change in the pension funds or investment pattern is allowed in respect of incremental flows only.

(iv) **Transfer of legacy corpus in a reasonable time frame**: PFRDA shall draw up a sheme in due course for transfer of accumulated corpus as per new choices of Government suscribers in a reasonable time frame of say five years. Once PFRDA draws up this scheme, change in the Pension Funds or investment pattern shall be allowed in respect of the accumulated corpus in accordance with that scheme.

3. Forinvestment option as per para 2 (ii) (a) above, all others terms and conditions as contained inthe investment guidelines issued by the Authority dated 03.06.2015 for NPS Schemes (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite Schemes and APY) and subsequent amendments made thereto shall be applicable. Further, for investment options as per para 2 (ii) (b) or 2 (ii) (c) (A) or 2 (ii) (c) (B) above, all other terms and conditions as contained in the investment guidelines issuued by the Authority dated 04.05.2017 in respect of NPS Schemes {Other than Govt. Sector (CG & SG), Corporate CG, NPS Lite and APY} and subsequent amendments made thereto shall apply.

4. this circular is issued in exercise of powers of the Authority under sub-clause (b) of sub-section (2) of Section 14 *read* with Section 23 of the PFRDA Act, 2013 and sub-regulation (1) of Regulation 14 of the PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015.

The above arrangements are applicable w.e.f. 1st April, 2019.

A.G. DAS,
Executive Director.

———

## CIRCULAR

PFRDA/2019/17/SUP-SG/1 Dated : October 4th, 2019

To,

**All Central Government Ministries & Departments/State Governments**
**PRAOS, PAOS, CDDOS, NCDDOS-CG Nodal offices**
**DTAS, DTOS, DDOS-SG Nodal offices**
**All Central and State Autonomous Bodies points of Presence**

**Subject: Acceptance of CSRF forms or registration under NPS in case of subscriber who has lost both hands**

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has received few requests from the Govt. Nodal office, requesting PFRDA to accept the subscriber registration (CSRF) form in case of such subscriber-employees Joining under them, who are unable to affix signature on the CSRF form, being due to loss of both hands.

In view of the above and to facilitate the registration of such subscribers under NPS, the Govt Nodal offices/ PoPs are advised to accept the subscriber registration (CSRF) form by obtaining the toe impression of the subscriber on the CSRF form, Further, where toe impression of such subscriber who has lost both hands is obtained on the CSRF form, it should be attested by two persons, one of whom should be the official designated to handle NPS related activities in Govt. Nodal office /PoP.

SUMEET KAUR KAPOOR,
Chief General Manager.

---------

No. 7/5/2012-P&PW(F)-B

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, Dated the February 12th, 2020

## OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Counting of service on joining new service in State Government/ Central Government/autonomous body for the benefit of gratuity in respect of Central Govt. Employees covered under National Pension System (NPS).**

The undersigned is directed to say that *vide*this Department's O.M. No. 38/41/06-P&PW(a) dated 05.05.2009, in the event of death/disability during service, the benefits of invalid/Disability pension, Family pension and retirement/death gratuity were provisionally extended to NPS employees at per with the employees appointed before 01.01.2004 Subsequently, the benefit of retirement gratuity and death gratuity has been extended to all Central Government employees covered under National Pension System (NPS) *vide* this Department's O.M. No. 7/5/2012-P&PW(F)/B dated 26.08.2016 on the same terms and conditions, as are applicable to employees covered by CCS (Pension) Rules, 1972.

2. References have been received in the Department seeking clarification with regard to benifit of retirement gratuity on mobility from one organization to another organization . This matter has been considered in consultaion with Department of Expenditure. It has been decided that the grant of retirement gratuity and counting of service for gratuity on mobility of an NPS Government employees may be regulated in the following manner:

(i) On mobility from a Central Government service to another Central Government service, the service rendered in the previous Department in the Central Government shall be counted for the purpose of grant of gratuity. There shall be no sharing of gratuity liability between the two Departments of Central Government.

(ii) On mobility from a Central Government service to a State Government service having National Pension System with provision for Retirement/Death Gratuity for its employees similar to those in Central Government, the service rendered in the Central Government shall be counted for the purpose of grant of gratuity. Same provisions shall apply on mobility of an NPS employees of the State Government to Central Government Department. There shall be no sharing of gratuity liability between the Central and State Governments.

(iii) On mobility from a Central Government service to a Central or State Autonomous Body service having National Pension System with provision for Retirement/Death Gratuity for its employees similar to that in the Central Government, the service rendered in the Central Government would be counted for grant of gratuity. The Government will discharge its gratuity liability by paying the amount of retirement gratuity for the service rendered in the Government to the Central or State Autonomous body. This procedure shall be followed *mutatis mutandis* in respect of NPS employees going over from oneautonomous body to another autonomous body or from an autonomous body to Central Government/Department/Organisation both having National Pension System with provision of retirement/death gratuity for its employees similar to that in theCentral Government.

(iv) On mobility from Central Government service to a Central or State Autonomous Body or to a State Government where the provision for grant of gratuity similar to that inCentral Government does not exist or to a public sector Undertaking, the NPS Government employees shall be granted retirement gratuity as per rule for the service rendered in the Central Government subject to the condition that the total gratuity admissible in respect of the service rendered under the Government of India and that under the later organization, shall not exceed the amount that would have been admissible, had Government servant continued in Government service and retired on the same pay which he/she drew on retirement from the later Organization.

The above provisions would be applicable to Government employees covered under NPS who resign to take up with proper permission, another appointment in the Central/State Government or Central/State Autonomous body or a PSU.

3. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure *vide* their U.O. Note No. 1(4)/EV/2006-II, Dated 30.10.2019.

4. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution.

5. All the Ministries/Departments are requested to bring the above instruction to the notice of all offices/field formation working under their administrative control.

RUCHIR MITTAL,
Deputy Secretary to the Government of India.

———————

No. 57/04/2019-P&PW(B)
Government of India
Department of Pension and PW

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, February 17th, 2020

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, in place of National Pension System, of those Central Government employees whose selection for appointment was finalized before 01.01.2004 but who joined Government service on or after 01.01.2004.**

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) *vide* Ministry of Finance (Department of Economic Affairs)Notification No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22.12.2003, all Government Servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government Service (except armed forces) are mandatorily covered under the said schemes. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended *vide* Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

2. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 1.1.2004 requesting for the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 on the ground that their appointment was delayed on account of administrative reasons or lapses. Similar references have been received from Ministries/Departments seeking advice of this Department on the question whether the Government servants who were appointed on or after 1.1.2004 could also be extended the benefit of pension scheme under CCS (Pension) Rules, if their appointment was delayed beyond 31.12.2003 on account of administrative reasons and the delay in appointment was beyond the control of the said Government servants.

3. From the representations of the Government employees and the references received from Ministries/Departments, it has been observed that in many of the cases referred to this Department, selction process (including written examination, interview and declaration of result) for recruitment had been completed before 01.01.2004 but the employee joined the Government service on or after 01.01.2004. A few illustrations where the selection was finalized before 01.01.2004 but actual joining took place on or after 01.01.2004 are as under.

(i) The result for recruitment was declared before 01.01.2004 but the after of appointment and actual joining of the Government servant was delayed on account of police verification, medical examination etc.

(ii) Some of the candidates selected through a common selection process were issued offers of appointments and were also appointed before 01.01.2004 whereas the offers of appointment to other selected candidates were issued on or after 1.1.2004 due to administrative reasons/constraints including pending Court/CAT cases.

(iii) Candidates selected before 01.01.2004 through a common competitive examination were allocated to different Departments/Organization.While recruitment process was completed by some Department(s)/Organization on or before 31.12.2003 in respect of one or more candidates, the offers of appointment to the candidates allocated to the other Departments/Organization were issued on or after 01.01.2004.

(iv) Offers of appointment to selected candidates were made before 01.01.2004 with a direction to join on or after 01.01.2004.

(v) Offers of appointmentwere issued to selected candidates before 01.01.2004, and many/most candidates joined service before 01.01.2004 However, some candidate(s) were allowed extension of joining time and they joined service on or after 01.01.2004. However, their seniority was either unaffected

or was depressed in the same batch or to a subsequent batch, the result for which subsequent batch was declared before 01.01.2004.

(vi) The result for recruitment was declared before 01.01.2004 but one or more candidates were declared disqualified on the grounds of medical fitness or verification of charactor and antecedents, caste or income certificates. Subsequently, on review, they were found fit for appointment and were issued offers of appointment on or after 01.01.2004.

In all the above illustrative cases, since the result for recruitment was declared before 01.01.2004, denial of the benefit of pension under CCS (Pension) Rules, 1972 to the affected Government servants is not considered justified.

4. The matter has been examined in consultation with the Department of Personnel& Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has been decided that in all cases where the results for recruitment were declared before 01.01.2004 against vacancies occurring on or before 31.12.2003, the candidates declared successful for recruitment shall be eligible for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972. Accordingly, such Government servants who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies occurring before 01.01.2004 and are covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given **a one-time option** to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972. This option may be exercised by the concerned Government servants **latest by 31.05.2020.**

5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.

6. The option once exercised shall be final.

7. It is clarified, that the above option would be available to only those Government servants who were declared successful for recruitment before 01.01.2004, against vacancies pertaining tothe period prior to that date. This option shall, however, not be available to the Government servants appointed on or after 01.01.2004 if they fall in any of the following categories:

(i) Government servants whose names were included in a panel of selected candidates before 01.01.2004 for recruitment against vacancies occurring on or after 01.01.2004 and were, accordingly, recruited on or after 01-01-2004.

(ii) A Government servant whose name was included in a panel of selected candidates prepared before 01.01.2004 for vacancies arising before and after 01.01.2004 but was actually appointed after 31.12.2003 against a vacancy arising on or after 01.01.2004.

(iii) Government servants who were selected against vacanciespertaining to the period prior to 01.01.2004 on the basis of an advertisement/notification issued before 01.01.2004 or a written examination/interview held before 01.01.2004 but results for recruitment were declared on or after 01.01.2004 .

(iv) Government servants who joined on or after 01.01.2004 after they were granted extension of joining time on their own request and, in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel & Training, their seniority was depressed on account of such extension of joining time to a batch for which the result for recruitment was declared on or after 01.01.2004.

8. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 based on the option exercised by the Government servant shall be placed before the appointing authority for consideration in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfils the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972, In accordance with these instructions, necessary order in this regard shall be issued latest by **30th September, 2020**. The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. **01 st November, 2020**.

9. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972, shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF), Regarding accountal of the corpus in the NPS account of the Government servant Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification *vide* letter No. 1(7)(2)/2010/cla/TAIII/390, dated 14.11.2019 :

i. **Adjustment of Employees' contribution in Accounts:** Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 &Rule 11 of GPF rules).

ii. **Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts:**To be accounted for as (-) Dr. to object head 70- Deduct Recoveries under Major head 2071- Pension and other Retirement benefit- Minor head 911- Deduct Recoveries of overpayment (GAR 35 and para 3.10 of list of Major and Minor heads of Accounts).

iii. **Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments:**May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071-Contribution towards Pension and Other Retirements Benifits 800- Other Receipts (Note under the above head in LMMHA).

10. ***All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders.*** The cases of those Government servants who fulfil the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.

11. These orders issue with the concurrence of Ministry ofFinance Department of Expenditure, vide their I.D. Note No. 1(7)EV/2019, dated 08.01.2020.

12. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued after consultation with Comptroller and Auditor General of India, as Mandated under Article 148(5) of the Constitution.

13. Hindi version will follow.

RUCHIR MITTAL,
Deputy Secretary to the Government of India.

———

## CIRCULAR

Circular No. PFRDA/2020/7/REG-EXIT/1. Dated : April 09, 2020

To,

All Stakeholders and subscribers under National Pension System (NPS).

**Subject: Permission of Partial withdrawals towards treatment of specified illnesses.**

In continuation of the circular no. PFRDA/2018/47/Reg-Exit/4, dated 24.05.2018, issued on the applicability & handling of partial withdrawals, Authority is issuing this circular referring the terms of sub-regulation 8(1)(A)(d)(xv) of PFRDA (Exits and withdrawalsunder NPS) Regulations, 2015 and amendments thereunder, prescribes that –

(a) In view of the decision of Government of India, which has declared Covid-19 as a pandemic, It has been decided to declare "COVID-19" as a critical illness which is life threatening in nature.

Hence, in view of the above, the partial withdrawals shall be permitted to fulfil financial needs of the subscribers, if required to him/her againest the request placed for partial withdrawals towards treatment of illness of subscriber, his legally wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents as mentioned in regulation 8(1)(A)(d) of the said regulations.

(b) The other terms and conditions as prescribed under regulation 8 of the PFRDA (Exits and withdrawals under NPS Regulations, 2015 and amendments thereto shall continue to be applicable regarding defining of limits and frequencies.

**(c). Documentation**

The Nodal Office/PoPs/Aggregators would ensure that the subscriber has provided the following document before authorising partial withdrawals.-

(1) Medical Certificate

(2) Formal request for partial withdrawals.

-s/d-

VIKAS KUMAR SINGH,

General Manager.

File No. PFRDA/10/01/1/0003/2018-PDES Dated : 17 August, 2020

To,

All Stakeholders

**Subject: Operational Guidelines for National Pension Scheme Tier II Tax Saver Scheme, 2020 (NPS-TTS)**

In terms the Government of India Notification No. 45/2020/F. No. 370142/26/2019-TPL dated 7th july 2020, the following operational guidelines are being issued in respect of National pension Scheme Tier II- Tax saver scheme, 2020 (NPS-TTS).

| Sl | Particulars | Details |
|---|---|---|
| 1- | Eligibility | Any Central Government NPS subscriber. |
| 2- | Lock-in period | 03 years from the date of unitization of contributions by CRA |
| 3- | Account types | Tier-I- mandatory pension a/c<br>Tier-II- optional a/c and freely withdrawable<br>**Tier-II (Tax Saver)-** optional a/c with 80C benefit |
| 4- | Investment choice & pattern | No investment choice to the subscriber. It will be a composite scheme with the following investment limits for the pension Funds:<br>**Asset class** — **Limits**<br>Equity* — 10%-25%<br>Debt** — Up to 90%<br>Cash/money market/Liquid /MFs — Up to 5%<br>*Investment guidelines as applicable for E-II<br>**Investment guidelines as applicable for G-II and C-II |
| 5- | Choice of Pension Fund | Subscriber can choose any Pension Fund subscriber will be allowed to have maximum 03 Pension Funds, separately for NPS-TTS<br>PF change will be allowed after the lock –in period such re-investment will be treated as fresh investments and will again-locked in for 03 years |
| 6- | withdrawals | No withdrawls will be allowed during the lock-in period .<br>However, in case of death of subsctiber, the corpus can be withdrawn by the nominee/legal heir. |
| 7- | Exit/premature closure | In case of closure of Tier-I account due to exit from NPS, contributions to NPS-TTS will not be allowed and NPS-TTS will be closed after completion of lock-in period. |
| 8- | Minimum/maximum contributions, charges, operations, other | Same as Tier-II – optional a/c which is freely withdrawable and has no tax bemefits |

General Manager

(Mono Phukon)

**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

## पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2020

**सं0 पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8.**—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), खण्ड (ज) और खण्ड (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामतः—

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2020 है।
2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में :—

**(I) विनियम 6 के उप—विनियम (छ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः—**

(छ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन टीयर I खाते से निकासी पर, अभिदाता का टीयर—II खाता भी उसके साथ ही बंद हो जाएगा और उक्त खाते के तहत राशि अभिदाता या उसके नामिती या कानूनी वारिस, जैसा भी मामला हो, को भुगतान कर दी जाएगी।

परन्तु केवल अभिदाता की मृत्यु के मामले को छोड़कर, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम टियर 2 कर बचत स्कीम 2020 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सक्रिय किया गया टियर— II खाता, उक्त योजना के तहत निर्दिष्ट परिबंधन अवधि के पूरा होने के बाद ही बंद होगा।

**(II) विनियम 6 के उप—विनियम (ज) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः—**

(ज) उन अभिदाताओं के संबंध में, जिन्होने नियम 7 के तहत आवेदन जमा नहीं किया है और साठ साल की आयु प्राप्त करने की तिथि सा सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी पर मिलने वाले लाभ के लिए, इस तरह के अभिदाताओं (टीयर I एवं टीयर II) के खातें में संचित पेंशन राशि का मुद्रीकरण किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों या निर्देशों के अनुसार अलग रखा जाएगा। अभिदाता की मुद्रीकृत संचित पेंशन संपत्ति के इस तरह से सुरक्षित रखने पर प्राप्त आय का लाभ उन लाभों का हिस्सा होगा जो अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्राप्त करने का हकदार है। यह प्रावधान ऐसे अभिदाताओं के संबंध में लागू होगा, जिन्होंने लाभों की वापसी को स्थगित कर दिया है या आंशिक रूप से लाभ ले लिया है और इस सम्पूर्ण लाभों को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए जारी विनियमों, दिशानिर्देशों या निर्देशों में आवश्यक है।

परन्तु उपरोक्त प्राविधान, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम टियर 2 कर बचत स्कीम 2020 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सक्रिय टियर— II खाते पर केवल उक्त योजना के तहत निर्दिष्ट परिबंधन अवधि के पूरा होने के बाद ही लागू होगें।

**(I) विनियम 8 के उप—विनियम (2) को नीचे के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः—**

(i) स्थायी सेवानिवृत्ति खाते से संबंधित विधिमान्य और सक्रिय टीयर II खाता धारक कोई अभिदाता ऐसे आवेदन प्रारूप पर और ऐसी पद्धति तथा रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रत्याहरण के लिए किसी भी समय आवेदन करके पूरा या भागतः संचित धन का प्रत्याहरण कर

सकेगा। ऐसे प्रत्याहरणों की, लागू प्रभारों और प्रत्याहरण रकम को देखते हुए संचित पेंशन धन की पर्याप्त रकम होने तक कोई सीमा नही होगी

परन्तु केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम टियर 2 कर बचत स्कीम 2020 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सक्रिय टियर–2 खाते से, उक्त योजना के तहत निर्दिष्ट परिबंधन अवधि पूरी होने से पहले, किसी प्रकार की निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता के निकासी के समय टीयर II खाता स्वतः ही बंद हो जायेगा, भले ही उक्त प्रयोजन के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट आवेदन अभिदाता से प्राप्त नही हुआ हो और ऐसे खाते में संचित धनराशि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास संबंधी अभिदाता के आवेदन प्रस्तुत करने के समय ही उसके द्वारा दिये गये बैंक खाते में अंतरित हो जाएगी।

परन्तु अभिदाता की मृत्यु के मामले को छोड़कर, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पेंशन स्कीम टियर 2 कर बचत स्कीम 2020 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सक्रिय किया गया टियर– II खाता उक्त योजना के तहत निर्दिष्ट परिबंधन अवधि के पूरा होने के बाद ही बंद होगा।

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष